

प्रथम FIRST

पूरक अनुदान मांगें SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए

FOR EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT

2025-2026

(संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अनुसरण में संसद में प्रस्तुत। राष्ट्रपति की सिफारिश, जो मांगें पेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1) (क) और (2) के साथ पिठत अनुच्छेद 113 के खण्ड (3) के अन्तर्गत आवश्यक है, प्राप्त कर ली गई है) (Laid before Parliament in pursuance of sub-clause (a) of clause (1) of Article 115 of the Constitution. The recommendation of the President, required under clause (3) of Article 113 read with clauses (1)(a) and (2) of Article 115 of the Constitution for making the Demands has been obtained)

दिसंबर, December, 2025

परिचायक टिप्पणी

विषय : पूरक अनुदान मांगों 2025-2026 का प्रथम बैच

वर्ष 2025-26 के लिए अनुदानों की अनुपुरक मांगों के पहले बैच में 72 अनुदान और 1 विनियोग शामिल हैं। ₹1,32,268.85 करोड़ के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिए संसद की स्वीकृति अपेक्षित है। इसमें से, निवल नकद व्यय से संबंधित प्रस्ताव कुल ₹41,455.39 करोड़ हैं और मंत्रालयों/विभागों की बचत या बढ़ी हुई प्राप्तियों/वसूलियों के योग से सकल अतिरिक्त व्यय कुल ₹90,812.17 करोड़ है। इसके अतिरिक्त ₹129 लाख का सांकेतिक प्रावधान प्रार्थित है, नई सेवा या सेवा के नए लिखत से संबंधित मामलों में बचत के पुनर्विनियोजन हेतु, व्यय की प्रत्येक मद के लिए एक लाख रुपये।

निवल नकदी व्यय से संबंधित अतिरिक्त व्यय की मदें इस प्रकार हैं: 2.

INTRODUCTORY NOTE

Subject: First Batch of Supplementary Demands for Grants, 2025-2026.

The first batch of Supplementary Demands for Grants for 2025-26 includes 72 Grants and 1 Appropriation. Approval of the Parliament is sought to authorise gross additional expenditure of ₹1,32,268.85 crore. Of this, the proposals involving net cash outgo aggregate to ₹41,455.39 crore and gross additional expenditure, matched by savings of the Ministries/Departments or by enhanced receipts/recoveries aggregates to ₹90,812.17 crore. Besides, token provision of ₹129 lakh is being sought, one lakh for each item of expenditure, for enabling re-appropriation of savings in cases involving New Service or New Instrument of Service.

The items of additional expenditure involving net cash outgo are as follows:

			(करोड़	रुपए में Rupees in Crore)
अनु	दान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of item	राजस्व s Revenue	पूंजी जोड़ Capital Total
रस	ायन एवं उर्वरक मंत्रालय	MINISTRY OF CHEMICALS A FERTILISERS	ND	
6	उर्वरक विभाग (क) (i) स्वदेशी पी और के उर्वरकों के लिए सब्सिडी (₹4370 करोड़) - सामान्य घटक (ii) आयातित पी और के उर्वरकों के लिए सब्सिडी (₹5244 करोड़) - सामान्य घटक (iii) स्वदेशी पी और के उर्वरकों के लिए सब्सिडी (₹415 करोड़) - अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएससी) घटक (iv) आयातित पी और के उर्वरकों के लिए सब्सिडी (₹498 करोड़) - डीएपीएससी घटक (v) स्वदेशी पी और के उर्वरकों के लिए सब्सिडी (₹215 करोड़) - अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) घटक (vi) आयातित पी और के उर्वरकों के लिए सब्सिडी (₹258 करोड़) - डीएपीएसटी घटक।	6 Department of Fertilisers (a) For meeting additional expendit towards (i) Subsidies (₹4370 crore) Indigenous P and K Fertilizers - Component (ii) Subsidies (₹5244 cr for Imported P and K Fertilizers - Component (iii) Subsidies (₹415 cr for Indigenous P and K Fertilizers - Component (iii) Subsidies (₹415 cr for Indigenous P and K Fertilizers - Development Action Plane Scheduled Castes (DAPS Component (iv) Subsidies (₹498 cr for Imported P and K Fertilizers DAPSC Component (v) Subsidies (₹215 crore) for Indigenous P and Fertilizers - Development Action Infor Scheduled Tribes (DAPS Component (vi) Subsidies (₹258 cr	o) for Gen Gen Gen Fore) Gers- for SC) Fore) ers- dies ad K Plan ST) Fore)	
	(ख) घटकों के अंतर्गत आयातित यूरिया उप- योजना के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए अर्थात (i) सामान्य घटक के अंतर्गत सब्सिडी (₹23423.20 करोड़), (ii) डीएपीएससी घटक के अंतर्गत सब्सिडी (₹2224.40 करोड़), (iii) डीएपीएसटी घटक के अंतर्गत सब्सिडी (₹1152.40 करोड़)।	for Imported P and K Fertilized DAPST Component. (b) For meeting additional expending towards Imported Urea Sub-schelar under the components viz. (i) Subsider (23423.20 crore) under - Gen Component, (ii) Subsidies (₹2224 crore) under - DAPSC Component (iii) Subsidies(₹1152.40 crore) under DAPST Component.	11,000.00 ture eme idies eral 4.40 ient,	11,000.00
	(ग) उर्वरक सब्सिडी में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के तहत सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	towards Information, Compute Telecommunications (ICT) Equipment under the Direct Benefit Transfer Fertilizer Subsidy.	ture iter, nent	7,525.09 3.10 3.10

के लिए।

(करोड़ रुपए में Rupees in Crore)

			(करोड़ रुपए में Rupees		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (i) व्यापार आयुक्तों के तहत अन्य के लिए किराया (₹0.11 करोड़), (ii) व्यापार उपचार महानिदेशालय के तहत डिजिटल उपकरण (₹0.06 करोड़), (iii) राष्ट्रीय निर्यात बीमा खातों के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹1800 करोड़) (iv) सामान्य सहायता अनुदान (₹10 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान (₹16 करोड़), वेतन सहायता अनुदान (₹10 करोड़) आईआईटी, मद्रास, चेन्नई में इंडिया सेंटर फॉर लैब ग्रोन डायमंड (इनसेंट-एलसीडी) की स्थापना संबंधी अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 10 Department of Commerce For meeting additional expenditure towards (i) Rent for Others (₹0.11 Crore) under the Trade Commissioners, (ii) Digital Equipment (₹0.06 Crore) under the Directorate General of Trade Remedies, (iii) Grants-in-Aid General (₹1800 Crore) under the National Export Insurance Accounts (iv) Grants-in-Aid General (₹10 Crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹16 Crore), Grants-in-Aid Salaries (₹10 Crore) under the Establishment of India Centre for Lab Grown Diamond (InCent-LCD) at IIT Madras, Chennai.	224.86		224.86	
संस्कृति मंत्रालय (क) निम्नलिखित के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 1. शताब्दी और वर्षगांठ योजना के तहत कार्यालय व्यय (₹1 करोड़), विज्ञापन और प्रचार (₹20 करोड़), पेशेवर सेवाएं (₹2.75 करोड़), सामान्य सहायता अनुदान (₹24 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान (₹7.50 करोड़)। 2. शताब्दी और वर्षगांठ योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹1 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान (₹0.50 करोड़)। 3. शताब्दी और वर्षगाँठ योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹1 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान (₹1 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान (₹0.50 करोड़)। 4. (i) संग्रहालय विकास योजना (₹15 करोड़) और (ii) राष्ट्रीय संग्रहालय (₹5 करोड़) के तहत पेशेवर सेवाएं। 5. राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के लिए विज्ञापन और प्रचार (₹2 करोड़)।	MINISTRY OF CULTURE 18 Ministry of Culture (a) For meeting additional expenditure towards 1. Office Expenses (₹1 Crore), Advertising And Publicity (₹20 Crore), Professional Services (₹2.75 Crore), Grants-In-Aid General (₹24 Crore), Grants For Creation Of Capital Assets (₹7.50 Crore) under the Centenaries And Anniversaries Scheme 2. Grants-In-Aid General (₹1 Crore) and Grants For Creation Of Capital Assets (₹0.50 Crore) under the Centenaries And Anniversaries Scheme 3. Grants-In-Aid General (₹1 Crore) and Grants For Creation Of Capital Assets (₹0.50 Crore) under the Centenaries And Anniversaries Scheme 3. Grants-In-Aid General (₹1 Crore) and Grants For Creation Of Capital Assets (₹0.50 Crore) under the Centenaries And Anniversaries Scheme 4. Professional Services under (i) Development of Museum scheme (₹15 Crore) and (ii) National Museum (₹5 Crore) 5. Advertising and Publicity (₹2 Crore)				
(ख) शताब्दी और वर्षगांठ योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹1 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान (₹0.75 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	for National Gallery of Modern Arts. (b) For meeting additional expenditure towards Grants-In-Aid General (₹1 Crore) and Grants For Creation Of Capital Assets (₹0.75 Crore) under the Centenaries And Anniversaries Scheme	3.34		3.34 1.75	
रक्षा मंत्रालय 20 रक्षा सेवाएं (राजस्व) (क) आयुध निदेशालय (सी एंड एस) के लिए ₹64 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने	MINISTRY OF DEFENCE 20 Defence Services (Revenue) (a) For meeting additional expenditure of ₹64 crore for Directorate of Ordnance (C&S)	22 90		22 90	

(C&S).

22.90

22.90

		(करोड़	रुपए में Rupee	es in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(ख) अनुसंघान और विकास (अनुसंधान एवं विकास) हेतु ₹128 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure of ₹1.28 crore towards Research and Development (R&D).	1.28		1.28
शिक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF EDUCATION			
उच्चतर शिक्षा विभाग निम्नलिखित के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 1.सामान्य घटक के तहत केन्द्र सरकार द्वारा प्रोत्साहित डीम्ड विश्वविद्यालय के लिए (₹ 42.63 करोड़) (ii) अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएससी) घटक के तहत (₹2.04 करोड़), अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएससी) घटक के तहत (0.33 करोड़) 2. सामान्य सहायता अनुदान (₹65.45 करोड़) और 3. नई योजना प्रधानमंत्री वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (पीएम- ओएनओएस) के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹2023.25 करोड़)।	Partment of Higher Education For meeting additional expenditure towards 1. Grants for Creation of Capital Assets under (i) Deemed Universities Promoted by Central Govt. (₹42.63 Crore) under General component (ii) Development Action Plan for Scheduled Castes (DAPSC) component (₹2.04 Crore), under Development Action Plan for Scheduled Tribes (DAPST) component (₹0.33 Crore) 2. Grants-in-aid General (₹65.45 Crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹170.29 Crore) under World Class Institutions under General component 3. Grants-in-aid General under the New Scheme Pradhan Mantri One Nation One Subscription (PM-ONOS) (₹2023.25 Crore).	1,303.72		1,303.72
O>		,		,
विदेश मंत्रालय 29 विदेश मंत्रालय	MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS 29 Ministry of External Affairs			
(क) स्थापना के अंतर्गत विदेश यात्रा व्यय (₹30 करोड़ रुपए) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	 29 Ministry of External Affairs (a) For meeting additional expenditure towards Foreign Travel Expenses (₹ 30 Crore) under the Establishment. 	30.00		30.00
(ख) निम्नलिखित के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 1. विदेश मिशनों/पोस्टों के अंतर्गत भत्ते (₹75.10 करोड़), विदेश यात्रा व्यय (₹50 करोड़), कार्यालय व्यय (₹30 करोड़) 2. (i) विशेष राजनियक व्यय (₹132.30 करोड़) (ii) केंद्रीय अधिनियमों और विनियमों के प्रशासन के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को भुगतान (₹50 करोड़) (iii) युद्ध/नागरिक अशांति के कारण भारतीय निकासी (₹10 करोड़) और (iv) वन स्टॉप सेंटर (निर्भया फंड) (₹9.50 करोड़) के तहत अन्य राजस्व व्यय 3. पासपोर्ट सेवा परियोजना-सेवा प्रभारों के अंतर्गत कार्यालय व्यय (₹172.40 करोड़) 14. स्वायत्त निकायों और अन्य संस्थानों को सहायता के तहत छात्रवृत्तियां (₹33.50 करोड़ रुपये), आईसीसीआर और 5. संयुक्त राष्ट्र संगठन के तहत योगदान (₹134 करोड़)।	(b) For meeting additional expenditure towards 1. Allowances (₹75.10 Crore), Foreign Travel Expenses (₹50 Crore), Office Expenses (₹30 Crore) under the Missions/Posts Abroad 2. Other Revenue Expenditure under the (i) Special Diplomatic Expenditure (₹132.30 Crore) (ii) Payments to States/ Union Territories for Administration of Central Acts and Regulations (₹50 Crore) (iii) Evacuation Of Indian Due To War/Civil Disturbance (₹10 Crore) and (iv) One Stop Centre (Nirbhaya Fund) (₹9.50 Crore) 3. Office Expenses (₹172.40 Crore) under the Passport Seva Project-Service Charges 4. Scholarships (₹33.50 Crore) under Assistance to Autonomous Bodies and Other Institutions, ICCR and			

5. Contributions (₹134 Crore) under the

653.80

653.80

United Nations Organisation.

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gran	t No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(ग) (i) चाबहार बंदरगाह (₹300 करोड़ (ii) मॉरीशस को सहायता (₹172.33) औ (iii) प्रशांत द्वीप देशों को सहायता (₹70 करोड़) के तहत सहायता के अतिरिक्त व्यक् को पूरा करने के लिए।	र)	For meeting additional expenditure towards Contributions under the (i) Chahbahar Port (₹300 Crore) (ii) Aid To Mauritius (₹172.33) and (iii) Aid To Pacific Island Countries (₹70 Crore).	542.33		542.33
वेत्त मंत्रालय	MINI	STRY OF FINANCE			
32 वित्तीय सेवाएं विभाग		epartment of Financial Services			
(क) विज्ञापन और प्रचार के लिए अतिरिक्त व्या (₹7.40 करोड़) को पूरा करने के लिए।	य (a)) For meeting additional expenditure towards Advertising and Publicity (₹7.40 crore).	3.57	•••	3.57
(ख) ऋण वसूली अधिकरणों (डीआरटी) के लि भूमि और भवन (18.50 करोड़ रुपए) वे लिए किराया, दरों और करों के लिए अतिरित्त	<u>7</u>) For meeting additional expenditure towards Rents, Rates and Taxes for Land and Building (₹18.50 crore) for			
व्यय को पूरा करने के लिए। (ग) अटल पेंशन योजना (151.50 करोड़ रुपए और प्रधानमंत्री वय वंदना योजन (पीएमवीवीवाई) (174.32 करोड़ रुपए) सरकारी अंशदान के अंतर्गत प्रतिपूर्ति वे अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए	i i	Debt Recovery Tribunals (DRTs). For meeting additional expenditure towards reimbursement under Government contribution to Atal Pension Yojana (₹151.50 crore) and Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana	10.97 234.73		10.97 234.73
(घ) वर्ष 2016-17 में लकी ग्राहक योजना औ डिजि-धन व्यापार योजना के कार्यान्वयन वे लिए नाबार्ड की वित्तीय समावेशन निर्धि (एफआईएफ) की प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त व्यक् को पूरा करने के लिए।	^त	(PMVVY) (₹174.32 crore). For meeting additional expenditure towards reimbursement to Financial Inclusion Fund (FIF) of NABARD for implementation of schemes 'Lucky Grahak Yojana' and 'Digi-Dhan Vyapar	234./3		234.73
	26 D	Yojana' in 2016-17.	259.21		259.21
अहराक्ष कर (क) स्थापना के अंतर्गत वेतन (518.31 करोज रूपए), भत्ते (322.51 करोड़ रूपए), कार्याल व्यय (94.57 करोड़ रूपए), भूमि और भवन के लिए किराया, दरें और कर (212.5. करोड़ रूपए) और पेशेवर सेवाएं (44.3. करोड़ रूपए) के अतिरिक्त व्यय को पूर करने के लिए।	ड़ (a) य ों 2	irect Taxes For meeting additional expenditure towards Salaries (₹518.31 crore), Allowances (₹322.51 crore), Office Expenses (₹94.57 crore), Rents, Rates and Taxes for Land and Buildings (₹212.52 crore) and Professional Services (₹44.32 crore) under the			
(ख) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के लिए भूमि अधिग्रहा और कार्यालय भवन के निर्माण के लिए ओएच	-	Establishment.) For meeting additional expenditure of 47.92 crore under OH- 'Land' for	1,192.23		1,192.23
भूमि के तहत 47.92 करोड़ रुपये के अतिरित्त व्यय को पूरा करने के लिए। (ग) ओएच-आईसीटी के अंतर्गत स्थापना संबंध व्यय के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा कर	d (c)	Acquisition of Land & Construction of Office Building for I.T. Department. For meeting additional expenditure for establishment related expenditure under		33.00	33.00
के लिए। (घ) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के लिए भूरि अधिग्रहण और आवासीय भवन के निर्माण के लिए ओएच-'भूमि' के तहत 6.40 करो	ने (d	OH- ICT. For meeting additional expenditure of 6.40 crore under OH- 'Land' for Acquisition of Land & Construction of		600.00	600.00
रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने दे		Residential Building for I.T.			

				(करोड़	रुपए में Rupee.	ees in Crore)		
अनुव	द्वान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gr	ant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total		
38	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग आईएएंडएडी के लिए कार्यालय भवन के निर्माण के लिए भूमि के अधिग्रहण के तहत भूमि के लिए अतिरिक्त व्यय (₹330 करोड़) को पूरा करने के लिए।	38	Indian Audit and Accounts Department For meeting additional expenditure towards Land (₹330 crore) under the Acquisition Of Land For Construction of Office Building for IA&AD.		268.49	268.49		
मत्र	यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय	MI	NISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRYAND DAIRYING					
44	पशुपालन और डेयरी विभाग	44	Department of Animal Husbandry and					
	3		Dairying					
	(क) निम्नलिखित के लिए (i) राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत सब्सिडी (₹170 करोड़) (ii) राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत सामान्य घटक के लिए अनुदान सामान्य (₹402.81 करोड़), अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएससी) (₹105.35 करोड़) और अनुसूचित जनजाति के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) (₹90.43 करोड़), अवार्ड और पुरस्कार (0.36 करोड़), कार्यालय व्यय (₹0.50 करोड़), पेशेवर सेवाएं (₹6.70 करोड़) और सब्सिडी (₹30 करोड़) (iii) नस्ल सुधार संस्थानों के तहत मजदूरी (₹32.08 करोड़) और पशु स्वास्थ्य संस्थानों के अंतर्गत भूमि और भवनों के लिए किराया, दरें और कर (₹24.96 करोड़)।		(a) For (i) Subsidies under National Livestock Mission (₹170 crore) (ii) Grants-in-Aid General for General Component (₹402.81 crore), for Development Action Plan for Scheduled Castes (DAPSC) (₹105.35 crore) and for Development Action Plan for Scheduled Tribe (DAPST) (₹90.43 crore), Award & Prizes (₹0.36 crore), Office Expenses (₹0.50 crore), Professional Services (₹6.70 crore) and Subsidies (₹30 crore) under Rashtriya Gokul Mission (iii) Wages under Breed Improvement Institutes (₹32.08 crore) and Rent, Rates and Taxes for Land and Buildings under Animal Health Institutes (₹24.96 crore).	344.68		344.68		
	 (ख) राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत सामान्य घटक के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹37.17 करोड़), अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना (₹7.84 करोड़) और अनुसूचित जनजाति के लिए विकास कार्य योजना (₹17.83 करोड़) के लिए। (ग) डेयरी विकास के अंतर्गत ऋणों और अग्रिमों के लिए। 		 (b) For Grants-in-Aid General for General Component (₹37.17 crore), for Development Action Plan for Scheduled Castes (DAPSC) (₹7.84 crore) and for Development Action Plan for Scheduled Tribe (DAPST) (₹17.83 crore) under Rashtriya Gokul Mission. (c) For Loans and Advances under Dairy Development. 	16.43	66.32	16.43		
स्वा	स्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	MI	NISTRY OF HEALTH AND FAMILY	···	00.52	00.52		
	_		WELFARE					
47	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (i) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली को अनुदान के तहत अनुदान सहायता वेतन (₹24.50 करोड़) (ii) "स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अवसरंचना विकास" योजना के अनुदान के तहत अनुदान सहायता सामान्य (₹2.45 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा	47	Department of Health Research For meeting additional expenditure towards (i) Grants-in-aid Salaries (₹24.50 Crore) under the Grants to Indian Council of Medical Research, New Delhi (ii) Grants- in-aid General (₹2.45 Crore) under the Grants to the Scheme "Development of					

Infrastructure for Promotion of Health

26.95

26.95

Research".

करने के लिए।

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
 गृह मंत्रालय 49 गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS 49 Ministry of Home Affairs			
(क) चिकित्सा उपचार (₹1 करोड़), प्रशिक्षण व्यय (₹5 करोड़), घरेलू यात्रा व्यय (₹1 करोड़), मरम्मत और रखरखाव (₹1 करोड़), अनुदान सहायता (₹1 करोड़), कार्यालय व्यय (₹15 करोड़), विज्ञापन और प्रचार (₹10 करोड़), मुद्रण और प्रकाशन (₹5 करोड़) और लघु नागरिक और विद्युत कार्यों (₹1 करोड़) के तहत जनगणना की दिशा में अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure towards Census under Medical Treatment (₹1 crore), Training Expenses (₹5 crore), Domestic Travel Expenses (₹1 crore), Repair and Maintenance (₹1 crore), Grants-in-Aid General (₹386.43 crore), Office Expenses (₹15 crore), Advertising and Publicity (₹10 crore), Printing and Publications (₹5 crore) and Minor Civil & Electric Works (₹1 crore).	406.31		406.31
(ख) मणिपुर को अनुदान सहायता के लिए विकास पैकेज की दिशा में अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) सुरक्षा संबंधी व्यय (542 करोड़ रुपये) (ii) उच्च ब्याज वाले हड़को ऋण (633 करोड़ रुपये) का पूर्व भुगतान (iii) आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास और पुनर्स्थापना (523 करोड़ रुपये) (iv) टॉप अप समर्थन (119 करोड़ रुपये) (v) आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए सहायता (60 करोड़ रुपये) (vi) व्यक्तिगत सामान और चल संपत्ति के लिए पूरी तरह से जले हुए घर (70 करोड़ रुपये) (vii) पुनर्स्थापित गांवों में सामुदायिक संपत्ति का निर्माण (274 करोड़ रुपये) (viii) केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती शुल्क (500 करोड़ रुपये)।	(b) For meeting additional expenditure towards Developmental package to Manipur for Grants-in-Aid General under the (i) Security Related Expenditure(₹542 crore) (ii) Prepayment of High Interest HUDCO Loan (₹633 crore) (iii) Rehabilitation and Resettlement of Internally Displaced Persons (IDPs) (₹523 crore) (iv) Top Up Support (₹119 crore) (v) Assistance for Partially Damaged Houses (₹60 crore) (vi) Fully Burnt Houses for Personal Belongings and Movable Assets (₹70 crore) (vii) Creation of Community Assets in Resettled Villages (₹274 crore) (viii) Deployment Charges of Central			
(ग) जनगणना के अंतर्गत सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आई.सी.टी.) उपकरणों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	 Armed Police Forces (₹500 crore). (c) For meeting additional expenditure towards Information, Computer, Telecommunications (ICT) Equipment 	2,198.00		2,198.00
पुलिस निम्नलिखित के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) खुफिया ब्यूरों के तहत गुप्त सेवा व्यय (332.33 करोड़ रुपये) (ii) राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के तहत पूंजीगत संपत्ति (10 करोड़ रुपये) के निर्माण के लिए अनुदान (iii) सीआरपीएफ के तहत कार्यालय व्यय (24 करोड़ रुपये) (iv) घरेलू यात्रा व्यय (3 करोड़ 67 लाख रुपये), ईंधन और स्नेहक (10 करोड़ रुपये), अन्य राजस्व व्यय (5 करोड़ रुपये) बीएसएफ के तहत	under the Census. 51 Police For meeting additional expenditure towards (i) Secret Service Expenditure (₹332.33 crore) under Intelligence Bureau (ii) Grants For Creation of Capital Assets (₹10 crore) under Rashtriya Raksha University (iii) Office Expenses (₹24 crore) under CRPF (iv) Domestic Travel Expenses (₹3.67 crore), Fuels & Lubricants (₹10 crore), Other Revenue Expenditure (₹5 crore) under		20.00	20.00
(v) दिल्ली पुलिस के तहत कार्यालय व्यय (15 करोड़ रुपये)। 52 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (क) (i) कंप्यूटर परिधीय उपकरणों की खरीद के लिए डिजिटल उपकरण (0.03 करोड़ रुपये)	BSF (v) Office Expenses (₹15 crore) under Delhi Police. 52 Andaman and Nicobar Islands (a) For meeting additional expenditure towards (i) Digital Equipment (₹0.03)	400.00		400.00

... 191.63 191.63

			(करोड़	रुपए में Rupe	es in Crore
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gr	ant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
और (ii) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को भुगतान के लिए पेशेवर सेवाओं (100.83 करोड़ रुपये) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। (ख) भारतीय नौवहन निगम को भुगतान के लिए पेशेवर सेवाओं के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।		crore) for procurement of computer peripherals and (ii) Professional Services (₹100.83 crore) for payment to Cochin Shipyard Limited. (b) For meeting additional expenditure towards Professional Services for payment to Shipping Corporation of	3.03		3.03
(ग) ट्रांसपोंडरों को किराए पर लेने के लिए अन्य राजस्व व्यय की ओर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए, और चेन्नई अंडमान निकोबार द्वीप उप समुद्री केबल के संचालन और रखरखाव शुल्क के लिए।		India. (c) For meeting additional expenditure towards Other Revenue Expenditure for hiring of transponders, and for operation and maintenance charges of Chennai Andaman Nicobar Island sub	450.93		450.93
ee	<i></i>	marine cable. Ladakh	514.43	•••	514.43
(क) दो संघ राज्य क्षेत्र के बीच देनदारियों के विभाजन के कारण जम्मू और कश्मीर को हस्तांतरण की दिशा में अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	55	(a) For meeting additional expenditure towards transfer to the UT of Jammu & Kashmir on account of apportionment of liabilities between the two Union Territories.	2,504.46		2 504 46
(ख) आपदा प्रबंधन के लिए अतिरिक्त व्यय को		(b) For meeting additional expenditure for	2,304.40	•••	2,504.46
पूरा करने के लिए। (ग) दूर-दराज के क्षेत्रों में बिजली उत्पादन के लिए बिजली की खरीद और डीजल की खरीद के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने		disaster management. (c) For meeting additional expenditure towards purchase of power and procurement of diesel for power	12.04		12.04
के लिए। (घ) जम्मू में उच्च न्यायालय परिसर के निर्माण के लिए जम्मू और कश्मीर को अंतरित करने के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 20.14 करोड़) और एल. ए. एच. डी. सी. लेह और एल.ए.एच.डी.सी. कारगिल (₹148.64 करोड़) के बजट आवंटन को		generation in far-flung areas. (d) For meeting additional expenditure for transfer to the UT of Jammu & Kashmir towards the construction of the High Court Complex at Jammu(₹20.14 crore) and to enhance the budget allocation of LAHDC Leh and LAHDC Kargil	3.00		3.00
बढ़ाने के लिए।		(148.64 crore).	•••	168.78	168.78
58 जम्मू और कश्मीर में स्थानांतरण 624 मेगावाट की कीरू हेप (₹154.81 करोड़) और झेलम तवी बाढ़ वसूली परियोजना-बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना (₹185.34 करोड़) के लिए इक्विटी योगदान की दिशा में अतिरिक्त व्यय	58	Transfers to Jammu and Kashmir For meeting additional expenditure towards Equity Contribution for 624 MW Kiru HEP (₹154.81 crore) and Jhelum Tavi Flood Recovery Project - Externally Aided Project			
को पूरा करने के लिए।		(₹185.34 crore).	340.15		340.15
59 पुडुचेरी में स्थानांतरण संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	59	Transfers to Puducherry For meeting additional expenditure under the Central Assistance to Union Territories.	85.68		85.68
विधि एवं न्याय मंत्रालय	MT	NISTRY OF LAW AND JUSTICE			
65 विधि एवं न्याय		Law and Justice			
चुनाव आयोग के लिए ईवीएम के तहत मशीनरी और उपकरण के लिए (₹629.80 करोड़) ।	-	For Machinery and Equipment (₹ 629.80 crore) under the EVMs for Election			
		()		101 62	101 6

Commission.

(₹43 करोड़) और (iv) भारतीय पेट्रोलियम ऊर्जा

संस्थान के लिए पूंजीगत आस्तियों के निर्माण

हेतु अनुदान (₹50 करोड़)।

				(करोड़	रुपए में Rupees	in Crore
अनु	दान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gr	ant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
66	निर्वाचन आयोग	66	Election Commission			
	(क) कार्यालय व्यय के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) आईआईआईडीईएम में प्रशिक्षण और संबंधित व्यय (₹5.61 करोड़) (ii) स्थापना (₹40 करोड़)।		(a) For meeting additional expenditure towards Office Expenses under the (i) training and related expenditure at IIIDEM (₹5.61 crore) (ii) Establishment	45.61		45 61
	(ख) द्वारका में आईआईआईडीईएम परिसर के निर्माण के लिए इमारतों और संरचनाओं पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए		 (₹40 crore). (b) For meeting additional expenditure towards Buildings and Structures (₹9.97 crore) for the construction of 	45.61		45.61
	(₹9.97 करोड़)। (ग) मोटर वाहनों (₹1.43 करोड़) और आईसीटी उपकरण (₹1.10 करोड़) के अतिरिक्त व्यय		IIIDEM Campus at Dwarka.(c) For meeting additional expenditure towards Motor Vehicles (₹1.43 crore)		9.97	9.97
	को पूरा करने के लिए।		and ICT Equipment (₹1.10 crore).		2.53	2.53
67		67	Supreme Court of India			
	(क) वेतन (₹10.40 करोड़), पुरस्कार (₹0.15 करोड़), चिकित्सा उपचार (₹0.86 करोड़), भत्ते (₹21.58 करोड़), प्रशिक्षण व्यय (₹0.62 करोड़), विदेश यात्रा व्यय (₹6 करोड़), कार्यालय व्यय (₹4.69 करोड़), डिजिटल उपकरण (₹0.60 करोड़), व्यावसायिक सेवाएँ (₹30 करोड़) और मरम्मत और रखरखाव (₹0.15 करोड़) के प्रति अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।		(a) For meeting additional expenditure towards Salaries (₹10.40 crore), Rewards (₹0.15 crore), Medical Treatment (₹0.86 crore), Allowances (₹21.58 crore), Training Expenses (₹0.62 crore), Foreign Travel Expenses (₹6 crore), Office Expenses (₹4.69 crore), Digital Equipment (₹0.60 crore), Professional Services (₹30 crore) and			
	(ख) मोटर वाहन (₹ 1.49 करोड़), आईसीटी उपकरण (₹8.43 करोड़), फर्नीचर और फिक्सचर (₹0.58 करोड़), विरासत आस्तियों और एनईसी का अपग्रेडेशन / खरीद (₹0.05 करोड़), अन्य अचल आस्तियां (₹0.38 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।		Repair And Maintenance (₹0.15 crore). (b) For meeting additional expenditure towards Motor Vehicles (₹1.49 crore), ICT Equipment (₹8.43 crore), Furniture & Fixtures (₹0.58 crore), Upgradation / Procurement Of Heritage Assets and N.E.C. (₹0.05 crore), Other Fixed Assets (₹0.38 crore).	75.05	10.93	75.05 10.93
	۵		,			
чç	लियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	MI	NATURAL CAS			
76	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय निम्नलिखित के लिए व्यय को पूरा करने हेतुः (i) घरेलू एलपीजी में कम वसूली के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों (पीएसयू ओएमसी) को मुआवजा (₹12,500 करोड़) (ii) कार्यक्रम घटक (₹3,178 करोड़), गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना (₹302 करोड़) और अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (₹156 करोड़) (iii) प्रत्यक्ष लाभ अंतरण - एलपीजी के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना (₹83 करोड़) और अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (₹83 करोड़) और अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना	76	MATURAL GAS Ministry of Petroleum and Natural Gas For meeting expenditure for: (i) compensation to Public Sector Undertaking Oil Marketing Companies (PSU OMCs) for under recoveries in domestic LPG (₹12,500 crore) (ii) programme component (₹3,178 crore), Development Action Plan for Scheduled Castes (₹302 crore) and Development Action Plan for Scheduled Tribes (₹156 crore) under LPG connection to poor households (iii) Development Action Plan for Scheduled Castes (₹83 crore) and Development Action Plan for			

Scheduled Tribes (₹43 crore) under Direct Benefit Transfer–LPG and (iv) grants for

creation of capital assets for Indian Institute

of Petroleum Energy (₹50 crore).

9,473.44

... 9,473.44

				(करोड़	(करोड़ रुपए में Rupees in Crore)			
अनुव	द्वान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gr	ant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total		
राष्ट्र	पित, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपित का सचिवालय	ТН	E PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE PRESIDENT					
82	राज्य सभा (क) वेतन (₹0.08 करोड़) और भत्ते (₹0.11 करोड़) के लिए व्यय को पूरा करने के लिए।	82	Rajya Sabha (a) For meeting expenditure towards Salaries (₹0.08 crore) and Allowances (₹0.11 crore)	0.19		0.19		
	(ख) योजना के सदस्यों के लिए (i) वेतन (₹18.22 करोड़), भत्ते (₹23. 56 करोड़), चिकित्सा उपचार (₹8.31 करोड़), घरेलू यात्रा व्यय (₹7.50 करोड़) और कार्यालय व्यय (₹2.41 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (ii) विपक्ष के नेता के वेतन (₹0.08 करोड़) और भत्ते (₹0.11 करोड़) (iii) योजना सचिवालय के अंतर्गत डिजिटल उपकरण (₹2.82 करोड़) और पेशेवर सेवाएं (₹2.96 करोड़)।		(b) For meeting additional expenditure towards (i) Salary (₹ 18.22 crore), Allowances (₹23. 56 crore), Medical Treatment (₹8.31 crore), Domestic Travel Expenses (₹7.50 crore) and Office Expenses (₹2.41 crore) for Members (ii) Salaries (₹0.08 crore) and Allowances (₹0.11 crore) for Leader of Opposition (iii) Digital Equipment (₹2.82 crore) and Professional Services (₹2.96 crore) under the Scheme					
	(ग) मोटर वाहनों (₹0.07 करोड़) और आईसीटी उपकरण (₹1.21 करोड़) पर अतिरिक्त व्यय		Secretariat. (c) For meeting additional expenditure towards Motor Vechicles (₹0.07 crore)	65.97		65.97		
	को पूरा करने के लिए।		and ICT Equipment (₹1.21 crore).		1.28	1.28		
साम	गाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	MI	NISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT					
94	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	94	Department of Empowerment of Persons with Disabilities					
	अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए i) सामान्य घटक के लिए 'उपकरणों और सहायता की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता' योजना के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹10.41 करोड़), अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएससी) घटक के लिए- (₹2.30 करोड़) और अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) घटक के लिए- (₹1.19 करोड़) ii) सामान्य घटक के लिए 'निशक्तजन अधिनियम 1955 के कार्यान्वयन की योजना' के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹2.70 करोड़)।		For meeting additional expenditure under i) Grants-in-aid-General for the scheme 'Assistance to Disabled Persons for Purchase/Fitting of Aids and Appliances' for General Component- (₹10.41 Crore), for Development Action Plan for Scheduled Castes (DAPSC) component- (₹2.30 Crore) and for Development Action Plan for Scheduled Tribes (DAPST) component- (₹1.19 Crore) ii) Grants-in-aid-General under 'Scheme for Implementation of Persons With Disabilities Act 1955' for General Component- (₹2.70 Crore).	16.60		16.60		
सां	ख्येकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	MI	NISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION					
96	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में केंद्रीय एनएसएस नमूना कार्य करने के लिए राज्यों को सांख्यिकी अनुदान-सहायता के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के प्रति अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	96	Ministry of Statistics and Programme Implementation (a) For meeting additional expenditure towards Grants-In-Aid General under the Statistics- Grants-In-Aid to the States for carrying out Central NSS Sample Work In North Eastern Region.	0.13		0.13		

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(ख) (i) चिकित्सा उपचार (₹0.05 करोड़), घरेलू यात्रा व्यय (₹11.24 करोड़), कार्यालय व्यय (₹10.13 करोड़), मुद्रण और प्रकाशन (₹0.17 करोड़), दूसरों के लिए किराया (₹1.87 करोड़), विज्ञापन और प्रचार (₹3.21 करोड़), छोटे नागरिक और बिजली के कार्य (₹8.17 करोड़), पेशेवर सेवाएँ (₹29.13 करोड़), भरम्मत और रखरखाव (₹0.0023 करोड़), अनुदान-इन-एड सामान्य (₹0.47 करोड़), स्थापना के तहत अन्य राजस्व व्यय (₹0.33 करोड़), (ii) प्रशिक्षण व्यय (₹0.001 करोड़), घरेलू यात्रा व्यय (₹0.01 करोड़), डिजिटल उपकरण (₹0.001 करोड़), पेशेवर सेवाएँ (₹0.21 करोड़), अनुदान-इन-एड सामान्य (₹0.50 करोड़), आर्थिक जनगणना के तहत अन्य राजस्व व्यय (₹0.003 करोड़)।	(b) For meeting additional expenditure towards (i) Medical Treatment (₹0.05 Crore), Domestic Travel Expenses (₹11.24 Crore), Office Expenses (₹10.13 Crore), Printing and Publications (₹0.17 Crore), Rent For Others (₹1.87 Crore), Advertising And Publicity (₹3.21 Crore), Minor civil and electric works (₹8.17 Crore), Professional Services (₹29.13 Crore), Repair And Maintenance (₹0.0023 Crore), Grants-In-Aid General (₹0.47 Crore), Other Revenue Expenditure (₹0.33 Crore) under the Establishment, (ii) Training Expenses (₹0.001 Crore), Domestic Travel Expenses (₹0.001 Crore), Digital Equipment (₹0.001 Crore), Professional Services (₹0.21	Revenue	Сприп	1000
(ग) संस्थागत विकास और क्षमता निर्माण के तहत (i) सूचना, कंप्यूटर दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण (₹9.92 करोड़), भवन और संरचनाएं (₹3.18 करोड़), फर्नीचर और फिक्स्चर (₹1.50 करोड़), (ii) आर्थिक जनगणना के तहत फर्नीचर और फिक्स्चर (₹0.001 करोड़) की ओर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के	Crore), Grants-In-Aid General (₹0.50 Crore), Other Revenue Expenditure (₹0.003 Crore) under the Economic Census. (c) For meeting additional expenditure towards (i) Information, Computer Telecommunications (ICT) Equipment (₹9.92 Crore), Buildings And Structures (₹3.18 Crore), Furniture & Fixtures (₹1.50 Crore) under the Institutional Development And Capacity Building,	65.49		65.49
लिए।	(ii) Furniture & Fixtures (₹0.001 Crore) under the Economic Census.		14.61	14.61

3. अनुदान के लिए अनुपूरक मांगे के बैच में ₹90,812.17 करोड़ के तकनीकी अनुपूरक मांग/ एप्रोप्रिएशन्स के प्रस्ताव प्राप्तियां/वसूली या उससे जुड़ी बचत से मैच करते हैं। मदें इस तरह है:

अनुदानों के लिए तकनीकी अनुपूरक मांगें रसायन और उर्वरक मंत्रालय

6 उर्वरक विभाग

कुल नकद व्यय

आयातित यूरिया सब-स्कीम के लिए अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिए, इन घटकों के तहत अर्थात (i) सामान्य घटक के तहत सब्सिडी (₹23423.20 करोड़), (ii) डीएपीएससी घटक के तहत सब्सिडी (₹2224.40 करोड़), (iii) डीएपीएससी घटक के तहत सब्सिडी (₹1152.40 करोड़)। 3. This batch of Supplementary Demands for Grants includes proposals for technical supplementary grants/appropriations for ₹90,812.17 crore which are matched by additional receipts/recoveries or corresponding savings of the Ministries/ Departments. The items are as follows:

40,058.35

1,397.04 41,455.39

Technical Supplementary Demands for grants MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

6 Department of Fertilisers

Total Cash Outgo

For meeting additional expenditure towards Imported Urea Sub-scheme under the components viz. (i) Subsidies (₹23423.20 crore) under - General Component, (ii) Subsidies (₹2224.40 crore) under - DAPSC Component, (iii) Subsidies (₹1152.40 crore) under - DAPST Component.

12,538.00 ... 12,538.00

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
10 वाणिज्य विभाग	10 Department of Commerce			
(क) सचिवालय के अंतर्गत अन्य राजस्व व्यय के प्रति अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure towards Other Revenue Expenditure	1.70		1.70
(ख) विदेश व्यापार महानिदेशक के अधीन अन्य राजस्व व्यय के प्रति अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	under the Secretariat. (b) For meeting additional expenditure towards Other Revenue Expenditure under Director General of Foreign	1.70		1.70
(ग) (i) व्यापार आयुक्तों के तहत दूसरों के लिए किराया (₹ 0.11 करोड़), (ii) व्यापार उपचार महानिदेशालय के तहत डिजिटल उपकरण (₹0.06 करोड़), (iii) राष्ट्रीय निर्यात बीमा खातों के तहत अनुदान-इन-एड सामान्य (₹1800 करोड़) (त्ध) अनुदान-इन-एड सामान्य (₹10 करोड़), पूंजीगत संपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹16 करोड़), आईआईटी मद्रास, चेन्नई में लेब में उगाए गए हीरों के लिए भारतीय केंद्र (इनसेंट-एलसीडी) की स्थापना के तहत वेतन अनुदान (₹10 करोड़)।	Trade. (c) For meeting additional expenditure towards (i) Rent for Others (₹0.11 Crore) under the Trade Commissioners, (ii) Digital Equipment (₹0.06 Crore) under the Directorate General of Trade Remedies, (iii) Grants-in-Aid General (₹1800 Crore) under the National Export Insurance Accounts (iv) Grants-in-Aid General (₹10 Crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹16 Crore), Grants-in-Aid Salaries (₹10 Crore) under the Establishment of India Centre for Lab Grown Diamond (InCent-LCD)	0.73		0.73
	at IIT Madras, Chennai.	2.09		2.09

संचार मंत्रालय

13 दूरसंचार विभाग

(क) ₹37,014.94 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 1। फर्नीचर और फिक्स्चर (₹2.30 करोड़) निदेशालय के तहत 2. मशीनरी और उपकरण (i) सतर्कता दुरसंचार निगरानी कक्ष (₹0.59 करोड़) (ii) केंद्रीय निगरानी प्रणाली - संचालन और रखरखाव (₹0.82 करोड़) (iii) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति अनुसंधान, नवाचार और प्रशिक्षण संस्थान (एनटीआईपीआरआईटी) (₹0.39 करोड़) (iv) संचार लेखा महानियंत्रक (₹0.10 करोड) 3. संचार लेखा कार्यालयों के नियंत्रक के तहत ढांचागत संपत्ति (₹0.52 करोड़) 4. (i) यूनिफाईड पोर्टल ₹5.02 करोड़ (ii) डिजीटल इंटेलीजेंस इकाई चरण-II (₹25.51 करोड़) अन्य पूंजीगत व्यय रजिस्ट्री (आईपीएआरआर) (₹10.90 करोड़) 5. टाई बिल्डिंग के तहत भवन और संरचनाएं (₹8 करोड़) और 6. वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (वीआईएल) के संबंध में बकाया स्पेक्ट्रम नीलामी देयताओं को इक्विटी में रूपांतरण के तहत निवेश (₹36,950 करोड़)।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

13 Department of Telecommunications

(a) For meeting additional expenditure of 37,014.94 crore towards 1. Furniture & Fixtures (₹2.30 crore) under the Directorate 2. Machinery and Equipment under the (i) Vigilance Telecom Monitoring Cells (₹0.59 crore) (ii) Central Monitoring System -Operation and Maintenance (₹0.82 crore) (iii) National Telecommunication Institute for Policy Research, Innovation and Training (NTIPRIT) (₹0.39 crore) (iv) Controller General of Communication Accounts (₹0.10 crore) 3. Infrastructural Assets (₹0.52 crore) under the Controller of Communication Accounts Offices 4. Other Capital Expenditure under the (i) Unified Portal (₹5.02 crore) (ii) Digital Intelligence Unit Phase-II (₹25.51 crore) and (iii) IP Addressing and Routing Registry (IPARR) (₹10.90 crore) 5. Buildings and Structures (₹8 crore) under the TRAI Building and 6. Investment

के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।

		(करोड़	रुपए में Ruped	es in Crore,
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(ख) सरकारी गारंटी के इस्तेमाल पर एमटीएनएल को लोन देने के लिए लिए गए ₹1,593.321 करोड़ के लोन और एडवांस के लिए। यह गारंटी रिडेम्पशन फंड से पूरा किया जाएगा।	 (₹36,950 crore) under the Conversion of outstanding spectrum auction dues into equity in respect of Vodafone Idea Limited (VIL). (b) For loans and Advances of ₹1,593.321 crore taken to extend loan to MTNL on invocation of Government Guarantee. This will be met from Guarantee 		36,950.00	
	Redemption Fund.	•••	1,593.32	1,593.32
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION			
15 खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	15 Department of Food and Public			
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	Distribution			
(i) राष्ट्रीय शर्करा संस्थान के अंतर्गत भवन और	For (i) Buildings And Structures (₹1.58			
संरचना (₹1.58 करोड़)(ii) भारतीय अनाज	Crore) under the National Sugar Institute			
भंडारण प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान	(ii) Furniture & Fixtures (₹1.35 Crore) for			
(आईजीएमआरआई) के विस्तार के लिए फर्नीचर	Scaling up of Indian Grain Storage			
और फिक्सचर (₹1.35 करोड़)	Management & Research Institute (IGMRI)			
(iii) स्थापना के तहत गुणवत्ता नियंत्रण सैल	(iii) Machinery And Equipment (₹2.30			
(क्यूसीसी) प्रयोगशालाओं के विस्तार के लिए	Crore) and Furniture & Fixtures (₹0.13			
मशीनरी और उपकरण ₹2.30 करोड़ और फर्नीचर और फिक्सचर (₹0.13 करोड़) (iv)	Crore) for the Scaling up of Quality Control Cell (QCC) Laboratories under			
आईजीएमआरआई (केंद्रीय अनाज विश्लेषण	Establishment (iv) Information, Computer			
प्रयोगशाला (सीजीएएल) (₹0.01 करोड़) और	Telecommunications (ICT) Equipment (0.01			
क्यूसीसी प्रयोगशालाओं के विस्तार के लिए	Crore) for the Scaling up of IGMRI, Central			
सूचना, कंप्यूटर और दूरसंचार (आईसीटी	Grain Analysis Laboratory (CGAL)(₹0.01			
उपकरण) (₹0.01 करोड़) के लिए और स्थापना	Crore) and QCC laboratories (₹0.01			
के तहत क्यूसीसी प्रयोगशाला (₹0.01 करोड़)।	Crore) under Establishment.		5.36	5.36
सहकारिता मंत्रालय	MINISTRY OF COOPERATION			
16 सहकारिता मंत्रालय	16 Ministry of Cooperation			
(i) सचिवालय के अंतर्गत सूचना, कंप्यूटर दूरसंचार	For meeting expenditure towards (i)			
(आईसीटी) उपकरण (₹0.23 करोड़), फर्नीचर	Information, Computer Telecommunications			
और फिक्सचर (₹0.10 करोड़) (ii) सहकारी चुनाव प्राधिकरण कार्यालय के अंतर्गत आईसीटी उपकरण	(ICT) Equipment (₹0.23 crore), Furniture &			
प्राधिकरण कायालय क अंतर्गत आइसाटा उपकरण (₹0.10 करोड़) (iii) सहकारी लोकपाल कार्यालय	Fixture (₹0.10 crore) under Secretariat (ii) ICT Equipment under O/o Cooperative			
के अंतर्गत आईसीटी उपकरण (₹0.10 करोड़)	Election Authority (₹0.10 crore) (iii) ICT			
के लिए व्यय को पूरा करने हेतु।	Equipment under O/o Cooperative			
	Ombudsman (₹0.10 crore).		0.53	0.53
कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय	MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS			
17 कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय	17 Ministry of Corporate Affairs			
इन्वेस्टर एजुकेशन और प्रोटेक्शन फंड के तहत	For meeting additional expenditure towards			
'अन्य रेवेन्यू खर्च' के लिए अतिरिक्त खर्च को पूरा	'Other Revenue Expenditure' under Investor			
करने के लिए।	Education and Protection fund.	25.00		25.00
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
19 रक्षा मंत्रालय (सिविल)	19 Ministry of Defence (Civil)			
मोटर वाहनों (₹50 करोड़) और मशीनरी और उपकरण (₹150 करोड़) की ओर ₹200 करोड़	For meeting additional expenditure of ₹200 crore towards Motor Vehicles (₹50 crore)			
के अविभिक्त वाग को गण करने के विगा।	and Machinery & Equipment (\$150 crore)		10.00	10.00

and Machinery & Equipment (₹150 crore).

10.00

10.00

		(करोड़	रुपए में Rupe	es in Crore)
		राजस्व	पूंजी	जोड़
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	Revenue	Capital	Total
 रक्षा सेवाएँ (राजस्व) आयुध निदेशालय (सीएंडएस) के लिए ₹64 करोड़ के एक्स्ट्रा खर्च को पूरा करने के लिए। रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय (क) निर्माण कार्य (₹ 420 करोड़) और नौसेना 	 20 Defence Services (Revenue) For meeting additional expenditure of ₹64 crore for Directorate of Ordnance (C&S). 21 Capital Outlay on Defence Services (a) For meeting additional expenditure 	41.10		41.10
बेड़े (₹62.33 करोड़) के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। (ख) विमान और एयरोइंजन (₹16,316.53 करोड़), मशीनरी और उपकरण (₹685.94	meeting additional expenditure under Works (₹420 crore) and Naval Fleet (₹62.33 crore). (b) For meeting additional expenditure for Aircraft & Aeroengine (₹16,316.53)		474.19	474.19
करोड़), मेक प्रक्रिया के तहत प्रोटोटाइप विकास (₹398.75 करोड़) और निधि के आपातकालीन प्राधिकरण (₹88.02 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	crore), Machinery & Equipment (₹685.94 crore), Prototype development under Make Procedure (₹398.75 crore) and Emergency Authorization of Fund (₹88.02 crore).		4,103.03	4,103.03
	MINICEDY OF FARTH COLENOES			
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय 24 पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय डीप ओशन मिशन (डोम) के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹140.40 करोड़), (ii) पृथ्वी विज्ञान (पृथ्वी) के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹150.87 करोड़) के लिए अतिस्क्ति व्यय को पूरा करना।	MINISTRY OF EARTH SCIENCES 24 Ministry of Earth Sciences For meeting additional expenditure towards (i) Grant-in-aid General (₹140.40 crore) under the Deep Ocean Mission (DOM) (ii) Grants-in-aid General (₹150.87 crore) under the Prithvi Vigyan (Prithvi)	130.87		130.87
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	MINISTRY OF ENVIRONMENT,			
28 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	FORESTS AND CLIMATE CHANGE 28 Ministry of Environment, Forests and Climate Change			
बॉटनिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया के तहत बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स पर होने वाले एक्स्ट्रा खर्च को पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure towards Buildings And Structures under the Botanical Survey Of India.		38.39	38.39
विदेश मंत्रालय (क) निम्निलिखित के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 1. भत्ते (75.10 करोड़ रुपये), विदेश यात्रा व्यय (50 करोड़ रुपये), विदेश यात्रा व्यय (50 करोड़ रुपये), विदेश स्थित मिशनों/पोस्टों के अंतर्गत कार्यालय व्यय (30 करोड़ रुपये) 2. अन्य राजस्व व्यय के अंतर्गत (i) विशेष राजनियक व्यय (132.30 करोड़ रुपये) (ii) केंद्रीय अधिनियमों और विनियमों के प्रशासन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भुगतान (50 करोड़ रुपये) (iii) युद्ध/नागरिक अशांति के कारण भारतीयों की निकासी (10 करोड़ रुपये) और (iv) वन स्टॉप सेंटर (निर्भया फंड) (9.50 करोड़ रुपये) 3. पासपोर्ट सेवा परियोजना-सेवा शुक्क के अंतर्गत कार्यालय व्यय (172.40 करोड़ रुपये) 4. स्वायत्त निकायों और अन्य संस्थानों, आईसीसीआर के तहत ₹33.50 करोड़ और 5. संयुक्त राष्ट्र संगठन के अंतर्गत योगदान (₹134 करोड़)।	MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS 29 Ministry of External Affairs (a) For meeting additional expenditure towards 1. Allowances (₹75.10 Crore), Foreign Travel Expenses (₹50 Crore), Office Expenses (₹30 Crore) under the Missions/Posts Abroad 2. Other Revenue Expenditure under the (i) Special Diplomatic Expenditure (₹132.30 Crore) (ii) Payments to States/ Union Territories for Administration of Central Acts and Regulations (₹50 Crore) (iii) Evacuation Of Indian Due To War/Civil Disturbance (₹10 Crore) and (iv) One Stop Centre (Nirbhaya Fund) (₹9.50 Crore) 3. Office Expenses (₹172.40 Crore) under the Passport Seva Project-Service Charges 4. Scholarships (₹33.50 Crore) under Assistance to Autonomous Bodies and Other Institutions, ICCR and			

Other Institutions, ICCR and 5. Contributions (₹134 Crore) under the

9.50

9.50

United Nations Organisation.

(करोड़ रुपए में Rupees in Crore) पूंजी जोड राजस्व अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण Grant No. & title and description of items Capital Total Revenue वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE 30 आर्थिक कार्य विभाग 30 Department of Economic Affairs (क) अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए) और (a) For meeting additional expenditure महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया towards Contributions (₹773.70 crore) (महामारी कोष) के लिए वित्तीय मध्यस्थ under the object head Contribution to निधि में योगदान शीर्षक के अंतर्गत योगदान International Development Association (773.70 करोड़ रुपये) के लिए अतिरिक्त (IDA), and Financial Intermediary व्यय को पुरा करने हेतु। Fund for Pandemic Prevention, Preparedness and Response (The (ख) (i) अवसंरचना के विकास के लिए सहायता-881.05 Pandemic Fund). 881.05 व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (₹765.60 करोड़) (b) For meeting additional expenditure (ii) पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए towards (i) Assistance for Infrastructure अनुदान (₹2.80 करोड़), अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय Development-Viability Gap Funding सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) को (₹765.60 crore) (ii) Grants for Creation वेतन सहायता अनुदान (₹12.01 करोड़) of Capital Assets (₹2.80 crore), Grants-की ओर अतिरिक्त व्यय को पुरा करने के in-Aid Salaries (₹12.01 crore) to लिए। International Financial Services Centres Authority (IFSCA). 765.60 765.60 (ग) मूल रखरखाव (एमओवी) दायित्व के तहत (c) For meeting additional expenditure संदस्यता के लिए अतिरिक्त व्यय को पुरा towards Subscription under the करने के लिए। Maintenance of Value (MoV) Obligation. 4,194.25 4,194.25 32 वित्तीय सेवाएं विभाग 32 Department of Financial Services (ग) अटल पेंशन योजना (₹151.50 करोड़) और (c) For meeting additional expenditure प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) towards reimbursement under (₹174.32 करोड़) में सरकारी अंशदान के Government contribution to Atal अंतर्गत प्रतिपूर्ति हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा Pension Yojana (₹151.50 crore) and करना। Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana (PMVVY) (₹174.32 crore). 13.35 13.35 अप्रत्यक्ष कर 37 Indirect Taxes वस्तु शीर्ष 'भूमि' के तहत ₹785.00 करोड़ के For meeting additional expenditure of अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। 785.00 crore under the Object Head 'Land'. 605.68 605.68 भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग **Indian Audit and Accounts Department** (क) मुख्यालय के अंतर्गत भत्तों हेतु अतिरिक्त (a) For meeting additional expenditure व्यय को पूरा करना। towards Allowances under the Headquarters. 3.77 3.77 (ख) मख्यालय के अंतर्गत आईसीटी उपकरणों (b) For meeting additional expenditure पर अतिरिक्त व्यय को पुरा करना। towards ICT Equipment under the 14.47 Headquarters. 14.47 (ग) सिविल लेखा परीक्षा कार्यालयों (₹2.30 करोड़), (c) For meeting additional expenditure सिविल लेखा कार्यालयों (₹0.54 करोड़), towards ICT Equipment under the Civil रक्षा लेखा परीक्षा कार्यालयों (₹0.05 करोड़), Audit Offices (₹2.30 crore), Civil वाणिज्यिक लेखा परीक्षा कार्यालयों (₹0.10 Accounts Offices (₹0.54 crore), करोड़), विदेशी लेखा परीक्षा कार्यालयों Defence Audit Offices (₹0.05 crore), (₹0.10 करोड़) और केंद्रीकृत खरीद Commercial Audit Offices (₹0.10 (₹19.97 करोड़) के अंतर्गत आईसीटी crore), Overseas Audit Offices (₹ 0.10) उपकरणों पर अतिरिक्त व्यय को पुरा करना। crore and Centralised Procurement (₹19.97 crore). 23.06 23.06 (ड) आईएएंडएडी के कार्यालय भवन के निर्माण For meeting additional expenditure हेत् भूमि अधिग्रहण के अंतर्गत भूमि पर

towards Land (₹330.00 crore) under the

Acquisition Of Land For Construction

61.51

61.51

of Office Building for IA&AD.

अतिरिक्त व्यय (₹330.00 करोड़) को पूरा

करना ।

				(करोड़	रुपए में Rupees	in Crore)
अनुव	इान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gr	ant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
	स्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय रवास्थ्य अनुसंधान विभाग सूचना, कंप्यूटर दूरसंचार (आईटीसी) उपकरणों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना		NISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE Department of Health Research For meeting additional expenditure towards Information, Computer Telecommunications (ICT) equipment		0.21	0.21
गह	मंत्रालय	ΜI	NISTRY OF HOME AFFAIRS			
49	गृह मंत्रालय	49	Ministry of Home Affairs			
	(क) नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च को भुगतान के लिए व्यावसायिक सेवाओं के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।		(a) For meeting additional expenditure under Professional Services for payment to National Council of Applied Economic Research.	21.41		21.41
	(ख) राष्ट्रीय एकता दिवस से संबंधित गतिविधियों के लिए अन्य राजस्व व्यय के तहत अतिस्कि व्यय को पूरा करना।		(b) For meeting additional expenditure under Other Revenue Expenditure for the activities related to National Unity Day.	75.00		75.00
	(ग) जनगणना के अंतर्गत चिकित्सा उपचार (₹1 करोड़), प्रशिक्षण व्यय (₹5 करोड़), घरेलू यात्रा व्यय (₹1 करोड़), मरम्मत एवं रखरखाव (₹1 करोड़), सामान्य सहायता अनुदान (₹386.43 करोड़), कार्यालय व्यय (₹15 करोड़), विज्ञापन एवं प्रचार (₹10 करोड़), मुद्रण एवं प्रकाशन (₹5 करोड़) तथा लघु सिविल एवं विद्युत कार्य (₹1 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।		(c) For meeting additional expenditure towards Census under Medical Treatment (₹1 crore), Training Expenses (₹5 crore), Domestic Travel Expenses (₹1 crore), Repair and Maintenance (₹1 crore), Grants-in-Aid General (₹386.43 crore), Office Expenses (₹15 crore), Advertising and Publicity (₹10 crore), Printing and Publications (₹5 crore) and Minor Civil & Electric Works (₹1 crore).	19.12		19.12
50		50	Cabinet			
	(क) निम्नलिखित हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (i) राज्य मंत्रियों के वेतन (₹2.10 करोड़) (ii) चिकित्सा उपचार (₹0.21 करोड़), अन्य राजस्व व्यय (₹0.05 करोड़), सामान्य प्रशासन के तहत विदेश यात्रा व्यय (₹1 करोड़) (iii) अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत अन्य राजस्व व्यय (₹22.34 करोड़) (iv) सिनर्जी परियोजनाओं के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹4 करोड़) (v) कैबिनेट मंत्रियों के लिए घरेलू यात्रा व्यय (₹5.40 करोड़)।		(a) For meeting additional expenditure towards (i) Salaries (₹2.10 crore) for Ministers of State (ii) Medical Treatment (₹0.21 crore), Other Revenue Expenditure (₹0.05 crore), Foreign Travel Expenses (₹1 crore) under the General Administration (iii) Other Revenue Expenditure (₹22.34 crore) under the Space Programme (iv) Grants For Creation Of Capital Assets (₹4 crore) under the Synergy Projects (v) Domestic Travel Expenses (₹5.40			
	(ख) आतिथ्य व्यय के तहत अन्य राजस्व व्यय हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।		crore) under the Cabinet Ministers. (b) For meeting additional expenditure towards Other Revenue Expenditure	35.10		35.10
ΕO	अंद्रमान व निकोरण रीए समूर	52	under the Hospitality expenses.	2.20		2.20
52	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह i) कंप्यूटर पेरिफिरल उपकरणों की खरीद के लिए डिजिटल उपकरण (0.03 करोड़) और (ii) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को भुगतान के लिए	54	Andaman and Nicobar Islands For meeting additional expenditure towards (i) Digital Equipment (₹0.03 crore) for procurement of computer peripherals and (ii)			

		(करोड़ रुपए में Rupees		s in Crore)
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
व्यावसायिक सेवाएँ (100.83 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करना ।	Professional Services (₹100.83 crore) for payment to Cochin Shipyard Limited.	81.85		81.85
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय 60 आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (क) राष्ट्रपति संपदा हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा	MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS 60 Ministry of Housing and Urban Affairs (a) For meeting additional expenditure			
करना - (i) कार्यालय व्यय (₹0.10 करोड़), अन्य के लिए किराया (₹0.05 करोड़), गार्डन के तहत सामग्री और आपूर्ति (₹0.38 करोड़) (ii) साधारण मरम्मत के तहत छोटे सिविल और विद्युत कार्य (₹22.66 करोड़) (iii) इमारतों के तहत छोटे सिविल और विद्युत कार्य (₹1.50 करोड़) (iv) राष्ट्रपत्ति सचिवालय के तहत भूमि और भवन के लिए किराया, दरें और कर (₹4 करोड़)।	towards President Estates - (i) Office Expenses (₹0.10 crore), Rent for Others (₹0.05 crore), Materials and Supplies (₹0.38 crore) under the Gardens (ii) Minor Civil & Electric Works (₹22.66 crore) under the Ordinary Repairs (iii) Minor Civil & Electric Works (₹1.50 crore) under the Buildings (iv) Rents, Rates and Taxes for Land and Building (₹4 crore)			
(ख) देहरादून में राष्ट्रपति संपदा एवं अन्य राष्ट्रपति संपदाओं के लिए अन्य अचल आस्तियों (₹2.10 करोड़), मोटर वाहन (₹0.11 करोड़) और भवन एवं संरचनाओं (₹183.78 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	under President's Secretariat. (b) For meeting additional expenditure towards Other Fixed Assets (₹2.10 crore), Motor Vehicles (₹0.11 crore) and Buildings & Structures (₹183.78 crore) for Presidential Estate at Dehradun & other Presidential	28.69		28.69
	Estates.		185.99	185.99
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING			
61 सूचना और प्रसारण मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर - मशीनरी और उपकरण (₹17.02 करोड़), भारत के प्रेस रजिस्ट्रार जनरल - फर्नीचर और फिक्स्चर (₹0.03 करोड़), केंद्रीय संचार ब्यूरो - मोटर वाहन (₹0.20	61 Ministry of Information and Broadcasting For meeting additional expenditure towards Electronic Media Monitoring Centre - Machinery and Equipment (₹17.02 crore), Press Registrar General of India - Furniture			
करोड़) और न्यू मीडिया विंग - फर्नीचर और फिक्स्चर (₹0.01 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	& Fixtures (₹0.03 crore), Central Bureau of Communication - Motor Vehicles (₹0.20 crore) and New Media Wing - Furniture & Fixtures (₹ 0.01 crore).		17.26	17.26
विधि एवं न्याय मंत्रालय 65 विधि एवं न्याय निर्वाचन आयोग के लिए ईवीएम के तहत मशीनरी और उपकरण (₹629.80 करोड़) के लिए अतिरिक्त	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE 65 Law and Justice For meeting additional under Machinery and Equipment (₹629.80 crore) under the EVMs			
व्यय को पूरा करना।	for Election Commission.		438.17	438.17
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES			
68 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय क) क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी (सीएलसीएस) के तहत सब्सिडी (१०.०४ करोड़) (ii)	68 Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (a) For meeting additional expenditure towards (i) subsidies (₹0.04 Crore) under the Credit Linked Capital Subsidy			

under the Credit Linked Capital Subsidy

के तहत सब्सिडी (%0.04 करोड़) (ii) प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम (टीसीएसपी)

		(करोड़ रुपए में Rupees		es in Crore,
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
ईएपी के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹45.50 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(CLCS) (ii) Grants-in-Aid General (₹45.50 Crore) under the Technology Centre Systems Programme (TCSP) EAP.	45.54		45.54
(ख) निधियों का कोष के तहत निवेश के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(b) For meeting additional expenditure towards Investments under the Fund of Funds.		30.00	30.00
(ग) निधियों का कोष के तहत निवेश के लिए (₹170.00 करोड़) अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(c) For meeting additional expenditure towards Investments (₹170.00 Crore) under the Fund of Funds.		170.00	170.00
खान मंत्रालय	MINISTRYOFMINES			
69 खान मंत्रालय भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के तहत मशीनरी और उपकरण (₹7 करोड़) और अवसंरचना आस्ति (₹59.46 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना ।	69 Ministry of Mines For meeting additional expenditure towards Machinery And Equipment (₹7 Crore) and Infrastructural Assets (₹59.46 Crore) under Geological Survey of India (GSI).		66.46	66.46
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	MINISTRY OF PETROLEUM AND		00110	00110
76 पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय निम्नलिखित के लिए व्यय को पूरा करने हेतुः (i) घरेलू एलपीजी में वसूली के तहत सार्वजिनक क्षेत्र के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों (पीएसयू ओएमसी) को मुआवजा (₹12,500 करोड़) (ii) कार्यक्रम घटक (₹3,178 करोड़) गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना (₹302 करोड़) और अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (₹156 करोड़) (iii) प्रत्यक्ष लाभ अंतरण - एलपीजी के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना (₹83 करोड़) और अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (₹43 करोड़) और अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (₹43 करोड़) और (iv) भारतीय पेट्रोलियम ऊर्जा संस्थान के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹50 करोड़)।	NATURALGAS 76 Ministry of Petroleum and Natural Gas For meeting expenditure for: (i) compensation to Public Sector Undertaking Oil Marketing Companies (PSU OMCs) for under recoveries in domestic LPG (₹12,500 crore) (ii) programme component (₹3,178 crore), Development Action Plan for Scheduled Castes (₹302 crore) and Development Action Plan for Scheduled Tribes (₹156 crore) under LPG connection to poor households (iii) Development Action Plan for Scheduled Castes (₹83 crore) and Development Action Plan for Scheduled Tribes (₹43 crore) under Direct Benefit Transfer – LPG and (iv) grants for creation of capital assets for Indian Institute of Petroleum Energy (₹50 crore).	5,219.00		5,219.00
रेल मंत्रालय	MINISTRY OF RAILWAYS			
85 रेल मंत्रालय (क) न्यायालय डिक्री के भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। (ख) न्यायालय डिक्री से उत्पन्न भुगतान हेतु	85 Ministry of Railways(a) For meeting additional expenditure for payment towards Court decrees.(b) For meeting additional expenditure for	98.00		98.00
अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु। (ग) 2025-26 में मेसर्स कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कॉनकॉर) द्वारा जारी बोनस	(b) For meeting additional expenditure for payment arising out of Court Decrees.(c) For meeting additional expenditure towards adjustment of Bonus Share		575.00	575.00
शेयर के समायोजन के लिए अतिरिक्त व्यय	issued by M/s Container Corporation of		0.25	0.25

India Limited (CONCOR) in 2025-26.

8.35

8.35

को पूरा करना।

_					इ रुपए में Ruped	
अनु	दान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	G	rant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
सड़	क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	M	INISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
86	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	86	Ministry of Road Transport and Highways			
	राष्ट्रीय राजमार्ग निधि- अवसंरचना निवेश ट्रस्ट (इनविट) के मुद्रीकरण हेतु अंतरण		For transfer to Monetization of National Highways Fund-Infrastructure Investment Trust (InvIT)		18,837.00	18,837.00
विइ	गन और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	M	INISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY			
89	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (i) सुपर कंप्यूटिंग सुविधा और क्षमता निर्माण के लिए सामान्य अनुदान के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹10 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹255 करोड़) (ii) राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹90.80 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹84.35 करोड़) (iii) विज्ञान धारा के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹180 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹50 करोड़), (iv) विज्ञान धारा घटक अनुसूचित जनजातियों (डीएपीएसटी) के लिए विकास कार्य योजना के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹6.14 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	89	Department of Science and Technology For meeting additional expenditure towards (i) Grants-In-Aid General (₹10 Crore), Grants For Creation Of Capital Assets (₹255 Crore) under the Grants-In-Aid For Super Computing Facility AndCapacity Building (ii) Grants-In-Aid General (₹90.80 Crore), Grants For Creation Of Capital Assets (₹84.35 Crore) under the National Quantum Mission (iii) Grants-In-Aid General (₹180 Crore), Grants For Creation Of Capital Assets (₹50 Crore) under the Vigyan Dhara, (iv) Grants For Creation Of Capital Assets (₹6.14 Crore) under Development Action Plan for Scheduled Tribes (DAPST) component of Vigyan Dhara.	676.29		676.29
इस्प	ात मंत्रालय	M	INISTRY OF STEEL			
97	इस्पात मंत्रालय (क) अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (i) हिंदुस्तान स्टी लवकर्स वंग्स्ट्रब्ग्शन लिमिटेड (एचएससीएल) की क्षति को बट्टे खाते में डालना (₹1585 करोड़), (ii) सूचना, शिक्षा और संचार के तहत विज्ञापन और प्रचार (₹1.65 करोड़)।	97	Ministry of Steel (a) For meeting additional expenditure of (i) Write off of Losses of Hindustan Steelworks Construction Limited (HSCL) (₹1585 Crore), (ii) Advertising And Publicity (₹1.65 Crore) under the Information, Education And			
	(ख) अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (i) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के तहत निवेश (₹22.00 करोड़) (ii) हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल) के ऋण पर ₹925.7 करोड़ के संचित व्याज और ₹26.80 करोड़ के बकाया गारंटी शुल्क को इक्विटी में रूपांतरण के लिए निवेश का पूर्व अवधि लेखा समायोजन, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) द्वारा जारी बोनस शेयरों (₹356.33 करोड़) के समायोजन के लिए, और एनएमडीसी लिमिटेड से अलग हुए एनएमडीसी स्टील लिमिटेड (एनएसएल) के (₹1781.63 करोड़) के इक्विटी शेयरों के समायोजन के लिए।		Communication. (b) For meeting additional expenditure towards (i) Investments (₹22.00 Crore) under the Rashtriya Ispat Nigam Ltd. (ii) prior period accounting adjustment of Investments for Conversion of accumulated interest of ₹925.7 crores on loan and outstanding guarantee fee of ₹26.80 crores of Hindustan Steelworks Construction Limited (HSCL) into equity, towards adjustment of bonus shares (₹356.33 crore) issued by National Mineral Development Corporation (NMDC), and towards adjustment of equity shares of (₹1781.63 crore) NMDC Steel Limited (NSL) demerged from NMDC	1,585.00		1,585.00
						22.00

Ltd.

22.00

22.00

				(करोड़	ह रुपए में Rupe	es in Crore)
अनुव	इान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gı	rant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
	ा मंत्रालय वस्त्र मंत्रालय पीएसयू को सहायता के तहत सामान्य सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना ।		MISTRY OF TEXTILES Ministry of Textiles For meeting additional expenditure towards Grants-in-Aid General under Support to PSUs.	87.42		87.42
महि	ला एवं बाल विकास मंत्रालय	Ml	INISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT			
101	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	101	Ministry of Women and Child Development			
	सिववालय के तहत सूचना, कंप्यूटर दूरसंचार (आईसीटी) उपकरणों के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।		For meeting additional expenditure towards Information, Computer Telecommunications (ICT) Equipment under the Secretariat.		0.56	0.56
कुल	तकनीकी	Tot	tal Technical	22,387.38	68,424.79	90,812.17
4.	निम्नलिखित मदों के लिए 1 लाख रूपये की पूरक अनुदान लेने का प्रस्ताव है, जो उसके सामने दर्शाए गए व्यय, संबंधित अनुदान के राजस्व या पूंजीगत भाग में, जैसा भी मामला हो, बचतों के पुनर्विनियोग से पूरा किया जाएगा।	4.	Supplementary grants of 1 lakh each are also items listed below, the expenditure indica reappropriation of savings within the Reve may be, of the relevant grant.	ited against	which will	be met by
अनु	दानों के लिए सांकेतिक अनुपूरक मांगें	Tol	ken Supplementary Demands for grants			
कृषि	। एवं किसान कल्याण मंत्रालय	Ml	INISTRY OF AGRICULTURE & FARMERS WELFARE			
1	कृषि और किसान कल्याण विभाग	1	Department of Agriculture and Farmers Welfare			
	2401-कृषि (इसमें भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की वसूली के लिए ₹39.0246 करोड़ शामिल हैं)।		2401- Crop Husbandry (this includes 39.0246 crore for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of	122.00		122.00
	2435- अन्य कृषि कार्यक्रम		India). 2435- Other Agricultural Programmes	133.00 0.12		133.00 0.12
	3602- संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान		3602- Grants-in-aid to Union Territory Governments	1.07		1.07
	nणु ऊर्जा विभाग -		PARTMENT OF ATOMIC ENERGY			
3	परमाणु ऊर्जा 2852- उद्योग	3	Atomic Energy 2852- Industries	209.52		200 52
	2852- उद्याग 3401- परमाणु ऊर्जा अनुसंधान		3401- Atomic Energy Research	308.52 287.12		308.52 287.12
	4861- परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय		4861- Capital Outlay on Atomic Energy	267.12		207.12
	5401- परमाणु ऊर्जा अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय		Industries 5401- Capital Outlay on Atomic Energy		246.93	246.93
			Research		134.14	134.14
	6801- विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण		6801- Loans for Power Projects		1,054.00	1,054.00
आय	ष मंत्रालय	Ml	NISTRYOFAYUSH			
4	आयुष मंत्रालय	4	Ministry of Ayush			
	2210-चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य		2210- Medical and Public Health	5.00		5.00

अनु	द्मन संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gı	rant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
	2251-सचिवालय-सामाजिक सेवाएं		2251- Secretariat-Social Services	0.01	•••	0.01
	4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय		4250- Capital Outlay on other Social Service		0.06	0.06
रसा	यन एवं उर्वरक मंत्रालय	Ml	INISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS			
7	फार्मास्यूटिकल्स विभाग	7	Department of Pharmaceuticals			
	4857- रसायन और फार्मास्युटिकल उद्योगों पर		4857- Capital Outlay on Chemical and			
	पूंजीगत परिव्यय		Pharmaceutical Industries		2.00	2.00
वापि	गज्य एवं उद्योग मंत्रालय	Ml	INISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
10	वाणिज्य विभाग	10	Department of Commerce			
	3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएं		3451- Secretariat-Economic Services	0.03		0.03
	5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत		5475- Capital Outlay on Other General			
	परिव्यय		Economic Services		1.20	1.20
11	उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग	11	and Internal Trade			
	2552- पूर्वोत्तर क्षेत्र		2552- North Eastern Areas	4.98		4.98
	2852- उद्योगों		2852- Industries	1.40	•••	1.40
	2885 उद्योगों और खनिजों पर अन्य परिव्यय		2885 Other Outlays on Industries and			
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		Minerals	0.03		0.03
	4875- अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय		4875- Capital Outlay on Other Industries		2,974.99	2,974.99
	ार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MI	NISTRY OF COMMUNICATIONS			
13	दूरसंचार विभाग	13	Department of Telecommunications			
	2071- पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ		2071- Pensions and other Retirement Benefit			0.29
	2552- पूर्वोत्तर क्षेत्र		2552- North Eastern Areas	18.72		18.72
	3275- अन्य संचार सेवाएं (इसमें भारत की		3275- Other Communication Services			
	आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम राशि की		(this includes ₹2.77 crore for recoupment of			
	प्रतिपूर्ति के लिए ₹2.77 करोड़ रुपये शामिल हैं)।		advance sanctioned from Contingency			
			Fund of India).	890.79	•••	890.79
	3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएं		3451- Secretariat-Economic Services	35.71	•••	35.71
उपः	भोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	Ml	INISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION			
15	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	15	Department of Food and Public Distribution			
	2408 - खाद्य भंडारण और भंडारण		2408 - Food Storage and Warehousing	0.70		0.70
सह	कारिता मंत्रालय	MI	INISTRY OF COOPERATION			
16	सहकारिता मंत्रालय	16	Ministry of Cooperation			
	2425- सहयोग (इसमें भारत की आकस्मिकता		2425- Co-operation (this includes 200			
	निधि से स्वीकृत अग्रिम की वसूली के लिए ₹200 करोड़ शामिल हैं)		crore for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India)	205.27		205.27
जंब र	कृति मंत्रालय	М	NISTRY OF CULTURE			
	ञ्चात मत्रालय संस्कृति मंत्रालय	18				
10	४२०२-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत	10	4202-Capital Outlay on Education, Sports,			
	परिव्यय		Art and Culture		5.21	5.21
	11 \- 7 7		The and Canale		J.∠1	3.41

			(करोड़	in Crore)	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	C	rant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
·		rant No. & title and description of items	Kevenue	Сарцаі	Total
रक्षा मंत्रालय		NISTRY OF DEFENCE			
19 रक्षा मंत्रालय (सिविल)	19	Ministry of Defence (Civil)	110.00		110.00
3054- सड़कें और पुल	20	3054- Roads and Bridges	119.00	•••	119.00
20 रक्षा सेवाएं (राजस्व) 2077-रक्षा सेवाएं - नौसेना	20	Defence Services (Revenue) 2077-Defence Services - Navy	227.89		227.89
* > 0					
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	Ml	INISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION			
23 पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	23	Ministry of Development of North Eastern Region			
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र		2552 - North Eastern Areas	0.54		0.54
4552- पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय		4552- Capital Outlay on North Eastern Areas		251.24	251.24
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	Ml	NISTRY OF EARTH SCIENCES			
24 पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	24	Ministry of Earth Sciences			
3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएं		3451- Secretariat-Economic Services	0.09		0.09
शिक्षा मंत्रालय	Ml	NISTRY OF EDUCATION			
25 स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	25	Department of School Education and			
2202 - सामान्य शिक्षा		Literacy			
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र		2202 - General Education	602.87		602.87
		2552 - North Eastern Areas	50.00		50.00
26 उच्च शिक्षा विभाग	26	Department of Higher Education			
2203-तकनीकी शिक्षा		2203-Technical Education	17.00		17.00
इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	Ml	INISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY			
27 इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	27	Ministry of Electronics and Information Technology			
2852- उद्योग (इसमें भारत की आकस्मिकता		2852- Industries(this includes ₹65 crore			
निधि से स्वीकृत अग्रिम की वसूली के लिए ₹ 65		for recoupment of advance sanctioned from			
करोड़ शामिल हैं)		Contingency Fund of India)	498.14		498.14
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	M	INISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE			
28 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	28	Ministry of Environment, Forests and Climate Change			
2406- वानिकी और वन्य जीवन		2406- Forestry and Wild Life	0.19		0.19
3435- पारिस्थितिकी और पर्यावरण		3435- Ecology and Environment	332.36		332.36
3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएं		3451- Secretariat-Economic Services	1.45		1.45
4406- वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत		4406- Capital Outlay on Forestry and			
परिव्यय		Wild Life		0.39	0.39
विदेश मंत्रालय	Ml	NISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS			
29 विदेश मंत्रालय	29	Ministry of External Affairs			
4059- लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय 4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत		4059- Capital Outlay on Public Works 4070- Capital Outlay on other		68.00	68.00
परिव्यय		Administrative Services		22.00	22.00

		(कराड़	रुपए म Rupee	
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
4075- विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4075- Capital Outlay on Miscellaneous General Services		11.39	11.39
वेत्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
30 आर्थिक कार्य विभाग	30 Department of Economic Affairs			
3465- सामान्य वित्तीय और व्यापारिक	3465- General Financial and Trading			
संस्थान	Institutions	0.01		0.01
7475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए	7475- Loans for Other General Economic			
ऋण (इसमें भारत की आकस्मिकता निधि से	Services(this includes ₹100 crore for			
स्वीकार किए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए	recoupment of advance sanctioned from			
100 करोड़ शामिल हैं)	Contingency Fund of India)		100.00	100.00
5 राजस्व विभाग	35 Department of Revenue			
2047-अन्य राजकोषीय सेवाएं	2047-Other Fiscal Services	7.86		7.86
नत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय	MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRYAND DAIRYING			
13 मत्स्य पालन विभाग	43 Department of Fisheries			
2405- मत्स्य पालन	2405- Fisheries	1.00		1.00
4 पशुपालन और डेयरी विभाग	44 Department of Animal Husbandry and			
	Dairying			
2404- डेयरी विकास	2404- Dairy Development	2.70	•••	2.70
बाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES			
! 5 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	45 Ministry of Food Processing Industries			
2408 - खाद्य भंडारण और भंडारण	2408 - Food Storage and Warehousing	6.19		6.19
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552 - North Eastern Areas	7.65		7.65
त्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
46 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	46 Department of Health and Family Welfare			
2210- चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य (इसमें	2210- Medical and Public Health(this include	les		
भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम	13.15 crore for recoupment of advance			
की वसूली के लिए 13.15 करोड़ शामिल हैं)	sanctioned from Contingency Fund of India)	808.03		808.03
3602- विधानमंडल के साथ केंद्र शासित प्रदेश	3602- Grants-in-aid to Union Territory			
सरकारों को सहायता अनुदान	Governments with Legislature	9.36	•••	9.36
भारी उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES			
18. भारी उद्योग मंत्रालय	48 Ministry of Heavy Industries			
2852-उद्योग	2852- Industries	1,179.05		1,179.05
ाृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
60. मंत्रिमंडल	50 Cabinet			
4075- विविध सामान्य सेवाओं पर	4075- Capital Outlay on Miscellaneous			
पूंजीगत व्यय	General Services		0.31	0.31
51 पुलिस	51 Police			
4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	4055-Capital Outlay on Police		76.74	76.74
4000 3000 10 500 10 100-1-1	1033 Capital Gallay on Fonce	•••	70.71	70

				•	रुपए म Rupees	
अनुव	रान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Gı	ant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
52	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	52	Andaman and Nicobar Islands			
	2014- न्याय प्रशासन		2014- Administration of Justice	0.03		0.03
	2053- जिला प्रशासन		2053 - District Administration	0.12		0.12
	2055-पुलिस		2055-Police	0.01		0.01
	2058- स्टेशनरी और प्रिंटिंग		2058- Stationery and Printing	0.03		0.03
	2059- लोक निर्माण कार्य		2059- Public Works	0.03		0.03
	2204- खेल और युवा सेवाएँ		2204- Sports and Youth Services	0.01		0.01
	2210- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य		2210- Medical and Public Health	0.16		0.16
	2220- सूचना और प्रचार		2220- Information and Publicity	0.02		0.02
	2230- श्रम, रोजगार और कौशल		2230- Labour, Employment and Skill			
	विकास		Development	0.09		0.09
	2402- मृदा एवं जल संरक्षण		2402- Soil and Water Conservation	0.03	•••	0.03
	2403- पशुपालन		2403- Animal Husbandry	0.03		0.03
	2506-भूमि सुधार		2506-Land Reforms	0.01		0.01
	2810- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा		2810- New and Renewable Energy	0.03		0.03
	2852- उद्योग		2852- Industries	0.02		0.02
	3425- अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान		3425- Other Scientific Research	0.10		0.02
	3452- पर्यटन		3452-Tourism	0.60		0.60
	3456- सिविल आपूर्ति		3456- Civil Supplies	0.03		0.03
	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत		4070-Capital Outlay on Other Administrative		•••	0.03
	परिव्यय		Services		0.03	0.03
	4250- अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय		4250- Capital Outlay on other Social Services		0.03	0.03
	4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय		4425-Capital Outlay on Co-operation		0.25	0.25
	5054- सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय		5054- Capital Outlay on Roads and Bridges	•••	0.23	0.23
5 2	चंडीगढ	53	Chandigarh		0.50	0.30
J J	2217- शहरी विकास (इसमें भारत की आकस्मिकता		2217- Urban Development (this includes			
	निधि से स्वीकृत अग्रिम की वसूली के लिए		71.11 crore for recoupment of advance			
	71.11 करोड़ शामिल हैं)		sanctioned from Contingency Fund of India)	71.11		71.11
F 4	दादरा और नगर हवेली और दमन एवं दीव	5 4		/1.11	•••	/1.11
54	दादरा आर नगर हवला आर दमन एव दाव	54	Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu			
	2041- वाहनों पर कर		2041- Taxes on Vehicles	3.00		3.00
	2202- सामान्य शिक्षा		2202- General Education	6.82	•••	6.82
	2210- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य		2210- Medical and Public Health	13.00	•••	13.00
	2217- शहरी विकास		2217- Urban Development	11.00	•••	11.00
	4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय		4055-Capital Outlay on Police		2.50	2.50
	4055-पुलिस पर पूजागरा पारव्यय 4059-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय		4059-Capital Outlay on Public Works	•••	17.00	17.00
	4202- शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत		4202- Capital Outlay on Education, Sports,		17.00	17.00
	परिव्यय		Art and Culture		11.56	11.56
				•••	11.50	11.50
	4210- चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत		4210- Capital Outlay on Medical and Public		25.00	25.00
	परिव्यय		Health	•••	25.00	25.00
	4215- जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत		4215- Capital Outlay on Water Supply		5.00	5.00
	परिव्यय		and Sanitation	•••	5.00	5.00
	5053- नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय		5053- Capital Outlay on Civil Aviation		10.00	10.00
	5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय ——		5452- Capital Outlay on Tourism		12.73	12.73
55	लदाख 2014- न्याय प्रशासन	22	Ladakh 2014- Administration of Justice	0.01		0.01
आव	ासन और शहरी कार्य मंत्रालय	MI	NISTRY OF HOUSING AND URBAN			
			AFFAIRS			
60	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	60	Ministry of Housing and Urban Affairs			
	2059- लोक निर्माण		2059- Public Works	84.97		84.97

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का वि	ोवरण G	rant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
2217- शहरी विकास 2552- पूर्वोत्तर क्षेत्र (इसमें भारत की		2217- Urban Development 2552- North Eastern Areas(this includes	35.00		35.00
निधि से स्वीकृत अग्रिम की वर ₹18.49 करोड़ शामिल हैं) 3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ की आकस्मिक निधि से स्वीकृत आर्	ूँ (इसमें भारत	₹18.49 crore for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India) 3475- Other General Economic Services (this includes ₹5.98 crore for recoupment of	218.49		218.49
के लिए ₹5.98 करोड़ शामिल हैं) 3601- राज्य सरकारों को सहायता ३ भारत के आकस्मिक निधि से स्वीकृ		advance sanctioned from Contingency Fund of India) 3601- Grants-in-aid to State Governments (this includes ₹65.53 crore for recoupment	5.98		5.98
वसूली के लिए ₹65.53 करोड़ शा 3602- विधानसभा वाली संघ राज्य	मेल हैं) क्षेत्र सरकारों	of advance sanctioned from Contingency Fund of India) 3602- Grants-in-aid to Union Territory	65.53		65.53
को सहायता अनुदान (इसमें भारत की निधि से स्वीकृत अग्रिम की वर ₹5.00 करोड़ शामिल हैं)	नूली के लिए	Governments with Legislature(this includes ₹5.00 crore for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India)	5.00		5.00
4059- सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पृं सूचना और प्रसारण मंत्रालय	•	4059- Capital Outlay on Public Works INISTRY OF INFORMATION AND		244.67	244.67
61 सूचना और प्रसारण मंत्रालय	61	BROADCASTING Ministry of Information and Broadcasting			
2220- सूचना और प्रचार		2220- Information and Publicity	0.01		0.01
जल शक्ति मंत्रालय 62 जल संसाधन, नदी विकास और विभाग 2552- पूर्वोत्तर क्षेत्र (इसमें भारत की	गंगा संरक्षण 62	INISTRY OF JAL SHAKTI Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation 2552- North Eastern Areas(this includes			
निधि से स्वीकृत अग्रिम की वर ₹3.13 करोड़ शामिल हैं) 2701- मध्यम सिंचाई (इसमें भारत की निधि से स्वीकृत अग्रिम की वर	नूली के लिए।	₹3.13 crore for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India) 2701- Medium Irrigation(this includes ₹1.14 crore for recoupment of advance	3.13		3.13
निवि से स्वाकृत आग्नम की वर्ष ₹1.14 करोड़ शामिल हैं) 3601- राज्य सरकारों को सहायता ३ भारत की आकस्मिकता निधि से स	अनुदान (इसमें	sanctioned from Contingency Fund of India) 3601- Grants-in-aid to State Governments (this includes ₹40.65 crore for recoupment	1.14		1.14
की वसूली के लिए ₹40.65 करोड़ 3602- विधानसभा वाली संघ राज्य को सहायता अनुदान (इसमें भारत की	क्षेत्रों सरकारों	of advance sanctioned from Contingency Fund of India) 3602- Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature(this includes	40.65		40.65
निधि से स्वीकृत अग्रिम की वर ₹0.36 करोड़ शामिल हैं) 4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत प भारत की आकस्मिकता निधि से स	रिव्यय (इसमें	₹0.36 crore for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India) 4701- Capital Outlay on Medium Irrigation (this includes ₹0.78 crore for recoupment of	0.36		0.36
की वसूली के लिए ₹0.78 करोड़ प 5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाउ	शामिल हैं)	advance sanctioned from Contingency Fund of India) 5475- Capital Outlay on Other General		1.48	1.48
परिव्यय 63 पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	-	Economic Services Department of Drinking Water and		0.25	0.25
3601- राज्य सरकारों को सहायता	अनुदान	Sanitation 3601- Grants-in-aid to State Governments	341.70		341.70

(करोड़ रुपए में Rupees in Crore) पूंजी राजस्व जोड अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण Grant No. & title and description of items Capital Total Revenue **MINISTRY** LABOUR श्रम और रोजगार मंत्रालय OF AND श्रम और रोजगार मंत्रालय **EMPLOYMENT** 2230- श्रम, रोजगार और कौशल विकास 64 Ministry of Labour and Employment 2230- Labour, Employment and Skill Development 27.41 27.41 विधि एवं न्याय मंत्रालय 65 विधि एवं न्याय MINISTRY OF LAW AND JUSTICE 2052- सचिवालय-सामान्य सेवाएं (इसमें भारत 65 Law and Justice की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की 2052- Secretariat-General Services (this वसूली के लिए 1.60 करोड़ शामिल हैं) includes ₹1.60 crore for recoupment of advance sanctioned from Contingency 1.60 Fund of India) 1.60 4075- विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 4075- Capital Outlay on Miscellaneous (इसमें भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत General Services(this includes ₹2.65 crore अग्रिम की वसूली के लिए 2.65 करोड़ शामिल for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India) 2.65 2.65 सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय Ministry of Micro, Small and Medium **Enterprises** 2851-ग्रामीण एवं लघु उद्योग 2851-Village and Small Industries 61.32 61.32 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE **ENERGY** 71 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 71 Ministry of New and Renewable Energy 2552-उत्तर-पूर्वी क्षेत्र 238.52 238.52 2552-North Eastern Areas 2810-नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा 3,566.48 3,566.48 2810-New and Renewable Energy पंचायती राज मंत्रालय MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ 72 पंचायती राज मंत्रालय 72 Ministry of Panchayati Raj 3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान 3601-Grants-in-aid to State Governments 15.00 15.00 कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC **GRIEVANCES AND PENSIONS** 74 कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय 74 Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं 2070- Other Administrative Services 2.02 2.02 पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय MINISTRY OF PETROLEUM AND **NATURAL GAS** 76 पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय 76 Ministry of Petroleum and Natural Gas 4802- पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय 4802- Capital Outlay on Petroleum 324.13 324.13 योजना मंत्रालय **MINISTRY OF PLANNING** 77 योजना मंत्रालय **Ministry of Planning** 3451- सचिवालय- आर्थिक सेवाएं (इसमें भारत की 3451- Secretariat-Economic Services आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की वसूली (this includes ₹68 crore for recoupment of के लिए 68 करोड़ रुपए शामिल है) advance sanctioned from Contingency Fund of India) 68.00 68.00

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं (इसमें भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की वसूली के लिए 50 करोड़ रुपए शामिल है)	3475- Other General Economic Services(this includes ₹50 crore for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India)	246.93		246.93
5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय (इसमें भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की वसूली के लिए 12 करोड़ रुपए शामिल है)	5475- Capital Outlay on Other General Economic Services(this includes ₹12 crore for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India)		12.00	12.00
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS			
78 पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	78 Ministry of Ports, Shipping and Waterways			
3052- पोत परिवहन	3052- Shipping	10.85	•••	10.85
3056- अंतर्देशीय जल परिवहन	3056- Inland Water Transport	13.00		13.00
विद्युत मंत्रालय	MINISTRY OF POWER			
79 विद्युत मंत्रालय	79 Ministry of Power			
2552- उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	2552- North Eastern Areas	212.53		212.53
2801- विद्युत	2801- Power	11.51		11.51
ग्रामीण विकास मंत्रालय	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT			
87 ग्रामीण विकास मंत्रालय	87 Department of Rural Development			
2552- उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	2552- North Eastern Areas	0.01		0.01
3054- सड़कें और पुल	3054- Roads and Bridges	0.05		0.05
3601- राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601- Grants-in-aid to State Governments	1,537.00		1,537.00
3602- विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को	3602- Grants-in-aid to Union Territory			
सहायता अनुदान	Governments with Legislature	20.00	•••	20.00
88 भूमि संसाधन विभाग	88 Department of Land Resources			
2506- भूमि सुधार	2506- Land Reforms	98.65		98.65
2552- उत्तर-पूर्व क्षेत्र	2552- North Eastern Areas	10.96		10.96
अंतरिक्ष विभाग	DEPARTMENT OF SPACE			
95 अंतरिक्ष विभाग	95 Department of Space			
3402- अंतरिक्ष अनुसंधान	3402- Space Research	3.83		3.83
5402- अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए पूंजीगत परिव्यय	5402- Capital Outlay on Space Research		0.32	0.32
वस्त्र मंत्रालय	MINISTRY OF TEXTILES			
98 वस्त्र मंत्रालय	98 Ministry of Textiles			
2852- उद्योग	2852- Industries	24.91		24.91
पर्यटन मंत्रालय	MINISTRY OF TOURISM			
99 पर्यटन मंत्रालय	99 Ministry of Tourism			
3452- पर्यटन	3452- Tourism	371.55		371.55

		(करोड़ रुपए में Rupees in Cro			
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी जोड़ Capital Total		
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT				
101 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	101 Ministry of Women and Child Development				
2235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235- Social Security and Welfare	4.00	4.00		
कुल सांकेतिक	Total Token	0.95	0.34 1.29		
कुल योग	GRAND TOTAL	62,446.68	69,822.17 132,268.85		
कुल नकद व्यय	Net Cash Outgo	40,058.35	1,397.04 41,455.39		
तकनीकी पूरक	Technical Supplementary	22,387.38	68,424.79 90,812.17		

Token Supplementary

उपर्युक्त अनुमानों में भारत की आकस्मिक निधि से 25 अनुदानों/विनियोजनों हेतु अग्रिम ली गई ₹14825,42,30,000 की राशि शामिल है। समतुल्य राशि उस निधि में पुर्नभुगतान हेतु अपेक्षित है जिसका ब्यौरा व्यक्तिगत अनुमान/विनियोजन के तहत दिया गया है।

सांकेतिक पूरक

The above estimates include a sum of ₹14825,42,30,000 advanced from Contingency Fund of India to 25 Grants/Appropriations. The equivalent amount is required to enable repayment to be made to that fund, the details of which are given under the individual Grant/Appropriation.

0.95

0.34

1.29

विषय सूची Contents

(₹करोड़ In ₹ crore)

मांगः	संख्या और शीर्षक		No.	and Title of Demand		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड Total	पृष्ठ Page
कृषि	एवं किसान कल्याण मंत्रालय		MIN	IISTRY OF AGRICULTURE			<u> </u>		
1.	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	स्वीकृत	ANC 1.	D FARMERS WELFARE Department of Agriculture and Farmers Welfare	Voted	0.03		0.03	1
रमा	णु ऊर्जा विभाग		DEP ENE	ARTMENT OF ATOMIC					
3.	परमाणु ऊर्जा	स्वीकृत	3.	Atomic Energy	Voted	0.02	0.03	0.05	2-3
आयुष	ष मंत्रालय		MIN	IISTRY OF AYUSH					
	आयुष मंत्रालय	स्वीकृत	4.	Ministry of Ayush	Voted	0.02	0.01	0.03	4
साय	ान और उर्वरक मंत्रालय			IISTRY OF CHEMICALS AND TILISERS					
ò.	उर्वरक विभाग	स्वीकृत	6.	Department of Fertilisers	Voted	31063.09	3.10	31066.19	5-0
ं. गणि	औषध विभाग ज्य और उद्योग मंत्रालय	स्वीकृत	7. MIN	Department of Pharmaceuticals IISTRY OF COMMERCE AND	Voted		0.01	0.01	7
	0 0	0	IND	USTRY					
0.	वाणिज्य विभाग	भारित	10.	Department of Commerce	Charged	2.43		2.43	8-9
	- من مدر کون برد.	स्वीकृत			Voted	226.96	0.01	226.97	
1.	उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग	स्वीकृत	11.	Department for Promotion of Industry and Internal Trade	Voted	0.03	0.01	0.04	10-1
ांचा	र मंत्रालय		MIN	ISTRY OF COMMUNICATIONS					
3.	दूरसंचार विभाग	स्वीकृत	13.	Department of Telecommunications	Voted	0.04	38543.32	38543.36	12-14
उपभं नार्वर	ोक्ता मामले, खाद्य और जनिक वितरण मंत्रालय		AFF	IISTRY OF CONSUMER AIRS, FOOD AND PUBLIC FRIBUTION					
5.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग गरिता मंत्रालय	स्वीकृत	15.	Department of Food and Public Distribution	Voted	0.01	5.36	5.37	1:
6.	सहकारिता मंत्रालय	स्वीकृत		IISTRY OF COOPERATION	Votad	0.01	0.53	0.54	14
	सहकारता मंत्रालय ग्रेरेट कार्य मंत्रालय	स्पापृग्रा	16.	Ministry of Cooperation	Voted	0.01	0.53	0.54	10
יאוק	गारट काय मत्रालय			IISTRY OF CORPORATE AIRS					
7.	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	स्वीकृत	17.	Ministry of Corporate Affairs	Voted	25.00		25.00	13
ांस्कृ	ति मंत्रालय			IISTRY OF CULTURE					
8.	संस्कृति मंत्रालय	स्वीकृत	18.	Ministry of Culture	Voted	5.09	0.01	5.10	18-19
क्षाः	मंत्रालय			IISTRY OF DEFENCE					
19.	रक्षा मंत्रालय (सिविल)	स्वीकृत	19.	Ministry of Defence (Civil)	Voted	0.01	10.00	10.01	20
0.	रक्षा सेवा (राजस्व)	भारित	20.	Defence Services (Revenue)	Charged	65.28		65.28	2
		स्वीकृत			Voted	0.01		0.01	
1.	रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	भारित	21.	Capital Outlay on Defence Services	Charged		474.19	474.19	22
		स्वीकृत			Voted		4103.03	4103.03	
र्वोत्त	ार क्षेत्र विकास मंत्रालय		MIN	IISTRY OF DEVELOPMENT					
				NORTH EASTERN REGION					
23.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	स्वीकृत	23.	Ministry of Development of North Eastern Region	Voted	0.01	0.01	0.02	23-24

(XXX)	द्वाना का	पूरक 1	111, 2025-2026 SUPPLEMEN	HARY DEMA	INDS FOR G	RANTS		
पृथ्वी	विज्ञान मंत्रालय		MIN	IISTRY OF EARTH SCIENCES					
24.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	स्वीकृत	24.	Ministry of Earth Sciences	Voted	130.88		130.88	25
शिक्षा	। मंत्रालय		MIN	IISTRY OF EDUCATION					
25.	स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	स्वीकृत	25.	Department of School Education and Literacy	Voted	0.02		0.02	26
26.	उच्चतर शिक्षा विभाग	स्वीकृत	26.	Department of Higher	Voted	1303.73		1303.73	27
डलेक	ट्रॉनिकी और सूचना		MIN	Education IISTRY OF ELECTRONICS					
प्रौद्यो	गैकी मंत्रालय गिकी मंत्रालय			DINFORMATION					
27	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना	स्वीकृत		HNOLOGY	Vatad	0.01		0.01	20
27.	इलक्ट्रानका जार सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	स्पाकृत	27.	Ministry of Electronics and Information Technology	Voted	0.01		0.01	28
	रण, वन और जलवायु		MIN	IISTRY OF ENVIRONMENT,					
परिव	र्तन मंत्रालय			ESTS AND CLIMATE					
28.	पर्यावरण, वन और जलवायु	स्वीकृत	28.	Ministry of Environment,	Voted	0.03	38.40	38.43	29-30
-ده	परिवर्तन मंत्रालय			Forests and Climate Change					
।वदश	ा मंत्रालय			IISTRY OF EXTERNAL AIRS					
29.	विदेश मंत्रालय	स्वीकृत	29.	Ministry of External Affairs	Voted	1235.63	0.03	1235.66	31-32
वित्तः	मंत्रालय		MIN	IISTRY OF FINANCE					
30.	आर्थिक कार्य विभाग	स्वीकृत	30.	Department of Economic Affairs	Voted	1646.66	4194.26	5840.92	33-34
32.	वित्तीय सेवाएं विभाग	स्वीकृत	32.	Department of Financial Services	Voted	521.83		521.83	35
35.	राजस्व विभाग	स्वीकृत	35.	Department of Revenue	Voted	0.01		0.01	36
36.	प्रत्यक्ष कर	स्वीकृत	36.	Direct Taxes	Voted	1192.23	639.40	1831.63	37
37.	अप्रत्यक्ष कर	स्वीकृत	37.	Indirect Taxes	Voted		605.68	605.68	38
38.	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	भारित	38.	Indian Audit and Accounts Department	Charged	3.77	14.47	18.24	39
		स्वीकृत		·	Voted		353.06	353.06	
मत्स्य मंत्राल	पालन, पशुपालन और डेयरी ाय		ANI	IISTRY OF FISHERIES, MAL HUSBANDRY AND RYING					
43.	मत्स्यपालन विभाग	स्वीकृत	43.	Department of Fisheries	Voted	0.01		0.01	40
44.	पशुपालन और डेयरी विभाग	स्वीकृत	44.	Department of Animal Husbandry and Dairying	Voted	361.12	66.32	427.44	41-42
खाद्य	प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय		MIN	IISTRY OF FOOD					
		-		CESSING INDUSTRIES					
45.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	स्वीकृत	45.	Ministry of Food Processing Industries	Voted	0.02		0.02	43
स्वास मंत्राल	थ्य एवं परिवार कल्याण 1य			IISTRY OF HEALTH AND IILY WELFARE					
46.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	स्वीकृत	46.	Department of Health and Family Welfare	Voted	0.02		0.02	44
47.	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	स्वीकृत	47.	Department of Health Research	Voted	26.95	0.21	27.16	45
भारी	उद्योग मंत्रालय			IISTRY OF HEAVY USTRIES					
48.	भारी उद्योग मंत्रालय	स्वीकृत	48.	Ministry of Heavy Industries	Voted	0.01		0.01	46
गृह म	ांत्रालय		MIN	IISTRY OF HOME AFFAIRS					
49.	गृह मंत्रालय	स्वीकृत	49.	Ministry of Home Affairs	Voted	2719.84	20.00	2739.84	47-48
50.	मंत्रिमंडल	स्वीकृत	50.	Cabinet	Voted	37.30	0.01	37.31	49
51.	पुलिस	स्वीकृत	51.	Police	Voted	400.00	0.01	400.01	50
52.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	स्वीकृत	52.	Andaman and Nicobar Islands	Voted	1050.41	0.04	1050.45	51-53
53.	चंडीगढ़	स्वीकृत	53.	Chandigarh	Voted	0.01		0.01	54

	अनुदानों व	भी पूरक	मांगें, 2	025-2026 SUPPLEMENTARY	/ DEMANDS	FOR GRANT	S		(xxxi)
54.	दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	स्वीकृत	54.	Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu	Voted	0.04	0.07	0.11	55-56
55.	लद्दाख	स्वीकृत	55.	Ladakh	Voted	2519.51	168.78	2688.29	57
58.	जम्मू और कश्मीर को अंतरण	स्वीकृत	58.	Transfers to Jammu and Kashmir	Voted	340.15		340.15	58
59.	पुदुचेरी को अंतरण	स्वीकृत	59.	Transfers to Puducherry	Voted	85.68		85.68	59
आवा	सन और शहरी कार्य मंत्रालय			IISTRY OF HOUSING AND SAN AFFAIRS					
60.	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	भारित	60.	Ministry of Housing and Urban Affairs	Charged	28.69	185.99	214.68	60-62
		स्वीकृत			Voted	0.06	0.01	0.07	
•-	ा एवं प्रसारण मंत्रालय	0	AND	IISTRY OF INFORMATION D BROADCASTING					
61.	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	स्वीकृत	61.	Ministry of Information and Broadcasting	Voted	0.01	17.26	17.27	63
जल ः	राक्ति मंत्रालय		MIN	IISTRY OF JAL SHAKTI					
62.	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	स्वीकृत	62.	Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation	Voted	0.04	0.02	0.06	64-66
63.	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	स्वीकृत	63.	Department of Drinking Water and Sanitation	Voted	0.01		0.01	67
	भौर रोजगार मंत्रालय	0	EMF	IISTRY OF LABOUR AND PLOYMENT					
64.	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और न्याय मंत्रालय	स्वीकृत	64.	Ministry of Labour and Employment IISTRY OF LAW AND	Voted	0.01		0.01	68
।पाय				TICE					
65.	विधि और न्याय	स्वीकृत	65.	Law and Justice	Voted	0.01	629.81	629.82	69-70
66.	निर्वाचन आयोग	स्वीकृत	66.	Election Commission	Voted	45.61	12.50	58.11	71-72
67.	भारत का उच्चतम न्यायालय	भारित	67.	Supreme Court of India	Charged	75.05	10.93	85.98	73
सूक्ष्म, मंत्रार				IISTRY OF MICRO, SMALL D MEDIUM ENTERPRISES					
68.	सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	भारित	68.	Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises	Charged	45.54		45.54	74-75
		स्वीकृत			Voted	0.01	200.00	200.01	
खान	मंत्रालय		MIN	IISTRY OF MINES					
69.	खान मंत्रालय	स्वीकृत	69.	Ministry of Mines	Voted		66.46	66.46	76
नवी- मंत्रार	ा तथा नवीकरणीय ऊर्जा तय			IISTRY OF NEW AND IEWABLE ENERGY					
71.	नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	स्वीकृत	71.	Ministry of New and Renewable Energy	Voted	0.02		0.02	77
पंचाय	ाती राज मंत्रालय		MIN	IISTRY OF PANCHAYATI RAJ					
72.	पंचायती राज मंत्रालय	स्वीकृत	72.	Ministry of Panchayati Raj	Voted	0.01		0.01	78
कार्मि मंत्राल	कि, लोक शिकायत और पेंशन 1य		PUB	IISTRY OF PERSONNEL, SLIC GRIEVANCES AND SIONS					
74.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	स्वीकृत	74.	Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions	Voted	0.01		0.01	79
पेट्रोवि मंत्राव	लेयम और प्राकृतिक गैस			IISTRY OF PETROLEUM AND TURAL GAS					
76.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	स्वीकृत	76.	Ministry of Petroleum and Natural Gas	Voted	14692.44	0.01	14692.45	80-81
योजन	ना मंत्रालय		MIN	IISTRY OF PLANNING					
77.	योजना मंत्रालय	स्वीकृत	77.	Ministry of Planning	Voted	0.02	0.01	0.03	82-83
पत्तन मंत्रा ल्	, पोत परिवहन एवं जलमार्ग ग्य	-		IISTRY OF PORTS, SHIPPING D WATERWAYS					
78.	पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय	स्वीकृत	78.	Ministry of Ports, Shipping and Waterways	Voted	0.02		0.02	84
				a trace.ways					

(XXXI	,	दाना का प	रूप माग, 2025-2026 SUPPLE	MENTARY DEM	ANDS FOR G	IKAN15		
विद्यु	न मंत्रालय		MINISTRY OF POWER					
79.	विद्युत मंत्रालय	स्वीकृत	79. Ministry of Power	Voted	0.02		0.02	85
	ते, संसद, संघ लोक सेवा 1 और उपराष्ट्रपति सचिवालय		THE PRESIDENT, PARLIAMEN UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE PRESIDENT	ι т ,				
82.	राज्य सभा	<i>भारित</i> स्वीकृत	82. Rajya Sabha	<i>Charged</i> Voted	<i>0.19</i> 65.97	 1.28	<i>0.19</i> 67.25	86
रेल मं:	ग्रालय	V-11-2-11	MINISTRY OF RAILWAYS	Voted	03.37	1.20	07.23	
85.	रेल मंत्रालय	भारित	85. Ministry of Railways	Charged	98.00	575.00	673.00	87
		स्वीकृत	, ,	Voted		8.35	8.35	
सड़क	परिवहन और राजमार्ग	·	MINISTRY OF ROAD					
मंत्राल 86. ग्रामीण	प सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय । विकास मंत्रालय	स्वीकृत	TRANSPORT AND HIGHWAY: 86. Ministry of Road Transpo and Highways MINISTRY OF RURAL			18837.00	18837.00	88
87.	ग्रामीण विकास विभाग	स्वीकृत	87. Department of Rural Development	Voted	0.04		0.04	89
88.	भूमि संसाधन विभाग	स्वीकृत	88. Department of Land Resources	Voted	0.02		0.02	90
विज्ञान	और प्रौद्योगिकी मंत्रालय		MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY					
89.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	स्वीकृत	89. Department of Science ar Technology	nd Voted	676.29		676.29	91
सामार्ग मंत्राल	जेक न्याय और अधिकारिता य		MINISTRY OF SOCIAL JUSTIC AND EMPOWERMENT	E				
94.	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	स्वीकृत	94. Department of Empowerment of Persons with Disabilities	Voted	16.60		16.60	92
अंतरि	क्ष विभाग		DEPARTMENT OF SPACE					
95.	अंतरिक्ष विभाग	स्वीकृत	95. Department of Space	Voted	0.01	0.01	0.02	93
	ाकी और कार्यक्रम वयन मंत्रालय		MINISTRY OF STATISTICS AN PROGRAMME IMPLEMENTATION	D				
96. इस्पा त	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय I मंत्रालय	स्वीकृत	96. Ministry of Statistics and Programme Implementat MINISTRY OF STEEL	Voted ion	65.62	14.61	80.23	94-95
97.	इस्पात मंत्रालय	स्वीकृत	97. Ministry of Steel	Voted	1585.00	22.00	1607.00	96
वस्त्र म	ांत्रालय		MINISTRY OF TEXTILES					
98.	वस्त्र मंत्रालय	भारित	98. Ministry of Textiles	Charged	87.42		87.42	97
		स्वीकृत		Voted	0.01		0.01	
पर्यटन	मंत्रालय		MINISTRY OF TOURISM					
99.	पर्यटन मंत्रालय	स्वीकृत	99. Ministry of Tourism	Voted	0.01		0.01	98
महिल	। और बाल विकास मंत्रालय		MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT					
101.	महिला और बाल विकास मंत्रालय	स्वीकृत	101. Ministry of Women and Child Development	Voted	0.01	0.56	0.57	99
कुल व	गेड़		GRAND TOTAL		62446.68	69822.17	132268.85	
		स्वीकृत	7	Charged	406.37	1260.58	1666.95	
		भारित	ī	Voted	62040.31	68561.59	130601.90	
अनुबंध	ı		ANNEXURES					101-274

अनुदानों की पूरक मांगें, 2025-2026 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 1 कृषि एवं किसान कल्याण विभाग DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 1 देखिये)

(See page 1 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026)

				(₹ करॉड़) (In ₹ cro					
		भारित	स्वीकृत	ज ोड़					
		Charged	Voted	Total					
. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:								
ज स् व	Revenue		235044.56	235044.56					
्जी	Capital		87.87	87.87					
गोइ	Total	•••	235132.43	235132.43					
स समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now								
	required:								
जस्व	Revenue		0.03	0.03					
्जी	Capital								
गोड़	Total		0.03	0.03					
गोइ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		235132.46	235132.46					
जस्व	Revenue		235044.59	235044.59					
जी	Capital		87.87	87.87					
	॥. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य	शीर्षों के अंतर्गत दिखाया	जायेगा:						
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head(s)								
		भारित	स्वीकृत	जॊड़					
		Charged	Voted	Total					
ाजस्व भाग	REVENUE SECTION								
ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD								
401-कृषि कार्य	2401-Crop Husbandry		0.01	(क a) 0.01					
435-अन्य कृषि कार्यक्रम	2435-Other Agricultural Programmes		0.01	(खb) 0.01					
602-संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता	3602-Grants-in-aid to Union Territory		0.01	(गc) 0.01					
ग्नुदा न	Governments								
नोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.03	0.03					

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

क) नवाचार और प्रौद्योगिकी के लिए कोष के तहत योगदान (133 करोड़ रुपये)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

उपरोक्त अनुमानों में एक नई सेवा पर व्यय शामिल है। नवाचार और प्रौद्योगिकी के लिए निधि के तहत योगदान (₹ 39.0246) के लिए प्रमुख शीर्ष 2401 में भारत की आकस्मिक निधि से ₹ 39.0246 करोड़ की राशि अग्रिम की गई है और उस निधि में पुनर्भुगतान को सक्षम करने के लिए समकक्ष राशि की आवश्यकता है.

उपरोक्त के लिए, ₹ 39.0246 करोड़ की राशि अनुदान के उसी भाग (सांकेतिक) के भीतर पुनर्विनियोजन द्वारा पाई जा सकती है।

(ख) (i) प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन के लिए अनुसूचित जनजाति (डीएपीएसटी) के लिए विकास कार्य योजना के तहत अनुदान (र 0.0043 करोड़) (ii) प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन के लिए अनुसूचित जातियों (डीएपीएससी) के लिए विकास कार्य योजना के तहत सामान्य सहायताअनुदान (र 0.12 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

(ग)

(i) प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन के लिए अनुस्चित जातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीपीएससी) के तहत अनुदान सहायता सामान्य (0.45 करोड़ रुपये) (ii) प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन के लिए अनुस्चित जनजाति (डीएपीएसटी) के लिए विकास कार्य योजना के तहत अनुदान सहायता सामान्य (0.62 करोड़ रुपये)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। The supplementary Grants are required for:

(a) Contribution (₹133 crore) under Fund For Innovation and Technology.

As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

The above estimates include expenditure on a New Service. A sum of ₹39.0246 crore has been advanced from Contingency Fund of India in Major Head 2401 for Contribution (₹39.0246) under Fund for Innovation and Technology and an equivalent amount is required to enable repayment to be made to that Fund.

For the above, the amount of ₹39.0246 crore can be found by reappropriation within same section of the Grant (Token Supplementary).

(i) Grants-In-Aid General under Development Action Plan for Scheduled Tribe (DAPST) for the National Mission on Natural Farming (₹0.0043 Crore) (ii) Grants-In-Aid General under Development Action Plan for Scheduled Castes (DAPSC) for the National Mission on Natural Farming (₹0.12 Crore).

As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

(i) Grants-in-Aid General under Development Action Plan for Scheduled Castes (DAPSC) for National Mission on Natural Farming (₹0.45 crore) (ii) Grants-in-Aid General under Development Action Plan for Scheduled Tribe (DAPST) for National Mission on Natural Farming (₹0.62 crore).

As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2025-2026 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 3 परमाणु ऊर्जा ATOMIC ENERGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 3 देखिये)

				(₹ करों:	ਭ) (In ₹ cror				
		भारित	स्वीकृत		जॏइ				
		Charged	Voted		Total				
. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:								
जस्व	Revenue	4.59	22663.70		22668.29				
जी	Capital		14814.64		14814.64				
ोइ	Total	4.59	37478.34		37482.93				
स समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:								
जस्व	Revenue		0.02		0.02				
जी	Capital		0.03		0.03				
ोइ	Total		0.05		0.05				
ोइ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	4.59	37478.39		37482.98				
जस्व	Revenue	4.59	22663.72		22668.31				
जी	Capital	•••	14814.67		14814.67				
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:								
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head(s)								
		भारित	स्वीकृत		जॏड़				
		Charged	Voted		Total				
जस्व भाग	REVENUE SECTION								
ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD								
352-उद्योग	2852-Industries		0.01	(क a)	0.01				
401-परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	3401-Atomic Energy Research		0.01	(खb)	0.01				
ोइ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	•••	0.02		0.02				
जी भाग	CAPITAL SECTION								
ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD								
361-परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूंजीगत	4861-Capital Outlay on Atomic Energy		0.01	(गc)	0.01				
रेव्यय	Industries								
101-परमाणु ऊर्जा अनुसंधान पर पूंजीगत रेट्यय	5401-Capital Outlay on Atomic Energy Research		0.01	(घd)	0.01				
301-विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	6801-Loans for Power Projects		0.01	(ਝe)	0.01				
ोइ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)		0.03		0.03				
ोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		0.05		0.05				

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

पूरक मांगा जाता है।

(क)

(ख)

(ग)

ईंधन निर्माण सुविधा केंद्र के अंतर्गत सामग्री और आपूर्ति केअतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 308.52 करोड़)

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

एआईडीएड इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 287.12 करोड़) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक

इंधन पुनश्वक्रण परियोजनाएं (एनआरबी) (उप शीर्ष) के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) मशीनरी और उपस्कर (₹ 106.33 करोड़), बुनियादी ढांचागत संपत्ति (₹ 140.60 करोड़)

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

(a) meeting additional expenditure towards Materials and Supplies (₹ 308.52 Crore) under the Fuel Fabrication Facilities
 As savings are available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

 (b) meeting additional expenditure towards Grants For Creation Of Capital Assets (₹ 287.12 Crore) under the Aided Institution
 As savings are available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

 (c) meeting additional expenditure towards (i) Machinery And Equipment (₹ 106.33 Crore), Infrastructural Assets (₹ 140.60 Crore) under the Fuel Recycle Projects
 As savings are available in the same section of the Grant,

a token supplementary is sought.

- (घ) भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) की अनुसंधान एवं विकास (d) परियोजनाएं (उप शीर्ष) के अंतर्गतमशीनरी और उपस्कर के अतिरक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 134.14 करोड़) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।
- (ङ) बाह्य सहायता परियोजना के अंतर्गत ऋण और अग्रिम के अतिरिक्त व्यय को (e) पूरा करने के लिए (₹ 1054.00 करोड़)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। meeting additional expenditure towards Machinery And Equipment (₹ 134.14 Crore) under the R&D Projects Of Bhabha Atomic Research Centre (BARC)

As savings are available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure towards Loans And Advances (₹ 1054.00 Crore) under the Externally Aided Project for Nuclear Power Corporation of India Limited(NPCIL).

As savings are available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 4 आयुष मंत्रालय MINISTRY OF AYUSH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 5 देखिये)

(See page 5 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		(\ \ 4\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\) (III CIO		
		भारित	स्वीकृत		ऒड़		
		Charged	Voted		Total		
।. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:						
ाजस्व	Revenue		3937.45		3937.45		
र् ची	Capital		55.45		55.45		
गोइ	Total		3992.90		3992.90		
स समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now						
	required:						
ज स् व	Revenue		0.02		0.02		
्जी	Capital		0.01		0.01		
गेइ	Total		0.03		0.03		
गेड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		3992.93		3992.93		
जस् व	Revenue		3937.47		3937.47		
् जी	Capital		55.46		55.46		
	॥. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:						
	II. This Supplementary Grants will be accounted for	r under the following	Major Head	(s)			
		भारित	स्वीकृत		ऒड़		
		Charged	Voted		Total		
ाजस्व भाग	REVENUE SECTION						
ख्य शी र्ष	MAJOR HEAD						
251-सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2251-Secretariat-Social Services		0.01	(कa)	0.01		
210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health		0.01	(खb)	0.01		
गोइ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.02		0.02		
रूंजी भाग	CAPITAL SECTION						
युख्य शीर्ष	MAJOR HEAD						
- 250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत	4250-Capital Outlay on other Social Services		0.01	(गc)	0.01		
रिव्यय							
नोइ (पूरक)	Total (Supplementary)		0.03		0.03		

(c)

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

आयकर फाइलिंग के भ्गतान के लिए सचिवालय - वेतन और लेखा कार्यालय (क) के संबंध में व्यावसायिक सेवाओं (₹ 0.01 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

पोषण वाटिकों के सृजन के लिए धरती आबा जनजटिया ग्राम उत्कर्ष (ख) अभियान के लिए औषधीय पौधों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन के तहत सहायता अनुदान-सामान्य (₹ 5.00 करोड़) के लिए अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना की दिशा में अतिरिक्त व्यय को पूरा

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) के संबंध में मोटर वाहनों (₹ 0.06 (ग) करोड़) की खरीद के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

meeting additional expenditure towards Professional Services (₹ 0.01 crore) in respect of Secretariat - Pay and Accounts Office for payment of Income Tax Filing.

> As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure towards Development Action Plan for Scheduled Tribes for Grants-in-aid General (₹ 5.00 crore) under Conservation, Development and Sustainable Management of Medicinal Plants for Dharti Aaba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan for creation of Poshan Vatikas.

> As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

> meeting additional expenditure towards procurement of Motor Vehicles (₹ 0.06 crore) in respect of National Medicinal Plants Board (NMPB).

As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 6 **उर्वरक विभाग** DEPARTMENT OF FERTILISERS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 7 देखिये)

(See page 7 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026)

		भारित	स्वीकृत		जॏड़
		Charged	Voted		Total
।. मूल अनुदानः	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		184067.26		184067.26
पूंजी	Capital		15.18		15.18
जोड़	Total		184082.44		184082.44
इस समय आवश्यक रकम का	Supplementary Estimate of the amount now				
पूरक अनुमान:	required:				
राजस्व	Revenue		31063.09		31063.09
पूंजी	Capital		3.10		3.10
जोड़	Total	***	31066.19		31066.19
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	***	215148.63		215148.63
राजस्व	Revenue	•••	215130.35		215130.35
पूंजी	Capital	***	18.28		18.28
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य श	ोर्षों के अंतर्गत दिखाया जाये	गा:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted	d for under the following	Major Head(s)		
		भारित	स्वीकृत		जॏड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2401-कृषि कार्य	2401-Crop Husbandry		11000.00	(कa)	11000.00
2852-उद्योग	2852-Industries	***	20063.09	(खb)	20063.09
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		31063.09		31063.09
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
5475-अन्य सामान्य आर्थिक	5475-Capital Outlay on Other General	***	3.10	(गc)	3.10
सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Economic Services				
जोइ (पूरक)	Total (Supplementary)		31066.19		31066.19

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वस्लियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है!

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग REVENUE SECTION

2852-उचोग 2852-Industries ... (-)12538.00 (-)12538.00

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क)

निम्निलिखित अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए: (i) स्वदेशी पी एंड के उर्वरक जेन घटक के भुगतान के तहत सिक्सिडी (र 4370.00 करोड़), (ii) आयातित पी एंड के उर्वरक जेन घटक के भुगतान के तहत सिक्सिडी (र 5244.00 करोड़)। (iii) स्वदेशी पी एंड के उर्वरक डीएपीएससी घटक के भुगतान के तहत सिक्सिडी (र 415.00 करोड़) (iv) आयातित पी एंड के उर्वरक डीएपीएससी घटक के भुगतान के तहत सिक्सिडी (र 498.00 करोड़) (v) स्वदेशी पी एंड के उर्वरक डीएपीएसटी घटक के भुगतान के तहत सिक्सिडी (र 215.00 करोड़)-अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) घटक (vi) आयातित पी एंड के उर्वरक डीएपीएसटी घटक के भुगतान के तहत सिक्सिडी (र 258.00 करोड़)

The supplementary Grants are required for:

(a) meeting additional expenditure towards: (i) Subsidies (₹ 4370.00 crore) for Indigenous P and K Fertilizers - Gen Component (ii) Subsidies (₹ 5244.00 crore) for Imported P and K Fertilizers-Gen Component (iii) Subsidies (₹ 415.00 crore) for Indigenous P and K Fertilizers- Development Action Plan for Scheduled Castes (DAPSC) Component (iv) Subsidies (₹ 498.00 crore) for Imported P and K Fertilizers- DAPSC Component (v) Subsidies (₹ 215.00 crore) for Indigenous P and K Fertilizers- Development Action Plan for Scheduled Tribes (DAPST) Component

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

(c)

उपरोक्त व्यय में ₹ 11000.00 करोड़ का नकद व्यय शामिल होगा।

(ख) आयातित यूरिया उप-योजना में अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (i) सिब्सिडी (₹ 23423.20 करोइ) अंडर-जेन घटक, (ii) डीएपीएससी घटक के तहत सिब्सिडी (₹ 2224.40 करोइ), (iii) डीएपीएसटी घटक के तहत सिब्सिडी (₹ 1152.40 करोड)।

अनुदान के उसी (राजस्व) खंड के भीतर उपलब्ध र 6736.91 करोड़ की बचत को ध्यान में रखते हुए और यूरिया सब्सिडी योजना के तहत र 12538.00 करोड़ की अतिरिक्त वस्ती का उपयोग करते हुए, उपरोक्त व्यय में र 7525.09 करोड़ का शुद्ध नकद खर्च होगा. उपरोक्त अनुमानों में सब्सिडी-सामान्य घटक (र 6511.30 करोड़), सब्सिडी-डीएपीएससी घटक-618.35 करोड़) और सब्सिडी-डीएपीएसटी घटक (र 320.35 करोड़) यूरिया सब्सिडी योजना की आयातित यूरिया उप-योजना के तहत सब्सिडी के लिए प्रमुख मद 2852 में भारत के आकस्मिक निधि से अग्रिम र 7450.00 करोड़ का योग शामिल है और उस निधि में पुनर्भुगतान को सक्षम करने के लिए एक समतुल्य राशि की आवश्यकता है।उपरोक्त के लिए, र 5000.00 करोड़ की राशि अनुदान (टोकन पूरक) के उसी खंड के भीतर पुनर्विनियोजन द्वारा पाई जा सकती है और र 2450.00 करोड़ की राशि का मिलान वस्ती (तकनीकी पूरक) द्वारा किया जा सकता है।

(ग) अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए सूचना, कंप्यूटर दूरसंचार (आईसीटी)
 उपकरण (₹ 3.10 करोड़) उर्वरक सब्सिडी में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अंतर्गत

उपरोक्त व्यय में ₹ 3.10 करोड़ का नकद व्यय शामिल होगा।

(vi) Subsidies (₹ 258.00 crore) for Imported P and K Fertilizers-DAPST Component.

The above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 11000.00 crore

meeting additional expenditure towards Imported Urea Sub-scheme under the components viz. (i) Subsidies (₹23423.20 crore) under - General Component, (ii) Subsidies (₹2224.40 crore) under - DAPSC Component, (iii) Subsidies (₹1152.40 crore) under - DAPST Component.

Taking into account the savings of ₹ 6736.91 crore available within the same(Revenue) section of the Grant and utilizing the additional recoveries of ₹ 12538.00 crore under Urea Subsidy Scheme, the above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 7525.09 crore.

The above estimates includes a sum of ₹ 7450.00 crore advanced from Contingency Fund of India in Major Head 2852 for Subsidies - General Component (₹6511.30 crore), Subsidies - DAPSC Component - 618.35 crore) and Subsidies - DAPST component (₹320.35 crore) under Imported Urea Sub-scheme of Urea Subsidy Scheme and an equivalent amount is required to enable repayment to be made to that Fund.

For the above, the amount of ₹ 5000.00 crore can be found by reappropriation within same section of the Grant (Token Supplementary) and amount of ₹ 2450.00 crore can be matched by recoveries (Technical Supplementary).

meeting additional expenditure towards Information, Computer, Telecommunications (ICT) Equipment (₹ 3.10 Crore) under the Direct Benefit Transfer in Fertilizer Subsidy.

The above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 3.10 crore.

मांग संख्या DEMAND NO 7 औषध विभाग DEPARTMENT OF PHARMACEUTICALS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 8 देखिये)

(See page 8 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026)

		((4)(1)) (111 (21)		
		भारित	स्वीकृत	ऒड़
		Charged	Voted	Total
।. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	***	5267.16	5267.16
पूंजी	Capital	***	1.56	1.56
जोड़	Total	···	5268.72	5268.72
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now requi	red:		
राजस्व	Revenue			
पूंजी	Capital		0.01	0.01
जोइ	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		5268.73	5268.73
राजस्व	Revenue		5267.16	5267.16
पूंजी	Capital		1.57	1.57
	॥. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष व	के अंतर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted fo	r under the following Majo	r Head:	
		भारित	स्वीकृत	ऒड़
		Charged	Voted	Total
पंजी भाग	CAPITAL SECTION			

4857-Capital Outlay on Chemical and Pharmaceutical

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

4857-रसायन और औषध उद्योगों पर पूंजीगत

मुख्य शीर्ष

परिव्यय

राजस्थान इन्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आर. डी. पी. एल.) 10 रुपये प्रित शेयर की दर से 20 लाख शेयरों की खरीद के लिए इंडियन इन्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आई. डी. पी. एल.) को भारत सरकार द्वारा प्रदत्त 2 करोड़ रुपये के सहायताअनुदान हेतु पूर्व अविध समायोजन (पी. पी. ए.) के माध्यम से इक्विटी निवेश का लेखांकन, जिसके उपरांत शेयरों का भारत के राष्ट्रपति को अंतरण तथा आईडीपीएल और आरडीपीएल के €मर्जर पर भारत के राष्ट्रपति को आईडीपीएल द्वारा आरडीपीएल के ₹10 प्रति शेयर की दर से 5.45 लाख शेयरों के अंतरण हेतु भी।

MAJOR HEAD

Industries

चूंकि, उपरोक्त पुस्तक प्रविष्टियां पूर्व अविध समायोजन के माध्यम से की जाएंगी, इसलिए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। The supplementary Grant is required for:

accounting of equity investment through Prior Period Adjustments (PPA) for Grant-in-Aid of ₹2 crore provided by Government of India to Indian Drugs & Pharmaceuticals Limited (IDPL) to purchase 20 lakh shares @ ₹10 per share of Rajasthan Drugs & Pharmaceuticals Limited (RDPL) followed by transfer of shares to the President of India and also for the transfer of 5.45 lakh shares @ ₹10 per share of RDPL by IDPL to the president of India on demerger of IDPL and RDPL.

0.01

0.01

(₹ करोंड) (In ₹ crores)

Since, the above book entries would be done through Prior Period Adjustments, therefore a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 10 वाणिज्य विभाग DEPARTMENT OF COMMERCE

भारित

Charged

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

स्वीकृत

Voted

ऒड़

Total

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 11 देखिये) (See page 11 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026)

				Onlarged		10104		i otal
।. मूल अ	नुदान:	I. ORIGINAL GRANT:						
राजस्व		Revenue		0.40		5246.59		5246.99
पूंजी		Capital				54.00		54.00
जोड़		Total		0.40		5300.59		5300.99
इस समय	आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the	amount now					
Ť	" "	required:						
राजस्व		Revenue		2.43		226.96		229.39
पूंजी		Capital				0.01		0.01
ू जोइ		Total		2.43		226.97		229.40
· ·	और पूरक)	Total (Original plus Supplement	tarv)	2.83		5527.56		5530.39
राजस्व		Revenue	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	2.83		5473.55		5476.38
पूंजी		Capital				54.01		54.01
~		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्ब	निविचित सख्य	शीर्षों के भंतर्गत दिखाया	. जायेगा [.]	•• .		
		II. This Supplementary Grants/				the following	n Maior H	leads:
		ii. The cappellonary Cranon	трргоргіаціона	भारित भारित	n unuoi	स्वीकृत स्वीकृत	g iviajoi i	.oaao. जोड़
				Charged		Voted		Total
राजस्व ध	भाग	REVENUE SECTION		Onlarged		VOIGG		Total
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
-	' वेवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Ser	vices	1.70	(क a)	0.01	(खb)	1.71
	श व्यापार और निर्यात संवर्द्धन	3453-Foreign Trade and Export		0.73	(गc)	226.95	(घट) (घd)	227.68
जोड़ (राज		Total (Revenue Section)	i i ioillotioli	2.43	(-10)	226.96	(44)	229.39
पूं <i>जी</i> भाग	•	CAPITAL SECTION		2.40		220.30		223.33
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
•	' य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर	5475-Capital Outlay on Other G	Coneral			0.01	(ਤe)	0.01
पूंजीगत प		Economic Services	Cilciai	•••		0.01	(30)	0.01
जोड़ (पूरक		Total (Supplementary)		2.43		226.97		229.40
0114 (K/1	· ,	rotal (Gappioniontaly)		2.40		220.07		220.40
यह परक		 भेक्षित है:	The supple	ementary Grants/App	ropriatio	ns are requ	ired for:	
(क)	-	इ) स्थापना के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को	(a)	meeting addition	-	•		Other Revenue
,	पूरा करने के लिए	,	()	Expenditure (₹ 1.	-			
	**	त्रब्ध बचत के समर्पण को ध्यान में रखते		Taking into accou		•		
	हु ए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरित्त			section of the Gr		-		-
	3 , -			additional cash or				,
(ख)	स्थापना के तहत विज्ञापन और प्र	ग्चार (₹ 0.025 करोड़) के लिए अतिरिक्त	(b)	meeting addition	•	enditure to	owards	Advertising And
(/	व्यय को पूरा करना।		(-)	Publicity (₹ 0.025	-			_
	"	। बचत को ध्यान में रखते हू ए सांकेतिक		As savings are	,			
	पूरक मांगा जाता है।			a token suppleme				ion or the grain,
(ग)	.,	इ) स्थापना के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को	(c)	meeting addition	-	-	owards	Other Revenue
(.)	पूरा करने के लिए		(5)	Expenditure (₹ 0.				
	ZO DOST DICK			Trade.	.70 0101	o, under Bi	.00101 0	onoral of Foreign
	भनटान के पंजी भनभाग में उपर	न्नब्ध बचत के समर्पण को ध्यान में रखते		Taking into accou	int the s	avinas avai	lable in t	he Canital Voted
	हु ए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरित्त			section of the Gr				
	g (, 5 1(11) 544 VI 1/12 51(11(1)	political of the control of the cont		additional cash or		above expe	manure v	will flot Critail arry
(ঘ)	निस्नविधित भनिपेक रुग्य स्रो	पूरा करने के लिए (i) अन्य हेत् किराया	(d)	meeting addition	-	nditure tow	arde (i)	Rent for Others
(4)		न्यूरा करने के लिए (i) उन्च हतु क्रिया हे अंतर्गत,(ii) डिजिटल उपकरण (₹ 0.06	(4)	(₹ 0.11 Crore) ι				
	_	सहायता अनुदान-सामान्य (₹ 1800.00		Equipment (₹ 0.0				
		सहायता अनुदान-सामान्य (२ 1800.00 गाता के अंतर्गत,(iv) सहायता अनुदान-		Trade Remedies,		•		
	नगरा <i>न्)</i> रान्द्राय ाणयात बामा ख	ייניי יי אנואנוי,(וי) מפושמו אשלוח-		riade Nemeules,	(III) Gra		יייייי (מו	(1000.00 Citile)

सामान्य (₹ 10.00 करोड़), प्ंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 16.00 करोड़), सहायता अनुदान समान्य-वेतन (₹ 10.00 करोड़) के अंतर्गत आईआईटी मद्रास, चेन्नई में प्रयोगशाला में उगाए गए हीरे के लिए भारत केंद्र (प्रोत्साहन-एलसीडी) की स्थापना के तहत।

अनुदान के उसी भाग के भीतर उपलब्ध बचत और अनुदान के पूंजीगत मतदान वाले भाग में उपलब्ध 2.09 करोड़ रुपये की बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में 224.86 करोड़ रुपये का शुद्ध नकद खर्च शामिल होगा. उपरोक्त अनुमानों में एक नई सेवा पर खर्च शामिल है.

राष्ट्रीय निर्यात बीमा खातों के तहत अनुदान-सहायता सामान्य (500 करोड़ रुपये) के लिए प्रमुख शीर्ष 3453 में भारत की आकस्मिक निधि से 500 करोड़ रुपये की राशि अग्रिम की गई है और उस निधि में पुनर्भुगतान को सक्षम करने के लिए समतुल्य राशि की आवश्यकता है.

उपरोक्त के लिए, अनुदान (सांकेतिक पूरक) के उसी भाग के भीतर पूनर्विनियोजन द्वारा 500 करोड़ रुपये की राशि पाई जा सकती है।

(ङ) अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए मोटर वाहन (₹ 1.20 करोड़) व्यापार (e) आयुक्त के अंतर्गत

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। under the National Export Insurance Accounts (iv) Grants-in-Aid General (₹ 10.00 Crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹ 16.00 Crore), Grants-in-Aid Salaries (₹ 10.00 Crore) under the Establishment of India Centre for Lab Grown Diamond (InCent-LCD) at IIT Madras, Chennai.

Taking into account the savings available within the same section of the Grant and the savings of ₹ 2.09 crore available in the Capital Voted section of the Grant, the above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 224.86 crore.

The above estimates include expenditure on a New Service. A sum of ₹ 500 crore has been advanced from Contingency Fund of India in Major Head 3453 for Grants-in-Aid General (₹ 500 crore) under the National Export Insurance Accounts and an equivalent amount is required to enable repayment to be made to that Fund

For the above, the amount of \mathbf{T} 500 crore can be found by reappropriation within same section of the Grant (Token Supplementary).

meeting additional expenditure towards Motor Vehicles ($\stackrel{\scriptstyle <}{_{\sim}}$ 1.20 Crore) under the Trade Commissioner.

As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 11 उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DEPARTMENT FOR PROMOTION OF INDUSTRY AND INTERNAL TRADE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 12 देखिये)

(See page 12 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026)

				(₹ करोड़) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत	जॏड़
		Charged	Voted	Total
।. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	***	7452.93	7452.93
पूंजी	Capital	***	5692.13	5692.13
जोड़	Total	•••	13145.06	13145.06
इस समय आवश्यक रकम का पूरक	Supplementary Estimate of the amount now			
अनुमान:	required:			
राजस्व	Revenue	***	0.03	0.03
पूंजी	Capital	•••	0.01	0.01
जोड़	Total	•••	0.04	0.04
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	13145.10	13145.10
राजस्व	Revenue	•••	7452.96	7452.96
पूंजी	Capital	•••	5692.14	5692.14
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के 3	भंतर्गत दिखाया जायेगा	Γ:	
	II. This Supplementary Grants will be accounted for u	inder the following I	Major Head(s)	
		भारित	स्वीकृत	ऒड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(क a) 0.01
2852-उद्योग	2852-Industries		0.01	(खb) 0.01
2885-उद्योग और खनिजों पर अन्य	2885-Other Outlays on Industries and Minerals	***	0.01	(गc) 0.01
परिव्यय				
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	***	0.03	0.03
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
- 4875-अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	4875-Capital Outlay on Other Industries		0.01	(घd) 0.01
जोइ (पूरक)	Total (Supplementary)		0.04	0.04

(b)

(c)

यह पूरक अनुट	पने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:
(क)	आर्थिक सहायता (₹ 4.98 करोड़) परिवहन सब्सिडी योजना के अंतर्गत
	अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक
	पूरक मांगा जाता है।
(ख)	अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए सहायता अनुदान-सामान्य (₹ 1.40
	करोड़) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के अंतर्गत
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक
	पूरक मांगा जाता है।
(ग)	(i) परिवहन सब्सिडी योजना के तहत सब्सिडी (0.01 करोड़ रुपये)
	और माल दुलाई सब्सिडी योजना (0.01 करोड़ रुपये), (ii) लद्दाख का
	औद्योगिक विकास, 2022 योजना [पूंजी निवेश प्रोत्साहन घटक
	(0.0020 करोड़ रुपये), पूंजी ब्याज अनुदान घटक (0.0020 करोड़
	रुपये), माल और सेवा कर से जुड़े प्रोत्साहन (जीएसटीएलआई) घटक
	(0.0010 करोड़ रुपये), कार्यशील पूंजी ब्याज अनुदान घटक (0.0010
	करोड़ रुपये), परियोजना प्रबंधन घटक (विज्ञापन और प्रचार (0.0010

The supplementary Grants are required for:

(a) meeting additional expenditure towards Subsidies (₹ 4.98 Crore) under the Transport Subsidy Scheme.

As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure towards Grants-in-Aid General (₹ 1.40 Crore) under the National Productivity Council.

As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure towards (i) Subsidies under Transport Subsidy Scheme (₹ 0.01 Crore) and Freight Subsidy Scheme (₹ 0.01 Crore), (ii) Industrial Development of Ladakh, 2022 scheme [Capital Investment Incentive component (₹ 0.0020 Crore), Capital Interest Subvention component (₹ 0.0020 Crore), Goods & Service Tax Linked Incentive (GSTLI) component (₹ 0.0010 Crore), Working Capital Interest Subvention component (₹ 0.0010 Crore), Project Management

(d)

करोड़ रुपये) और पेशेवर सेवाओं (0.0010 करोड़ रुपये)] के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

 (घ) राष्ट्रीय औचोगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन न्यास (एन. आई. सी.
 डी. आई. टी.) योजना के तहत अन्य पूंजीगत व्यय (₹ 2974.99 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

component {Advertising and Publicity (₹ 0.0010 Crore) and Professional Services (₹ 0.0010 Crore)}].

As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure towards Other Capital Expenditure (₹ 2974.99 Crore) under the National Industrial Corridors Development and Implementation Trust (NICDIT) scheme.

As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 13

दूरसंचार विभाग

DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 14 देखिये)

(See page 14 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026)

		- 0	•	(₹ A)	रोड़) (In ₹ cı
		भारित	स्वीकृत		ज <u>ो</u> ड़
TT 20	LODICINAL OBANT	Charged	Voted		Total
मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:		25054.50		05054.50
जस्व —	Revenue		35851.50		35851.50
जी	Capital		73784.76		73784.76
ोड़ 	Total	···	109636.26		109636.26
स समय आवश्यक रकम का — -——	Supplementary Estimate of the amount now				
क अनुमान:	required:				
जस्व 	Revenue		0.04		0.04
जी 	Capital		38543.32		38543.32
ोइ	Total		38543.36		38543.36
iइ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		148179.62		148179.62
जस् व	Revenue	···	35851.54		35851.54
जी	Capital		112328.08		112328.08
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के				
	II. This Supplementary Grants will be accounted for	•	•		_
		भारित	स्वीकृत		जोड़
		Charged	Voted		Total
जस्व भाग	REVENUE SECTION				
ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services		0.01	(क a)	0.01
)71-पेंशन और अन्य	2071-Pensions and other Retirement Benefits		0.01	(खb)	0.01
वानिवृत्ति लाभ					
552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(गc)	0.01
275-अन्य संचार सेवाएं	3275-Other Communication Services		0.01	(घd)	0.01
ोइ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.04		0.04
ंजी भाग	CAPITAL SECTION				
ज्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
275-अन्य संचार सेवाओं पर	5275-Capital Outlay on Other Communication		36950.00	(ਝe)	36950.00
जीगत परिव्यय	Services				
359-दूरसंचार और	6859-Loans for Telecommunication and		1593.32	(चf)	1593.32
लेक्ट्राॅनिक उद्योगों के लिए	Electronic Industries				
ण					
ोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)		38543.32		38543.32
ोइ (पूरक)	Total (Supplementary)		38543.36		38543.36
		ों में नीचे दर्शाई गयी वस्	लियों को शामिल नहीं	किया गया	है जिन्हें व्यय
	में से घटाकर समायोजित किया जाता है !	. ,			
	Note: The above estimates of additional requiremen	ts do not take into ac	count the recoveri	es shown I	pelow, which
	are adjusted in reduction of expenditure.				- ,
ंजी भाग	CAPITAL SECTION				
जी भाग जी भाग	CAPITAL SECTION				
<i>ुग जान</i> 359-दूरसंचार और	6859-Loans for Telecommunication and		(-)1593.32		(-)1593.32
२०७-५१ तार आर नेक्ट्राॅनिक उद्योगों के लिए	Electronic Industries		()1000.02		()1000.02

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grants are required for:

(क) ₹ 35.71 करोड़ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) भूमि और भवन के लिए किराया, दरें और कर (₹ 27.01 करोड़), मरम्मत एवं रखरखाव (₹ 0.32

(a) meeting additional expenditure of ₹ 35.71 crore towards

(i) Rents, Rates and Taxes for Land and Buildings

(b)

(c)

(d)

करोड़) निदेशालय के अंतर्गत,(ii) पुरस्कार (₹ 0.01 करोड़) कैंटीन कर्मचारी को वेतन और भता के अंतर्गत,(iii) पुरस्कार (₹ 0.01 करोड़), भूमि और भवन के लिए किराया, दरें और कर (₹ 8.04 करोड़) प्रशासक, सार्वभौमिक सेवा कोष के अंतर्गत,(iv) भूमि और भवन के लिए किराया, दरें और कर (₹ 0.20 करोड़) पॉलिसी रिसर्च इनोवेशन ट्रेनिंग के लिए राष्ट्रीय दूरसंचार संस्थान के अंतर्गत,(v) अन्य हेतु किराया (₹ 0.12 करोड़) महानिदेशक (दूरसंचार) के अंतर्गत

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पुरक मांगा जाता है।

'एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के तहत परिभाषित योगदान पेंशन के लिए सरकारी योगदान' के संबंध में पेंशन शुल्क (0.29 करोड़ रुपये) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

टेलीमैटिक्स (सी-डीओटी) के विकास के लिए केंद्र के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए सहायता अनुदान-सामान्य (₹ 18.72 करोड़)

(ख)

(ग)

(ঘ)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

₹ 890.79 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) व्यवसायिक सेवाएं (₹ 0.12 करोड़) आरंभिक एवं सेवाकालीन पाठयक्रम, एनआईसीएफ के अंतर्गत,(ii) भूमि और भवन के लिए किराया, दरें और कर (₹ 1.20 करोड़) वायरलेस निगरानी सेवाएं के अंतर्गत,(iii) सैटकॉम निगरानी सुविधा (एसएमएफ) परियोजना की परिचालन लागत के अंतर्गतअन्य राजस्व व्यय (₹ 5.28 करोड़),(iv) अन्य राजस्व व्यय (₹ 12.95 करोड़) इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए चंपियन सर्विस सेक्टर स्कीम का प्रावधान और टेलीकॉम सेक्टर के फ्यूचर टेक्नोलॉजी को इंक्यूबेशन के अंतर्गत,(v) सहायता अनुदान-सामान्य (₹ 41.98 करोड़), सहायता अनुदान समान्य-वेतन (₹ 102.89 करोड़) टेलीमैटिक्स के विकास के लिए केंद्र के अंतर्गत,(vi) अन्य राजस्व व्यय (₹ 616.89 करोड़) बीएसएनएल वृद्धिशील पेंशन के अंतर्गत,(vii) अन्य राजस्व व्यय (₹ 58.71 करोड़) एमटीएनएल वृद्धिशील पेंशन के अंतर्गत,(viii) सहायता अनुदान-सामान्य (₹ 15.54 करोड़) टेलीमैटिक्स (सी-डीओटी) के विकास के लिए केंद्र के एससी घटक काअंतर्गत,(ix) आर्थिक सहायता (₹ 17.00 करोड़) सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि के एसटी घटक के अंतर्गत,(x) सहायता अनुदान-सामान्य (₹ 8.05 करोड़) टेलीमैटिक्स के विकास के लिए केंद्र के एसटी घटक केअंतर्गत,(xi) अंशदान (₹ 4.00 करोड़) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, जिनेवा संघ के अंतर्गत,(xii) अंशदान (₹ 1.05 करोड़) एशिया प्रशांत दूरसंचार संघ बैंकाक के अंतर्गत,(xiii) अंशदान (₹ 0.13 करोड़) कॉमन वेल्थ दूरसंचार संगठन लंदन के अंतर्गत,(xiv) अंतर खाता अंतरण (₹ 5.00 करोड़) भारतीय सामान्य निधि के दूरसंचार नियामक प्राधिकरण को अंतरण के अंतर्गत

चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचत उपलब्ध है,सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है.

उपरोक्त अनुमानों में एक नई सेवा पर व्यय शामिल है। सैटकॉम निगरानी सुविधा की संचालन लागत के संबंध में 'अन्य पूंजीगत व्यय' के लिए प्रमुख शीर्ष '3275-अन्य संचार सेवाओं' में भारत की आकस्मिक निधि से 2.77 करोड़ रुपये की राशि अग्रिम की गई है और उस निधि में किए गए पुनर्भुगतान को सक्षम करने के लिए समतुल्य राशि की आवश्यकता है.

उपरोक्त के लिए, अनुदान के उसी भाग (सांकेतिक पूरक) के भीतर पुनर्विनियोजन द्वारा 2.77 करोड़ रुपये की राशि पाई जा सकती है। (₹ 27.01 crore), Repair and Maintenance (₹ 0.32 crore) under the Directorate, (ii) Rewards (₹ 0.01 crore) under the Pay and Allowances to Canteen Employees, (iii) Rewards (₹ 0.01 crore), Rents, Rates and Taxes for Land and Buildings (₹ 8.04 crore) under the Administrator Universal Service Fund, (iv) Rents, Rates and Taxes for Land and Buildings (₹ 0.20 crore) under the National Telecommunication Institute for Policy Research, Innovation and Training(NTIPRIT) and (v) Rent for others (₹ 0.12 crore) under the Director General (Telecom).

As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure towards Pensionary Charges (₹0.29 crore) in respect of 'Government Contribution for Defined Contribution Pension under Unified Pension Scheme (UPS)'.

As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure towards Grants-In-Aid General (₹ 18.72 crore) under the Centre for Development of Telematics (C-DoT).

As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure of ₹ 890.79 crore towards (i) Professional Services (₹ 0.12 crore) under the Induction and In-Service Course of NICF, (ii) Rents, Rates and Taxes for Land and Buildings (₹ 1.20 crore) under the Wireless Monitoring Services, (iii) Other Revenue Expenditure (₹ 5.28 crore) under the Operational Cost of Satcom Monitoring Facility (SMF) Project, (iv) Other Revenue Expenditure (₹ 12.95 crore) under the provision for Champion Service Sector Scheme for Promotion of Innovation and Incubation of Future Technology of Telecom Sector, (v) Grants-in-Aid General (₹ 41.98 crore) and Grants-in-Aid Salaries (₹ 102.89 crore) under the Centre for Development of Telematics, (vi) Other Revenue Expenditure (₹ 616.89 crore) under the BSNL Incremental Pension, (vii) Other Revenue Expenditure (₹ 58.71 crore) under the MTNL Incremental Pension, (viii) Grants-in-aid General (₹ 15.54 crore) under the SC component of Centre for Development of Telematics (C-DoT), (ix) Subsidies (₹ 17 crore) under the ST component of USOF, (x) Grants-in-aid General (₹ 8.05 crore) under the ST component of Centre for Development of Telematics (C-DoT), (xi) Contributions (₹ 4 crore) under the International Telecommunication Union. Geneva. (xii) Contributions (₹ 1.05 crore) under the Asia Pacific Telecommunity Union, Bangkok, (xiii) Contributions (₹ 0.13 crore) under the Common Wealth Telecommunication Organisation, London and (xiv) Transfer to Telecom Regulatory Authority of India General Fund(₹ 5 crore).

As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

The above estimates include expenditure on a New service. A sum of ₹ 2.77 crore has been advanced from Contingency Fund of India in Major Head '3275 - Other Communication Services' for 'Other Capital expenditure' in respect of operation cost of SATCOM Monitoring Facility and an equivalent amount is required to enable repayment to made to that fund.

For the above, the amount of ₹ 2.77 crore can be found by reappropriation within same section of the Grant (Token Supplementary).

(ङ)

₹ 37,014.94 करोड़ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) फर्निचर व फिक्सचर (₹ 2.30 करोड़) निदेशालय के अंतर्गत,(ii) मशीनरी और उपस्कर (₹ 0.59 करोड़) दूरसंचार प्रवर्तन निगरानी परकोष्ठ के अंतर्गत,(iii)बुनियादी ढांचागत संपति (₹ 0.52 करोड़) संचार लेखा कार्यालयों के नियंत्रक के अंतर्गत,(iv) मशीनरी और उपस्कर (₹ 0.82 करोड़) केंद्रीय निगरानी प्रणाली - संचालन और रखरखाव के अंतर्गत,(v) मशीनरी और उपस्कर (₹ 0.39 करोड़) पॉलिसी रिसर्च इनोवेशन ट्रेनिंग के लिए राष्ट्रीय दूरसंचार संस्थान के अंतर्गत,(vi) मशीनरी और उपस्कर (₹ 0.10 करोड़) संचार लेखा महानियन्त्रक के अंतर्गत,(vii) मशीनरी और उपस्कर (₹ 0.01 करोड़) संचार वित्त के राष्ट्रीय संस्थान के अंतर्गत,(viii) अन्य पूंजीगत व्यय (₹ 5.02 करोड़) एकीकृत पोर्टल के अंतर्गत,(ix) अन्य पूंजीगत व्यय (₹ 10.78 करोड़) कमांड और कंट्रोल आईपी (सी2सी आईपी) ब्लॉकिंग पोर्टल के अंतर्गत,(x) अन्य पूंजीगत व्यय (₹ 25.51 करोड़) डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट चरण-॥ के अंतर्गत,(xi) अंतर खाता अंतरण भवन और संरचनाएं (₹ 8.00 करोड़) ट्राई बिल्डिंग के अंतर्गत (xii) आईपी एड्रेसिंग और रूटिंग रजिस्ट्री (आईपीएआरआर) के तहत अन्य पूंजीगत व्यय (₹ 10.90 करोड़) (xiii) वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (वीआईएल) के संबंध में बकाया स्पेक्ट्रम नीलामी बकाया को इक्विटी में बदलने के तहत निवेश (36,950 करोड़ रुपये)।

वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (वीआईएल) के संबंध में बकाया स्पेक्ट्रम नीलामी बकाया को इक्विटी में बदलने के कारण अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध 64.94 करोड़ रुपये की बचत और 36,950 करोड़ रुपये की मैचिंग गैर-कर प्राप्तियों (एनटीआर) को ध्यान में रखते हु ए उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद खर्च नहीं होगा।

(च)

अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए ऋण और अग्रिम सरकारी गारंटी लागू (f) करने पर एमटीएनएल को ऋण के अंतर्गत आकस्मिकता निधि से 1593.321 करोड़ रुपये की राशि वसूल की जाएगी। समनुल्य वसूली को ध्यान में रखते हु ए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद खर्च नहीं होगा। उपरोक्त अनुमानों में एमटीएनएल के संबंध में सरकारी गारंटी के आह्वान के लिए प्रमुख शीर्ष '6859-दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के लिए ऋण' में भारत की आकस्मिक निधि से अग्रिम ₹1,593.321 करोड़ की राशि शामिल है और उस निधि में पुनर्भुगतान को सक्षम करने के लिए समान राशि की आवश्यकता है।

उपरोक्त के लिए, ₹ 1593.321 करोड़ की राशि का मिलान वसूली (तकनीकी पूरक) द्वारा किया जा सकता है।

meeting additional expenditure of ₹ 37,014.94 crore towards (i) Furniture & Fixtures (₹ 2.30 crore) under the Directorate, (ii) Machinery and Equipment (₹ 0.59 crore) under the Vigilance Telecom Monitoring Cells, (iii) Infrastructural Assets (₹ 0.52 crore) under the Controller of Communication Accounts Offices, (iv) Machinery and Equipment (₹ 0.82 crore) under the Central Monitoring System - Operation and Maintenance, (v) Machinery and Equipment (₹ 0.39 crore) under the National Telecommunication Institute for Policy Research, Innovation and Training (NTIPRIT), (vi) Machinery and Equipment (₹ 0.10 crore) under the Controller General of Communication Accounts.

(vii) Machinery and Equipment (₹ 0.01 crore) under the National Institute of Communication Finance, (viii) Other Capital Expenditure (₹ 5.02 crore) under the Unified Portal, (ix) Other Capital Expenditure (₹ 10.78 crore) under the Command and Control IP (C2C IP) Blocking Portal, (x) Other Capital Expenditure (₹ 25.51 crore) under the Digital Intelligence Unit Phase-II, (xi) Buildings and Structures (₹ 8 crore) under the TRAI Building, (xii) other Capital Expenditure (₹ 10.90 crore) under the IP Addressing and Routing Registry (IPARR) and (xiii) Investment (₹ 36,950 crore) under the Conversion of outstanding spectrum auction dues into equity in respect of Vodafone Idea Limited (VIL).

Taking into account the savings of \$ 64.94 crore available in same section of Grant and the matching Non-Tax Receipts (NTR) of \$ 36,950 crore, on account of conversion of outstanding spectrum auction dues into equity in respect of Vodafone Idea Limited. (VIL), the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

For loans and Advances of ₹ 1,593.321 crore taken to extend loan to MTNL on invocation of Government Guarantee. This will be met from Guarantee Redemption Fund.

Taking into account the equivalent recoveries, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

The above estimates include a sum of ₹ 1,593.321 crore advanced from Contingency Fund of India in Major Head '6859 - Loans for Telecommunication and Electronic Industries' towards invocation of Government Guarantee in respect of MTNL and an equal amount is required to enable repayment to be made to that fund.

For the above, the amount of ₹ 1593.321 crore can be matched by recoveries (Technical supplementary).

मांग संख्या DEMAND NO 15 खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 16 देखिये) (See page 16 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026)

(₹ करोड़) (In ₹ crores) भारित स्वीकृत जॊड Charged Voted Total ।. मूल अनुदान: I. ORIGINAL GRANT: राजस्व Revenue 211386.14 211386.14 पूंजी Capital 50020.23 50020.23 जोड 261406.37 261406.37 Total इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: 0.01 0.01 राजस्व Revenue Capital 5 36 पूंजी 5.36 जोड़ 5.37 Total 5.37 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 261411.74 261411.74 राजस्व 211386.15 Revenue 211386.15 पूंजी Capital 50025.59 50025.59 II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head(s) भारित स्वीकृत जॉड Charged Voted Total REVENUE SECTION राजस्व भाग मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2408-खाद्य भंडारण और माल गोदाम 2408-Food Storage and Warehousing 0.01 (**क**a) 0.01 पूंजी भाग CAPITAL SECTION मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 4408-खाद्य भंडारण और भंडारागार पर 4408-Capital Outlay on Food Storage and (खb) 5.36 पूंजीगत परिव्यय Warehousing जोड़ (पूरक) Total (Supplementary) 5.37 5.37

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) चीनी के बफर स्टॉक के निर्माण और रखरखाव योजना के तहत (₹0.68 करोड़) सब्सिडी (ii) प्रतिष्ठान के तहत अन्य लोगों के लिए किराया (0.01 करोड़ रुपये) और डिजिटल उपकरण (0.01 करोड़ रुपये)।
 - अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक परक मांगा जाता है।
- (ख) (i) राष्ट्रीय चीनी संस्थान के तहत भवन और संरचनाएं (₹1.58 करोइ)
 (ii) भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान
 (आईजीएमआरआई) के लिए फर्नीचर और फिक्स्चर (₹1.35 करोइ)
 (iii) स्थापना के तहत गुणवता नियंत्रण प्रकोष्ठ (क्यूसीसी) प्रयोगशालाओं के लिए मशीनरी और उपकरण (₹2.30 करोइ) और फर्नीचर और फिक्स्चर (₹0.13 करोइ) (iv) सूचना, कंप्यूटर दूरसंचार (आईसीटी) उपकरणों के लिए आईजीएमआरआई (₹0.01 करोइ), केंद्रीय अनाज विश्लेषण प्रयोगशाला (सीजीएएल) (₹0.01 करोइ) और क्यूसीसी प्रयोगशालाओं (₹0.01 करोइ) की स्थापना के तहत।

अनुदान के उसी भाग के भीतर उपलब्ध बचत और अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद खर्च नहीं होगा। The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) Subsidies (₹0.68 crore) under the Scheme Creation and Maintenance of Buffer Stock of Sugar (ii) Rent for Others (₹0.01 crore) and Digital Equipment (₹0.01 crore) under Establishment. As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.
 - (i) Buildings And Structures (₹1.58 Crore) under the National Sugar Institute (ii) Furniture & Fixtures (₹1.35 Crore) for Scaling up of Indian Grain Storage Management & Research Institute (IGMRI) (iii) Machinery And Equipment (₹2.30 Crore) and Furniture & Fixtures (₹0.13 Crore) for the Scaling up of Quality Control Cell (QCC) Laboratories under Establishment (iv) Information, Computer Telecommunications (ICT) Equipment for the Scaling up of IGMRI (₹ 0.01 Crore), Central Grain Analysis Laboratory (CGAL)(₹ 0.01 Crore) and QCC laboratories (₹0.01 Crore) under Establishment.

Taking into account savings available within the same section of grant and the savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 16 सहकारिता मंत्रालय MINISTRY OF COOPERATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 17 देखिये) (See page 17 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026)

(₹ करोंड) (In ₹ crores)

				(₹ करोड़) (In ₹ crore:		
		भारित	स्वीकृत		जोड़		
		Charged	Voted		Total		
।. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:						
राजस्व	Revenue		1184.68		1184.68		
पूंजी	Capital		1.61		1.61		
जोइ	Total		1186.29		1186.29		
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now						
	required:						
राजस्व	Revenue		0.01		0.01		
पूंजी	Capital		0.53		0.53		
जोड़	Total	•••	0.54		0.54		
जोइ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	1186.83		1186.83		
राजस्व	Revenue		1184.69		1184.69		
पूंजी	Capital		2.14		2.14		
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के 3	अंतर्गत दिखाया जारे	ोगा:				
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head(s)						
		भारित	स्वीकृत		जोड़		
		Charged	Voted		Total		
राजस्व भाग	REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD						
2425-सहकारिता	2425-Co-operation		0.01	(कa)	0.01		
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD						
- 5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर	5475-Capital Outlay on Other General Economic		0.53	(खb)	0.53		
पूंजीगत परिव्यय	Services						
जोइ (पूरक)	Total (Supplementary)		0.54		0.54		

(b)

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (i) राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद के तहत सामान्य सहायता अनुदान (5.27 करोड़ रुपये), (ii) त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के तहत पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान (200.00 करोड़ रुपये)।

चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचत उपलब्ध है, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

उपरोक्त अनुमानों में एक नई सेवा पर व्यय शामिल है. त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के तहत पूंजीगत संपत्ति (200 करोड़ रुपये) के निर्माण के लिए अनुदान के लिए प्रमुख शीर्ष 2425 में भारत की आकस्मिक निधि से 200 करोड़ रुपये की राशि अग्रिम की गई है और उस निधि में पुनर्भुगतान को सक्षम करने के लिए समतुल्य राशि की आवश्यकता है.

उपरोक्त के लिए, अनुदान के उसी भाग (सांकेतिक पूरक) के तहत पुनर्विनियोजन द्वारा 200 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त की जा सकती है।

(ख) (i)सचिवालय के तहत सूचना, कंप्यूटर दूरसंचार उपकरण (0.23 करोड़ रुपये), फर्नीचर और फिक्स्चर (0.10 करोड़ रुपये), (ii) सहकारी चुनाव प्राधिकरण के तहत आईसीटी उपकरण (0.10 करोड़ रुपये), (iii) सहकारी लोकपाल के तहत आईसीटी उपकरण (0.10 करोड़ रुपये) हेतु व्यय को पूरा करना।

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध समतुल्य बचत को ध्यान में रखते हु ए. उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा। The supplementary Grants are required for:

 (i) Grants-In-Aid General (₹5.27 Crore) under the National Council for Co-operative Training, (ii)Grants for Creation of Capital Assets (₹200.00 Crore) under Tribhuvan Sahkari University.

As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

The above estimates include expenditure on a New Service. A sum of ₹200 crore has been advanced from Contingency Fund of India in Major Head 2425 for Grants for Creation of Capital Assets(₹200 Crore) under Tribhuvan Sahkari University and an equivalent amount is required to enable repayment to be made to that Fund.

For the above, the amount of $\ref{200}$ crore can be found by reappropriation within same section of the Grant (Token Supplementary).

meeting expenditure towards (i)Information, Computer Telecommunications (ICT) Equipment (₹0.23 crore), Furniture & Fixture (₹0.10 crore) under Secretariat (ii) ICT Equipment under O/o Cooperative Election Authority (₹0.10 crore), (iii) ICT Equipment under O/o Cooperative Ombudsman (₹0.10 crore). Taking into account the equivalent savings available in the Revenue section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 17 कारपोरेट कार्य मंत्रालय MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 18 देखिये)

(See page 18 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026)

(₹ करोड़) (In ₹ crores) भारित जॊड स्वीकृत Charged Voted Total ।. मूल अनुदान: I. ORIGINAL GRANT: राजस्व Revenue 11469.86 11469.86 पूंजी Capital 116.33 116.33 जोड Total 11586.19 11586.19 इस समय आवश्यक रकम का Supplementary Estimate of the amount now required: पूरक अनुमान: राजस्व Revenue 25.00 25.00 Capital पूंजी जोड़ Total 25.00 25.00 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 11611.19 11611.19 राजस्व Revenue 11494.86 11494.86 पूंजी Capital 116.33 116.33 II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head: भारित स्वीकृत जॉड़ Charged Voted Total REVENUE SECTION राजस्व भाग MAJOR HEAD मुख्य शीर्ष 3451-सचिवालय- आर्थिक 3451-Secretariat-Economic Services 25.00 25.00 सेवाएं टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है! Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure. राजस्व भाग REVENUE SECTION 3451-सचिवालय- आर्थिक 3451-Secretariat-Economic Services (-)25.00 (-)25.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

सेवाएं

निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि के अंतर्गत 'अन्य राजस्व व्यय' (₹ 25.00 करोड़)के अतिरिक्त व्यय को 'अंतर खाता अंतरण' और 'कटौती वसूली' के माध्यम से पूरा करना।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध मिलान वसूली को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा। The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure towards Other Revenue Expenditure ($\ref{eq:25.00}$ crore) under Investor Education and Protection fund.

Taking into account the matching recoveries available in the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 18 संस्कृति मंत्रालय MINISTRY OF CULTURE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 19 देखिये) (See page 19 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

				(₹ करौड़) (In ₹ crore	es)
		भारित	स्वीकृत		ऒड़	
		Charged	Voted		Total	
।. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व	Revenue	•••	3168.51		3168.51	
पूंजी	Capital	•••	192.45		192.45	
जोड़	Total		3360.96		3360.96	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now					
	required:					
राजस्व	Revenue		5.09		5.09	
पूंजी	Capital		0.01		0.01	
जोइ	Total		5.10		5.10	
जोइ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		3366.06		3366.06	
राजस्व	Revenue	•••	3173.60		3173.60	
पूंजी	Capital		192.46		192.46	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के	5 अंतर्गत दिखाया जारं	ोगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for	under the followin	g Major Head	(s)		
		भारित	स्वीकृत		ऒड़	
		Charged	Voted		Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
2205-कला और संस्कृति	2205-Art and Culture		3.34	(क a)	3.34	
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	•••	1.75	(खb)	1.75	
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	•••	5.09		5.09	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर	4202-Capital Outlay on Education, Sports, Art		0.01	(गc)	0.01	
पूंजीगत परिव्यय	and Culture					
जोइ (पूरक)	Total (Supplementary)		5.10		5.10	

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क)

अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) कार्यालय व्यय (११ करोड़), विजापन और प्रचार (१२०.00 करोड़), पेशेवर सेवाएं (१२.75 करोड़), सामान्य सहायता अनुदान (१२४.00 करोड़), शताब्दी और वर्षगांठ योजना के तहत पूंजीगत संपित के निर्माण के लिए अनुदान (१७.50 करोड़), (ii) सामान्य सहायता अनुदान (११ करोड़), शताब्दी और वर्षगांठ योजना के तहत पूंजीगत संपित के निर्माण के लिए अनुदान (१०.50 करोड़), (iii) सामान्य सहायताअनुदान (११.00 करोड़), शताब्दी और वर्षगांठ योजना के तहत पूंजीगत संपित के निर्माण के लिए अनुदान (१०.50 करोड़) (iv) संग्रहालय योजना के विकास के निर्माण के लिए अनुदान(१०.50 करोड़) (iv) संग्रहालय योजना के विकास के तहत व्यावसायिक सेवाएं (१ 15.00 करोड़) (v) राष्ट्रीय संग्रहालय के लिए पेशेवर सेवाएं (१५ करोड़) (vi) राष्ट्रीयआधुनिक कला दीर्घा के लिए विजापन और प्रचार (१२ करोड़)।

अनुदान के उसी भाग के भीतर उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए, उपरोक्त व्यय में 3.34 करोड़ रुपये का शुद्ध नकद व्यय शामिल है.

उपरोक्त अनुमानों में बिंदु (i) से (iii) पर उल्लिखित शीर्षों के लिए प्रमुख शीर्ष 2205 में भारत की आकस्मिक निधि से अग्रिम ₹ 58.25 करोड़ की राशि The supplementary Grants are required for:

meeting additional expenditure towards (i) Office Expenses (₹ 1.00 Crore), Advertising And Publicity (₹ 20.00 Crore), Professional Services (₹ 2.75 Crore), Grants-In-Aid General (₹ 24.00 Crore), Grants For Creation Of Capital Assets (₹ 7.50 Crore) under the Centenaries And Anniversaries Scheme (ii) Grants-In-Aid General (₹ 1.00 Crore), Grants For Creation of Capital Assets (₹ 0.50 Crore) under the Centenaries And Anniversaries Scheme (iii) Grants-In-Aid General (₹ 1.00 Crore), Grants For Creation Of Capital Assets (₹ 0.50 Crore) under the Centenaries And Anniversaries Scheme (iv) Professional Services (₹ 15.00 Crore) under Development of Museum scheme (v) Professional Services (₹ 5.00 Crore) for National Museum (vi) Advertising and Publicity (₹ 2.00 Crore) for National Gallery of Modern Arts.

Taking into account the savings available within the same section of the Grant, the above expenditure entail a net cash outgo of $\stackrel{?}{_{\sim}}$ 3.34 crore.

The above estimates includes a sum of ₹ 58.25 crore advanced from Contingency Fund of India in Major Head 2205 for heads

(b)

(c)

शामिल है और उस निधि में पुनर्भुगतान को सक्षम करने के लिए एक समतुल्य राशि की आवश्यकता है.

उपरोक्त के लिए, ₹ 54.91 करोड़ की राशि अनुदान (सांकेतिक) के उसी भाग के भीतर पुनर्विनियोजन द्वारा प्राप्त की जा सकती है और ₹ 3.34 करोड़ की शेष राशि को नकद पूरक से पूरा किया जा सकता है।

(ख) निम्नलिखित हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) सहायता अनुदान-सामान्य (₹ 1.00 करोड़) शताब्दी और वार्षिकी योजना के अंतर्गत भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम राशि (₹ 0.75 करोड़) की वसूली हेतु

> उपर्युक्त व्यय में ₹1.75 करोड़ का नकद व्यय शामिल होगा. उपरोक्त अनुमान में उपर्युक्त वस्तु शीर्षों के लिए प्रमुख शीर्ष 2552 में भारत की आकस्मिकता निधि से अग्रिम ₹1.75 करोड़ की राशि शामिल है और उस निधि में पूनर्भुगतान को सक्षम करने के लिए समत्ल्य राशि की आवश्यकता है.

> उपरोक्त के लिए, ₹1.75 करोड़ की राशि नकद पूरक से पूरी की जा सकती है।

(ग) (i) विरासत परिसंपतियों के उन्नयन/खरीद और भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के लिए एन. ई. सी. (5 करोड़ रुपये) अभिलेखीय बाइंडिंग प्रोजेक्ट के साथ उनके संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए (ii) राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा के तहत फर्नीचर और फिक्स्चर (0.21 करोड़ रुपये) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचत उपलब्ध है इसलिए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। mentioned at point (i) to (iii) and an equivalent amount is required to enable repayment to be made to that Fund.

For the above, the amount of $\stackrel{<}{\sim}54.91$ crore can be found by reappropriation within same section of the Grant (Token Supplementary) and balance amount of $\stackrel{<}{\sim}3.34$ crore can be met from cash supplementary.

meeting additional expenditure towards (i) Grants-In-Aid General (₹ 1.00 Crore) and Grants For Creation Of Capital Assets (₹ 0.75 Crore) under the Centenaries And Anniversaries Scheme

The above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 1.75 crore. The above estimate includes sum of ₹1.75 crore advanced from Contingency Fund of India in Major Head 2552 for the above mentioned object heads and an equivalent amount is required to enable repayment to be made to that fund.

For the above, the amount of ₹1.75 crore can be met from the cash supplementary.

meeting additional expenditure towards (i) Upgradation / Procurement Of Heritage Assets And N.E.C for National Archives of India (₹ 5 crore) for their conservation and restoration with archival binding project. (ii) Furniture & Fixtures (₹ 0.21 crore) under National Gallery of Modern Art

As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 19 रक्षा मंत्रालय (सिविल) MINISTRY OF DEFENCE (CIVIL)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 20 देखिये) (See page 20 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026)

				(₹ करोड़	₹) (In ₹ cro		
		भारित	स्वीकृत		जॊड़		
		Charged	Voted		Total		
।. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:						
गजस्व	Revenue	0.81	46994.54		46995.35		
र् र्जी	Capital	50.00	12453.12		12503.12		
जोड़	Total	50.81	59447.66		59498.47		
स समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now						
	required:						
गजस्व	Revenue	•••	0.01		0.01		
र् र्जी	Capital	•••	10.00		10.00		
जोड़	Total		10.01		10.01		
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	50.81	59457.67		59508.48		
।जस्व	Revenue	0.81	46994.55		46995.36		
ट्रंजी	Capital	50.00	12463.12		12513.12		
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:						
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head(s)						
		भारित	स्वीकृत		ऒड़		
		Charged	Voted		Total		
राजस्व भाग	REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD						
3054-सड़क और पुल	3054-Roads and Bridges	•••	0.01	(कa)	0.01		
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD						
- 5054-सड़क और पुलों के लिए पूंजीगत	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges		10.00	(खb)	10.00		
ारिव्यय							
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		10.01		10.01		

(a)

(b)

(क)	"राष्ट्रीय राजमार्ग के अलावा" के तहत "राष्ट्रीय राजमार्ग" की मरम्मत और रखरखाव (74 करोड़ रुपये) और सड़क कार्यों के तहत सामान्य-सहायता अनुदान (15 करोड़ रुपये) के तहत मरम्मत और रखरखाव (30 करोड़ रुपये) की दिशा में 119 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।
(ख)	अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। मोटर वाहनों (₹50 करोड़) और मशीनरी एवं उपकरण (₹150 करोड़) के लिए ₹200 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध ₹190 करोड़ की बचत और अनुदान के पूंजी प्रभारित भाग में उपलब्ध ₹10 करोड़ की बचत को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grants are required for:

meeting additional expenditure of ₹ 119 crore towards Repair and Maintenance (₹ 30 crore) under "National Highway" Repair and Maintenance (₹ 74 crore) under "other than National Highway" and Grants -in-aid General (₹ 15 crore) under Road Works.

As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure of ₹ 200 crore towards Motor Vehicles (₹ 50 crore) and Machinery & Equipment (₹ 150 crore). Taking into account savings of ₹ 190 crore available in the same section of the Grant and the savings of ₹ 10 crore available in Capital Charged Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 20 रक्षा सेवा (राजस्व) DEFENCE SERVICES (REVENUE)

					(₹ करॉड़	₹) (In ₹ ci
		भारित		स्वीकृत		जॉड़
		Charged		Voted		Total
मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
ज स् व	Revenue	115.82		318768.86		318884.68
जी	Capital					
इ	Total	115.82		318768.86		318884.68
ा समय आवश्यक रकम का पूरक	Supplementary Estimate of the amount now					
नुमान:	required:					
जस्व	Revenue	65.28		0.01		65.29
जी	Capital					
इ	Total	65.28		0.01		65.29
इ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	181.10		318768.87		318949.97
जस्व	Revenue	181.10		318768.87		318949.97
जी	Capital					
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के	अंतर्गत दिखाया उ	नायेगाः			
	II. This Supplementary Grants/Appropriations will be	accounted for	under the	following Ma	jor Heads	:
		भारित		स्वीकृत		ऒड़
		Charged		Voted		Total
जस्व भाग	REVENUE SECTION					
ज्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
१७७-रक्षा सेवाएं-नौ सेना	2077-Defence Services - Navy			0.01	(क a)	0.01
179-रक्षा सेवाएं - समन्वय और	2079-Defence Services- Coordination & Services	64.00	(खb)			64.00
वाएं (आयुध निदेशालय)	(Directorate of Ordnance)					
१८०-रक्षा सेवाएं- अनुसंधान और	2080-Defence Services - Research and	1.28	(गc)			1.28
	Development					
कास						

विकास	Development				
जोड़ (राजस्व भ	ाग) Total (Revenue Section)		65.28	0.01	65.29
यह पूरक अनुद	ाने/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:	The suppler	mentary Grants/Appropri	ations are required	for:
(क)	मरम्मत और दुरुस्तीकरण के लिए (₹ 140.13 करोड़), निर्माण कार्य	(a)	meeting additional exp	enditure of ₹227.89	crore under Repair &
	(₹ 21.35 करोड़), रंगरूटों के वेतन और भत्ते आदि के लिए (₹ 66.41 करोड़)		Refits (₹140.13 cro	re), Works (₹21.3	5 crore), Pay and
	के ₹227.89 करोड़ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए		Allowances etc. for red	cruits (₹66.41 crore)	
	चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचत उपलब्ध है, इसलिए एक सांकेतिक		As savings are avail-	able in the same	section of the grant,
	पूरक की मांग की जाती है।		a token supplementary	y is sought.	
(ख)	आयुध निदेशालय (सी एंड एस) के लिए ₹64 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को	(b)	meeting additional ex	penditure of ₹64 cr	ore for Directorate of
	पूरा करना		Ordnance (C&S).		
	अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए, ₹ 41.10		Taking into account sa	vings available in th	e Voted Section of the
	करोड़ के तकनीकी पूरक और ₹ 22.90 करोड़ के नकद पूरक की मांग की जा		Grant, a technical su	ipplementary of ₹4	1.10 crore and cash
	रही है. इससे ₹ 22.90 करोड़ के लिए निवल नकद व्यय होगा।		supplementary of ₹22.	90 crore is being so	ught. This will entail a
			net cash outgo for ₹22	2.90 crore.	
(ग)	अनु संधान और विकास (आर एंड डी) के लिए ₹1 .28 करोड़ के अतिरिक्त व्यय	(c)	meeting additional exp	enditure of ₹1.28 cr	ore towards Research
	को पूरा करना		and Development (R&	D).	
	उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा।		The above expenditure	e will entail a cash o	outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 21 रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय CAPITAL OUTLAY ON DEFENCE SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 23 देखिये) (See page 23 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026)

(₹ करोड़) (In ₹ crores) भारित स्वीकृत जॉड़ Voted Total Charged I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: राजस्व Revenue पूंजी Capital 103.70 179896.30 180000.00 जोड 180000.00 Total 103.70 179896.30 इस समय आवश्यक रकम का पूरक Supplementary Estimate of the amount now अनुमान: required: राजस्व Revenue Capital 474 19 4103 03 4577 22 पूंजी जोड़ 474.19 4103.03 4577.22 Total जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 577.89 183999.33 184577.22 राजस्व Revenue पूंजी 577.89 183999.33 184577.22 II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads: भारित स्वीकृत जॉड Charged Voted Total CAPITAL SECTION पूंजी भाग मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 4076-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत 4076-Capital Outlay on Defence Services 474.19 (**क**a) 4103.03 (खb) 4577.22

यह पूरक अनुदाने/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

परिव्यय

(क) निर्माण कार्यों (४२० करोड़ रुपये) और नौसेना बेड़े (६२.३३ करोड़ रुपये) के तहत ₹४८२.३३ करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना इस अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध ₹८.14 करोड़ की बचत और अनुदान संख्या ३०-आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) के पूंजीगत भाग के तहत उपलब्ध ₹४७४.19 करोड़ की बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

(ख) विमान और एयरो इंजन (₹16,316.53 करोड़), मशीनरी और उपकरण (₹ 685.94 करोड़), निर्माण प्रक्रिया के तहत प्रोटोटाइप विकास (₹ 398.75 करोड़) के आपातकालीन निधि प्राधिकरण (₹ 88.02 करोड़) के लिए ₹17,489.24 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

> इस अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध ₹13,386.21 करोड़ की बचत और अनुदान संख्या 30-आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) के पूंजीगत भाग के तहत उपलब्ध ₹4,103.03 करोड़ की बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

a) meeting additional expenditure of ₹482.33 crore under Works (₹420 crore) and Naval Fleet (₹62.33 crore).

Taking into account savings of ₹ 8.14 crore available in the same section of this grant and saving of ₹ 474.19 crore available under Capital Section of Grant No. 30-Department of Economic Affairs (DEA), the above expenditure will not entail any additional cash

meeting additional expenditure of ₹17,489.24 crore for Aircraft & Aeroengine (₹16,316.53 crore), Machinery & Equipment (₹685.94 crore), Prototype development under Make Procedure (₹398.75 crore) and Emergency Authorization of Fund (₹88.02 crore).

Taking into account savings of ₹ 13,386.21 crore available in the same section of this grant, and savings of ₹ 4,103.03 crore available under Capital Section of Grant No. 30- Department of Economic Affairs (DEA), the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 23 पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 25 देखिये)

(See page 25 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026)

	•	,		(₹ करॉड़)) (In ₹ crore
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	***	1882.76		1882.76
पूंजी	Capital		4032.24		4032.24
जोइ	Total		5915.00		5915.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक	Supplementary Estimate of the amount now				
अनुमान:	required:				
राजस्व	Revenue		0.01		0.01
र् र्जी	Capital		0.01		0.01
जोड़	Total		0.02		0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		5915.02		5915.02
(जस्व	Revenue		1882.77		1882.77
ट्रं जी	Capital		4032.25		4032.25
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के उ	अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted for u	under the following M	lajor Head(s)		
		भारित	स्वीकृत		ऒड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(कa)	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
नुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
- 4552-पूर्वोत्तर क्षेत्रों संबंधी पूंजीगत परिव्यय	4552-Capital Outlay on North Eastern Areas		0.01	(खb)	0.01
जोइ (पूरक)	Total (Supplementary)		0.02		0.02

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (i) मजदूरी (0.01 करोड़ रुपये), प्रशिक्षण खर्च (0.01 करोड़ रुपये), घरेलू यात्रा खर्च (0.01 करोड़ रुपये), विदेश यात्रा खर्च (0.01 करोड़ रुपये), कार्यालय व्यय (0.01 करोड़ रुपये), विज्ञापन और प्रचार (0.01 करोड़ रुपये), पेशेवर सेवाएं (0.41 करोड़ रुपये), मरम्मत और रखरखाव (0.01 करोड़ रुपये), अनुदान सहायता सामान्य (0.01 करोड़ रुपये) और अन्य राजस्व व्यय (0.01 करोड़ रुपये) 'लैंडस्केप और इकोसिस्टम प्रबंधन (तत्व) परियोजना को बढ़ाने के कार्यान्वयन के लिए; (ii) कार्यक्रम घटक के लिए विशेष विकास पैकेज के तहत नए घटकों के लिए पूंजीगत परिसंपतियों के निर्माण के लिए अनुदान और अनुसूचित जनजातियों के लिए 'असम के आदिवासी समूह' (0.01 करोड़ रुपये), 'असम के डिमासा लोग' (0.01 करोड़ रुपये), 'असम के उल्फा समूह' (0.01 करोड़ रुपये), और 'त्रिपुरा के आदिवासी' (0.01 करोड़ रुपये) के लिए विकास कार्य योजना के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए, एक सांकेतिक अनुपूरक राशि मांगी गई है।

(i) अगरतला-अखौरा रेल लिंक परियोजना को भुगतान करने के लिए उत्तर पूर्वी परिषद पूंजी की योजनाओं के तहत अवसंरचनात्मक परिसंपतियों (₹ 178.00 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना, (ii) वितीय वर्ष 2023-24 के दौरान पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड The supplementary Grants are required for:

meeting expenditure towards (i) wages (₹0.01 crore), training expenses (₹0.01 crore), domestic travel expenses (₹0.01 crore), foreign travel expenses (₹0.01 crore), office expenses (₹0.01 crore), advertising and publicity (₹0.01 crore), professional services (₹0.41 crore), repair and maintenance (₹0.01 crore), grants-in-aid general (₹0.01 crore) and other revenue expenditure (₹0.01 crore) for implementation of 'Enhancing Landscape & Ecosystem Management (ELEMENT) Project; (ii) grants for creation of capital assets for the new components under Special Development Package towards programme component and Development Action Plan for Scheduled Tribes for 'Adivasi Group of Assam' (₹0.01 crore), 'Dimasa People of Assam' (₹0.01 crore), 'Ulfa Groups of Assam' (₹0.01 crore), and 'Tribals of Tripura' (₹0.01 crore).

As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure towards (i) Infrastructural Assets (₹ 178 crore) under the Schemes of North East Council for Agartala-Akhaura rail link project; (ii) Investments(₹ 45.01 crore) for making accounting adjustment in respect of prior period

(ख)

(पीजीसीआईएल) द्वारा जारी बोनस शेयरों के संबंध में लेखांकन समायोजन करने के लिए पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के तहत निवेश (₹ 45.01 करोड़), (iii) चालू वितीय वर्ष के दौरान एनईआरएएमएसी के बकाया ऋण को इक्विटी में बदलने के लिए लेखांकन समायोजन को पूरा करने के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम के तहत निवेश (₹ 28.23 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। issue of bonus shares issued by Power Grid Corporation of India Limited during FY 2023-2024; and (iii) Investments(₹ 28.23 crore) for accounting adjustment towards conversion of outstanding loan of North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation into equity.

As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 24 पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय MINISTRY OF EARTH SCIENCES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 26 देखिये) (See page 26 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026)

(₹ करोड़) (In ₹ crores) भारित स्वीकृत जॉड़ Charged Voted Total ।. मूल अनुदान: I. ORIGINAL GRANT: राजस्व Revenue 2779.05 2779.05 पूंजी Capital 879.03 879.03 जोड 3658.08 3658.08 Total इस समय आवश्यक रकम का पूरक Supplementary Estimate of the amount now अनुमान: required: राजस्व 130.88 130.88 Revenue पूंजी Capital जोड़ 130.88 130.88 Total जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 3788.96 3788.96 राजस्व 2909.93 2909.93 Revenue पूंजी Capital 879.03 879.03 II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head(s) भारित स्वीकृत ऒड़ Charged Voted Total REVENUE SECTION राजस्व भाग मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं 3451-Secretariat-Economic Services 0.01 0.01 3403-समुद्र विज्ञान अन्संधान 130.87 3403-Oceanographic Research 130.87 (खb) जोड़ (राजस्व भाग) Total (Revenue Section) 130.88 130.88

(b)

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क)
 (i) "अन्य के लिए किराया" (₹ 0.08 करोड़ रुपये) और (ii) पेशेवर सेवाओं (₹0.01 करोड़ रुपये) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।
 अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

(ख) (i) डीप ओशन मिशन (डोम) के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 140.40 करोइ), (ii) पृथ्वी विज्ञान (पृथ्वी) के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 150.87 करोइ) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत और अनुदान के पूंजीगत भाग में उपलब्ध र 130.87 करोड़ की बचत को ध्यान में रखते हु ए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा। The supplementary Grants are required for:

(a) Meeting additional expenditure towards (i) "Rent for others"
 (₹ 0.08 Crore) and (ii) Professional Services (₹ 0.01 Crore).
 As savings are available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure towards (i) Grants-In-Aid General (₹ 140.40 Crore) under the Deep Ocean Mission (DOM), (ii) Grants-In-Aid General (₹ 150.87 Crore) under the Prithvi Vigyan (Prithvi).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant and the savings of ₹ 130.87 crore available in Capital section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 25 स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 27 देखिये) (See page 27 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026)

(₹ करोड़) (In ₹ crores) भारित स्वीकृत जॉड़ Charged Voted Total I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: राजस्व Revenue 142695.30 142695.30 पूंजी Capital 0.80 0.80 जोड 142696.10 Total 142696.10 इस समय आवश्यक रकम का पूरक Supplementary Estimate of the amount now अनुमान: required: 0.02 0.02 राजस्व Revenue पूंजी Capital जोड़ 0.02 0.02 Total जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 142696.12 142696.12 राजस्व 142695.32 142695.32 Revenue पूंजी Capital 0.80 II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head(s) भारित स्वीकृत जॉड Charged Voted Total राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2202-सामान्य शिक्षा 2202-General Education 0.01 (**क**a) 0.01 2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र 0.01 2552-North Eastern Areas 0.01 (खb) जोड़ (राजस्व भाग) Total (Revenue Section) 0.02 0.02

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (i) सामान्य सहायता अनुदान के लिए नई योजना अटल टिंकरिंग लैब (एटीएल) (₹ 183.75 करोइ), पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान (₹ 241.25 करोइ), विज्ञापन और प्रचार (₹ 5.00 करोइ) और पेशेवर सेवाएं (₹ 20.00 करोइ)। (ii) पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान हेतु नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) (₹ 152.87 करोइ) अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।

चूंकि अनुदान केउसी भाग में बचत उपलब्ध है, इसलिए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(ख) नई योजना अटल टिंकरिंग लैब (एटीएल) के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 25.00 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान (₹ 25.00 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। चूंकि अनुदान के एक ही भाग में बचत उपलब्ध है, इसलिए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। The supplementary Grants are required for:

(a) meeting additional expenditure towards: (i) New scheme Atal Tinkering Lab (ATL) for Grants-in-aid General (₹ 183.75 Crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹ 241.25 Crore), Advertising and Publicity (₹ 5.00 Crore) and Professional Services (₹ 20.00 Crore). (ii) Navodaya Vidyalaya Samiti (NVS) for Grants for Creation of Capital Assets (₹ 152.87 Crore).

As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General (₹ 25.00 Crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 25.00 Crore) under the new scheme Atal Tinkering Lab (ATL). As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 26 उच्चतर शिक्षा विभाग DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 28 देखिये) (See page 28 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026)

oo pago 20 or tho Domanao r	or Grants of Central Government for the year	0_0 _0_0,		(₹ करों	ਤ) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत		ऒड़
		Charged	Voted		Total
।. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		69064.94		69064.94
पूंजी	Capital		10.27		10.27
जोड़	Total		69075.21		69075.21
इस समय आवश्यक रकम का पूरक	Supplementary Estimate of the amount now				
अनुमान:	required:				
राजस्व	Revenue		1303.73		1303.73
पूंजी	Capital				
जोइ	Total		1303.73		1303.73
जोइ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		70378.94		70378.94
राजस्व	Revenue	•••	70368.67		70368.67
पूंजी	Capital	•••	10.27		10.27
	॥. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीषे	ीं के अंतर्गत दिखाया जायेग	T:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted	for under the following	Major Head(s)		
		भारित	स्वीकृत		जॏड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education		1303.72	(क a)	1303.72
2203-तकनीकी शिक्षा	2203-Technical Education		0.01	(खb)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		1303.73		1303.73

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित डीम्ड विश्वविद्यालय-सामान्य घटक के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 42.63 करोड़), अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएससी) घटक के तहत (₹ 2.04 करोड़), अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) घटक के तहत (₹ 0.33 करोड़), (ii) विश्व स्तरीय संस्थान-सामान्य सहायता अनुदान (₹ 65.45 करोड़), सामान्य घटक के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 170.29 करोड़), (iii) नई योजना प्रधानमंत्री एक राष्ट्र एक सदस्यता (पी एम -ओ एन ओ एस)-सामान्य-सहायता-अनुदान-(₹ 2023.25 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

> अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 1303.72 करोड़ का नकद व्यय शामिल होगा।

(ख) शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) में उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की स्थापना की नई योजना के लिए निम्नलिखित हेत् अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए-(i) सामान्य घटक के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹3.60 करोड़), अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना के तहत (डीएपीएससी) घटक (₹1.80 करोड़), अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के तहत (डीएपीएसटी) घटक (₹1.60 करोड़) (ii) अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना के तहत पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान (9.13 करोड़ रुपये), अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना के तहत (डीएपीएससी) घटक के तहत (₹0.47 करोड़),अन्सूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) घटक के तहत (₹0.40 करोड़)। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचत उपलब्ध है, इसलिए सांकेतिक पूरक की

मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

meeting additional expenditure towards: (i) Deemed Universities (a) Promoted by Central Govt. - Grants for Creation of Capital Assets (₹ 42.63 Crore) under General component, (₹ 2.04 Crore) under Development Action Plan for Scheduled Castes (DAPSC) component, (₹ 0.33 Crore) under Development Action Plan for Scheduled Tribes (DAPST) component. (ii) World Class Institutions - Grants-in-aid General (₹ 65.45 Crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹ 170.29 Crore) under General component, (iii) New Scheme Pradhan Mantri One Nation One Subscription (PM-ONOS)- Grants-in-aid General (₹ 2023.25

Taking into account the savings available within the same section of the Grant, it will entail a cash outgo of ₹ 1303.72 crore. meeting additional expenditure towards the new scheme Establishment of Centre of Excellence (COE) In Artificial Intelligence (AI) For Education- (i) Grants-in-aid General under General component (₹ 3.60 Crore), under Development Action Plan for Scheduled Castes (DAPSC) component (₹ 1.80 Crore), under Development Action Plan for Scheduled Tribes (DAPST) component (₹ 1.60 Crore) (ii) Grants for Creation of Capital Assets, under General component (₹ 9.13 Crore), under Development Action Plan for Scheduled Castes (DAPSC) component (₹ 0.47 Crore), under Development Action Plan for Scheduled Tribes (DAPST) component (₹ 0.40 Crore).

As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 27 इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 29 देखिये)

(See page 29 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026)

			(₹ करोड़) (In ₹ c		
		भारित	स्वीकृत	जৌइ	
		Charged	Voted	Total	
।. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		25583.11	25583.11	
पूंजी	Capital		443.14	443.14	
जोड़	Total		26026.25	26026.25	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue		0.01	0.01	
पूंजी	Capital				
जोइ	Total		0.01	0.01	
जोइ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		26026.26	26026.26	
राजस्व	Revenue		25583.12	25583.12	
पूंजी	Capital		443.14	443.14	
	॥. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्ग	त दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under	the following Major	or Head:		
		भारित	स्वीकृत	जॉ ड़	
		Charged	Voted	Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2852-उद्योग	2852-Industries	***	0.01	0.01	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

नेशनल नॉलेज नेटवर्क प्रोग्राम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 498.14 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पुरक की मांग की जाती है।

उपरोक्त अनुमानों में नेशनल नॉलेज नेटवर्क प्रोग्राम के तहत सामान्य सहायता अनुदान के लिए मुख्य शीर्ष 2852 में भारत की आकस्मिक निधि से अग्रिम ₹ 65.00 करोड़ की राशि शामिल है और उस निधि में पुनर्भुगतान को सक्षम करने के लिए समतुल्य राशि की आवश्यकता है।

उपरोक्त के लिए, ₹ 65.00 करोड़ की राशि अनुदान के उसी भाग (सांकेतिक पूरक) के पुनर्विनियोजन द्वारा प्राप्त की जा सकती है। The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure towards Grants-In-Aid General ($\mathbf{\xi}$ 498.14 Crore) under the National Knowledge Network Programme.

As savings are available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

The above estimates includes a sum of ₹ 65.00 crore advanced from Contingency Fund of India in Major Head 2852 for Grants-In-Aid General under the National Knowledge Network Programme and an equivalent amount is required to enable repayment to be made to that Fund.

For the above, the amount of $\stackrel{<}{_{\sim}}$ 65.00 crore can be found by reappropriation within same section of the Grant(Token Supplementary).

मांग संख्या DEMAND NO 28 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 30 देखिये) (See page 30 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026)

				(₹ करोड़) (In ₹ crore
		भारित	स्वीकृत		जोड़
		Charged	Voted		Total
।. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		3920.07		3920.07
पूंजी	Capital		136.00		136.00
जोइ	Total		4056.07		4056.07
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now				
	required:				
राजस्व	Revenue	***	0.03		0.03
पूंजी	Capital	***	38.40		38.40
जोइ	Total		38.43		38.43
जोइ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		4094.50		4094.50
राजस्व	Revenue		3920.10		3920.10
पूंजी	Capital		174.40		174.40
	II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के	न अंतर्गत दिखाया जा	येगा:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for	r under the followir	ng Major Head	d(s)	
		भारित	स्वीकृत		ऒड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services		0.01	(क a)	0.01
2406-वानिकी और वन्य जीव	2406-Forestry and Wild Life		0.01	(खb)	0.01
3435-पारिस्थितिकी और पर्यावरण	3435-Ecology and Environment		0.01	(गc)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.03		0.03
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4406-वानिकी और वन्य जीव पर पूंजीगत	4406-Capital Outlay on Forestry and Wild Life		0.01	(घd)	0.01
परिव्यय				. ,	
5425-अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणीय	5425-Capital Outlay on Other Scientific and		38.39	(ਤ _e)	38.39
अन् संधान पर पूंजीगत परिव्यय	Environmental Research			` '	
जोइ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)		38.40		38.40
जोइ (पूरक)	Total (Supplementary)	•••	38.43		38.43
(10, -)	(•••	55.16		

(b)

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (i) अन्य लोगों के लिए किराया (₹. 09 करोड़), प्रधान लेखा कार्यालय के तहत पेशेवर सेवाएं (₹. 01 करोड़),ii) आईडीडब्ल्यू एच-प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट (केंद्रीय क्षेत्र घटक) के तहत दूसरों के लिए किराया (0.10 करोड़ रुपये), पुरस्कार और पारितोषिक (0.01 करोड़ रुपये),(iii) नीति और कानून के तहत पेशेवर सेवाएं (₹1.24 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।

चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचत उपलब्ध है इसलिए, सांकेतिक पूरक की

वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के तहत (i) दूसरों के लिए किराया (0.03 (ख) करोड़ रुपये) (ii) वानिकी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के तहत दूसरों के लिए किराया (0.10 करोड़ रुपये), (iii) वन्यजीव आवासों के विकास के तहत दूसरों के लिए किराया (0.01 करोड़ रुपये) (iv) ग्रीन इंडिया मिशनः राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के तहत दूसरों के लिए किराया (₹0.05 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।

The supplementary Grants are required for:

meeting additional expenditure towards (i) Rent For Others (₹ 0.09 Crore), Professional Services (₹ 0.01 Crore) under the Principal Accounts Office, (ii) Rent For Others (₹ 0.10 Crore), Awards And Prizes (₹ 0.01 Crore) under the IDWH-Project Tiger And Elephant (Central Sector Component), (iii) Professional Services (₹ 1.24 Crore) under the Policy & Law.

> As savings are available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure towards (i) Rent For Others (₹ 0.03 Crore) under the Wildlife Crime Control Bureau, (ii) Rent For Others (₹ 0.10 Crore) under the Forestry Training And Capacity Building, (iii) Rent For Others (₹ 0.01 Crore) under the Development Of Wildlife Habitats, (iv) Rent For Others (₹ 0.05 Crore) under the Green India Mission: National Afforestation Programme.

(c)

चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचत उपलब्ध है इसलिए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(ग) (i) भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के अंतर्गत व्यवसायिक सेवाएं (₹ 0.01 करोड़) ,(ii) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (ईएपी) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान(₹ 1.00 करोड़) ,(iii) प्रदूषण नियंत्रण के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 331.30 करोड़), (iv) राष्ट्रीय तटीय मिशन के अंतर्गत अन्यों हेतु किराया (₹ 0.05 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।

> चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचत उपलब्ध है इसलिए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

- (घ) स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एंड रेंजर्स कॉलेज के अंतर्गत मोटर वाहन (₹ 0.39 (d) करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।
 चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचत उपलब्ध है इसलिए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ङ) भारतीय वनस्पितक सर्वेक्षण के अंतर्गत भवन और संरचनाएं (₹ 38.39 (e) करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।
 अनुदान के राजस्व अनुभाग में उपलब्ध बचत के समर्पण को ध्यान में रखते
 हु ए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा

As savings are available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure towards (i) Professional Services ($\stackrel{?}{\epsilon}$ 0.01 Crore) under the Zoological Survey Of India, (ii) Grants-In-Aid General ($\stackrel{?}{\epsilon}$ 1.00 Crore) under the National Biodiversity Authority (EAP), (iii) Grants-In-Aid General ($\stackrel{?}{\epsilon}$ 331.30 Crore) under the Control Of Pollution, (iv) Rent For Others ($\stackrel{?}{\epsilon}$ 0.05 Crore) under the National Coastal Mission.

As savings are available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure towards Motor Vechicles (₹ 0.39 Crore) under the State Forest Service And Rangers College.

As savings are available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure towards Buildings And Structures (₹ 38.39 Crore) under the Botanical Survey Of India.

Taking into account the savings available in the Revenue section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 29 विदेश मंत्रालय MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 31 देखिये)

को पूरा करने के लिए।

(ख)

उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा।

(i) विदेश में मिशन/पोस्ट के अंतर्गत भत्ते (₹ 75.10 करोड़), विदेश यात्रा व्यय

(₹ 50.00 करोड़), कार्यालय व्यय (₹ 30.00 करोड़), (ii) विशेष राजनयिक

				₹) (In ₹ cr
	भारित	स्वीकृत		जॉड़
	Charged	Voted		Total
I. ORIGINAL GRANT:				
Revenue	***	19519.74		19519.74
Capital	***	996.88		996.88
Total		20516.62		20516.62
Supplementary Estimate of the amount now				
required:				
Revenue		1235.63		1235.63
Capital		0.03		0.03
Total		1235.66		1235.66
Total (Original plus Supplementary)	•••	21752.28		21752.28
Revenue		20755.37		20755.37
Capital		996.91		996.91
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंत	र्गत दिखाया जायेगा:			
II. This Supplementary Grants will be accounted for unc	der the following Maj	or Head(s)		
	भारित	स्वीकृत		जॏड़
	Charged	Voted		Total
REVENUE SECTION	-			
MAJOR HEAD				
2052-Secretariat-General Services		30.00	(कa)	30.00
2061-External Affairs		663.30	(खb)	663.30
3605-Technical and Economic Co-operation with		542.33	(गc)	542.33
			(-/	
		1235.63		1235.63
		0.01	(घd)	0.01
			(/	
4070-Capital Outlay on Other Administrative		0.01	(še)	0.01
			()	
		0.01	(ਹ f)	0.01
	•••	0.0 .	(/	0.0.
		0.03		0.03
• •				1235.66
	Capital Total Supplementary Estimate of the amount now required: Revenue Capital Total Total (Original plus Supplementary) Revenue Capital II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंत III. This Supplementary Grants will be accounted for und	Capital Total supplementary Estimate of the amount now required: Revenue Capital Total (Original plus Supplementary) Revenue Capital Total (Original plus Supplementary) Revenue Capital II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलेखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगाः III. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Maj आदित Charged REVENUE SECTION MAJOR HEAD 2052-Secretariat-General Services 2061-External Affairs 3605-Technical and Economic Co-operation with Other Countries Total (Revenue Section) CAPITAL SECTION MAJOR HEAD 4059-Capital Outlay on Public Works 4070-Capital Outlay on Other Administrative Services 4075-Capital Outlay on Miscellaneous General Services Total (Capital Section)	Total 996.88 Total 20516.62 Supplementary Estimate of the amount now required: Revenue 1235.63 Capital 0.03 Total 1235.66 Total (Original plus Supplementary) 21752.28 Revenue 20755.37 Capital 996.91 II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलेखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगाः III. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head(s) ##RR	Total

(b)

Expenses (₹ 30.00 Crore) under the Establishment.

meeting additional expenditure towards (i) Allowances (₹ 75.10

Crore), Foreign Travel Expenses (₹ 50.00 Crore), Office

The above expenditure will entail a cash outgo .

व्यय के अंतर्गत अन्य राजस्व व्यय (र 132.30 करोइ), (iii) पासपोर्ट सेवा परियोजना-सेवा शुल्क के अंतर्गत कार्यालय व्यय (र 172.40 करोइ), (iv) केंद्रीय अधिनियमों और विनियमों के प्रशासन के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को भुगतान के अंतर्गत अन्य राजस्व व्यय (र 50.00 करोइ), (v) युद्ध/नागरिक अशांति के कारण भारतीयों की निकासी के अंतर्गत अन्य राजस्व व्यय (र 10.00 करोइ), (vi) वन स्टॉप सेंटर (निर्भया निधि) के अंतर्गत अन्य राजस्व व्यय (र 9.50 करोइ) (vii) स्वायत्त निकायों और अन्य संस्थानों आईसीसीआर को सहायता के तहत छात्रवृति (र 33.50 करोइ), (viii) संयुक्त राष्ट्र संगठन के तहत योगदान (र 134.00 करोइ) के अंतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।

चूंकि बचत अनुदान के एक ही भाग के अंतर्गत उपलब्ध है, उपरोक्त व्यय में ₹ 653.80 करोड़ का शुद्ध नकद व्यय शामिल है. वन स्टॉप सेंटर (निर्भया फंड) के तहत अन्य राजस्व व्यय (₹ 9.50 करोड़) के लिए प्रमुख शीर्ष 2061 में भारत की आकस्मिक निधि से ₹.9.50 करोड़ की राशि अग्रिम ली गई है और उस निधि में पुनर्भुगतान को सक्षम करने के लिए समतुल्य राशि की आवश्यकता है. उपरोक्त के लिए, ₹ 9.50 करोड़ की राशि का मिलान वसूली (तकनीकी पूरक) द्वारा किया जा सकता है।

(ग) (i) चाबहार पत्तन के तहत योगदान (₹ 300.00 करोड़),(ii) मारीशस को (c)
सहायता के अंतर्गत योगदान (₹ 172.33 करोड़) (iii) प्रशांत द्वीपीय देशों के
तहत योगदान (₹ 70.00 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।

उपरोक्त व्यय में ₹ 542.33 करोड़ का शुद्ध नकद व्यय शामिल है.

उपरोक्त अनुमानों में चाबहार बंदरगाह के तहत योगदान के लिए प्रमुख शीर्ष 3605 में भारत की आकस्मिक निधि से अग्रिम ₹ 300.00 करोड़ की राशि शामिल है और उस निधि में पुनर्भुगतान को सक्षम करने के लिए समतुल्य राशि की आवश्यकता है.

उपरोक्त के लिए, ₹ 300.00 करोड़ की राशि नकद पूरक से पूरी की जा सकती है।

(ঘ)

(ङ)

(च)

मुख्य निर्माण कार्य के अंतर्गत आरपीओ तथा मिशन एवं पोस्ट (₹ 68.00 (d) करोड़) हेतु भूमि की खरीद के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु । चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचत उपलब्ध है इसलिए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(e)

(f)

(i) केंद्रीय पासपोर्ट संगठन के अंतर्गत मशीनरी और उपस्कर (₹ 6.92 करोड़), सूचना, कंप्यूटर दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण (₹ 10.00 करोड़), फर्निचर व फिक्सचर (₹ 5.00 करोड़), अन्य नियत आस्तियां (₹ 0.05 करोड़) के अंतर्गत प्रबंधन और स्थापना (मिशन),(ii) मशीनरी और उपस्कर (₹ 0.03 करोड़) के अंतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।

चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचत उपलब्ध है इसलिए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(i) विदेश मंत्रालय - मुख्यालय के अंतर्गत मशीनरी और उपस्कर (₹ 0.50 करोड़), सूचना, कंप्यूटर दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण (₹ 10.00 करोड़), फर्निचर व फिक्सचर (₹ 0.89 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के

चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचत उपलब्ध है इसलिए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। Expenses (₹ 30.00 Crore) under the Missions/Posts Abroad, (ii) Other Revenue Expenditure (₹ 132.30 Crore) under the Special Diplomatic Expenditure, (iii) Office Expenses (₹ 172.40 Crore) under the Passport Seva Project-Service Charges, (iv) Other Revenue Expenditure (₹ 50.00 Crore) under the Payments to States/Union Territories for Administration of Central Acts and Regulations , (v) Other Revenue Expenditure (₹ 10.00 Crore) under the Evacuation Of Indian Due To War/Civil Disturbance, (vi) Other Revenue Expenditure (₹ 9.50 Crore) under the One Stop Centre(Nirbhaya Fund), (vii) Scholarships (₹ 33.50 Crore) under Assistance to Autonomous Bodies and Other Institutions, ICCR, (viii) Contributions (₹ 134.00 Crore) under the United Nations Organisation.

As savings are available within the same section of the Grant, the above expenditure entails a net cash outgo of ₹ 653.80 crore. A sum of ₹ 9.50 crore has been advanced from Contingency Fund of India in Major Head 2061 for Other Revenue Expenditure (₹ 9.50 Crore) under the One Stop Centre(Nirbhaya Fund) and an equivalent amount is required to enable repayment to be made to that Fund.

For the above, the amount of ₹ 9.50 crore can be matched by recoveries(Technical Supplementary).

meeting additional expenditure towards (i) Contributions (₹ 300.00 Crore) under the Chahbahar Port, (ii) Contributions (₹ 172.33 Crore) under the Aid To Mauritius, (iii) Contributions (₹ 70.00 Crore) under the Aid To Pacific Island Countries.

The above expenditure entails a net cash outgo of \P 542.33 crore.

The above estimates includes a sum of ₹ 300.00 crore advanced from Contingency Fund of India in Major Head 3605 for Contributions under the Chahbahar Port and an equivalent amount is required to enable repayment to be made to that Fund.

For the above, the amount of ₹ 300.00 crore can be met from the cash supplementary.

meeting additional expenditure towards purchase of Land for RPO and Mission & Post (₹ 68.00 Crore) under the Major Works. As savings are available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure towards (i) Machinery And Equipment ($\stackrel{?}{*}$ 6.92 Crore), Information, Computer Telecommunications (ICT) Equipment ($\stackrel{?}{*}$ 10.00 Crore), Furniture & Fixtures ($\stackrel{?}{*}$ 5.00 Crore), Other Fixed Assets ($\stackrel{?}{*}$ 0.05 Crore) under the Management And Establishment (Missions), (ii) Machinery And Equipment ($\stackrel{?}{*}$ 0.03 Crore) under the Central Passport Organisation.

As savings are available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure towards (i) Machinery And Equipment (₹ 0.50 Crore), Information, Computer Telecommunications (ICT) Equipment (₹ 10.00 Crore), Furniture & Fixtures (₹ 0.89 Crore) under the External Affairs - Headquarters.

As savings are available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 30 **आर्थिक कार्य विभाग** DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 32 देखिये) (See page 32 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026)

	•	•		(₹ करॉ	ड़ि) (In ₹ crores
		भारित	स्वीकृत		ऒड़
		Charged	Voted		Total
।. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		2987.75		2987.75
पूंजी	Capital		110884.50		110884.50
जोड़	Total	•••	113872.25		113872.25
इस समय आवश्यक रकम का पूरक	Supplementary Estimate of the amount now				
अनुमान:	required:				
राजस्व	Revenue		1646.66		1646.66
पूंजी	Capital		4194.26		4194.26
जोइ	Total	•••	5840.92		5840.92
जोइ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	119713.17		119713.17
राजस्व	Revenue	•••	4634.41		4634.41
पूंजी	Capital	•••	115078.76		115078.76
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के	अंतर्गत दिखाया जा	येगा:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for	under the followi	ng Major Head(s	s)	
		भारित	स्वीकृत		जॏड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3465-सामान्य वितीय और व्यापारिक	3465-General Financial and Trading Institutions		0.01	(कa)	0.01
संस्थाएं					
3466-अंतरराष्ट्रीय वितीय संस्थाएं	3466-International Financial Institutions		881.05	(खb)	881.05
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Services		765.60	(गc)	765.60
जोइ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		1646.66		1646.66
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
5466-अंतरराष्ट्रीय वितीय संस्थाओं में	5466-Investments in International Financial		4194.25	(घd)	4194.25
निवेश	Institutions				
7475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के	7475-Loans for Other General Economic		0.01	(ਤ ⁻ e)	0.01
लिए ऋण	Services				
लिए ऋण जोड़ (प्रंजी भाग)	Services Total (Capital Section)		4194.26		4194.26

(b)

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन और मौद्रिक पुरस्कार योजना के अंतर्गत अंशदान
 (₹ 0.01 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।

चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचत उपलब्ध है इसलिए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आइ डी ए) में अंशदान तथा वैश्विक महामारी रोकथाम, तत्परता, अनुक्रिया के लिए वितीय मध्यस्थता निधि (वैश्विक महामारी निधि) के वस्तु शीर्ष के अंतर्गत अंशदान (₹ 773.70 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।

₹ 773.70 करोड़ की समतुल्य प्राप्तियों और अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध₹ 107.35 करोड़ की बचत के अभ्यंपण को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद खर्च नहीं होगा। उपरोक्त अनुमानों में वैश्विक महामारी की रोकथाम, तत्परता और अनुक्रिया के लिए वितीय

The supplementary Grants are required for:

 (a) meeting additional expenditure towards Contributions (₹ 0.01 crore) under the National Skill Certification and Monetary Reward Scheme.

As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure towards (i) Contributions (₹ 773.70 crore) under the object head Contribution to International Development Association (IDA), and Financial Intermediary Fund for Pandemic Prevention, Preparedness and Response (The Pandemic Fund).

Taking into account the equivalent receipts of ₹ 773.70 crore and surrender of savings of ₹ 107.35 crore available in the Capital section of the grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

(c)

मध्यस्था निधि (वैश्विक महामारी निधि) में योगदान के भुगतान के लिए मुख्य शीर्ष 3466 में भारत की आकस्मिक निधि से ₹107.35 करोड़ की अग्रिम राशि शामिल है और उस निधि में पुनर्भुगतान को सक्षम करने के लिए समतुल्य राशि की आवश्यकता है।

उपरोक्त के लिए, अनुदान (तकनीकी पूरक) में पूंजी भाग में बचत से ₹ 107.35करोड़ की राशि प्राप्त की जा सकती है।

(ग)
 (i) अवसंरचना विकास-व्यवहार्यता अंतर वित पोषण के लिए सहायता
 (₹ 765.60 करोड़) (ii) पूंजीगत पिरसंपितयों के निर्माण के लिए अनुदान
 (₹2.80 करोड़), अंतर्राष्ट्रीय वितीय सेवा केंद्र प्राधिकरण को अनुदान सहायता
 वेतन (₹ 12.01 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध ₹ 14.81 करोड़ की बचत और अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹ 765.60 करोड़ की बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा.

उपरोक्त अनुमानों में बुनियादी ढांचे के विकास-व्यवहार्यता अंतर वित पोषण के लिए सहायता के लिए मुख्य शीर्ष 3475 में भारत की आकस्मिक निधि से अग्रिम र 511.80 करोड़ की राशि शामिल है और उस निधि में पुनर्भुगतान को सक्षम करने के लिए समतुल्य राशि की आवश्यकता है.

उपरोक्त के लिए, ₹ 511.80 करोड़ की राशि अनुदान (तकनीकी पूरक) में पूंजी अनुभाग में बचत से पूरी की जा सकती है।

(घ) मेंटेनेंस ऑफ वैल्यू (एमओवी) ऑब्लिगेशन के अंतर्गत अंशदान (त (₹ 4194.25 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। समतुल्य प्राप्तियों को ध्यान में रखते हु ए, उपरोक्त व्यय से कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

अंतर्राष्ट्रीय वितीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) को ऋण के भुगतान के लिए (₹ 100.00 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।

(ङ)

चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचत उपलब्ध है, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

उपरोक्त अनुमानों में नई सेवा पर व्यय शामिल है। ऋण के भुगतान के लिए मुख्य शीर्ष 7475 में भारत की आकस्मिक निधि से ₹ 100.00 करोड़ की राशि अग्रिम ली गई है और उस निधि में पुनर्भुगतान करने के लिए समतुल्य राशि अपेक्षित है।

उपरोक्त के लिए, ₹ 100.00 करोड़ की राशि अनुदान के इसी भाग (सांकेतिक पूरक) में पूनर्विनियोजन द्वारा पूरी की जाएगी। The above estimates include a sum of ₹ 107.35 crore advanced from Contingency Fund of India in Major Head 3466 for payment of contribution to Financial Intermediary Fund for Pandemic Prevention, Preparedness and Response (The Pandemic Fund) and an equivalent amount is required to enable repayment to be made to that Fund.

For the above, the amount of ₹ 107.35 crore can be met from savings in Capital Section with in the Grant (Technical Supplementary).

meeting additional expenditure towards (i) Assistance for Infrastructure Development-Viability Gap Funding (₹ 765.60 crore) (ii) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 2.80 crore), Grants-in-Aid Salaries (₹ 12.01 crore) to International Financial Services Centres Authority (IFSCA).

Taking into account the savings of ₹ 14.81 crore available in the same section of the grant and the surrender of savings of ₹ 765.60 crore available in Capital section of the grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

The above estimates include a sum of ₹ 511.80 crore advanced from Contingency Fund of India in Major Head 3475 for Assistance for Infrastructure Development-Viability Gap Funding and an equivalent amount is required to enable repayment to be made to that Fund.

For the above, the amount of ₹ 511.80 crore can be met from savings in Capital Section with in the Grant (Technical Supplementary).

meeting additional expenditure towards Subscription (₹ 4194.25 crore) under the Maintenance of Value (MoV) Obligation.

Taking into account the equivalent receipts, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

meeting additional expenditure of ₹ 100.00 crore for payment of loans to International Financial Services Centres Authority (IFSCA).

As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

The above estimates include expenditure on a New Service. A sum of ₹ 100.00 crore has been advanced from Contingency Fund of India in Major Head 7475 for payment of loans and an equivalent amount is required to enable repayment to be made to that Fund.

For the above, the amount of ₹ 100.00 crore can be found by reappropriation within same section of the Grant (Token Supplementary).

मांग संख्या DEMAND NO 32 वित्तीय सेवाएं विभाग DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 35 देखिये) (See page 35 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026)

(₹ करोड़) (In ₹ crores) स्वीकृत भारित जॉड़ Charged Voted Total I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: राजस्व Revenue 1620.01 1620.01 पूंजी Capital 68.14 68.14 जोड Total 1688.15 1688.15 इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: राजस्व Revenue 521.83 521.83 Capital पूंजी जोड़ Total 521.83 521.83 जोड़ (मूल और पूरक) 2209.98 Total (Original plus Supplementary) 2209.98 राजस्व 2141.84 2141.84 Revenue पूंजी Capital 68.14 68.14 ॥. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head(s) भारित स्वीकृत ऒड़ Charged Voted Total REVENUE SECTION राजस्व भाग **MAJOR HEAD** मुख्य शीर्ष 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं 2052-Secretariat-General Services 3.57 (**क**a) 3.57 0070 Oth -- Administration Commiss

2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं		2070-Other Administrative Service	2070-Other Administrative Services			10.97	(खb)	10.97	
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण 2235-Social Security and		2235-Social Security and Welfare	Э			248.08	(गc)	248.08	
3465-सामान	न्य वितीय और व्यापारिक	3465-General Financial and Trad	ling Institutions	S		259.21	(घd)	259.21	
संस्थाएं									
जोड़ (राजस्व	भाग)	Total (Revenue Section)				521.83		521.83	
									_
	दाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:			mentary Grants a	•				
(क)	विज्ञापन एवं प्रचार मद में ₹7.40) करोड़ की अतिरिक्त व्यय को पूरा करना	(a)	meeting addit Publicity (₹7.40		penditure to	owards	Advertising ar	ıd
	अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध	बचत (3 करोड़ 83 लाख रुपये) को ध्यान में		Taking into acc	ount savir	ngs (₹3.83 cr	ore) avai	lable in the san	ιе
	रखते हु ए उपरोक्त व्यय में 3 कर	ोड़ 57 लाख रुपये का नकद व्यय होगा।		section of the g of ₹ 3.57 crore.		bove expend	diture will	entail cash outo	30
(ख)	ऋण वसूली न्यायाधिकरणों (डी.	आर. टी. एस.) के लिए भूमि और भवनों के	(b)	meeting addition	nal expen	diture toward	ds Rents,	Rates and Taxe	es
	लिए किराए, दरों और करों (₹ 18	3.50 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा		for Land and	Buildings	; (₹18.50 c	rore) for	Debt Recove	ry
	करना।			Tribunals (DRT	s).				
	अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध	बचत (₹ 7.53 करोड़) को ध्यान में रखते		Taking into acc	ount savir	ngs (₹7.53 cr	ore) avai	lable in the san	ιе
	हु ए, उपरोक्त व्यय में ₹ 10.97 क	रोड़ का नकद व्यय होगा।		section of the g of ₹10.97 crore		bove expend	diture will	entail cash out	30
(ग)	अटल पेंशन योजना (₹ 151.50	करोड़) और प्रधान मंत्री वय वंदना योजना	(c)	meeting addition	onal expe	nditure towa	rds reim	bursement und	er
	(पीएमवीवीवाई) (₹ 174.32 कर	ोड़) में सरकारी योगदान के तहत प्रतिपूर्ति		Government cor	ntribution to	Atal Pension	Yojana (₹151.50 crore) aı	nd
	की दिशा में अतिरिक्त व्यय को पू	्रा करना।		Pradhan Mantri	Vaya Vand	dana Yojana	(PMVVY)	(₹174.32 crore)	١.
		ध बचत (₹ 77.74 करोड़) और पूंजी खंड		Taking into acc	ount savin	gs (₹77.74 c	rore) ava	ilable in the san	ιе
		चत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए,		section of the	grant and	surrender o	of savings	s available in th	ıe
	उपरोक्त व्यय में ₹ 234.73 करोड़	ह का नकद व्यय शामिल होगा।		capital section	(₹13.35 cr	rore), the ab	ove expe	nditure will ent	ail
				cash outgo of ₹					
(ঘ)	•	जिना' और 'डिजि-धन व्यापार योजना' की	(d)	meeting addit					
		त्रेए नाबार्ड (₹ 259.21 करोड़) की वितीय		Financial Inclus		. ,	,	•	
		ने प्रतिपूर्ति की दिशा में अतिरिक्त व्यय को		implementation			•	ak Yojana' ar	ıd
	पूरा करना।			'Digi-Dhan Vya					
	उपरोक्त व्यय में ₹ 259.21 करोड़	का नकद व्यय होगा।		The above exp	enditure w	vill entail cas	h outgo c	of ₹ 259.21 cror	э.

मांग संख्या DEMAND NO 35 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 39 देखिये)

(See page 39 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026)

(₹ करॉड़) (In ₹ crores)

		(\ 7	(iș) (iii Ciule	
	भारित	स्वीकृत	जोड़	
	Charged	Voted	Total	
I. ORIGINAL GRANT:				
Revenue	***	133271.01	133271.01	
Capital	***	609.24	609.24	
Total		133880.25	133880.25	
Supplementary Estimate of the amount now				
required:				
Revenue		0.01	0.01	
Capital				
Total		0.01	0.01	
Total (Original plus Supplementary)		133880.26	133880.26	
Revenue		133271.02	133271.02	
Capital		609.24	609.24	
॥. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष	के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
II. This Supplementary Grant will be accounted for	or under the following Ma	ajor Head:		
	भारित	स्वीकृत	जोड़	
	Charged	Voted	Total	
REVENUE SECTION				
MAJOR HEAD				
2047-Other Fiscal Services		0.01	0.01	
	Revenue Capital Total Supplementary Estimate of the amount now required: Revenue Capital Total Total (Original plus Supplementary) Revenue Capital II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष III. This Supplementary Grant will be accounted for	Charged I. ORIGINAL GRANT: Revenue Capital Total Supplementary Estimate of the amount now required: Revenue Capital Total (Original plus Supplementary) Revenue Capital II. इस प्रक अनुदान का हिसाब निम्निलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Manufact AREVENUE SECTION MAJOR HEAD	शारितस्वीकृत VotedI. ORIGINAL GRANT:Revenue133271.01Capital609.24Total133880.25Supplementary Estimate of the amount now required:Revenue0.01Capital0.01Total (Original plus Supplementary)133880.26Revenue133271.02Capital609.24II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्निलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:शारितस्वीकृतChargedVotedREVENUE SECTIONMAJOR HEAD	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त और नीति संस्थान को एकमुश्त पूंजी अनुदान के रूप में 7.86 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु एसांकेतिक पूरक मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure of ₹ 7.86 crore towards one time capital Grant to National Institute of Public Finance and Policy. As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 36

प्रत्यक्ष कर DIRECT TAXES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 40 देखिये) (See page 40 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026)

उपरोक्त व्यय में नकद व्यय ₹ 6.40 करोड़ शामिल होगा।

			-			(₹ करों:	ਫ਼) (In ₹ crores)
				भारित	स्वीकृत		ऒड़
				Charged	Voted		Total
।. मूल अनुट	ान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व		Revenue		***	9473.29		9473.29
पूंजी		Capital			1427.16		1427.16
जोइ		Total			10900.45		10900.45
इस समय आ	वश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the arrequired:	mount now				
राजस्व		Revenue			1192.23		1192.23
पूंजी		Capital			639.40		639.40
जोड़		Total			1831.63		1831.63
जोड़ (मूल औ	र पूरक)	Total (Original plus Supplemental	ry)		12732.08		12732.08
राजस्व		Revenue			10665.52		10665.52
पूंजी		Capital			2066.56		2066.56
•		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निर्म्ना	लेखित मुख्य शीषं	ीं के अंतर्गत दिखाया जाये ^व	π:		
		II. This Supplementary Grants wil	-			s)	
				भारित	स्वीकृत		ऒड़
				Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	τ	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2020-आय अं	ौर व्यय पर करों का संग्रहण	2020-Collection of Taxes on Inco	me and		1192.23	(क a)	1192.23
		Expenditure					
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
_	नेर्माण कार्यो पर पूंजीगत	4059-Capital Outlay on Public Wo	4059-Capital Outlay on Public Works		33.00	(खb)	33.00
परिव्यय							
4075-विविध	सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत	4075-Capital Outlay on Miscellan	eous General		600.00	(गc)	600.00
परिव्यय		Services					
4216-आवास	न पर पूंजीगत परिव्यय	4216-Capital Outlay on Housing			6.40	(घd)	6.40
जोड़ (पूंजी भा	ग)	Total (Capital Section)			639.40		639.40
जोइ (पूरक)		Total (Supplementary)			1831.63		1831.63
	दान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है			entary Grants are requ			
(क)		यय को पूरा करने के लिए (i) वेतन (₹ 518.31	(a)	meeting additional expenditure towards Salaries (•
		।, कार्यालय व्यय (₹ 94.57 करोड़), भूमि और		crore), Allowances (₹	-		
		र कर (₹ 212.52 करोड़), व्यवसायिक सेवाएं		crore), Rents, Rates a			= :
	(₹ 44.32 करोड़)			crore) and Profession	nal Services	(₹ 44.32	crore) under the
	, , , ,			Establishment.			
	उपरोक्त व्यय में नकद व्यय ₹	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		The above expenditure will entail cash outgo of ₹ 1192.23 of			
(ख)		मूमि अधिग्रहण और भवन निर्माण के अंतर्गत	(b)	meeting additional	•		
	अतिरिक्त व्यय को पूरा करने वे	र्न लिए (₹ 47.92 करोड़)		OH- 'Land' for Acqui		l & Con	struction of Office
				Building for I.T. Department.			
	-	उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए, उपरोक्त		Taking into account			
	व्यय में ₹ 33.00 करोड़ का नव	·		section of the grant, th of ₹ 33.00 crore.	e above exper	nditure w	ıll entail cash outgo
(ग)		ईसीटी) उपकरण (₹ 600.00 करोड़) संगठन	(c)	meeting additional exp	penditure of ₹	600.00	crore under capital
	और प्रबंध सेवाएं के अंतर्गत अ	तिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए		section of the Grant fo OH- ICT.	r establishmer	nt related	expenditure under
	उपरोक्त व्यय में नकद व्यय ₹	600.00 करोड़ शामिल होगा।		The above expenditure	e will entail ca	sh outgo	of ₹ 600.00 crore.
(ঘ)	भूमि (₹ 6.40 करोड़) आयकर ी	विभाग के रिहायशी भवन हेतु भूमि अधिग्रहण	(d)	meeting additional exp	enditure of ₹ 6	6.40 cror	e under OH- 'Land'
		अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए		for Acquisition of Land I.T. Department.	& Constructio	n of Res	idential Building for

The above expenditure will entail cash outgo of $\stackrel{>}{_{\sim}}$ 6.40 crore.

मांग संख्या DEMAND NO 37

अप्रत्यक्ष कर INDIRECT TAXES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 41 देखिये)

(See page 41 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026)

(₹ करोंड) (In ₹ crores)

			(\ 4)	(iş) (iii (Ci bi es)
		भारित	स्वीकृत	जॏड़
		Charged	Voted	Total
।. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	•••	40904.73	40904.73
पूंजी	Capital		1984.60	1984.60
जोइ	Total		42889.33	42889.33
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now require	d:		
राजस्व	Revenue			
पूंजी	Capital		605.68	605.68
जोइ	Total		605.68	605.68
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		43495.01	43495.01
राजस्व	Revenue		40904.73	40904.73
पूंजी	Capital		2590.28	2590.28
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के	अंतर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for u	under the following Maj	jor Head:	
		भारित	स्वीकृत	जৗड़
		Charged	Voted	Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059-लोक निर्माण कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works		605.68	605.68

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

वस्तु शीर्ष 'भूमि' के तहत ₹ 785.00 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

अनुदान के राजस्व खंड में उपलब्ध बचत (₹ 179.32 करोड़) और बचत के अभ्यर्पण (₹ 605.68 करोड़) को ध्यान में रखते हु ए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure of $\stackrel{\scriptstyle <}{_{\sim}}$ 785.00 crore under the Object Head 'Land'.

Taking into account the savings (₹ 179.32 crore) available in the same section of the grant and surrender of savings (₹ 605.68 crore) available in Revenue section of the grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 38 भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 42 देखिये)

(ঘ)

होगा।

आई. ए. एंड ए. डी. के लिए भूमि अधिग्रहण के तहत भूमि (₹ 330.00 करोड़)।

अनुदान के राजस्व अनुभाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में

रखते हु ए, उपरोक्त व्यय में ₹ 268.49 करोड़ का शुद्ध नकद व्यय शामिल

		r Grants of Central Government				(₹ करॉड़) (In ₹ crores
				भारित	स्वीकृत		ऒड़
				Charged	Voted		Total
।. मूल अ	<i>ानुदान</i> :	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व		Revenue		298.36	6332.78		6631.14
पूंजी		Capital		3.24	170.85		174.09
जोड़		Total		301.60	6503.63		6805.23
इस समय	'आवश्यक रकम का पूरक	Supplementary Estimate of the an	nount now				
अनुमान:		required:					
राजस्व		Revenue		3.77	***		3.77
पूंजी		Capital		14.47	353.06		367.53
जोइ		Total		18.24	353.06		371.30
जोइ (मूल	और पूरक)	Total (Original plus Supplementary	y)	319.84	6856.69		7176.53
राजस्व		Revenue		302.13	6332.78		6634.91
पूंजी		Capital		17.71	523.91		541.62
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नि	भेखित मुख्य १	शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जाये	गा:		
		II. This Supplementary Grants/App	-			Major He	ads:
				भारित	स्वीकृत		जॏड़
				Charged	Voted		Total
राजस्व ध	भाग	REVENUE SECTION		•			
मुख्य शीर्ष	f	MAJOR HEAD					
2016-ਕੇਂਦ		2016-Audit		3.77 (कa)		3.77
पूंजी भाग	ग	CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
-	बापरीक्षा पर पूंजी परिव्यय	4016-Capital Outlay On Audit		14.47 (खb) 23.06	(गc)	37.53
	क निर्माण कार्यो पर पूंजीगत	4059-Capital Outlay on Public Wo	rks		330.00	(घd)	330.00
परिव्यय							
जोड़ (पूंजी	ो भाग)	Total (Capital Section)		14.47	353.06		367.53
जोड़ (पूरक	Б)	Total (Supplementary)		18.24	353.06		371.30
		- 16 4					
यह पूरकः (क)	अनुदान/विनियोग निम्नलिखित है।	तु अपाक्षत ह: र्गतअतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए भते	The supp (a)	olementary Grants/Approp meeting additional	-		owancos (₹ 3.7
(41)	नुख्यालय कांचालय के जत (₹ 3.77 करोड़)	गतजातारक ज्यय का पूरा करन के लिए नत	(a)	crore) under the Hea	•	aius Aii	Swances (< 5.7
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ाब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए, उपरोक्त व्यय		Taking into account	=	lable in t	the same Sectio
	में कोई अतिरिक्त नकद व्यय	-		of Grant, the above	-		
	•	•		cash outgo.	·		•
(ख)	मुख्यालय के तहत आईसीटी	उपकरण (₹ 14.47 करोड़)।	(b)	ICT Equipment (₹ 14	4.47 crore) under	the Head	dquarters.
	अनुदान के राजस्व अनुभा	ग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में		Taking into accoun	t the savings a	vailable	in the Revenu
	रखते हु ए, उपरोक्त व्यय में क	ोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा		Section of the Gran	t, the above expe	enditure v	will not entail an
				additional cash outg	0.		
(ग)	•	र्त्तगत सिविल लेखापरीक्षा कार्यालयों (₹2.30	(c)	ICT Equipment under the Civil Audit Office:		•	•
		इ), सिविल लेखा कार्यालयों (₹0.54 करोइ), रक्षा लेखापरीक्षा कार्यालयों 05 करोइ), वाणिज्यिक लेखापरीक्षा कार्यालयों (₹0.10 करोइ), विदेशी		Accounts Offices (₹ 0.54 crore), Defence Audit Offices crore), Commercial Audit Offices (₹ 0.10 crore), Overse			
		लखापराक्षा कायालया (₹0.10 कराड़), ावदशा 0 करोड़) और केंद्रीकृत खरीद (₹ 19.97 करोड़)।		**	•		•
	लखापराका कायालया (र0.1	ा कराइ) जार कथ्राकृत खराद (र 19.97 करीई)।		Offices(₹ 0.10 cror	e, and Centralis	eu rioci	urennenii (* 19.9
	भनटान के गानम्त भन्धा	ग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में		crore). Taking into accour	t the savings a	vailahle	in the Revenu
		गेर्ड अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा		Section of the Gran			
	, y , 5 , ,	A service and a service with the service of the ser		additional cash outg	· ·		5 (1)
(TT)	2 11 	पि अशिवासमा के जन्म शर्मा (≠ 220 00 सकोत्र)।	(4)	Land (= 220,00 areas		.:-:4:	

Land (₹ 330.00 crore) under the Acquisition of Land for IA&AD.

Taking into account the savings available in the Revenue

Section of the Grant, the above expenditure will entail net cash

outgo of ₹ 268.49 crore.

मांग संख्या DEMAND NO 43 मत्स्यपालन विभाग DEPARTMENT OF FISHERIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 47 देखिये)

(See page 47 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित	स्वीकृत	जॏड़
		Charged	Voted	Total
।. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		2681.05	2681.05
पूंजी	Capital		22.62	22.62
जोइ	Total		2703.67	2703.67
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now requi	red:		
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
पूंजी	Capital			
जोइ	Total		0.01	0.01
जोइ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		2703.68	2703.68
राजस्व	Revenue		2681.06	2681.06
पूंजी	Capital		22.62	22.62
	॥. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष व	के अंतर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted fo	r under the following Majo	r Head:	
		भारित	स्वीकृत	जॊइ
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2405-मत्स्य पालन	2405-Fisheries	***	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण के तहत पूंजीगत आस्तियों (₹1 करोड़) के निर्माण के लिए अनुदान।

चूंकि अनुदान के उसी खंड में बचत उपलब्ध है, इसलिए एक सांकेतिक अनुपूरककी मांग की जाती है। The supplementary Grant is required for:

Grants for Creation of Capital Assets (₹1 crore) under the Coastal Aquaculture Authority.

मांग संख्या DEMAND NO 44 पशुपालन और डेयरी विभाग DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 48 देखिये) (See page 48 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

				(₹ करौड़) (In ₹	crores
		भारित	स्वीकृत	जৌ ड़	7
		Charged	Voted	Tota	ıl
।. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		4469.45	4469.	45
पूंजी	Capital		585.95	585.	95
जोइ	Total		5055.40	5055.	40
इस समय आवश्यक रकम का पूरक	Supplementary Estimate of the amount now				
अनुमान:	required:				
राजस्व	Revenue		361.12	361.	12
पूंजी	Capital		66.32	66.	32
जोड़	Total		427.44	427.	44
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		5482.84	5482.	84
राजस्व	Revenue		4830.57	4830.	57
ग् ंजी	Capital		652.27	652.	27
	॥. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीष	ीं के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted	for under the following M	ajor Head(s)		
		भारित	स्वीकृत	जৌ ड़	7
		Charged	Voted	Tota	ıl
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
२४०३-पशु पालन	2403-Animal Husbandry		344.68	(कa) 344.	68
2404-डेयरी विकास	2404-Dairy Development		0.01	(खb) 0.	01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		16.43	(गc) 16.	43
जोइ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		361.12	361.	12
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
6404-डेयरी विकास के लिए ऋण	6404-Loans for Dairy Development		66.32	(घd) 66.	32
जोइ (पूरक)	Total (Supplementary)		427.44	427.	44

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क)

(i) राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत सब्सिडी (₹170 करोड़) (ii) सामान्य घटक के लिए अनुदान सहायता (₹402.81 करोड़), अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएससी) (₹105.35 करोड़) और अनुसूचित जनजाति के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएससीटी) (₹90.43 करोड़), अवार्ड और पुरस्कार (₹0.36 करोड़), कार्यालय व्यय (₹0.50 करोड़), पेशेवर सेवाएं (₹6.70 करोड़) और राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत सब्सिडी (₹30 करोड़) (iii) नस्ल सुधार संस्थानों के तहत भते (₹32.08 करोड़) और पशु स्वास्थ्य संस्थानों के तहत भूमि और भवनों के लिए किराया, दरें और कर (₹24.96 करोड़)

अनुदान के उसी खंड के भीतर उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए, इसमें र 344.68 करोड़ का शुद्ध नकद व्यय होगा। उपर्युक्त अनुमानों में भारत की आकस्मिकता निधि के मुख्य शीर्ष 2403, जिसमें कार्यालय व्यय (0.17 करोड़ रुपये), पेशेवर सेवाओं (2.33 करोड़ रुपये), सामान्य घटक के लिए अनुदान-सहायता-सामान्य (174.50 करोड़ रुपये), सब्सिडी (12.75 करोड़ रुपये), डीएपीएससी के लिए अनुदान-सहायता-सामान्य (64.40 करोड़ रुपये), राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत डीएपीएसटी के लिए अनुदान-सहायता-सामान्य (72.25 करोड़ रुपये) और उस निधि में पुनर्भुगतान को सक्षम करने के लिए समकक्ष राशि की आवश्यकता होती है।

The supplementary Grants are required for:

(a)

(i) Subsidies under National Livestock Mission (₹170 crore)

(ii) Grants-in-Aid General for General Component (₹402.81 crore), for Development Action Plan for Scheduled Castes (DAPSC) (₹105.35 crore) and for Development Action Plan for Scheduled Tribe (DAPST) (₹90.43 crore), Award & Prizes (₹0.36 crore), Office Expenses (₹0.50 crore), Professional Services (₹6.70 crore) and Subsidies (₹30 crore) under Rashtriya Gokul Mission (iii) Wages under Breed Improvement Institutes (₹32.08 crore) and Rent, Rates and Taxes for Land and Buildings under Animal Health Institutes (₹24.96 crore).

Taking into account the savings available within the same section of the Grant, this will entail a net cash outgo of ₹ 344.68 crore.

The above estimates includes a sum of ₹326.40 crore advanced from Contingency Fund of India in Major Head 2403 for Office Expenses (₹0.17 crore), Professional Services (₹2.33 crore), Grants-in-Aid General (₹174.50 crore) for General Component, Subsidies(₹12.75 crore), Grants-in-Aid General (₹64.40 crore) for DAPSC, Grants-in-aid General (₹72.25 crore) for DAPST

(b)

(d)

उपरोक्त के लिए, ₹ 113.77 करोड़ की राशि अनुदान (सांकेतिक पूरक) के उसी खंड के भीतर पुनर्विनियोजन द्वारा पाई जा सकती है और ₹ 212.63 करोड़ की शेष राशि नकद पूरक से पूरी की जा सकती है।

(ख) (i) अन्य के लिए किराया (₹2.50 करोड़) और (ii) दिल्ली दूध योजना के तहतअन्य राजस्व व्यय (₹0.20 करोड़)।

चूंकि अनुदान के उसी खंड में बचत उपलब्ध है, इसलिए एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(ग) राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत सामान्य घटक (₹ 37.17 करोड़), अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएससी) (₹ 7.84 करोड़) और अनुसूचित जनजाति के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएटी) (₹ 17.83 करोड़) के लिए अनुदान।

> अनुदान के उसी खंड के भीतर उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 16.43 करोड़ का शुद्ध नकद खर्च होगा।

> उपरोक्त अनुमानों में सामान्य घटक के लिए अनुदान-सहायता सामान्य (र 17.79 करोड़) के लिए प्रमुख शीर्ष 2552 में भारत की आकस्मिकता निधि से अग्रिम र 32.81 करोड़ की राशि शामिल है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत डीएपीएससी के लिए अनुदान सहायता सामान्य (3.20 करोड़ रुपये), डीएपीएसटी के लिए अनुदान सहायता सामान्य (11.82 करोड़ रुपये) और उस निधि में पुनर्भुगतान को सक्षम करने के लिए समतुल्य राशि की आवश्यकता है।

> उपरोक्त के लिए, ₹ 20.99 करोड़ की राशि अनुदान (सांकेतिक पूरक) के उसी खंड के भीतर पुनर्विनियोजन द्वारा पाई जा सकती है और ₹ 11.82 करोड़ की शेष राशि नकद पूरक से पूरी की जा सकती है।

(घ) डेयरी विकास के तहत ऋण और अग्रिम (₹ 66.32 करोड़)।इससे शुद्ध नकदी व्यय होगा।

under Rashtriya Gokul Mission and an equivalent amount is required to enable repayment to be made to that Fund.

For the above, the amount of ₹113.77 crore can be found by reappropriation within same section of the Grant (Token Supplementary) and balance amount of ₹212.63 crore can be met from the cash supplementary.

(i) Rent for Others (₹2.50 crore) and (ii) Other Revenue Expenditure (₹0.20 crore) under Delhi Milk Scheme.

As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

Grants-in-Aid General for General Component (₹37.17 crore), for Development Action Plan for Scheduled Castes (DAPSC) (₹7.84 crore) and for Development Action Plan for Scheduled Tribe (DAPST) (₹17.83 crore) under Rashtriya Gokul Mission.

Taking into account the savings available within the same section of the Grant, this will entail a net cash outgo of ₹16.43 crore.

The above estimates includes a sum of ₹32.81 crore advanced from Contingency Fund of India in Major Head 2552 for Grants-in-Aid General (₹17.79 crore) for General Component, Grants-in-Aid General (₹3.20 crore) for DAPSC, Grants-in-aid General (₹11.82 crore) for DAPST under Rashtriya Gokul Mission and an equivalent amount is required to enable repayment to be made to that Fund.

For the above, the amount of ₹20.99 crore can be found by reappropriation within same section of the Grant (Token Supplementary) and balance amount of ₹11.82 crore can be met from the cash supplementary.

Loans and Advances under Dairy Development (₹66.32 crore). This will entail a net cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 45 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 49 देखिये) (See page 49 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026)

(₹ करोड़) (In ₹ crores) भारित ऒड़ स्वीकृत Charged Voted Total ।. मूल अनुदान: I. ORIGINAL GRANT: राजस्व Revenue 5264.96 5264.96 पूंजी Capital 2.64 2.64 जोड 5267.60 5267.60 Total इस समय आवश्यक रकम का पूरक Supplementary Estimate of the amount now अनु मान: required: राजस्व 0.02 0.02 Revenue Capital पूंजी जोड़ Total 0.02 0.02 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 5267.62 5267.62 राजस्व 5264.98 5264.98 Revenue पूंजी Capital 2.64 2.64 II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head(s) भारित स्वीकृत ऒड़ Voted Charged Total REVENUE SECTION राजस्व भाग मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 2408-खाद्य भंडारण और माल गोदाम 2408-Food Storage and Warehousing 0.01 (**क**a) 0.01 2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र 2552-North Eastern Areas 0.01 0.01 (खb) जोड़ (राजस्व भाग) Total (Revenue Section) 0.02 0.02

यह पूरक अनुद	ान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:	The supplen	nentary Grants
(ক)	प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना के तहत घटक मानव संसाधन और	(a)	meeting addi
	संस्थानों (अनुसंधान और विकास) के लिए पेशेवर सेवाओं के लिए (0.19		(₹0.19 Crore)
	करोड़ रुपये) और घटक संचालन ग्रीन्स के लिए अनुदान सहायता (6 करोड़		(Research &
	रुपये) अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।		Crore) for cor
			Kisan Sampa
	चूंकि अनुदान के उसी खंड में बचत उपलब्ध है, इसलिए एक सांकेतिक पूरक		As savings a
	की मांग की जाती है।		a token suppl
(ख)	प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना के तहत घटक मेगा फूड पार्कों के लिए	(b)	Grants-In-Aid
	उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए अनुदान सहायता (7.65 करोड़ रुपये)।		for componer
			Sampada Yoj

चूंकि अनुदान के उसी खंड में बचत उपलब्ध है, इसलिए एक सांकेतिक पूरक

की मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

ditional expenditure towards Professional Services e) for component Human Resources and Institutions & Development) and Grants-In-Aid General (₹6.00 omponent Operation Greens under Pradhan Mantri oada Yojana.

> are available in the same section of the grant, plementary is sought.

id General (₹7.65 Crore) for North Eastern Region ent Mega Food Parks under Pradhan Mantri Kisan

मांग संख्या DEMAND NO 46 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 50 देखिये) (See page 50 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026)

				(₹ करोड़) (In ₹ crc
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
जस्व ⁻	Revenue	•••	119435.36	119435.36
ਗ਼ੀ	Capital		3624.44	3624.44
ोड़	Total	•••	123059.80	123059.80
प्त समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now			
	required:			
जस्व	Revenue	•••	0.02	0.02
ਗ਼ੀ	Capital			
ोड़	Total	•••	0.02	0.02
ोइ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	123059.82	123059.82
जस्व	Revenue	•••	119435.38	119435.38
जी	Capital	•••	3624.44	3624.44
	॥. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य १	शीर्षों के अंतर्गत दिखाया	जायेगा:	
	II. This Supplementary Grants will be account	ed for under the follow	wing Major Head	d(s)
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
जस्व भाग	REVENUE SECTION			
ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health		0.01	(कa) 0.01
602-संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता	3602-Grants-in-aid to Union Territory		0.01	(खb) 0.01
नुदान	Governments			
गोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	•••	0.02	0.02

(b)

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क)

निम्निलिखित अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) नए एम्स के स्थापना व्यय के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (* 608.00 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (* 171.00 करोड़), (ii) इंडिया वेव -2 में लान्जिटूडनल ऐजिंग स्टडी के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (* 15.88 करोड़), (iii) आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया तथा मानव संसाधन विकास योजना के अंतर्गत सामग्री और आपूर्ति (* 13.15 करोड़)।

चूंकि अनुदान के एक ही भाग में बचत उपलब्ध है, इसलिए सांकेतिक पूरक मांग जाता है।

उपरोक्त अनुमान में 'स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए मानव संसाधन विकास' योजना के तहत 'सामग्री और आपूर्ति' के लिए मुख्य शीर्ष 2210 में भारत की आकस्मिक निधि से र 13.15 करोड़ की अग्रिम राशि शामिल है और एक समतुल्य राशि उस निधि में पुनर्भुगतान करने के लिए अपेक्षित है।

उपरोक्त के लिए, ₹ 13.15 करोड़ की राशि अनुदान (सांकेतिक अनुपूरक) के उसी भाग में पूनर्विनियोजन द्वारा प्राप्त की जा सकती है।

(ख) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.77 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 8.59 करोड़) । चूंकि अनुदान के एक ही भाग में बचत उपलब्ध है, इसलिए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

meeting additional expenditure towards (i) Grants-in-Aid General (₹ 608.00 Crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹ 171.00 Crore) under the Establishment Expenditure of New AllMS, (ii) Grants-in-Aid General (₹ 15.88 Crore) under the Longitudinal Ageing Study In India Wave-2, (iii) Materials and Supplies (₹ 13.15 Crore) under the scheme Health Sector Disaster Preparedness and Response and Human Resource Development for Emergency Medical Services.

As savings are available in the same section of the grant, token supplementary is sought.

The above estimate includes a sum of ₹ 13.15 Crore advance from Contingency Fund of India in Major Head 2210 for 'Materials and Supplies' under the scheme 'Health Sector Disaster Preparedness and Response and Human Resource Development for Emergency Medical Services' and an equivalent amount is required to enable repayment to be made to that Fund.

For the above, the amount of ₹ 13.15 Crore can be found by reappropriation within same section of the Grant (Token Supplementary).

meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General (₹ 0.77 Crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 8.59 Crore) under the National Mental Health Programme.

मांग संख्या DEMAND NO 47 स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग DEPARTMENT OF HEALTH RESEARCH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 52 देखिये)

(See page 52 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026)

(₹ करोड़) (In ₹ crores) भारित स्वीकृत जॉड़ Charged Voted Total ।. मूल अनुदान: I. ORIGINAL GRANT: राजस्व Revenue 3899.43 3899.43 पूंजी Capital 1.26 1.26 जोड 3900.69 Total 3900.69 इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: 26.95 26.95 राजस्व Revenue पूंजी Capital 0.21 0.21 जोड़ Total 27.16 27.16 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 3927.85 3927.85 राजस्व 3926.38 3926.38 Revenue पूंजी Capital 1.47 1.47 II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head(s) भारित स्वीकृत ऒड़ Charged Voted Total REVENUE SECTION राजस्व भाग मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य 2210-Medical and Public Health 26.95 (**क**a) 26.95 पूंजी भाग CAPITAL SECTION मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत 4250-Capital Outlay on other Social Services (खb) 0.21 परिव्यय जोड़ (पूरक) Total (Supplementary) 27.16 27.16

(b)

(क)	निम्नलिखित अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) भारतीय चिकित्सा
	अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली को अनुदान के तहत वेतन सहायता अनुदान
	(₹ 24.50 करोड़) (ii) "स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अवसंरचना
	का विकास" योजना के अनुदान के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2.45
	करोड़)
	उपरोक्त व्यय में ₹ 26.95 करोड़ का नकद व्यय शामिल होगा।

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(ख) स्चना, कंप्यूटर दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण (₹ 0.21 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा। The supplementary Grants are required for:

(a) meeting additional expenditure towards: (i) Grants-in-aid - Salaries (₹ 24.50 Crore) under the Grants to Indian Council of Medical Research, New Delhi (ii) Grants-in-aid General (₹ 2.45 Crore) under the Grants to the Scheme "Development of Infrastructure for Promotion of Health Research"

The above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 26.95 crore. meeting additional expenditure towards Information, Computer Telecommunications (ICT) equipment (₹ 0.21 Crore)

Taking into account the savings available in the Revenue section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 48 **भारी उद्योग मंत्रालय** MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 53 देखिये) (See page 53 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026)

(₹ करोड) (In ₹ crores)

			(1 4)	iș / (iii Ciules)
		भारित	स्वीकृत	जॊइ
		Charged	Voted	Total
।. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		7178.23	7178.23
पूंजी	Capital		502.00	502.00
जोइ	Total		7680.23	7680.23
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now requ	ired:		
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		0.01	0.01
जोइ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		7680.24	7680.24
राजस्व	Revenue		7178.24	7178.24
पूंजी	Capital		502.00	502.00
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष	के अंतर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for	or under the following Majo	r Head:	
		भारित	स्वीकृत	जॏड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2852-उद्योग	2852-Industries	***	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

निम्नलिखित अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र योजना में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि के अंतर्गत अन्य हेतु िकराया (र 0.12 करोड़), (ii) भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहन को तेजी से अपनाने और विनिर्माण के लिए योजना-(फेम-इंडिया) के अंतर्गत व्यवसायिक सेवाएं (र 11.69 करोड़), आर्थिक सहायता (र 17.77 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (र 1149.30 करोड़), (iii) अभिनव वाहन संवर्दन (पीएम ई-ड्राइव) योजना में पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव क्रांति के अंतर्गत अन्य हेतु किराया (र 0.16 करोड़), (iv) भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौयोगिकी परिषद के अंतर्गत शोध और नवाचार के तहत सामान्य सहायता अनुदान (र 0.01 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु एसांकेतिक पूरक मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure towards (i) Rent for Others (₹ 0.12 Crore) under Enhancement of Competitiveness in the Indian Capital Goods Sector scheme, (ii) Professional Services (₹ 11.69 Crore), Subsidies (₹ 17.77 Crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹ 1149.30 Crore) under the Scheme for Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid &) Electric Vehicle in India - (FAME-India), (iii) Rent for Others (₹ 0.16 Crore) under PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement (PM E-DRIVE) scheme, (iv) Grants-In-Aid General (₹ 0.01 Crore) under Research & Innovation (R&I) under India-EU Trade & Technology Council.

मांग संख्या DEMAND NO 49

गृह मंत्रालय MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 54 देखिये) (See page 54 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026)

(₹ करोड) (In ₹ crores)

				(T 47 K 15) (III X CTO	res)
		भारित	स्वीकृत		जोड़	
		Charged	Voted		Total	
।. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व	Revenue		4161.22		4161.22	
पूंजी	Capital		395.97		395.97	
जो इ	Total		4557.19		4557.19	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now					
	required:					
राजस्व	Revenue		2719.84		2719.84	
पूंजी	Capital		20.00		20.00	
जोड़	Total		2739.84		2739.84	
जोइ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		7297.03		7297.03	
राजस्व	Revenue		6881.06		6881.06	
पूंजी	Capital		415.97		415.97	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों वे	h अंतर्गत दिखाया जाये	गा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted fo	r under the following	g Major Head	(s)		
		भारित	स्वीकृत		जॏड़	
		Charged	Voted		Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services		21.41	(क a)	21.41	
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2070-Other Administrative Services		75.00	(खb)	75.00	
3454-जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	3454-Census Surveys and Statistics		425.43	(गc)	425.43	
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments		2198.00	(घd)	2198.00	
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		2719.84		2719.84	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत	4070-Capital Outlay on Other Administrative		20.00	(ङe)	20.00	
परिव्यय	Services					
जोइ (पूरक)	Total (Supplementary)		2739.84		2739.84	
• ••						

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद को भुगतान के लिए व्यावसायिक सेवाओं (₹ 21.41 करोड़) के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

> अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा। ₹ 21.41 करोड़ की उपरोक्त राशि भारत की आकस्मिक निधि से मुख्य शीर्ष 2052 में व्यावसायिक सेवाओं के लिए राष्ट्रीय अनुप्रयुक्तआर्थिक अनुसंधान परिषद को भुगतान के लिए अग्रिम की गई थी और उस निधि में पुनर्भुगतान करने के लिए समकक्ष राशि अपेक्षित है।

> उपरोक्त के लिए, ₹ 21.41 करोड़ की राशि को अनुदान (तकनीकी पूरक) में पूंजी भाग में बचत से पूरा किया जा सकता है।

(ख) राष्ट्रीय एकता दिवस से संबंधित गतिविधियों के लिए अन्य राजस्व व्यय (₹ 75.00 करोड़) के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। The supplementary Grants are required for:

meeting additional expenditure under Professional Services
 (₹ 21.41 crore) for payment to National Council of Applied
 Economic Research.

Taking into account the savings available in the Capital section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo. The above amount of ₹ 21.41 crore was advanced from Contingency Fund of India in Major Head 2052 for Professional Services towards payment to National Council of Applied Economic Research and an equivalent amount is required to enable repayment to be made to that Fund.

For the above, the amount of \ref{thm} 21.41 crore can be met from savings in capital section within the Grant (Technical Supplementary).

meeting additional expenditure under Other Revenue Expenditure (₹ 75.00 crore) for the activities related to National Unity Day.

(c)

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा। ₹ 75.00 करोड़ की उपरोक्त राशि राष्ट्रीय एकता दिवस से संबंधित गतिविधियों के लिए अन्य राजस्व व्यय के तहत मुख्य शीर्ष 2070 में भारत की आकस्मिक निधि से अग्रिम की गई थी और उस निधि में पुनर्भृगतान करने के लिए एक समतुल्य राशि अपेक्षित है।

उपरोक्त के लिए, ₹ 75.00 करोड़ की राशि अनुदान (तकनीकी पूरक) में पूंजी भाग में बचत से पूरी की जाएगी।

(ग) निम्नलिखित शीर्षों के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना नामतः चिकित्सा उपचार (₹1.00 करोड़), प्रशिक्षण व्यय (₹5.00 करोड़), घरेलू यात्रा व्यय (₹1.00 करोड़), मरम्मत और रखरखाव (₹1.00 करोड़), सामान्य सहायता अनुदान (₹386.43 करोड़), कार्यालय व्यय (₹15.00 करोड़), विज्ञापन और प्रचार (₹10.00 करोड़), मुद्रण और प्रकाशन (₹5.00 करोड़) और लघु सिविल और विद्युत कार्य (₹1.00 करोड़)।

> अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध र 19.12 करोड़ की बचत को ध्यान में रखते हु ए उपरोक्त व्यय में र 406.31 करोड़ का अतिरिक्त नकद व्यय होगा।

(घ) मणिपुर को विकास पैकेज हेतु निम्नलिखित अतिरिक्त व्यय को पूरा करना
(i) सुरक्षा संबंधी व्यय के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 542.00 करोइ), (ii) उच्च ब्याज वाले हडको ऋण के पूर्व भुगतान के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 633.00 करोइ), (iii) आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियाँ(आईडीपी) के पुनरूद्धार और पुनर्वास के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 523.00 करोइ): टॉप अप सहायता(₹ 119.00 करोइ), आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए सहायता (₹ 60.00 करोइ), व्यक्तिगत सामान और चल संपत्ति के लिए पूर्ण रूप से जले हुए घरों (₹ 70.00 करोइ), पुनरूर्थापित गांवों में सामुदायिक आस्तियों का निर्माण (₹ 274.00 करोइ) (iv) केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के तैनाती शुल्क के तहत सामान्य अनुदान-सहायता (₹ 500.00 करोइ)।

उपरोक्त व्यय पर ₹ 2198.00 करोड का नकद व्यय होगा।

(ङ) जनगणना के अंतर्गत सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण (e) (₹ 20.00 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।

उपरोक्त व्यय में ₹ 20.00 करोड़ का नकद व्यय शामिल होगा।

Taking into account the savings available in the Capital section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo. The above amount of ₹ 75.00 crore was advanced from Contingency Fund of India in Major Head 2070 under Other Revenue Expenditure for the activities related to National Unity Day and an equivalent amount is required to enable repayment to be made to that Fund.

For the above, the amount of \mp 75.00 crore can be met from savings in capital section within the Grant (Technical Supplementary).

Taking into account the savings of ₹ 19.12 crore available under the Capital Section of the Grant, the above expenditure will entail an additional cash outgo of ₹ 406.31 crore.

meeting expenditure towards Developmental package to Manipur for (i) Grants-in-Aid General (₹ 542.00 crore) under the Security Related Expenditure, (ii) Grants-in-Aid General (₹ 633.00 crore) under the Prepayment of High Interest HUDCO Loan, (iii) Grants-in-Aid General (₹ 523.00 crore) under the Rehabilitation and Resettlement of Internally Displaced Persons (IDPs): Top Up Support (₹ 119.00 crore), Assistance for Partially Damaged Houses (₹ 60.00 crore), Fully Burnt Houses for Personal Belongings and Movable Assets (₹ 70.00 crore), Creation of Community Assets in Resettled Villages (₹ 274.00 crore) (iv) Grants-in-Aid General (₹ 500.00 crore) under the Deployment Charges of Central Armed Police Forces.

The above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 2198.00 crore

meeting additional expenditure towards Information, Computer, Telecommunications (ICT) Equipment ($\stackrel{?}{\star}$ 20.00 crore) under the Census.

The above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 20.00 crore.

मांग संख्या DEMAND NO 50 मंत्रिमंडल CABINET

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 55 देखिये) (See page 55 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026)

				(₹ करॉड़) (In ₹ crores	5)
		भारित	स्वीकृत		जॏड़	
		Charged	Voted		Total	
।. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व	Revenue		765.72		765.72	
पूंजी	Capital		6396.84		6396.84	
जोड़	Total		7162.56		7162.56	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now					
	required:					
राजस्व	Revenue		37.30		37.30	
पूंजी	Capital		0.01		0.01	
जोइ	Total		37.31		37.31	
जोइ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		7199.87		7199.87	
राजस्व	Revenue		803.02		803.02	
पूंजी	Capital		6396.85		6396.85	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षो	ीं के अंतर्गत दिखाया जायेग	T:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted	for under the following	Major Head(s	;)		
		भारित	स्वीकृत		जॏड़	
		Charged	Voted		Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
2013-मंत्रि परिषद	2013-Council of Ministers		35.10	(कa)	35.10	
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2070-Other Administrative Services		2.20	(खb)	2.20	
जोइ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		37.30		37.30	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
4075-विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत	4075-Capital Outlay on Miscellaneous General		0.01	(गc)	0.01	
परिव्यय	Services					
जोइ (पूरक)	Total (Supplementary)		37.31		37.31	

(b)

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

निम्नलिखित अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) राज्य मंत्रीयों को वेतन (₹ 2.10 करोड़), (ii) सामान्य प्रशासन के अंतर्गत चिकित्सा उपचार (₹ 0.21 करोड़), अन्य राजस्व व्यय (₹ 0.05 करोड़), विदेश यात्रा व्यय (₹ 1.00 करोड़) (iii) अंतरिक्ष कार्यक्रम के अंतर्गत अन्य राजस्व व्यय (₹ 22.34 करोड़), (v) सिनर्जी परियोजनाओं के अंतर्गत पूंजीगत आस्त्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 4.00 करोड़), (vi) मंत्रिमंडल मंत्रीयों के अंतर्गत घरेलू यात्रा व्यय (₹ 5.40 करोड़)।

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

- (ख) आतिथ्य व्यय के अंतर्गत अन्य राजस्व व्यय (₹ 2.20 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा
- (ग) प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत मोटर वाहन (₹ 0.31 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

(a) meeting additional expenditure towards (i) Salaries (₹ 2.10 crore) for Ministers of State (ii) Medical Treatment (₹ 0.21 crore), Other Revenue Expenditure (₹ 0.05 crore), Foreign Travel Expenses (₹ 1.00 crore) under the General Administration (iii) Other Revenue Expenditure (₹ 22.34 crore) under the Space Programme (iv) Grants For Creation Of Capital Assets (₹ 4.00 crore) under the Synergy Projects (v) Domestic Travel Expenses (₹ 5.40 crore) under the Cabinet Ministers.

Taking into account the savings available in the Capital section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outro.

meeting additional expenditure towards Other Revenue Expenditure (₹ 2.20 crore) under the Hospitality expenses.

Taking into account the savings available in the Capital section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

meeting additional expenditure towards Motor Vehicles (₹ 0.31 crore) under the Prime Minister's Office.

मांग संख्या DEMAND NO 51

पुलिस POLICE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 56 देखिये) (See page 56 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026)

				(₹ करो	ਫ਼) (In ₹ cro
		भारित	स्वीकृत		जॉड़
		Charged	Voted		Total
. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
जस् व	Revenue	9.04	144857.12		144866.16
जी	Capital	7.07	16572.14		16579.21
ोइ	Total	16.11	161429.26		161445.37
स समय आवश्यक रकम का पूरक	Supplementary Estimate of the amount now				
ानुमान:	required:				
जस्व	Revenue		400.00		400.00
ज़ी	Capital		0.01		0.01
ोइ	Total		400.01		400.01
ोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	16.11	161829.27		161845.38
जस्व	Revenue	9.04	145257.12		145266.16
ं जी	Capital	7.07	16572.15		16579.22
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शी	र्षों के अंतर्गत दिखाया जाये	गा:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted	d for under the following	g Major Head(s)		
		भारित	स्वीकृत		ऒड़
		Charged	Voted		Total
ाजस्व भाग	REVENUE SECTION				
ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
055-पुलिस	2055-Police		400.00	(कa)	400.00
्ंजी भाग	CAPITAL SECTION				
ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	4055-Capital Outlay on Police		0.01	(खb)	0.01
ोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		400.01		400.01

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

क) निम्निलिखित अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) आसूचना ब्यूरो के अंतर्गत गुप्त सेवा व्यय (₹ 332.33 करोड़) ,(ii) राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय को अनुदान के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 10.00 करोड़) ,(iii) सीआरपीएफ के अंतर्गत कार्यालय व्यय (₹ 24.00 करोड़), (iv) बीएसएफ के अंतर्गत घरेलू यात्रा व्यय (₹ 3.67 करोड़), ईंधन और स्नेहक (₹ 10.00 करोड़), अन्य राजस्व व्यय (₹ 5.00 करोड़),(v) दिल्ली पुलिस के अंतर्गत कार्यालय व्यय (₹ 15.00 करोड़)।

उपरोक्त व्यय में ₹ 400.00 करोड़ का नकद व्यय होगा। उपरोक्त अनुमानों में आस्चना ब्यूरो के तहत गुप्त सेवा व्यय के लिए मुख्य शीर्ष 2055 में भारत की आकस्मिक निधि से अग्रिम ₹ 200.00 करोड़ की राशि शामिल है और उस निधि में पूनर्भृगतान करने के लिए समकक्ष राशि अपेक्षित है।

उपरोक्त के लिए, ₹ 200.00 करोड़ की राशि नकद पूरक से पूरी की जाएगी है।

(ख) निम्नलिखित अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) असम राईफल्स के अंतर्गत अवसंरचनागत आस्तियां (₹ 50.00 करोड़) ,(ii) बीएसएफ के अंतर्गत मशीनरी और उपस्कर (₹ 26.74 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

(a) meeting additional expenditure towards (i) Secret Service Expenditure (₹ 332.33 crore) under Intelligence Bureau (ii) Grants For Creation of Capital Assets (₹ 10.00 crore) under Rashtriya Raksha University (iii) Office Expenses (₹ 24.00 crore) under CRPF (iv) Domestic Travel Expenses (₹ 3.67 crore), Fuels & Lubricants (₹ 10.00 crore), Other Revenue Expenditure (₹ 5.00 crore) under BSF (v) Office Expenses (₹ 15.00 crore) under Delhi Police.

The above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 400.00 crore. The above estimates includes a sum of ₹ 200.00 crore advanced from Contingency Fund of India in Major Head 2055 for Secret Service Expenditure under Intelligence Bureau and an equivalent amount is required to enable repayment to be made to that Fund.

For the above, the amount of ₹ 200.00 crore can be met from the cash supplementary.

meeting additional expenditure towards (i) Infrastructural Assets (50.00 crore) under Assam Rifles, (ii) Machinery And Equipment (26.74 crore) under BSF.

मांग संख्या DEMAND NO 52 अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 57 देखिये) (See page 57 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026)

5054-सड़क और पुलों के लिए पूंजीगत परिव्यय

				(₹ करोड़) (In ₹ crore
		भारित	स्वीकृत		ऒड़
		Charged	Voted		Total
।. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	0.02	5711.96		5711.98
पूंजी	Capital		555.08		555.08
जोड़	Total	0.02	6267.04		6267.06
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now				
	required:				
राजस्व	Revenue		1050.41		1050.41
पूंजी	Capital	***	0.04		0.04
जोइ	Total		1050.45		1050.45
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.02	7317.49		7317.51
राजस्व	Revenue	0.02	6762.37		6762.39
पूंजी	Capital		555.12		555.12
•	॥. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के 3	ांतर्गत दिखाया जारे	ोगा:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for u			(s)	
	,	भारित	्र स्वीकृत	. ,	ऒड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION	g-1			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
- 3 0-1 स्तार 2014-न्याय प्रशासन	2014-Administration of Justice		0.01	(कa)	0.01
2053-जिला प्रशासन	2053-District Administration		0.01	(ন্যু) (खb)	0.01
2055-पुलिस 2055-पुलिस	2055-Police		0.01	(GD) (गc)	0.01
2058-लेखन सामग्री और मुद्रण		•••	0.01		0.01
2059-लोक निर्माण कार्य	2058-Stationery and Printing 2059-Public Works		0.01	(ਬd) (ਵਨ)	0.01
2039-लाक निमाण कार्य 2204-खेल और युवा मामले		•••		(₹e)	0.01
2204-खल जार युपा मामल 2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2204-Sports and Youth Services	•••	0.01	(चf) (क्र~)	0.01
	2210-Medical and Public Health	•••	0.01	(छg)	
2220-सूचना और प्रचार 2220-सूचना और प्रचार	2220-Information and Publicity	***	0.01	(जh)	0.01
2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास	2230-Labour, Employment and Skill Development		0.01	(झi)	0.01
2402-मृदा और जल संरक्षण	2402-Soil and Water Conservation		0.01	(टj)	0.01
2403-पशु पालन	2403-Animal Husbandry		0.01	(ठk)	0.01
2506-भूमि सुधार	2506-Land Reforms		0.01	(롱)	0.01
2810-नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	2810-New and Renewable Energy	***	0.01	(ढm)	0.01
2852-उद्योग	2852-Industries	•••	0.01	(णn)	0.01
3051-बंदरगाह और प्रकाश स्तंभ	3051-Ports and Light Houses		84.88	(त०)	84.88
3052-पोत परिवहन	3052-Shipping		450.93	(थp)	450.93
3225-दूरसंचार सेवाएं	3225-Telecommunication Services		514.43	(दq)	514.43
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3425-Other Scientific Research	•••	0.01	(धr)	0.01
3452-पर्यटन	3452-Tourism		0.01	(नs)	0.01
3456-नागरिक आपूर्ति	3456-Civil Supplies	***	0.01	(पt)	0.01
जोइ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		1050.41		1050.41
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
- 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत	4070-Capital Outlay on Other Administrative		0.01	(फu)	0.01
परिव्यय	Services				
4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत	4250-Capital Outlay on other Social Services		0.01	(ब∨)	0.01
परिव्यय					
4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	4425-Capital Outlay on Co-operation		0.01	(भw)	0.01

5054-Capital Outlay on Roads and Bridges

0.01

0.01 (开x)

जोड़ (पूंजी भाग जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		1050.45 1050.45
	1 0 00 1 ··· 10 · 1		
यह परक अनदा	ने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:	The suppler	mentary Grants are required for:
(क)	अन्य के लिए किराया के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (₹ 0.03 करोड़)।	(a)	meeting additional expenditure towards Rent for others (₹0.03 crore).
	चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचत उपलब्ध है, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।		As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.
(ख)	स्थापना के अंतर्गत अन्य के लिए किराया के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना	(b)	meeting additional expenditure towards Rent for others under
	(₹ 0.12 करोड़)। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचत उपलब्ध है, सांकेतिक पूरक मांगा जाता		Establishment (₹0.12 crore). As savings are available in the same section of the grant,
	यूष्ण जनुदान के उसा मार्ग में बयत उपलब्ध है, साकातक पूरक मार्गा जाता है।		a token supplementary is sought.
(ग)	पुलिस मोटर वाहन के अंतर्गत अन्य के किराया के लिए अतिरिक्त व्यय को	(c)	meeting additional expenditure towards Rent for others (₹0.01
	पूरा करना (₹ 0.01 करोड़)। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचत उपलब्ध है, सांकेतिक पूरक मांगा जाता		crore) under the Police Motor Transport. As savings are available in the same section of the grant,
	है।		a token supplementary is sought.
(ঘ)	पुलिस मोटर वाहन के अंतर्गत अन्य के किराया (र 0.03 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना ।	(d)	meeting additional expenditure towards Rent for others ($₹0.03$ crore) under the Police Motor Transport.
	चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचत उपलब्ध है, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।		As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.
(ङ)	पुलिस मोटर परिवहन के अंतर्गत अन्य के किराया के लिए अतिरिक्त व्यय	(e)	meeting additional expenditure towards Rent for others (₹0.03
	को पूरा करना (₹ 0.03 करोड़)। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचत उपलब्ध है, सांकेतिक पूरक मांगा जाता		crore) under the Police Motor Transport. As savings are available in the same section of the grant,
	है।		a token supplementary is sought.
(च)	नौसेना इकाई के अंतर्गत डिजिटल उपकरण के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (₹ 0.01 करोड़)।	(f)	meeting additional expenditure towards Digital Equipment (₹0.01 crore) under the Naval Unit.
	चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचत उपलब्ध है, सांकेतिक पूरक मांगा जाता		As savings are available in the same section of the grant,
(ভ)	है। अन्य के लिए किराया के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (* 0.16 करोड़)।	(g)	a token supplementary is sought. meeting additional expenditure towards Rent for others (₹0.16
(6)	·	(9)	crore).
	चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचत उपलब्ध है, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।		As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.
(ज)	स्थापना के अंतर्गत अन्य के लिए किराए के अतिरिक्त व्यय (₹0.02 करोड़)	(h)	meeting additional expenditure towards Rent for others (₹0.02
	को पूरा करना। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचत उपलब्ध है, सांकेतिक पूरक मांगा जाता		crore) under Establishment. As savings are available in the same section of the grant,
	है।		a token supplementary is sought.
(朝)	स्थापना के अंतर्गत अन्य के लिए किराया (* 0.04 करोड़) और डिजिटल उपकरण (* 0.05 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(i)	meeting additional expenditure towards Rent for Others (₹0.04
	उपकरण (२ 0.00 कराइ) के आतारक व्यय का पूरा करना।		crore) and towards Digital Equipments (₹0.05 crore) under Establishment.
	चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचत उपलब्ध है, सांकेतिक पूरक मांगा जाता		As savings are available in the same section of the grant,
(ट)	हैं। स्थापना के अंतर्गत सब्सिडी (₹ 0.03 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा	(j)	a token supplementary is sought. meeting additional expenditure towards Subsidies (₹0.03 crore)
()	करना।	0)	under Establishment.
	चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचत उपलब्ध है, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।		As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.
(ত)	मवेशी और भैंस विकास कार्यक्रम के तहत अन्य के लिए किराया (₹ 0.03	(k)	meeting additional expenditure towards Rent for Others (₹0.03
	करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचत उपलब्ध है, सांकेतिक पूरक मांगा जाता		crore) under the Cattle and Buffalo Development Programme. As savings are available in the same section of the grant,
(z)	है।	(1)	a token supplementary is sought.
(ਤ)	स्थापना के अंतर्गत डिजिटल उपकरण (₹0.01 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(1)	meeting additional expenditure towards Digital Equipment (₹0.01 crore) under Establishment.
	चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचत उपलब्ध है, सांकेतिक पूरक मांगा जाता		As savings are available in the same section of the grant,
(ঙ)	है। गैर-पारंपरिक ऊर्जा प्रणालियों की स्थापना के अंतर्गत अन्य के लिए किराया	(m)	a token supplementary is sought. meeting additional expenditure towards Rent for Others (₹0.03
(-)	(₹0.03 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	···/	crore) under the Establishment of Non-Conventional Energy Systems.

चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचत उपलब्ध है, सांकेतिक पूरक मांगा जाता ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹0.01 (呵) (n) करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सज़न के लिए अनुदान (₹0.01 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचत उपलब्ध है, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। कंप्यूटर परिधीय उपकरणों की खरीद के लिए और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (ਜ) को भ्गतान के लिए व्यवसायिक सेवाओं (₹100.83 करोड़) के लिए डिजिटल उपकरणों (₹0.03 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। अन्दान के उसी भाग में उपलब्ध बचत और अन्दान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹81.85 करोड़ की बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में ₹3.03 करोड का नकद व्यय होगा। भारतीय शिपिंग निगम के भ्गतान के लिए व्यवसायिक सेवाओं (₹ 450.93 (왭) करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। उपरोक्त व्यय में ₹ 450.93 करोड़ का नकद व्यय शामिल होगा। ट्रांसपोंडरों को किराए पर लेने और चेन्नई अंडमान निकोबार द्वीप उप-सम्द्री (द) केबल के संचालन और रखरखाव शुल्क के लिए अन्य राजस्व व्यय (₹ 514.43 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। उपरोक्त व्यय में नकद व्यय होगा। (ध) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत अन्य के लिए किराया (₹0.10 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचत उपलब्ध है, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। (न) अन्य के लिए किराया (₹0.12 करोड़) और व्यवसायिक सेवाओं (₹0.48 (s) करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। चूंकि अन्दान के उसी भाग में बचत उपलब्ध है, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। (प) अन्य के लिए किराया (₹0.02 करोड़) और स्थापना के तहत डिजिटल उपकरण (₹0.01 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। चुंकि अनुदान के उसी भाग में बचत उपलब्ध है, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। (फ) अर्थशास्त्र और सांख्यिकी के अंतर्गत फर्नीचर तथा फिक्स्चर (₹0.03 करोड़) (u) के अतिरिक्त व्यय को पुरा करना। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचत उपलब्ध है, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। भवनों के अंतर्गत फर्नीचर तथा फिक्स्चर (₹ 0.20 करोड़) के लिए अतिरिक्त (ब) (v) व्यय को परा करना। चूंकि अन्दान के उसी भाग में बचत उपलब्ध है, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। अन्य सहकारी समितियों के अंतर्गत मोटर वाहन (₹ 0.20 करोड) और (H) फर्नीचर तथा फिक्सचर्स (₹ 0.05 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचत उपलब्ध है, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। मशीनरी की खरीद के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (₹0.30 करोड़)। (ਸ) चुंकि अनुदान के उसी भाग में बचत उपलब्ध है, सांकेतिक पुरक मांगा जाता है।

As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure towards Grants-In-Aid General (₹0.01 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹0.01 crore) under the Great Nicobar Island Project.

As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure towards Digital Equipment (₹0.03 crore) for procurement of computer peripherals and towards Professional Services (₹100.83 crore) for payment to Cochin Shipyard Limited.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant and savings of ₹81.85 crore available in the Capital section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹3.03 crore.

meeting additional expenditure towards Professional Services (₹450.93 crore) for payment to Shipping Corporation of India.

The above expenditure will entail a cash outgo of ₹450.93 crore. meeting additional expenditure towards Other Revenue Expenditure (₹514.43 crore) for hiring of transponders, and for operation and maintenance charges of Chennai Andaman Nicobar Island sub marine cable.

The above expenditure will entail a cash outgo.

meeting additional expenditure towards Rent for Others (₹0.10 crore) under Science and Technology.

As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure towards Rent for Others (₹0.12 crore) and towards Professional Services (₹0.48 crore).

As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure towards Rent for Others (₹0.02 crore) and towards Digital Equipment (₹0.01 crore) under Establishment.

As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure towards Furniture & Fixtures ($\stackrel{\scriptstyle <}{_{\sim}}$ 0.03 crore) under Economics & Statistics.

As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure towards Furniture & Fixtures (₹0.20 crore) under Buildings.

As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure towards Motor Vehicles (₹0.20 crore) and towards Furniture & Fixtures (₹0.05 crore) under other co-operatives.

As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure towards Motor Vehicles (₹0.30 crore) under the Purchase of Machinery.

मांग संख्या DEMAND NO 53 चंडीगढ़ CHANDIGARH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 61 देखिये) (See page 61 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026)

(₹ करोड) (In ₹ crores)

			(1 47)	iş / (iii \ cibi e
		भारित	स्वीकृत	ऒड़
		Charged	Voted	Total
।. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	537.42	5647.76	6185.18
पूंजी	Capital	3.00	795.00	798.00
जो इ	Total	540.42	6442.76	6983.18
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now require	od:		
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
पूंजी	Capital			
जोइ	Total	•••	0.01	0.01
जोइ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	540.42	6442.77	6983.19
राजस्व	Revenue	<i>537.42</i>	5647.77	6185.19
पूंजी	Capital	3.00	795.00	798.00
	॥. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के	अंतर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for u	under the following Majo	r Head:	
		भारित	स्वीकृत	ऒड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2217-शहरी विकास	2217-Urban Development	***	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

ब्याज देनदारियों के भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। उपरोक्त अनुमान में नई सेवा पर व्यय शामिल है। निदेश और प्रशासन के अंतर्गत अन्य राजस्व व्यय (₹ 71.11 करोड़) के लिए मुख्य शीर्ष 2217 में भारत की आकस्मिक निधि से ₹ 71.11 करोड़ की राशि अग्रिम की गई है और उस निधि में पुनर्भुगतान करने के लिए समकक्ष राशि अपेक्षित है।

उपरोक्त के लिए, ₹ 71.11 करोड़ की राशि अनुदान (सांकेतिक पूरक) के उसी भाग में पुनर्विनियोजन द्वारा प्राप्त की जा सकती है। The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure for payment of interest liabilities. The above estimate includes expenditure on a New Service. A sum of ₹71.11 crore has been advanced from Contingency Fund of India in Major Head 2217 for Other Revenue Expenditure (₹71.11 crore) under Direction and Administration and an equivalent amount is required to enable repayment to be made to that Fund

For the above, the amount of ₹71.11 crore can be found by reappropriation within same section of the Grant (Token Supplementary).

मांग संख्या DEMAND NO 54 दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 64 देखिये) (See page 64 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026)

(₹ करोड़) (In ₹ crores) भारित स्वीकृत जॉड़ Charged Voted Total ।. मूल अनुदान: I. ORIGINAL GRANT: राजस्व Revenue 1712.50 1712.50 पूंजी Capital 1070.00 1070.00 जोड Total 2782.50 2782.50 इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: Revenue 0.04 0.04 राजस्व पूंजी Capital 0.07 0.07 जोड़ Total 0.11 0.11 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 2782.61 2782.61 राजस्व 1712.54 1712.54 Revenue पूंजी Capital 1070.07 1070.07 II. इस पूरक अन्दान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head(s) भारित स्वीकृत ऒड़ Charged Voted Total REVENUE SECTION राजस्व भाग मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2041-वाहनों पर कर 2041-Taxes on Vehicles 0.01 (**क**a) 0.01 2202-सामान्य शिक्षा 2202-General Education 0.01 0.01 (खb) 2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य 2210-Medical and Public Health 0.01 (गc) 0.01 2217-शहरी विकास 2217-Urban Development 0.01 (घd) 0.01 जोड़ (राजस्व भाग) Total (Revenue Section) 0.04 0.04 पूंजी भाग CAPITAL SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 4055-पुलिस पर पुंजीगत परिव्यय 4055-Capital Outlay on Police 0.01 (ङe) 0.01 4059-लोक निर्माण कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय (चf) 4059-Capital Outlay on Public Works 0.01 0.01 4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर 4202-Capital Outlay on Education, Sports, Art 0.01 0.01 (छg) पूंजीगत परिव्यय and Culture 4210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत 4210-Capital Outlay on Medical and Public (जh) 0.01 0.01 परिव्यय Health 4215-जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत 4215-Capital Outlay on Water Supply and 0.01 0.01 (झi) Sanitation 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय 0.01 5053-Capital Outlay on Civil Aviation 0.01 (टj) 5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय 5452-Capital Outlay on Tourism 0.01 (ठk) 0.01 जोड़ (पूंजी भाग) Total (Capital Section) 0.07 0.07 जोइ (पूरक) Total (Supplementary) 0.11 0.11

यह पूरक अनु	दाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:	The supple	mentary Grants are required for:
(क)	अन्य राजस्व व्यय (₹3.00 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(a)	meeting additional expenditure towards Other Revenue
			Expenditure (₹ 3.00 crore).
	चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचत उपलब्ध है, सांकेतिक पूरक मांगा जाता		As savings are available in the same section of the grant,
	है।		a token supplementary is sought.
(ख)	वेतन सहायता अनुदान (₹6.82 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(b)	meeting additional expenditure towards Grants-in-Aid Salaries
			(₹6.82 crore).
	चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचत उपलब्ध है, सांकेतिक पूरक मांगा जाता		As savings are available in the same section of the grant,
	है।		a token supplementary is sought.

(c)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(k)

कार्यालय व्यय (₹ 10.00 करोड़) और अन्य राजस्व व्यय (₹3.00 करोड़) के (ग) अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचत उपलब्ध है, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। (ঘ) नगर परिषद हेतु पूंजीगत आस्तियों के सृजन (₹ 11.00 करोड़) के लिए चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचत उपलब्ध है, सांकेतिक पूरक मांगा जाता (량) निर्माण कार्यों के लिए भवनों और संरचनाओं के अतिरिक्त व्यय (₹2.50 करोड) को पुरा करना। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचत उपलब्ध है, सांकेतिक पूरक मांगा जाता (च) भवनों और संरचनाओं (₹ 17.00 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना । चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचत उपलब्ध है, सांकेतिक पूरक मांगा जाता स्कूलों और कॉलेजों से संबंधित निर्माण कार्यों के लिए भवनों और संरचनाओं (छ) (₹6.74 करोड़) और एनआईएफटी परिसर के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए भूमि (₹4.82करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचत उपलब्ध है, सांकेतिक पूरक मांगा जाता (ज) स्वास्थ्य विभाग से संबंधित अस्पतालों और पूंजीगत कार्यों से संबंधित निर्माण कार्यों के लिए भवन और संरचनाओं (₹ 25.00 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। चूंकि अन्दान के उसी भाग में बचत उपलब्ध है, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति हेतु अवसंरचनागत आस्तियों (₹ 5.00 करोड़) के (朝) अतिरिक्त व्यय को पुरा करना चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचत उपलब्ध है, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। नानी दमन में वाणिज्यिक हवाईअइडा टर्मिनल भवन के निर्माण और अन्य (조)

कार्यों हेतु भवनों और संरचनाओं के (₹ 10.00 करोड़) अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचत उपलब्ध है, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। (ठ) पर्यटन क्षेत्र के लिए भवनों और संरचनाओं (₹ 10.00 करोड़) और पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए अवसंरचना आस्तियों(₹ 2.73 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचत उपलब्ध है, सांकेतिक पूरक मांगा जाता

है।

meeting additional expenditure towards Office Expenses (\approx 10.00 crore) and towards Other Revenue Expenditure (\approx 3.00 crore).

As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure towards Grant for Creation of Capital Assets (₹11.00 crore) for Municipal Councils.

As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure towards Buildings and Structures (₹2.50 crore) for construction works.

As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure towards Buildings and Structures (₹17.00 crore).

As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure towards Buildings and Structures (₹6.74 crore) for construction works related to schools and colleges and towards Land (₹4.82 crore) for acquisition of land for NIFT campus.

As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure towards Building and Structures (₹25.00 crore) for construction works related to hospitals and capital works related to Health Department.

As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure towards Infrastructural Assets (\$5.00 crore) for water supply to urban areas.

As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure towards Buildings and Structures (₹10.00 crore) for construction of airport and other works of commercial airport terminal building at Nani Daman.

As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure towards Buildings and Structures (₹10.00 crore) for tourism sector and towards Infrastructural Assets for development of tourism sector (₹2.73 crore)

मांग संख्या DEMAND NO 55

लद्दाख LADAKH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 67 देखिये) (See page 67 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026)

ree pag		ands of Central Government		0_0 _0_0/		(₹ करोड़	·) (In ₹ crores
				भारित	स्वीकृत		ऒड़
				Charged	Voted		Total
।. मूल अ	नुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व	_	Revenue			2460.25		2460.25
पूंजी		Capital		•••	2242.15		2242.15
जोड़		Total			4702.40		4702.40
इस समय	आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the	amount now				
		required:					
राजस्व		Revenue			2519.51		2519.51
पूंजी		Capital			168.78		168.78
जोड़		Total			2688.29		2688.29
जोइ (मूल	और पूरक)	Total (Original plus Supplemen	tary)		7390.69		7390.69
राजस्व		Revenue			4979.76		4979.76
पूंजी		Capital			2410.93		2410.93
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्	नलिखित मुख्य ६	शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेग	Γ:		
		II. This Supplementary Grants v	will be account	ed for under the following I	Major Head(s)	
				भारित	स्वीकृत		जॏड़
				Charged	Voted		Total
राजस्व १	<i>नाग</i>	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	•	MAJOR HEAD					
2014-न्या	य प्रशासन	2014-Administration of Justice		•••	0.01	(कa)	0.01
2075-विवि	वेध सामान्य सेवाएं	2075-Miscellaneous General S	ervices		2504.46	(खb)	2504.46
2245-प्रावृ	ृतिक आपदा राहत	2245-Relief on account of Natu	ral Calamities		12.04	(गc)	12.04
2801-विद्	(त	2801-Power			3.00	(घd)	3.00
जोड़ (राज	स्व भाग)	Total (Revenue Section)			2519.51		2519.51
पूजी भाग	T	CAPITAL SECTION					
 मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
4575-अन	य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत	4575-Capital Outlay on Other S	Special Areas		168.78	(ਝe)	168.78
परिव्यय		Programmes					
जोड़ (पूरक	,	Total (Supplementary)		•••	2688.29		2688.29
गर गास :	अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The suppler	montary Grants are required	d for:		
	5	व्यय (₹ 0.01 करोड़) को पूरा करना।		mentary Grants are required		ro (∓0.0)1 orono) und
(क)	वरलू यात्रा व्यय क तहत जातारक	व्यय (२ ०.०। कराड़) का पूरा करना।	(a)	meeting the additional Domestic Travel Expense	-	ie (30.0	or crore) una
	चंकि अनदान के उसी भाग में बचत	उपलब्ध है, सांकेतिक पूरक मांगा जाता		As savings are available		me sect	tion of the gran
	है।			a token supplementary is			3
(ख)	•	ों के विनियोग के लिए जम्मू और कश्मीर	(b)	meeting additional exp	•	2504.46	crore) toward
()	को अंतरण के अतिरिक्त व्यय (₹ 25	•	(-)	transfer to the UT of	•		,
		2		apportionment of liabilitie	s between th	ne two U	nion Territories.
	उपरोक्त व्यय में ₹ 2504.46 करोड़	का नकद व्यय शामिल होगा।		The above expenditure			
				crore.			
(ग)	आपदा प्रबंधन के लिए अतिरिक्त व्य	ग्य (₹ 12.04 करोड़) को पूरा करना।	(c)	meeting additional expe	enditure (₹1	12.04 cr	ore) for disast
	उपरोक्त व्यय में ₹12.04 करोड़ का	जरूर राम भागित होगा।		management.	ill ontoil o o	ach cutar	o of ∓12 04 oror
()		· ·	(-1)	The above expenditure w		_	
(ঘ)	••	न के लिए बिजली की खरीद और डीजल	(d)	meeting additional exper	•		•
	की खरीद के लिए अतिरिक्त व्यय (८७.७७ कराइ) का पूरा करनी।		of power and procurement flung areas.	it or alesel to	or power	generation in fa
	उपरोक्त व्यय में ₹ 3.00 करोड़ का ब	नकट ट्यय शामित्र होगा।		The above expenditure w	ill entail a co	ash outce	on of ₹3 NN crore
(량)		जिमाण के लिए जम्मू और कश्मीर संघ	(e)	meeting additional exper		_	
(3)		0.14 करोड़) और एलएएचडीसी लेह और	(0)	& Kashmir towards the c			
		अावंटन को बढाने के लिए (₹ 148.64		at Jammu (₹20.14 crore)		-	
	करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा क	,					
	कराड़) के जातारक्त व्यय का पूरा क उपरोक्त व्यय में ₹168.78 करोड़ क			of LAHDC Leh and LAHD			
	उत्तराता प्ययं में र १७०.७० फरीई क	। राजन्य २५५ साम्बर्ग हाणा।		The above expenditure w	ııı eritali a Ca	isii oulgo	01 2 100.70 0101

मांग संख्या DEMAND NO 58 जम्मू और कश्मीर को अंतरण TRANSFERS TO JAMMU AND KASHMIR

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 74 देखिये) (See page 74 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

			(K 90)	RIS) (III & CIUI ES)
		भारित	स्वीकृत	जॏड़
		Charged	Voted	Total
।. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	***	41000.07	41000.07
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		41000.07	41000.07
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now			
	required:			
राजस्व	Revenue		340.15	340.15
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		340.15	340.15
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		41340.22	41340.22
राजस्व	Revenue		41340.22	41340.22
पूंजी	Capital			
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शी	र्ष के अंतर्गत दिखाया जाये	π:	
	II. This Supplementary Grant will be accounted	for under the following	Major Head:	
		भारित	स्वीकृत	जৌइ
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
- 3602-संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता	3602-Grants-in-aid to Union Territory	***	340.15	340.15
अनुदान	Governments			

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

624 मेगावाट की कीरू एचईपी (₹ 154.81 करोड़) और झेलम तवी बाढ़ पुनःसुधार परियोजना-बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना (₹ 185.34 करोड़) के लिए इक्विटी योगदान के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। उपरोक्त व्यय में ₹340.15 करोड़ का नकद व्यय शामिल होगा। The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure towards Equity Contribution for 624 MW Kiru HEP (₹154.81 crore) and Jhelum Tavi Flood Recovery Project - Externally Aided Project (₹185.34 crore). The above expenditure will entail a cash outgo of ₹340.15 crore.

मांग संख्या DEMAND NO 59 पुदुचेरी को अंतरण TRANSFERS TO PUDUCHERRY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 75 देखिये)

(See page 75 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026)

	·	•	(₹ करो	ड़ि) (In ₹ crores,
		भारित	स्वीकृत	जो इ
		Charged	Voted	Total
।. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue		3432.19	3432.19
प्ंजी	Capital		0.01	0.01
जोड़	Total		3432.20	3432.20
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		85.68	85.68
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		85.68	85.68
जोइ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		3517.88	3517.88
राजस्व	Revenue	•••	3517.87	3517.87
पूंजी	Capital		0.01	0.01
	॥. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंत	र्गत दिखाया जायेगा	Γ:	
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under	er the following M	/lajor Head:	
		भारित	स्वीकृत	जॏड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3602-संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments		85.68	85.68

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grant is required for:

संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

meeting additional expenditure under the Central Assistance to

Union Territories.

उपरोक्त व्यय में ₹85.68 करोड़ का नकद व्यय शामिल होगा।

The above expenditure will entail a cash outgo of ₹85.68 crore.

मांग संख्या DEMAND NO 60 आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 76 देखिये) (See page 76 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित	स्वीकृत	ऒड़
		Charged	Voted	Total
।. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	164.15	59158.46	59322.61
पूंजी	Capital	42.95	42552.75	42595.70
जोड़	Total	207.10	101711.21	101918.31
इस समय आवश्यक रकम का पूरक	Supplementary Estimate of the amount now			
अनुमान:	required:			
राजस्व	Revenue	28.69	0.06	28.75
पूंजी	Capital	185.99	0.01	186.00
जोड़	Total	214.68	0.07	214.75
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	421.78	101711.28	102133.06
राजस्व	Revenue	192.84	59158.52	59351.36
पूंजी	Capital	228.94	42552.76	42781.70

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:

		भारित		स्वीकृत		ऒड़	
		Charged		Voted		Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD						
2059-लोक निर्माण कार्य	2059-Public Works			0.01	(कa)	0.01	
2216-आवासन	2216-Housing	28.69	(खb)			28.69	
2217-शहरी विकास	2217-Urban Development			0.01	(गc)	0.01	
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas			0.01	(घd)	0.01	
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Services			0.01	(ਝe)	0.01	
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments			0.01	(चf)	0.01	
3602-संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को	3602-Grants-in-aid to Union Territory			0.01	(<u>छ</u> g)	0.01	
सहायता अनुदान	Governments						
जोइ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	28.69		0.06		28.75	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD						
4059-लोक निर्माण कार्यो पर पूंजीगत	4059-Capital Outlay on Public Works			0.01	(जh)	0.01	
परिव्यय							
4216-आवासन पर पूंजीगत परिव्यय	4216-Capital Outlay on Housing	185.99	(झi)			185.99	
जोइ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	185.99		0.01		186.00	
जोइ (पूरक)	Total (Supplementary)	214.68		0.07		214.75	

यह पूरक अनुदाने/विनियोग निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

(क) भूमि और विकास कार्यालय (एलएंडडीओ) के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 84.97 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। चंकि भनदान के उसी भाग में बचन उपलब्ध है. मांकेतिक परक मांगा जाता

चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचत उपलब्ध है, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

(ख) राष्ट्रपति संपदाओं के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त व्यय को पूरा करना-(i) उद्यानों के तहत कार्यालय व्यय (₹ 0.10 करोड़), अन्य के लिए किराया (₹ 0.05 करोड़), आपूर्ति और सामग्री (₹ 0.38 करोड़) (ii) साधारण मरम्मत के तहत लघु नागरिक और विद्युत कार्य (₹ 22.66 करोड़) (iii) भवनों के तहत लघु नागरिक और विद्युत कार्य (₹1.50 करोड़) (iv) राष्ट्रपति सचिवालय के तहत भूमि और भवनों के लिए किराया, दर्रे और कर (₹4.00 करोड़)। The supplementary Grants/Appropriations are required for:

(a) meeting additional expenditure towards Grants-in-Aid General (₹ 84.97 crore) under Land & Development Office (L&DO).
 As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure towards President Estates (i) Office Expenses (₹ 0.10 crore), Rent for Others (₹ 0.05 crore),
Supplies and Materials (₹ 0.38 crore) under the Gardens
(ii) Minor Civil & Electric Works (₹ 22.66 crore) under the
Ordinary Repairs (iii) Minor Civil & Electric Works (₹ 1.50 crore)
under the Buildings (iv) Rents, Rates And Taxes for Land and
Buildings (₹ 4.00 crore) under President's Secretariat.

(c)

(d)

(e)

(g)

अनुदान के राजस्व (स्वीकृत) भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए. उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

(ग) निम्नलिखित अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (i) पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 25.00 करोड़)-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) (ii) स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 10.00 करोड़)।

चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचत उपलब्ध है, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

(घ) निम्निलिखित अतिरिक्त व्यय को पूरा करना- (i) दीनदयाल जन आजीविका योजना (शहरी)-एक पायलट योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 18.49 करोड़) (ii) प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी/प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन (₹ 200.00 करोड़) के लिए अनुदान।

> चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचत उपलब्ध है, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

> उपरोक्त अनुमानों में दीनदयाल जन आजीविका योजना (शहरी)-एक पायलट योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान के लिए मुख्य शीर्ष 2552 में भारत की आकस्मिकता निधि से अग्रिम ₹ 18.49 करोड़ की राशि शामिल है और उस निधि में पुनर्भुगतान करने के लिए समकक्ष राशि अपेक्षित है।

> उपरोक्त के लिए, ₹ 18.49 करोड़ की राशि अनुदान के उसी भाग (सांकेतिक पूरक) में पुनर्विनियोजन द्वारा प्राप्त की जा सकती है।

दीनदयाल जन आजीविका योजना-एक पायलट योजना (शहरी) के तहत कार्यालय व्यय (₹0.30 करोड़), व्यवसायिक सेवाओं (₹4.18 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (₹1.50 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा

(ङ)

(छ)

चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचत उपलब्ध है, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

उपरोक्त अनुमानों में अनुदान-सहायता-सामान्य (₹ 1.50 करोड़) (नई सेवा), कार्यालय व्यय (₹0.30 करोड़) और व्यवसायिक सेवाओं (₹4.18 करोड़) के तहत व्यय शामिल हैं। दीनदयाल जन आजीविका योजना (शहरी)-एक पायलट योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹1.50 करोड़), कार्यालय व्यय (₹0.30 करोड़) और व्यवसायिक सेवाओं (₹4.18 करोड़) के लिए मुख्य शीर्ष 3475 में भारत की आकस्मिक निधि से ₹ 5.98 करोड़ की राशि अग्रिम दी गई है और उस निधि में पुनर्भुगतान के लिए समकक्ष राशि अग्रिसत है।

उपरोक्त के लिए, ₹5.98 करोड़ की राशि अनुदान (सांकेतिक पूरक) के उसी भाग में पुनर्विनियोजन द्वारा प्राप्त की जा सकती है।

(च) दीनदयाल जन आजीविका योजना (शहरी)-एक पायलट योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 65.53 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा

> चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचत उपलब्ध है, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

> उपरोक्त अनुमानों में ₹ 65.53 करोड़ की राशि शामिल है जो भारत की आकस्मिक निधि से मुख्य शीर्ष 3601 में दीनदयाल जन आजीविका योजना (शहरी)-एक पायलट योजना के तहत सहायता अनुदान के लिए अग्रिम की गई थीऔर उस निधि में पुनर्भुगतान के लिए समकक्ष राशि अपेक्षित है।

उपरोक्त के लिए, ₹ 65.53 करोड़ की राशि अनुदान के उसी भाग (सांकेतिक पूरक) के भीतर पुनर्विनियोजन द्वारा पाई जा सकती है।

दीनदयाल जन आजीविका योजना (शहरी)-एक पायलट योजना के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 5.00 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। Taking into account the savings available in the Revenue (Voted) Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

meeting expenditure towards - (i) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 25.00 crore) - National Capital Region Transport Corporation (NCRTC) (ii) Grants-in-Aid General (₹ 10.00 crore) under Swachh Bharat Mission-Urban.

As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure towards - (i) Grants-in-Aid General (₹ 18.49 crore) under Deendayal Jan Aajeevika Yojana (Shehari)- a Pilot Scheme . (ii) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 200.00 crore) under Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban/Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban/Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban 2.0.

As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

The above estimates includes a sum of ₹ 18.49 crore advanced from Contingency Fund of India in Major Head 2552 for Grants-in-Aid General under Deendayal Jan Aajeevika Yojana (Shehari) - a Pilot Scheme and an equivalent amount is required to enable repayment to be made to that Fund.

For the above, the amount of ₹ 18.49 crore can be found by reappropriation within same section of the Grant (Token Supplementary).

meeting additional expenditure towards - Office Expenses (₹ 0.30 crore), Professional Services(₹ 4.18 crore) and Grants-in-Aid General (₹ 1.50 crore) under Deendayal Jan Aajeevika Yojana (Shehari) - a Pilot Scheme.

As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

The above estimates include expenditure under Grants-in-Aid General (₹ 1.50 crore) (New Service), Office Expenses (₹ 0.30 crore) and Professional Services (₹ 4.18 crore). A sum of ₹ 5.98 crore has been advanced from Contingency Fund of India in Major Head 3475 for Grants-in-Aid General (₹ 1.50 crore), Office Expenses (₹ 0.30 crore) and Professional Services (₹ 4.18 crore) under Deendayal Jan Aajeevika Yojana (Shehari) - a Pilot Scheme and an equivalent amount is required to enable repayment to be made to that Fund.

For the above, the amount of $\ref{thmspace}$ 5.98 crore can be found by reappropriation within same section of the Grant (Token Supplementary).

meeting additional expenditure towards Grants-in-Aid General (₹ 65.53 crore) under Deendayal Jan Aajeevika Yojana (Shehari)-a Pilot Scheme.

As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

The above estimates includes a sum of ₹ 65.53 crore was advanced from Contingency Fund of India in Major Head 3601 for Grants-in-Aid General under Deendayal Jan Aajeevika Yojana (Shehari) - a Pilot Scheme and an equivalent amount is required to enable repayment to be made to that Fund.

For the above, the amount of \mathbb{R} 65.53 crore can be found by re-appropriation within same section of the Grant (Token Supplementary).

meeting additional expenditure towards Grants-in-Aid General (₹ 5.00 crore) for Deendayal Jan Aajeevika Yojana (Shehari)-a Pilot Scheme.

(h)

चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचत उपलब्ध है, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

उपरोक्त अनुमानों में एक नई सेवा पर व्यय शामिल है। दीनदयाल जन आजीविका योजना (शहरी)-एक पायलट योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान के लिए मुख्य शीर्ष 3602 में भारत की आकस्मिक निधि से ₹ 5.00 करोड़ की राशि अग्रिम की गई है और उस निधि में पुनर्भुगतान करने के लिए समकक्ष राशि अपेक्षित है।

उपरोक्त के लिए, अनुदान के उसी भाग (सांकेतिक पूरक) में पुनः विनियोजन द्वारा ₹ 5.00 करोड़ की राशि प्राप्त की जा सकती है।

(ज) भवनों और संरचनाओं (₹ 244.32 करोड़)-जीपीए-गैर आवासीय, फर्नीचर और फिक्स्चर (₹0.25 करोड़) और एलएण्डडीओ हेतु मोटर वाहन (₹0.10 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

> चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचत उपलब्ध है, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

(झ) देहरादून और अन्य राष्ट्रपित संपदाओं में राष्ट्रपित संपदा के लिए अन्य अचल संपितयों (₹2.10 करोड़), मोटर वाहनों (₹0.11 करोड़) और भवनों और संरचनाओं (₹183.78 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

> अनुदान के पूंजी स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा।

> उपरोक्त अनुमानों में राष्ट्रपति संपदा के तहत भवनों और संरचनाओं के लिए मुख्य शीर्ष 4216 में भारत की आकस्मिक निधि से अग्रिम ₹114.67 करोड़ की राशि शामिल है और उस निधि में पुनर्भुगतान करने के लिए समकक्ष राशि अपेक्षित है।

उपरोक्त के लिए, अनुदान (तकनीकी पूरक) में पूंजी (स्वीकृत) भाग में बचत से ₹ 114.67 करोड़ की राशि को पूरा किया जाएगा। As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

The above estimates includes expenditure on a New Service. A sum of ₹ 5.00 crore has been advanced from Contingency Fund of India in Major Head 3602 for Grants-in-Aid General under Deendayal Jan Aajeevika Yojana (Shehari) - a Pilot Scheme and an equivalent amount is required to enable repayment to be made to that Fund.

For the above, the amount of \mathbb{T} 5.00 crore can be found by re-appropriation within same section of the Grant (Token Supplementary).

meeting additional expenditure towards Buildings & Structures (₹ 244.32 crore) - GPA-Non Residential, Furniture & Fixtures (₹ 0.25 crore) and Motor Vehicles (₹ 0.10 crore) for L&DO.

As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure towards Other Fixed Assets (₹ 2.10 crore), Motor Vehicles (₹ 0.11 crore) and Buildings & Structures (₹183.78 crore) for Presidential Estate at Dehradun & other Presidential Estates.

Taking into account the savings available in the Capital Voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

The above estimates includes a sum of ₹ 114.67 crore advanced from Contingency Fund of India in Major Head 4216 for Buildings and Structures under the President Estates and an equivalent amount is required to enable repayment to be made to that Fund.

For the above, the amount of ₹ 114.67 crore can be met from savings in Capital (Voted) section within the Grant (Technical Supplementary).

मांग संख्या DEMAND NO 61 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 78 देखिये)

			(₹ करों:		(In ₹ cro	re:
		भारित	स्वीकृत		ऒड़	
		Charged	Voted		Total	
।. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व	Revenue		4314.59		4314.59	
र् र्जी	Capital	***	43.79		43.79	
जोड़	Total		4358.38		4358.38	
स समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now					
	required:					
राजस्व	Revenue	***	0.01		0.01	
र् र्जी	Capital		17.26		17.26	
नोइ	Total		17.27		17.27	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		4375.65		4375.65	
जस् व	Revenue		4314.60		4314.60	
(ं जी	Capital		61.05		61.05	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों	के अंतर्गत दिखाया जायेग	?:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted to	for under the following I	Major Head(s)			
		भारित	स्वीकृत		ऒड़	
		Charged	Voted		Total	
गजस्व भाग	REVENUE SECTION					
नुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
- १२२०-सूचना और प्रचार	2220-Information and Publicity		0.01	(कa)	0.01	
तुंजी भाग	CAPITAL SECTION					
नुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
- १२२०-सूचना और प्रचार पर पूंजीगत	4220-Capital Outlay on Information and Publicity		17.26	(खb)	17.26	
रिव्यय						
नोइ (पूरक)	Total (Supplementary)		17.27		17.27	
मह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:	The supplement	entary Grants are requi	ed for:			
., .		meeting additional		towards	Printing	а
मीडिया विंग		Publications (₹0.01 cro	•		3	
अनुबान के हारी भाग में बनान व	ो ध्यान में रखते हुए एक मांकेतिक परक	As savings are availa	blo in the sa	ma sacti	on of the	ara

(क)	मुद्रण और प्रकाशन पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (₹0.01 करोड़) - न्यू मीडिया विंग
	अनुदान के इसी भाग में बचत को ध्यान में रखते हु ए, एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
(ख)	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर - मशीनरी और उपकरण (₹ 17.02 करोड़), भारत के प्रेस रजिस्ट्रार जनरल - फर्नीचर और फिक्स्चर (₹ 0.03 करोड़), केंद्रीय संचार ब्यूरो - मोटर वाहन (₹ 0.20 करोड़) और न्यू मीडिया विंग - फर्नीचर और फिक्स्चर (₹ 0.01 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।
	अनुदान के राजस्व अनुभाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा।

As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought. (b) meeting additional expenditure towards Electronic Media Monitoring Centre - Machinery and Equipment (₹ 17.02 crore), Press Registrar General of India - Furniture & Fixtures (₹ 0.03 crore), Central Bureau of Communication - Motor Vehicles (₹ 0.20 crore) and New Media Wing - Furniture & Fixtures (₹ 0.01 Taking into account the savings available in the Revenue section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 62 जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

DEPARTMENT OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 79 देखिये)

(See page 79 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026)

				(₹ करोड़	₹) (In ₹ cro
		भारित	स्वीकृत		ऒड़
		Charged	Voted		Total
मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
ज स् व	Revenue		32607.40		32607.40
नी	Capital		558.50		558.50
इ	Total	•••	33165.90		33165.90
त समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
ज स् व	Revenue		0.04		0.04
जी	Capital		0.02		0.02
इ	Total		0.06		0.06
ोइ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		33165.96		33165.96
जस्व	Revenue		32607.44		32607.44
जी	Capital	•••	558.52		558.52
	II. This Supplementary Grants will be accounted to	भारित	ng Major Head स्वीकृत Voted	(s)	जৗइ Total
जस्व भाग	REVENUE SECTION	Charged	voled		IOIAI
ड्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(कa)	0.01
701-मुख्य और मध्यम सिंचाई	2701-Major and Medium Irrigation		0.01	(মার) (खb)	0.01
601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments		0.01	(बं _{ट)}	0.01
602-संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता	3602-Grants-in-aid to Union Territory		0.01	(घd)	0.01
नुदान	Governments			(12)	
इ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	•••	0.04		0.04
जी भाग	CAPITAL SECTION				
ड्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
'01-वृहत और मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत	4701-Capital Outlay on Major and Medium		0.01	(ङe)	0.01
रेट्यय	Irrigation			. ,	
(•		0.01	(चf)	0.01
• • •	5475-Capital Outlay on Other General				
175-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर	Economic Services				
१८९५ ४७५-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर जीगत परिव्यय ोइ (प्रंजी भाग)	, ,		0.02		0.02

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन के आधुनिकीकरण के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹3.13 करोड़)।

चूँकि अनुदान के उसी भाग में बचत उपलब्ध है, इसलिए एक सांकेतिक पूरक राशि की माँग की जा रही है।

उपरोक्त अनुमानों में एक नई सेवा पर व्यय शामिल है। कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन के आधुनिकीकरण के अंतर्गत पूंजीगत आस्त्रियों के सृजन हेतु अनुदान (₹3.13 करोड़) हेतु भारत की आकस्मिकता निधि से मुख्य शीर्ष 2552 में ₹3.13 करोड़ की राशि अग्रिम रूप से प्रदान की गई है और उस निधि में पुनर्भुगतान हेतु समतुल्य राशि की आवश्यकता है। The supplementary Grants are required for:

Grants for Creation of Capital Assets (₹3.13 crore) under the Modernization of Command Area Development and Water Management

As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

The above estimates include expenditure on a New Service. A sum of ₹3.13 crore has been advanced from Contingency Fund of India in Major Head 2552 for Grants for Creation of Capital Assets (₹3.13 crore) under the Modernization of Command Area Development and Water Management and an equivalent amount is required to enable repayment to be made to that Fund.

(c)

उपरोक्त के लिए, ₹3.13 करोड़ की राशि अनुदान के उसी भाग में पुनर्विनियोजन द्वारा (सांकेतिक अन्पूरक) प्राप्त की जा सकती है।

(ख) कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन के आधुनिकीकरण के तहत (b)व्यावसायिक सेवाएं (₹1.14 करोड़)

चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचत उपलब्ध है, इसलिए एकसांकेतिक अनुपुरक मांगी गई है।

ऊपर दिए गए अनुमानों में एक नई सेवा पर व्यय शामिल है। कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन के आधुनिकीकरण के तहत व्यावसायिक सेवाएं (₹1.14) के लिए मुख्य शीर्ष 2701 में भारत की आकस्मिकता निधि से ₹1.14 करोड़ की रकम अग्रीम दी गई है और उस निधि में पुनर्भुगतान हेतु समतुल्य राशि की आवश्यकता है।उपरोक्त के लिए, ₹3.13 करोड़ की राशि अनुदान के उसी भाग में पुनर्विनियोजन द्वारा (सांकेतिक अनुपूरक) प्राप्त की जा सकती है।

उपर्युक्त के लिए, ₹1.14 करोड़ की रकम ग्रांट के उसी भाग (सांकेतिक अन्पूरक) में पुनर्विनियोजन से मिल सकती है।

(ग) कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन के आधुनिकीकरण के तहत पूंजीगत आस्तियों (₹ 40.65 करोड़) के निर्माण के लिए अनुदान।

> चूंकि अनुदान के उसी खंड में बचत उपलब्ध है, इसलिए एक सांकेतिक अनुपुरककी मांग की जाती है.

> उपरोक्त अनुमानों में एक नई सेवा पर व्यय शामिल है। उपरोक्त अनुमानों में एक नई सेवा पर व्यय शामिल है. कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन के आधुनिकीकरण के तहत पूंजीगत आस्तियों (₹ 40.65 करोड़) के निर्माण के लिए अनुदान के लिए प्रमुख शीर्ष 3601 में भारत की आकस्मिक निधि से ₹ 40.65 करोड़ की राशि अग्रिम की गई है और उस निधि में पुनर्भुगतान को सक्षम करने के लिए समकक्ष राशि की आवश्यकता है।

उपरोक्त के लिए, ₹ 40.65 करोड़ की राशि अनुदान (सांकेतिक अनुपूरक) के उसी खंड में पुनर्विनियोजन द्वारा पाई जा सकती है।

कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन के आधुनिकीकरण के तहत पूंजीगत (आस्तियों (₹ 0.36 करोड़) के निर्माण के लिए अन्दान।

(ঘ)

(량)

चूंकि अनुदान के उसी खंड में बचत उपलब्ध है, इसलिए एक सांकेतिक अनुपूरककी मांग की जाती है.

उपरोक्त अनुमानों में एक नई सेवा पर व्यय शामिल है। कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन के आधुनिकीकरण के तहत पूंजीगत आस्त्तियों के निर्माण के लिए अनुदान के लिए प्रमुख शीर्ष 3602 में भारत की आकस्मिक निधि से 0.36 करोड़ रुपये की राशि अग्रिम की गई है और पुनर्भुगतानको सक्षम करने के लिए एक समतुल्य राशि की आवश्यकता है।

उपरोक्त के लिए, ₹. 36 करोड़ की राशि अनुदान (सांकेतिक अनुपूरक) के उसी खंड में पुनर्विनियोजन द्वारा पाई जा सकती है।

(i) कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन के आधुनिकीकरण के तहत सूचना कंप्यूटर दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण (₹0.78 करोड़)। (ii) राष्ट्रीय जल मिशन के अनुसंधान और विकास और कार्यान्वयन के तहत फर्नीचर और फिक्स्चर (₹0.7 करोड़)।

चूंकि अनुदान के उसी खंड में बचत उपलब्ध है, इसलिए एक सांकेतिक अनुपुरककी मांग की जाती है.

उपरोक्त अनुमानों में एक नई सेवा पर व्यय शामिल है। कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन के आधुनिकीकरण के तहत सूचना कंप्यूटर दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण के लिए प्रमुख शीर्ष 4701 में भारत के आकस्मिक निधि For the above, the amount of ₹3.13 crore can be found by reappropriation within same section of the Grant (Token Supplementary).

Professional Services (₹1.14 crore) under the Modernization of Command Area Development and Water Management.

As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

The above estimates include expenditure on a New Service. A sum of ₹1.14 crore has been advanced from Contingency Fund of India in Major Head 2701 for Professional Services (₹1.14) under the Modernization of Command Area Development and Water Management and an equivalent amount is required to enable repayment to be made to that

For the above, the amount of ₹1.14 crore can be found by reappropriation within same section of the Grant (Token Supplementary).

Grants for Creation of Capital Assets (₹40.65 crore) under the Modernization of Command Area Development and Water Management.

As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

The above estimates include expenditure on a New Service. A sum of ₹40.65 crore has been advanced from Contingency Fund of India in Major Head 3601 for Grants for Creation of Capital Assets (₹40.65 crore) under the Modernization of Command Area Development and Water Management and an equivalent amount is required to enable repayment to be made to that Fund.

For the above, the amount of ₹40.65 crore can be found by reappropriation within same section of the Grant (Token Supplementary).

Grants for Creation of Capital Assets (₹0.36 crore) under the Modernization of Command Area Development and Water Management.

As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

The above estimates include expenditure on a New Service. A sum of ₹0.36 crore has been advanced from Contingency Fund of India in Major Head 3602 for Grants for Creation of Capital Assets (₹0.36 crore) under the Modernization of Command Area Development and Water Management and an equivalent amount is required to enable repayment to be made to that Fund.

For the above, the amount of $\P0.36$ crore can be found by reappropriation within same section of the Grant (Token Supplementary).

(i)Information Computer Telecommunication (ICT) Equipment (₹0.78 crore) under the Modernization of Command Area Development and Water Management. (ii)Furniture & Fixtures (₹0.70 crore) under Research and Development and Implementation of National Water Mission.

As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

The above estimates include expenditure on a New Service. A sum of ₹0.78 crore has been advanced from Contingency Fund of India in Major Head 4701 for Information Computer Telecommunication (ICT) Equipment (₹0.78 crore) under the

से 0.78 करोड़ रुपये की राशि अग्रिम की गई है और उस निधि में पुनर्भु गतान को सक्षम करने के लिए समतुल्य राशि की आवश्यकता है।

उपरोक्त के लिए, 0.78 करोड़ रुपये की राशि अनुदान के उसी भाग (सांकेतिक अनुपूरक) के भीतर पुनर्विनियोजन द्वारा पाई जा सकती है।

(च) जल संसाधन सूचना प्रणाली के विकास के तहत मोटर वाहन (0.25 (f) करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के उसी खंड में बचत उपलब्ध है, इसलिए एक सांकेतिक अनुपूरक की मांग की जाती है। Modernization of Command Area Development and Water Management and an equivalent amount is required to enable repayment to be made to that Fund.

For the above, the amount of ₹0.78 crore can be found by reappropriation within same section of the Grant (Token Supplementary).

for Motor Vehicles under Development of Water Resources Information System ($\P0.25$ crore).

मांग संख्या DEMAND NO 63 पेयजल एवं स्वच्छता विभाग DEPARTMENT OF DRINKING WATER AND SANITATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 81 देखिये)

(See page 81 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026)

			(₹ करोड़) (In ₹ o		
		भारित	स्वीकृत	ऒड़	
		Charged	Voted	Total	
।. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		74224.82	74224.82	
पूंजी	Capital		1.20	1.20	
जोइ	Total		74226.02	74226.02	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now require	d:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01	
पूंजी	Capital				
जोइ	Total		0.01	0.01	
जोइ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		74226.03	74226.03	
राजस्व	Revenue		74224.83	74224.83	
पूंजी	Capital		1.20	1.20	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के :	अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for u	under the following Majo	or Head:		
		भारित	स्वीकृत	जॏड़	
		Charged	Voted	Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments		0.01	0.01	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

प्रधान मंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के तहत पूंजीगत आस्ति के निर्माण के लिए अनुदान (₹ 341.70 करोड़) के व्यय

चूंकि बचत अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध है, इसलिए सांकेतिक अनुपूरक राशि की मांग की जाती है।

The supplementary Grant is required for:

meeting expenditure of ₹ 341.70 crore as grants for creation of capital assets for 'Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan'(PM-JANMAN) under the scheme Jal Jeevan Mission. As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 64 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 82 देखिये) (See page 82 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026)

(₹ करोड) (In ₹ crores)

			(<i>र</i> क	राड़) (In र crores)
		भारित	स्वीकृत	जॉ ड़
		Charged	Voted	Total
।. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	•••	32606.92	32606.92
पूंजी	Capital	•••	39.27	39.27
जोड़	Total		32646.19	32646.19
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue		0.01	0.01
पूंजी	Capital			
जोड़	Total		0.01	0.01
जोइ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		32646.20	32646.20
राजस्व	Revenue		32606.93	32606.93
पूंजी	Capital		39.27	39.27
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्ग	त दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under	the following Major	or Head:	
		भारित	स्वीकृत	जॉ ड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास	2230-Labour, Employment and Skill Development		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

श्रम कल्याण योजना के अंतर्गत सब्सिडी पर अतिरिक्त व्यय (₹ 27.41 करोड़) को पूरा करना अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु एसांकेतिक पूरक मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure towards subsidies (₹ 27.41 Crore) under Labour Welfare Scheme

मांग संख्या DEMAND NO 65 विधि और न्याय LAW AND JUSTICE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 83 देखिये)

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचत ₹ 438.17 करोड़ की बचत को

ध्यान में रखते हु ए, उपरोक्त व्यय में ₹ 191.63 करोड़ का निवल नकद व्यय

शामिल होगा।

(ग)

मशीनरी और उपकरण (₹ 2.65 करोड़)

						(₹ करोड़) (In ₹ crores		
				भारित	स्वीकृत		जोड़	
				Charged	Voted		Total	
।. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:						
राजस्व		Revenue			5007.22		5007.22	
पूंजी		Capital			191.02		191.02	
जोइ		Total			5198.24		5198.24	
इस समय आवश्यक	रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the	e amount now					
		required:						
राजस्व		Revenue			0.01		0.01	
पूंजी		Capital			629.81		629.81	
जोड़		Total			629.82		629.82	
जोड़ (मूल और पूरक	5)	Total (Original plus Suppleme	ntary)		5828.06		5828.06	
राजस्व		Revenue			5007.23		5007.23	
पूंजी		Capital			820.83		820.83	
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निव	म्नलिखित मुख्य १	शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जाये	गा:			
		II. This Supplementary Grants	will be account	ed for under the following	Major Head(s)		
				भारित	स्वीकृत		ऒड़	
				Charged	Voted		Total	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
2052-सचिवालय-स	गमान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Serv	vices	***	0.01	(कa)	0.01	
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD						
४०७०-अन्य प्रशार्सा	नेक सेवाओं पर पूंजीगत	4070-Capital Outlay on Other	Administrative		629.80	(खb)	629.80	
परिव्यय		Services						
4075-विविध सामा	न्य सेवाओं पर पूंजीगत	4075-Capital Outlay on Miscel	laneous Genera	al	0.01	(गc)	0.01	
परिव्यय		Services						
जोइ (पूंजी भाग)		Total (Capital Section)			629.81		629.81	
जोइ (पूरक)		Total (Supplementary)			629.82		629.82	
 यह पूरक अनुदाने ।	निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplen	nentary Grants are require	ed for:			
क) का	र्यालय व्यय (₹1.60 करोड़)।		(a)	Office Expenses (₹ 1.60	crore),			
अव	नुदान के उसी खंड में उपलब्ध ब	वचत को ध्यान में रखते हु ए, एक सांकेतिक		Taking into account the	saving availa	ble in the	same Section	
अनुप्रककी मांग की जाती है। उपरोक्त अनुमानों में विधिक कार्य र्ग 2052 में भारत की आकस्मिकता नि ली गई है और उस निधि में पुनर्भुग आवश्यकता है।				the Grant, a Token Supplementary is sought.				
		र्य विभाग की योजना के तहत मुख्य शीर्ष		The above estimates in	nclude a sum	of ₹ 1.6	0 crore has be	
		निधि से ₹1.6 करोड़ रुपये की राशि अग्रिम	िध से ₹1.6 करोड़ रुपये की राशि अग्रिम			India in	Major Head 20	
		र्भुगतान करने के लिए समतुल्य राशि की		under the Scheme D	epartment o	f Legal	Affairs and	
				equivalent amount is re to that Fund.	quired to ena	ble repay	ment to be ma	
		केतिक पूरक) के इसी भाग में ₹1.60		For the above, the am	ount of ₹ 1.6	0 crore	can be found	
	रोड़ के पुनर्विनियोजन द्वारा पूरी			reappropriation within the Supplementary).	he same sec	tion of th	e Grant (Tok	
(ख) नि	र्वाचन आयोग के लिए ईर्व	ोएम के तहत मशीनरी और उपकरण	(b)	Machinery and Equipme	ent (₹ 629.80	crore) un	der the EVMs	
	29.80 करोड़ रूपए)		* *	Election Commission,	-	•		
				-				

(c)

Taking into account the savings of ₹ 438.17 crore available in

the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will

entail net cash outgo of ₹ 191.63 crore.

Machinery and Equipment (₹ 2.65 crore),

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

उपरोक्त अनुमानों में विधिक कार्य योजना विभाग के तहत मुख्य शीर्ष 4075 में भारत की आकस्मिकता निधि से ₹2.65 करोड़ की राशि अग्रिम ली गई है और उस निधि में पुनर्भुगतान करने के लिए समतुल्य राशि की आवश्यकता है।

उपरोक्त के लिए, ₹2.65 करोड़ की राशि अनुदान (सांकेतिक अनुपूरक) के इसी भाग में पुनर्विनियोजन द्वारा पूरी की जाएगी। Taking into account the saving available in the same Section of the Grant, a Token Supplementary is sought.

The above estimates include a sum of \mathbb{Z} 2.65 crore has been advanced from Contingency Fund of India in Major Head 4075 under the Scheme Department of Legal Affairs and an equivalent amount is required to enable repayment to be made to that Fund.

For the above, the amount of \ref{thmost} 2.65 crore can be found by reappropriation within the same section of the Grant(Token Supplementary).

मांग संख्या DEMAND NO 66 निर्वाचन आयोग ELECTION COMMISSION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 84 देखिये)

(See page 84 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026)

(₹ करोड) (In ₹ crores)

			(₹			es,	
		भारित	स्वीकृत		जॏड़		
		Charged	Voted		Total		
।. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:						
राजस्व	Revenue		302.98		302.98		
पूंजी	Capital	***	2.00		2.00		
जो इ	Total		304.98		304.98		
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now						
	required:						
राजस्व	Revenue		45.61		45.61		
पूंजी	Capital		12.50		12.50		
जोइ	Total	•••	58.11		58.11		
जोइ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	363.09		363.09		
राजस्व	Revenue		348.59		348.59		
पूंजी	Capital		14.50		14.50		
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षो	के अंतर्गत दिखाया जायेग	π:				
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head(s)						
		भारित	स्वीकृत		जॊड़		
		Charged	Voted		Total		
राजस्व भाग	REVENUE SECTION						
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD						
2015-चुनाव	2015-Elections		45.61	(क a)	45.61		
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION						
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD						
4059-लोक निर्माण कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works		9.97	(खb)	9.97		
4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत	4070-Capital Outlay on Other Administrative		2.53	(गc)	2.53		
परिव्यय	Services						
जोइ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)		12.50		12.50		
जोइ (पूरक)	Total (Supplementary)		58.11		58.11		

(b)

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

क) आईआईआईडीईएम में प्रशिक्षण और संबंधित व्ययो के अंतर्गत कार्यालय व्यय (₹ 5.61 करोड़) और स्थापना के अंतर्गत (₹ 40.00 करोड़)

उपर्युक्त व्यय में ₹45.61 करोड़ का नकद व्यय शामिल होगा। उपरोक्त अनुमानों में चुनाव के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के तहत कार्यालय व्यय (₹2.25 करोड़) के लिए मुख्य शीर्ष 2015 में भारत की आकस्मिक निधि से ₹2.25 करोड़ की राशि शामिल है और उस निधि में पुनर्भुगतान को सक्षम करने के लिए एक समत्ल्य राशि की आवश्यकता है।

उपरोक्त के लिए, ₹2.25 करोड़ की राशि नकद अनुपूरक से पूरी की जाएगी।

(ख) द्वाररका में आईआईआईडीईएम परिसर के निर्माण हेतु भवन एवं संरचना (₹ 9.97 करोड़)।

उपर्युक्त व्यय में 9.97 करोड़ रुपये का नकद व्यय शामिल होगा। उपरोक्त अनुमानों में निर्वाचन आयोग के तहत भवन और संरचनाओं (9.00 करोड़ रुपये) के लिए मुख्य शीर्ष 4059 में भारत की आकस्मिक निधि से 9.00 करोड़ रुपये की राशि अग्रिम ली गई है और उस निधि में पुनर्भुगतान करने के लिए समतुल्य राशि की आवश्यकता है।

The supplementary Grants are required for:

(a) Office Expenses under training and related expenditure at IIIDEM (₹ 5.61 crore) and under the Establishment (₹ 40.00 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 45.61 crore. The above estimates include a sum of ₹ 2.25 crore has been advanced from Contingency Fund of India in Major Head 2015 for Office Expenses (₹ 2.25 crore) under the Imparting Training for Elections and an equivalent amount is required to enable repayment to be made to that Fund.

For the above, the amount of ₹ 2.25 crore can be met from the cash supplementary.

Buildings and Structures (9.97 crore) for the construction of IIIDEM Campus at Dwarka,

The above expenditure will entail a cash outgo of \P 9.97 crore. The above estimates include a sum of \P 9.00 crore has been advanced from Contingency Fund of India in Major Head 4059 for Building and Structures (\P 9.00 crore) under the Election Commission and an equivalent amount is required to enable repayment to be made to that Fund.

(c)

उपरोक्त के लिए, 9.00 करोड़ रुपये की राशि नकद पूरक से पूरी की जा सकती है।

(ग) मोटर वाहन (₹ 1.43 करोड़) और आईसीटी उपकरण (₹ 1.10 करोड़), उपरोक्त व्यय में ₹2.53 करोड़ का नकद व्यय होगा। उपरोक्त अनुमानों में निर्वाचन आयोग के तहत वाहनों(₹ 1.43 करोड़) के मुख्य शीर्ष 4070 में भारत की आकस्मिक निधि से ₹1.43 करोड़ की राशि अग्रिम की गई है और उस निधि में पुनर्भुगतान करने के लिए समतुल्य राशि की आवश्यकता है।

उपरोक्त के लिए, ₹1.43 करोड़ की राशि नकद पूरक से पूरी की जाएगी।

For the above, the amount of \mathbb{R} 9.00 crore can be met from the cash supplementary.

Motor Vehicles (₹ 1.43 crore) and ICT Equipment (₹ 1.10 crore), The above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 2.53 crore. The above estimates include a sum of ₹ 1.43 crore has been advanced from Contingency Fund of India in Major Head 4070 for Vehicles (₹ 1.43 crore) under the Election Commission and an equivalent amount is required to enable repayment to be made to that Fund.

For the above, the amount of \mathbb{R} 1.43 crore can be met from the cash supplementary.

संख्या NO. 67 (विनियोग)(APPROPRIATION)

भारत का उच्चतम न्यायालय SUPREME COURT OF INDIA

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 85 देखिये)

(See page 85 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026)

		भारित	स्वीकृत	না इ			
		Charged	Voted	Total			
।.विनियोगः	I. ORIGINAL APPROPRIATION:						
राजस्व	Revenue	490.58	•••	490.58			
पूंजी	Capital	56.57		56.57			
जोड़	Total	<i>547.15</i>		547.15			
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now						
	required:						
राजस्व	Revenue	75.05	•••	75.05			
पूंजी	Capital	10.93	•••	10.93			
जोइ	Total	85.98		85.98			
जोइ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	633.13		633.13			
राजस्व	Revenue	<i>565.63</i>		565.63			
पूंजी	Capital	67.50		67.50			
	II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:						
	II. This Supplementary Appropriations will be acc	counted for under the follow	ing Major Heads	S:			
		भारित	स्वीकृत	जৌइ			
		Charged	Voted	Total			
राजस्व भाग	REVENUE SECTION						

		भारित		स्वीकृत	जॏड़
		Charged		Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2014-न्याय प्रशासन	2014-Administration of Justice	75.05	(क a)		75.05
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4075-विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत	4075-Capital Outlay on Miscellaneous General	10.93	(खb)		10.93
परिव्यय	Services				
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	85.98			85.98

(b)

यह पूरक अनुदाने/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

वेतन (₹ 10.40 करोड़), पुरस्कार (₹ 0.15 करोड़), चिकित्सा उपचार (₹ 0.86 (क) करोड़), भते (₹ 21.58 करोड़), प्रशिक्षण व्यय (₹ 0.62 करोड़), विदेश यात्रा व्यय (₹ 6.00 करोड़), कार्यालय व्यय (₹ 4.69 करोड़), डिजिटल उपकरण (₹ 0.60 करोड़), व्यावसायिक सेवाएं (₹ 30.00 करोड़) और मरम्मत और रखरखाव (₹ 0.15 करोड़),

> उपरोक्त व्यय से ₹75.05 करोड़ का नकद व्यय होगा। उपरोक्त अन्मानों में प्रतिष्ठान के अंतर्गत व्यावसायिक सेवाओं (₹30.00 करोड़) के लिए मुख्य शीर्ष 2014 में भारत की आकस्मिकता निधि से अग्रिम ₹30.00 करोड़ की राशि शामिल है और उस निधि में पुनर्भ्गतान हेत् समत्ल्य राशि की आवश्यकता है।

उपरोक्त के लिए, ₹30 करोड़ की राशि नकद पूरक से पूरी की जाएगी।

(ख) मोटर वाहन (₹ 1.49 करोड़), आईसीटी उपकरण (₹ 8.43 करोड़), फर्नीचर और फिक्स्चर (₹ 0.58 करोड़), विरासत आस्तियों और एनईसी का उन्नयन / खरीद (₹ 0.05 करोड़), अन्य अचल आस्तियां (₹ 0.38 करोड़),

उपरोक्त व्यय में ₹ 10.93 करोड़ का नकद व्यय शामिल होगा।

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

Salaries (₹ 10.40 crore), Rewards (₹ 0.15 crore), Medical Treatment (₹ 0.86 crore), Allowances (₹ 21.58 crore), Training Expenses (₹ 0.62 crore), Foreign Travel Expenses (₹ 6.00 crore), Office Expenses (₹ 4.69 crore), Digital Equipment (₹ 0.60 crore), Professional Services (₹ 30.00 crore) and Repair And Maintenance (₹ 0.15 crore),

> The above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 75.05 crore. The above estimates include a sum of ₹ 30.00 crore advanced from Contingency Fund of India in Major Head 2014 for Professional Services (₹ 30 crore) under the Establishment and an equivalent amount is required to enable repayment to be made to that Fund.

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

For the above, the amount of ₹ 30 crore can be met from the cash supplementary.

Motor Vehicles (₹ 1.49 crore), ICT Equipment (₹ 8.43 crore), Furniture & Fixtures (₹ 0.58 crore), Upgradation / Procurement Of Heritage Assets and N.E.C. (₹ 0.05 crore), Other Fixed Assets (₹ 0.38 crore),

The above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 10.93 crore.

मांग संख्या DEMAND NO 68 **सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय**

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 86 देखिये)

(See page 86 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित	स्वीकृत	जॏड़
		Charged	Voted	Total
।. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	•••	22452.42	22452.42
पूंजी	Capital		715.73	715.73
जोइ	Total		23168.15	23168.15
इस समय आवश्यक रकम का पूरक	Supplementary Estimate of the amount now			
अनु मान:	required:			
राजस्व	Revenue	45.54	0.01	45.55
पूंजी	Capital		200.00	200.00
जोइ	Total	45.54	200.01	245.55
जोइ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	45.54	23368.16	23413.70
राजस्व	Revenue	45.54	22452.43	22497.97
पूंजी	Capital		915.73	915.73

॥. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:

		भारित		स्वीकृत		जॏड़
		Charged		Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
2851-ग्राम एवं लघु उद्योग	2851-Village and Small Industries	45.54	(क a)	0.01	(खb)	45.55
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
4552-पूर्वोत्तर क्षेत्रों संबंधी पूंजीगत	4552-Capital Outlay on North Eastern Areas			30.00	(गc)	30.00
परिव्यय						
4851-ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजीगत	4851-Capital Outlay on Village and Small			170.00	(घd)	170.00
परिव्यय	Industries					
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)			200.00		200.00
जोइ (पूरक)	Total (Supplementary)	45.54		200.01		245.55

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी (सीएलसीएस) के तहत सब्सिडी (₹ 0.04 करोड़), (ii) टेक्नोलॉजी सेंटर सिस्टम प्रोग्राम (टीसीएसपी) ईएपी के तहत सामान्य अनुदान (₹ 45.50 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

अनुदान के राजस्व-अनुभाग में बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय से कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा। उपरोक्त अनुमानों में एक नई सेवा

क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी (सीएलसीएस) के अंतर्गत सब्सिडी (₹0.0374) और टेक्नोलॉजी सेंटर सिस्टम्स प्रोग्राम (टीसीएसपी) ईएपी के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹28.02 करोड़) के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से मुख्य शीर्ष 2851 में ₹28.0574 करोड़ की राशि अग्रिम रूप से प्रदान की गई है और उस निधि में पुनर्भुगतान करने के लिए समनुल्य राशि की आवश्यकता है।

उपरोक्त के लिए, अनुदान (तकनीकी अनुपूरक) के अंतर्गत राजस्व-अनुभाग में बचत से ₹28.0574 करोड़ की राशि की पूर्ति की जा सकती है। The supplementary Grants/Appropriations are required for:

a) meeting additional expenditure towards (i) subsidies (₹ 0.04 Crore) under the Credit Linked Capital Subsidy (CLCS), (ii) Grants-in-Aid General (₹ 45.50 Crore) under the Technology Centre Systems Programme (TCSP) EAP.

Taking into account the savings in the Revenue Voted Section of grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

The above estimates include expenditure on a New Service. A sum of ₹ 28.0574 crore has been advanced from Contingency Fund of India in Major Head 2851 for Subsidies (₹0.0374) under the Credit Linked Capital Subsidy (CLCS) and Grants-in-Aid General (₹ 28.02 crore) under the Technology Centre Systems Programme (TCSP) EAP and an equivalent amount is required to enable repayment to be made to that Fund.

For the above, amount of ₹ 28.0574 crore can be met from savings in revenue voted section within the Grant (Technical Supplementary).

(b)

(c)

(ख) (i) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) योजना के तहत व्यावसायिक सेवाओं (₹ 1.32 करोइ), (ii) पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत सामान्य अनुदान (₹ 60.00 करोइ) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

(ग) निधियों के कोष के अंतर्गत निवेश (₹ 30.00 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय
को पूरा करना।
 अनुदान के राजस्व अनुभाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में
रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा

(घ) निधियों के कोष के अंतर्गत निवेश (₹ 170.00 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। अनुदान के राजस्व अनुभाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय शामिल नहीं होगा meeting additional expenditure towards (i) Professional Services (₹ 1.32 Crore) under Prime Ministers Employment Generation Programme (PMEGP) scheme , (ii) Grants-in-Aid General (₹ 60.00 Crore) under PM Vishwakarma Scheme

As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure towards Investments (30.00 Crore) under the Fund of Funds

Taking into account the savings available in the Revenue section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

meeting additional expenditure towards Investments (₹ 170.00 Crore) under the Fund of Funds

Taking into account the savings available in the Revenue section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 69

खान मंत्रालय MINISTRY OF MINES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 87 देखिये) (See page 87 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		(
		भारित	स्वीकृत	ऒड़
		Charged	Voted	Total
।. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	***	3458.91	3458.91
पूंजी	Capital		79.09	79.09
जोड़	Total	···	3538.00	3538.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now require	ed:		
राजस्व	Revenue			
पूंजी	Capital		66.46	66.46
जोइ	Total		66.46	66.46
जोइ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		3604.46	3604.46
राजस्व	Revenue		3458.91	3458.91
पूंजी	Capital		145.55	145.55
	॥. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के	अंतर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for u	under the following Major	Head:	
		भारित	स्वीकृत	ऒड़
		Charged	Voted	Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4853-अलौह खनन और धातुकर्म उद्योगों पर	4853-Capital Outlay on Non-Ferrous Mining and		66.46	66.46
पूंजीगत परिव्यय	Metallurgical Industries			

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के तहत (i) मशीनरी और उपकरण (₹ 7.00 करोड़), अवसंरचनात्मक संपत्ति (₹ 59.46 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

अनुदान के राजस्व खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय से कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

उपरोक्त अनुमानों में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के अंतर्गत अवसंरचनात्मक आस्तियों (*49.57 करोड़) के लिए मुख्य शीर्ष 4853 में भारत की आकस्मिकता निधि से अग्रिम *49.57 करोड़ की राशि शामिल है और उस निधि में पुनर्भुगतान हेतु समतुल्य राशि की आवश्यकता है।

इसके लिए, अनुदान (तकनीकी अनुपूरक) के अंतर्गत राजस्व दत्तमत खंड में बचत से ₹49.57 करोड़ की राशि की पूर्ति की जा सकती है। The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure towards (i) Machinery And Equipment (₹ 7.00 Crore), Infrastructural Assets (₹ 59.46 Crore) under Geological Survey of India (GSI).

Taking into account the savings available in the Revenue section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

The above estimates includes a sum of \P 49.57 crore advanced from Contingency Fund of India in Major Head 4853 for Infrastructural Assets (\P 49.57 crore) under the Geological Survey of India (GSI) and an equivalent amount is required to enable repayment to be made to that Fund.

For the above, amount of $\stackrel{?}{_{\sim}}$ 49.57 crore can be met from savings in revenue voted section within the Grant (Technical Supplementary).

मांग संख्या DEMAND NO 71 नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 89 देखिये) (See page 89 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026)

				(₹ करोड़ ,) (In ₹ crores)
		भारित	स्वीकृत		ऒड़
		Charged	Voted		Total
।. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		31742.18		31742.18
पूंजी	Capital		7.20		7.20
जोड़	Total	•••	31749.38		31749.38
इस समय आवश्यक रकम का पूरक	Supplementary Estimate of the amount now				
अनुमान:	required:				
राजस्व	Revenue		0.02		0.02
पूंजी	Capital				
जोइ	Total		0.02		0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	31749.40		31749.40
राजस्व	Revenue		31742.20		31742.20
पूंजी	Capital		7.20		7.20
	॥. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीष	र्गों के अंतर्गत दिखाया जायेग	Π:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted	for under the following	Major Head(s)		
		भारित	स्वीकृत		जॉ इ
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(कa)	0.01
2810-नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	2810-New and Renewable Energy		0.01	(खb)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.02		0.02

(b)

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(ख)

(i) पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) (₹238.50 करोड़) के तहत पूंजीगत आस्ति के निर्माण के लिए सहायता अनुदान के रूप में अतिरिक्त व्यय को पूरा करना; (ii) हरित ऊर्जा गलियारे के तहत प्रधान मंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (₹0.01 करोड़) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (₹0.01 करोड़)।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

अतिरिक्त व्यय को पूरा करना जैसे (i) कार्यक्रम घटक के लिए पूंजीगत आस्तियों के निर्माण हेतु अनुदान सहायता (र्1759.70 करोड़), अनुस्चित जातियों के लिए विकास कार्य योजना (र195 करोड़), अनुस्चित जातियों के लिए विकास कार्य योजना (र206 करोड़) और पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) के तहत अन्य राजस्व व्यय (र0.80 करोड़); (ii) अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहयोग के लिए सामान्य अनुदान सहायता (र125 करोड़); (iii) कार्यक्रम घटक के लिए पूंजीगत परिसंपतियों के निर्माण हेतु अनुदान सहायता (र145.62 करोड़), अनुस्चित जातियों के लिए विकास कार्य योजना (र3.15 करोड़), प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (र30.72 करोड़) और हरित ऊर्जा गलियारे के तहत धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (र20.49 करोड़); (iv) राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता (र 80 करोड़); और (v) प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सॉवरेन ग्रीन फंड में स्थानांतरण (र 1000 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। The supplementary Grants are required for:

(a) meeting additional expenditure as grants-in-aid for creation of capital assets under (i) PM Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan (PM-KUSUM) (₹238.50 crore); (ii) Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan (₹0.01 crore) and Dharti Aaba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan (₹0.01 crore) under Green Energy Corridor.

As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure as (i) grants-in-aid for creation of capital assets for programme component (₹1759.70 crore), Development Action Plan for Scheduled Castes (₹195 crore), Development Action Plan for Scheduled Tribes (₹206 crore) and towards Other Revenue Expenditure (₹0.80 crore) under PM Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan (PM-KUSUM); (ii) grant-in-aid general for International Solar Alliance Co-operation (₹125 crore); (iii) grants-in-aid for creation of capital assets for programme component (₹ 145.62 crore), Development Action Plan for Scheduled Castes (₹3.15 crore), Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan (₹30.72 crore) and Dharti Aaba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan (₹20.49 crore) under Green Energy Corridor; (iv) grants-in-aid general under National Green Hydrogen Mission (₹ 80 crore); and (v) transfer to Sovereign Green Fund under PM Surya Ghar Muft Bijli Yojna(₹ 1000 crore).

As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 72 पंचायती राज मंत्रालय MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 90 देखिये) (See page 90 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		(1.1.4) (1.6.6)		
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
।. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	***	1170.90	1170.90
पूंजी	Capital	***	14.10	14.10
जोड़	Total		1185.00	1185.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now require	ed:		
गजस्व	Revenue	***	0.01	0.01
गूं जी	Capital	***		
जोड़	Total		0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		1185.01	1185.01
।जस्व	Revenue		1170.91	1170.91
(ंजी	Capital		14.10	14.10
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के	अंतर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for	under the following Majo	r Head:	
		भारित	स्वीकृत	जोड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	***	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

'राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान' के तहत 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' के लिए अनुदान सहायता के रूप में व्यय की पूर्ति (₹15 करोड़) करना।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु एसांकेतिक पूरक मांगा जाता है। The supplementary Grant is required for:

meeting expenditure as grants-in-aid general for 'Dharti Aaba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan' under 'Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan' (₹ 15 crore).

As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 74 कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अन्दानों की मांगों का पृष्ठ 92 देखिये)

(See page 92 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		((4/(1) / (III (EI			
		भारित	स्वीकृत	ऒड़	
		Charged	Voted	Total	
।. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
ाजस्व	Revenue	31.18	2377.51	2408.69	
<u></u> ंजी	Capital	15.14	232.63	247.77	
नोड़	Total	46.32	2610.14	2656.46	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now require	od:			
गजस्व	Revenue		0.01	0.01	
<u> </u> زंजी	Capital				
नोइ	Total		0.01	0.01	
नोइ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	46.32	2610.15	2656.47	
जस् व	Revenue	31.18	2377.52	2408.70	
् ंजी	Capital	15.14	232.63	247.77	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के	अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित	स्वीकृत	जॏड़	
		Charged	Voted	Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
नुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2070-Other Administrative Services		0.01	0.01	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) राष्ट्रीय सिविल सेवा एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक सहायता के अंतर्गत डिजिटल उपकरण (₹ 1.61 करोड़), (ii) एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम 2.0 के अंतर्गत डिजिटल उपकरण (₹ 0.40 करोड़), (iii) क्षमता निर्माण आयोग के अंतर्गत विज्ञापन एवं प्रचार (₹ 0.01 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु एसांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure towards (i) Digital Equipment (₹ 1.61 crore) under the World Bank Assistance For National Programme For Civil Services and Capacity Building, (ii) Digital Equipment (₹ 0.40 crore) under the Integrated Government Online Training Programme 2.0, (iii) Advertising and Publicity (₹ 0.01 crore) under the Capacity Building Commission.

As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 76 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 94 देखिये) (See page 94 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026)

				(₹ करों	इ) (In ₹ croi
		भारित	स्वीकृत		जॏड़
		Charged	Voted		Total
. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
ा जस् व	Revenue		14379.80		14379.80
 र्जी	Capital		12323.13		12323.13
गो ड़	Total		26702.93		26702.93
स समय आवश्यक रकम का पूरक	Supplementary Estimate of the amount now				
भनुमान:	required:				
ा जस् व	Revenue		14692.44		14692.44
j ंजी	Capital		0.01		0.01
नोइ	Total		14692.45		14692.45
नोइ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		41395.38		41395.38
ाजस्व	Revenue		29072.24		29072.24
(ं जी	Capital		12323.14		12323.14
	॥. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीष	ों के अंतर्गत दिखाया जायेग	Т:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted	for under the following	Major Head(s)		
		भारित	स्वीकृत		जॏड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
नु ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
१८०२-पेट्रोलियम	2802-Petroleum		14692.44	(क a)	14692.44
रूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
नुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
1802-पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय	4802-Capital Outlay on Petroleum		0.01	(खb)	0.01
नोइ (पूरक)	Total (Supplementary)		14692.45		14692.45

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) निम्निलिखित हेतु व्यय को पूरा करना:(i) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (पीएसयू ओएमसी)को घरेलू एलपीजी में वसूली के तहत मुआवजा (₹12,500 करोड़), (ii) गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन के तहत कार्यक्रम घटक (₹3,178 करोड़), अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना (₹302 करोड़) और अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (₹156 करोड़) ; (iii) प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण-एलपीजी के तहत अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना (₹83 करोड़) और अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना (₹43 करोड़) ; और अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (₹43 करोड़) ; और (iv) भारतीय पेट्रोलियम ऊर्जा संस्थान के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹50 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹1619.56 करोड़ की बचत और अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹5219 करोड़ की बचत को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹9473.44 करोड़ का अतिरिक्त नकद व्यय होगा। उपरोक्त अनुमानों में एक नई सेवा पर व्यय शामिल है।

घरेल् एलपीजी में वस्ती के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों (पीएसय्ओएमसी) को मुआवजे के तहत सब्सिडी के लिए उप शीर्ष 2802 में भारत के आकस्मिक निधि से 2,500 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि की मांग की गई है और उस निधि में पुनर्भुगतान को सक्षम करने के लिए समत्त्व्य राशि की आवश्यकता है। The supplementary Grants are required for:

(a) meeting expenditure for: (i) compensation to Public Sector Undertaking Oil Marketing Companies (PSU OMCs) for under recoveries in domestic LPG (₹12,500 crore), (ii) programme component (₹3,178 crore), Development Action Plan for Scheduled Castes (₹302 crore) and Development Action Plan for Scheduled Tribes (₹156 crore) under LPG connection to poor households; (iii) Development Action Plan for Scheduled Castes (₹83 crore) and Development Action Plan for Scheduled Tribes (₹43 crore) under Direct Benefit Transfer - LPG; and (iv) grants for creation of capital assets for Indian Institute of Petroleum Energy (₹50 crore).

Taking into account the savings of ₹ 1619.56 crore available under same section and savings of ₹5219 crore available under capital section of the grant, this will entail additional cash outgo of ₹9473.44 crore.

The above estimates include expenditure on a New Service. A sum of ₹ 2,500 crore has been advanced from Contingency Fund of India in Major Head 2802 for subsidies under compensation to Public Sector Undertaking Oil Marketing Companies (PSU OMCs) for under recoveries in domestic LPG and an equivalent amount is required to enable repayment to be made to that Fund.

उपरोक्त के लिए, ₹2500 करोड़ की राशि नकद पूरक से पूरी की जाएगी।

(ख) ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा भारत सरकार के पक्ष में 2024 के बोनस शेयरों (b) के निर्गम के समायोजन के लिए ₹ 324.13 करोड़ के व्यय पूरा करना।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के लिए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

For the above, the amount of ₹ 2500 crore can be met from cash supplementary.

meeting expenditure of \mathbb{R} 324.13 crore towards adjustment of issue of bonus shares of 2024 in favour of Government of India by Oil India Limited.

As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 77 योजना मंत्रालय MINISTRY OF PLANNING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 95 देखिये) (See page 95 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026)

(₹ करोद) (In ₹ crores)

				(₹ करोड़) (In ₹ crores
		भारित	स्वीकृत		जॏड़
		Charged	Voted		Total
।. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue		972.35		972.35
पूंजी	Capital		33.71		33.71
जोड़	Total		1006.06		1006.06
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now				
	required:				
राजस्व	Revenue		0.02		0.02
पूंजी	Capital		0.01		0.01
जोइ	Total		0.03		0.03
जोइ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		1006.09		1006.09
राजस्व	Revenue		972.37		972.37
पूंजी	Capital		33.72		33.72
	॥. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के उ	अंतर्गत दिखाया जारं	ोगा:		
	II. This Supplementary Grants will be accounted for u	under the followin	g Major Head	(s)	
		भारित	स्वीकृत		ऒड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services		0.01	(कa)	0.01
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Services		0.01	(खb)	0.01
जोइ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.02		0.02
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर	5475-Capital Outlay on Other General Economic		0.01	(गc)	0.01
पूंजीगत परिव्यय	Services				
जोइ (पूरक)	Total (Supplementary)		0.03		0.03

(b)

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क)

निम्निलिखित हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करनाः(i)मुख्यालय के तहत कार्यालय व्यय (₹ 11.00 करोड़), भूमि और भवन के लिए किराया, दरें और कर (₹ 5.50 करोड़), लघु निर्माण व इलेक्ट्रिकल कार्य (₹ 7.50 करोड़) ,व्यवसायिक सेवाएं (₹ 9.00 करोड़)(ii) स्थापना के तहत व्यवसायिक सेवाएं (₹ 35.00 करोड़)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। उपरोक्त शीर्षों के लिए मुख्य शीर्ष 3451 में भारत की आकस्मिकता निधि से ₹ 68.00 करोड़ की राशि अग्रिम की मांग की गई है और उस निधि में पुनर्भुगतान को सक्षम करने के लिए समतुल्य राशि की भावश्यकता है।

उपरोक्त के लिए, ₹ 68 करोड़ की राशि अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध पुनर्विनियोजन द्वारा पूरा किया जाएगा है।

(ख) निम्नलिखित हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (i) स्थापना के तहत कार्यालय व्यय (₹ 40.00 करोड़), सामान्य सहायता अनुदान (₹ 180.00 करोड़) (ii) जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी योजना से कार्यालय विकास सहायता के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 24.93 करोड़) The supplementary Grants are required for:

a) meeting additional expenditure towards (i) Office Expenses (₹11.00 Crore), Rents, Rates And Taxes for Land and Buildings (₹5.50 Crore), Minor civil and electric works (₹7.50 Crore), Professional Services (₹9.00 Crore) under the Headquarters, (ii) Professional Services (₹35.00 Crore) under the

As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought. A sum of ₹ 68.00 crore has been advanced from Contingency Fund of India in Major Head 3451 for the above mentioned Heads and an equivalent amount is required to enable repayment to be made to that Fund.

For the above, the amount of ₹ 68 crore can be found by reappropriation within same section of the Grant.

meeting additional expenditure towards (i) Office Expenses (₹40.00 Crore), Grants-In-Aid General (₹180.00 Crore) under the Establishment (ii) Grants-In-Aid General (₹ 24.93 crore) under Official Development Assistance from Japan International Cooperation Agency scheme (iii) Professional Services

(c)

(iii) चालू प्रोग्राम और योजनाओं (अनुसंधान और अध्ययन) के तहत व्यवसायिक सेवाएं (₹2.00 करोड़)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

उपरोक्त अनुमानों में एक नई सेवा पर व्यय शामिल है। भारत की आकस्मिक निधि से मुख्य शीर्ष 3475 से ₹50 करोड़ की राशि में (i) स्थापना के तहत कार्यालय व्यय (₹4.00 करोड़), सामान्य सहायता अनुदान (₹46.00 करोड़) और उस निधि में पुनर्भुगतान करने के लिए समतुल्य राशि की आवश्यकता है।

उपरोक्त के लिए, अनुदान की इसी भाग में ₹50 करोड़ की राशि पुनर्विनियोजन द्वारा पूरी की जाएगी।

(ग)

निम्निलिखित हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (i) मशीनरी और उपस्कर (₹ 3.00 करोड़), (ii) नीतिआयोग मुख्यालय के अंतर्गत सूचना, कंप्यूटर दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण (₹ 9.00 करोड़)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। उपरोक्त शीर्ष में भारत की आकस्मिकता निधि से मुख्य शीर्ष 5475 से ₹12.00 करोड़ की राशि अग्रिम के रूप में मिली है और उस निधि में पुनर्भुगतान करने के लिए समतुल्य राशि की आवश्यकता है।

उपरोक्त के लिए, ₹12.00 करोड़ की राशि अनुदान की इसी भाग में पुनर्विनियोजन द्वारा पूरी की जाएगी। $(\not \equiv 2.00$ crore) under Ongoing Programme and Schemes (Research and Study).

As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

The above estimates include expenditure on a New Service. A sum of $\overline{\ast}$ 50 crore has been advanced from Contingency Fund of India in Major Head 3475 for heads (i) Office Expenses ($\overline{\ast}$ 4.00 Crore), Grants-In-Aid General ($\overline{\ast}$ 46.00 Crore) under the Establishment and an equivalent amount is required to enable repayment to be made to that Fund.

For the above, the amount of ₹ 50 crore can be found by reappropriation within same section of the Grant.

meeting additional expenditure towards (i) Machinery and Equipment (₹ 3.00 Crore) (ii) Information, Computer Telecommunications (ICT) Equipment (₹ 9.00 Crore) under the NITI Aayog Headquarters

As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought. A sum of ₹ 12.00 crore has been advanced from Contingency Fund of India in Major Head 5475 for the above mentioned Heads and an equivalent amount is required to enable repayment to be made to that Fund.

For the above, the amount of ₹12.00 crore can be found by reappropriation within same section of the Grant.

मांग संख्या DEMAND NO 78 पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 96 देखिये) (See page 96 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026)

(₹ करोड़) (In ₹ crores) भारित ऒड़ स्वीकृत Charged Voted Total ।. मूल अनुदान: I. ORIGINAL GRANT: राजस्व Revenue 2184.23 2184.23 पूंजी Capital 1851.35 1851.35 जोड Total 4035.58 4035.58 इस समय आवश्यक रकम का पूरक Supplementary Estimate of the amount now अनु मान: required: राजस्व Revenue 0.02 0.02 पूंजी Capital जोड़ Total 0.02 0.02 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 4035.60 4035.60 राजस्व 2184.25 2184.25 Revenue पूंजी Capital 1851.35 1851.35 II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head(s) भारित स्वीकृत ऒड़ Voted Total Charged REVENUE SECTION राजस्व भाग **MAJOR HEAD** मुख्य शीर्ष 3052-पोत परिवहन 3052-Shipping 0.01 (**क**a) 0.01 3056-अंतर्देशीय जल परिवहन 3056-Inland Water Transport 0.01 0.01 (खb) जोड़ (राजस्व भाग) Total (Revenue Section) 0.02 0.02

यह पूरक अनुद	ाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:	The supplem
(क)	भारतीय नौवहन निगम के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 10.85 करोड़)	(a)
	के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक	
	पूरक मांगा जाता है।	
(ख)	कार्गो संवर्धन योजना-जल वाहक के तहत सामान्य सहायता अनुदान	(b)
	(₹ 13.00 करोड़)।	
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक	
	पूरक मांगा जाता है।	

The supplementary Grants are required for:

a) meeting additional expenditure towards Grants-In-Aid General for Shipping Corporation of India (₹10.85 Crore).

As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

Grants-In-Aid General (₹13.00 Crore) under the Cargo Promotion Scheme -Jalvahak.

As savings are available in the same section of the grant,

a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 79 विद्युत मंत्रालय MINISTRY OF POWER

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 97 देखिये) (See page 97 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026)

				(₹ करोड़) (In ₹ cror
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
ा जस् व	Revenue		22388.67	22388.67
जी	Capital		658.41	658.41
गोड़	Total		23047.08	23047.08
स समय आवश्यक रकम का पूरक	Supplementary Estimate of the amount now			
ानुमान:	required:			
- ाजस्व	Revenue	***	0.02	0.02
जी	Capital	***		***
गोइ	Total		0.02	0.02
ोइ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	23047.10	23047.10
जस्व ः	Revenue		22388.69	22388.69
जी	Capital		658.41	658.41
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीष	र् ों के अंतर्गत दिखाया जायेग	Т:	
	II. This Supplementary Grants will be accounted	for under the following	Major Head(s)	
		भारित	स्वीकृत	ऒड़
		Charged	Voted	Total
गजस्व भाग	REVENUE SECTION			
ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
- 552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(कa) 0.01
801-वियुत	2801-Power		0.01	(खb) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	***	0.02	0.02

(b)

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) अरूणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों में संचार तंत्र का सुदृढ़ीकरण के अंतर्गत व्यवसायिक सेवाएं (₹ 40.00 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 172.53 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

(ख) 'कंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान' के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹1.51 करोड़) और 'उद्योगों और संस्थान ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों की लगाने में सहायता' के लिए व्यायवसायिक सेवाओं (₹10 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

> अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

(a) meeting additional expenditure towards professional services (₹ 40 crore) and grants for creation of capital assets (₹ 172.53 crore) under the scheme 'Strengthening of Transmission System in the States of Arunachal Pradesh and Sikkim'.

As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure towards grants-in-aid general (₹ 1.51 crore) under 'Central Power Research Institute' and professional services (₹ 10 crore) for 'Assistance in Deploying Energy Efficient Technologies in Industries & Establishments (ADEETIE)'.

As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 82

राज्य सभा RAJYA SABHA

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 100 देखिये) (See page 100 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

			(₹ करौड़) (In र		
		भारित	स्वीकृत		जौ इ
		Charged	Voted		Total
।. मूल अनुदानः	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	2.52	398.37		400.89
पूंजी	Capital		13.00		13.00
जोइ	Total	2.52	411.37		413.89
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now				
	required:				
राजस्व	Revenue	0.19	65.97		66.16
पूंजी	Capital		1.28		1.28
जोइ	Total	0.19	67.25		67.44
जोइ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	2.71	478.62		481.33
राजस्व	Revenue	2.71	464.34		467.05
पूंजी	Capital		14.28		14.28
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के	अंतर्गत दिखाया जा	ायेगा:		
	II. This Supplementary Grants/Appropriations will be	accounted for u	nder the following	Major He	ads:
		भारित	स्वीकृत		जो इ
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के विधान	2011-Parliament/State/Union Territory	0.19	(क a) 65.97	(खb)	66.16
मं डल	Legislatures				
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4075-विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत	4075-Capital Outlay on Miscellaneous General	***	1.28	(गc)	1.28
परिव्यय	Services				
जोइ (पूरक)	Total (Supplementary)	0.19	67.25		67.44

यह पूरक अनुदाने/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) वेतन (₹ 0.08 करोड़) और भते (₹ 0.11 करोड़)

उपर्युक्त व्यय में ₹ 0.19 करोड़ का नकद व्यय शामिल होगा। उपरोक्त अनुमानों में वेतन (प्रभारित) (₹ 0.08 करोड़) और भन्ते (प्रभारित) (₹0.11 करोड़) के लिए मुख्य शीर्ष 2011 में भारत की आकस्मिक निधि से ₹ 0.19 करोड़ की अग्रिम राशि शामिल है और उस निधि में पुनर्भुगतानकरने के लिए समत्व्य राशि की आवश्यकता है।

उपरोक्त के लिए, ₹ 0.19 करोड़ की राशि नकद पूरक से पूरी की जाएगी।

(ख) (i) सदस्यों के लिए वेतन (₹ 18.22 करोड़), भते (₹23.56 करोड़), चिकित्सा उपचार (₹8.31 करोड़), घरेलू यात्रा व्यय (₹7.50 करोड़) और कार्यालय व्यय (₹2.41 करोड़) (ii) विपक्ष के नेता के लिए वेतन (₹0.08 करोड़) और भते (₹0.11करोड़) (iii) सचिवालय योजना के तहत डिजिटल उपकरण (₹2.82 करोड़) और पेशेवर सेवाएं (₹2.96 करोड़)

> उपर्युक्त व्यय में ₹ 65.97 करोड़ का नकद व्यय शामिल होगा। उपरोक्त अनुमानों में मुख्य शीर्ष 2011 में भारत की आकस्मिकता निधि से ₹ 48.88 करोड़ की अग्रिम राशि शामिल है और उस निधि में पुनर्भुगतान को सक्षम करने के लिए समत्ल्य राशि की आवश्यकता है।

उपरोक्त के लिए, ₹ 48.88 करोड़ की राशि नकद पूरक से पूरी की जाएगी।

(ग) मोटर वाहन (₹ 0.07 करोड़), आईसीटी उपकरण (₹ 1.21 करोड़)उपरोक्त व्यय में 1.28 करोड़ रुपये का नकद व्यय शामिल होगा।

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

(a) Salaries (₹ 0.08 crore) and Allowances (₹ 0.11 crore)

The above expenditure will entail a cash outgo of \P 0.19 crore. The above estimates include a sum of \P 0.19 crore advanced from Contingency Fund of India in Major Head 2011 for Salary(charged) (\P 0.08 crore) and Allowances (charged) (\P 0.11 crore) and an equivalent amount is required to enable repayment to be made to that Fund.

For the above, the amount of \P 0.19 crore can be met from the cash supplementary.

(i) Salary ($\stackrel{\$}{}$ 18.22 crore) , Allowances ($\stackrel{\$}{}$ 23. 56 crore), Medical Treatment ($\stackrel{\$}{}$ 8.31 crore), Domestic Travel Expenses ($\stackrel{\$}{}$ 7.50 crore) and Office Expenses ($\stackrel{\$}{}$ 2.41 crore) for Members (ii) Salaries ($\stackrel{\$}{}$ 0.08 crore) and Allowances ($\stackrel{\$}{}$ 0.11 crore) for Leader of Opposition (iii) Digital Equipment ($\stackrel{\$}{}$ 2.82 crore) and Professional Services ($\stackrel{\$}{}$ 2.96 crore) under the Scheme Secretariat,

The above expenditure will entail a cash outgo of $\stackrel{?}{\sim} 65.97$ crore. The above estimates include a sum of $\stackrel{?}{\sim} 48.88$ crore advanced from Contingency Fund of India in Major Head 2011 and an equivalent amount is required to enable repayment to be made to that Fund.

For the above, the amount of $\overline{}$ 48.88 crore can be met from the cash supplementary.

(c) Motor Vechicles (₹ 0.07 crore), ICT Equipment (₹ 1.21 crore), The above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 1.28 crore.

मांग संख्या DEMAND NO 85 रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 103 देखिये)

(See page 103 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		((4)(15) (111 (CIO)				
		भारित		स्वीकृत		ऒड़
		Charged		Voted		Total
।. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व	Revenue	496.70		375536.49		376033.19
पूंजी	Capital	302.75		443974.81		444277.56
जोइ	Total	799.45		819511.30		820310.75
इस समय आवश्यक रकम का पूरक	Supplementary Estimate of the amount now					
अनुमान:	required:					
	Revenue	98.00				98.00
र् रजी	Capital	575.00		8.35		583.35
जो ड़	Total	673.00		8.35		681.35
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1472.45		819519.65		820992.10
ाजस्व	Revenue	594.70		375536.49		376131.19
(ंजी	Capital	<i>877.75</i>		443983.16		444860.91
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीष	र्गें के अंतर्गत दिखा	या जायेग	Γ:		
	II. This Supplementary Grants/Appropriations wi	Il be accounted	for unde	r the following	Major H	eads:
		भारित		स्वीकृत		जॏड़
		Charged		Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
नुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
- 8002-भारतीय रेलवे-वाणिज्यिक लाइन-	3002-Indian Railways - Commercial Lines -	98.00	(क a)			98.00
nर्य संचालन व्यय	Working Expenses					
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION					
नुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
- 5002-भारतीय रेलवे - वाणिज्यिक लाइन	5002-Capital Outlay on Indian Railways -	575.00	(खb)	8.35	(गc)	583.35
गर पूंजीगत परिव्यय	Commercial Lines					
जोइ (पूरक)	Total (Supplementary)	673.00		8.35		681.35

(क)	न्यायलयी आदेशों के लिए ₹ 98.00 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(a)
	अनुदान के राजस्व स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए, उपरोक्त व्यय में अतिरिक्त नकद की मांग की जाती है।	
(ख)	न्यायलयी आदेशों से उत्पन होने वाले भुगतान लिए ₹ 575 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। अनुदान के पूंजीगत स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए, उपरोक्त व्यय में अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	(b)
(ম)	2025-26 में मेसर्स कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कॉनकोर) द्वारा जारी बोनस शेयर के समायोजन के लिए रह.35 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। अनुदान के पूंजीगत भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	(c)

यह पूरक अनुदाने/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

meeting additional expenditure of ₹ 98 crore for payment towards Court decrees.

Taking into account savings available in the Revenue Voted Section of grant, above expenditure will not entail any additional

meeting additional expenditure of ₹ 575 crore for payment arising out of Court Decrees.

Taking into account savings available in Capital Voted section of the grant, above expenditure will not entail any additional cash outao.

meeting additional expenditure of $\stackrel{?}{ ext{ tensform}}$ 8.35 crore towards adjustment of Bonus Share issued by M/s Container Corporation of India Limited (CONCOR) in 2025-26.

Taking into accounts matching receipts under Capital Section of the grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 86 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 105 देखिये)

(See page 105 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026)

			(1	₹ करोड़) (In ₹ cr
		भारित	स्वीकृत	ऒड़
		Charged	Voted	Total
।. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	***	30047.98	30047.98
प ूंजी	Capital	5.00	332320.18	332325.18
जोड़	Total	5.00	362368.16	362373.16
इस समय आवश्यक रकम का	Supplementary Estimate of the amount now			
ग्र् क अनुमान:	required:			
ाजस्व	Revenue			
र् रंजी	Capital		18837.00	18837.00
जोड़	Total		18837.00	18837.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	5.00	381205.16	381210.16
राजस्व	Revenue		30047.98	30047.98
ूं जी	Capital	5.00	351157.18	351162.18
	॥. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष वे	अंतर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for	under the following Major	Head:	
		भारित	स्वीकृत	ऒड़
		Charged	Voted	Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
नु ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5054-सड़क और पुलों के लिए पूंजीगत परिच्यय	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges		18837.00	18837.00
		नों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियं	ों को शामिल नहीं किया गय	॥ है जिन्हें व्यय में
	से घटाकर समायोजित किया जाता है !			
	Note: The above estimates of additional requireme	nts do not take into accou	nt the recoveries showr	n below, which
	are adjusted in reduction of expenditure.			
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
5054-सड़क और पुलों के लिए	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges		(-)18837.00	(-)18837.00
पूंजीगत परिव्यय				

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

राष्ट्रीय राजमार्ग निधि-अवसंरचना निवेश ट्रस्ट (इनविट) (₹ 18837.00 करोड़) के मुद्रीकरण के लिए अंतरण।

समतुल्य वस्ली को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा। The supplementary Grant is required for:

Transfer to Monetization of National Highways Fund-Infrastructure Investment Trust (InvIT) (₹18837.00 Crore). Considering matching recovery, this will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 87 ग्रामीण विकास विभाग DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 106 देखिये) (See page 106 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026)

(₹ करोड़) (In ₹ crores) भारित ऒड़ स्वीकृत Total Charged Voted I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: राजस्व Revenue 286750.29 286750.29 पूंजी Capital 4.24 4.24 जोड Total 286754.53 286754.53 इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: राजस्व Revenue 0.04 0.04 Capital पूंजी जोड़ Total 0.04 0.04 जोड़ (मूल और पूरक) 286754.57 Total (Original plus Supplementary) 286754.57 राजस्व 286750.33 286750.33 Revenue पूंजी Capital 4.24 4.24 II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head(s) भारित स्वीकृत जॉड़ Charged Voted Total REVENUE SECTION राजस्व भाग मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र 2552-North Eastern Areas 0.01 (कa) 0.01 3054-सड़क और पुल 3054-Roads and Bridges (खb) 0.01 0.01 3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान 0.01 3601-Grants-in-aid to State Governments 0.01 (गc) 3602-संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता 3602-Grants-in-aid to Union Territory (घd) 0.01 अनुदान Governments

जोड़ (राजस्व भ	ান) Total (Revenue Section)	ction) 0.04			0.04		
यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:			The supplementary Grants are required for:				
(क)	'प्रधान मंत्री ग्राम सइक योजना' के तहत धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान के रूप में अतिरिक्त व्यय को पूरा करना(₹0.01 करोड़)। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचत उपलब्ध है, इसलिए सांकेतिक पूरक की	(a)	meeting additional exp assets towards Dharti (₹0.01 crore) under 'Pr. As savings are availa	Aaba Janjatiya G adhan Mantri Gran ıble in the same	ram Utkarsh Abhiyan n Sadak Yojna'.		
(평)	मांग की जाती है। 'प्रधान मंत्री ग्राम सइक योजना' के तहत धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (₹ 0.05 करोड़)के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान के रूप में अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।	(b)	a token supplementary additional expenditure and token supplementary Dharti Aaba Janjatiya under Pradhan Mantri (As savings are availa a token supplementary	as grants for creati Gram Utkarsh A Gram Sadak Yojna Ible in the same	bhiyan (₹ 0.05 crore) a.		
(J)	पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान के रूप में अतिरिक्त व्यय (i) वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना (₹500 करोड़) और प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान (₹80 करोड़); और (ii) प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान (₹957 करोड़)।	(c)	additional expenditure for: (i) road connectivity areas (₹500 crore) and Abhiyan (₹80 crore) un and (ii) Dharti Aaba crore) under 'Pradhan	as grants for crea y project for left wi d Dharti Aaba Ja der Pradhan Mant Janjatiya Gram U Mantri Awaas Yoja	ng extremism affected njatiya Gram Utkarsh tri Gram Sadak Yojna; tkarsh Abhiyan (₹957 ına (Gramin)'.		
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।		As savings are availa a token supplementary		section of the grant,		
(ঘ)	'प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना' के तहत धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹20 करोड़)।	(d)	grants for creation of c Janjatiya Gram Utkars Sadak Yojna.		,		
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।		As savings are availa a token supplementary		section of the grant,		

मांग संख्या DEMAND NO 88 भूमि संसाधन विभाग DEPARTMENT OF LAND RESOURCES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 107 देखिये) (See page 107 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026)

(₹ करोड) (In ₹ crores)

		() (III CIOIES
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
I. मूल अनुदानः	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	10.01	4771.18		4781.19
प ूंजी	Capital		1.01		1.01
जोइ	Total	10.01	4772.19		4782.20
इस समय आवश्यक रकम का पूरक	Supplementary Estimate of the amount now				
अनुमान:	required:				
राजस्व	Revenue		0.02		0.02
j ंजी	Capital				
जोड़	Total		0.02		0.02
नोइ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	10.01	4772.21		4782.22
ाजस्व	Revenue	10.01	4771.20		4781.21
j ंजी	Capital		1.01		1.01
	॥. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीषं	ीं के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grants will be accounted	for under the following M	ajor Head(s)		
		भारित	स्वीकृत		जोड़
		Charged	Voted		Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2506-भूमि सुधार	2506-Land Reforms		0.01	(क a)	0.01
2552-पूर्वीतर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas		0.01	(खb)	0.01
जोइ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)		0.02		0.02

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) 'डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम' के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (i) राष्ट्रीय पुनर्वास नीति के लिए घरेलू यात्रा व्यय(₹ 0.04 करोड़); (ii) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए विदेशी यात्रा व्यय(₹ 0.11 करोड़); (iii) जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/अन्य एजेंसियों के लिए सामान्य सहायता अनुदान (69.34 करोड़); और (iv) विशेष केंद्रीय सहायता के रूप में सामान्य सहायता अनुदानः (क) अनुस्चित जातियों के लिए विकास कार्य योजना (18.20 करोड़) और अनुस्चित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (10.96 करोड़)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

(ख) डिजिटल भारत भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के लिए सामान्य सहायता अनुदान के रूप मेंअतिरिक्त व्यय को पूरा करना (₹ 10.96 करोड़)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। The supplementary Grants are required for:

(a) meeting additional expenditure under 'Digital India Land Records Modernization Programme' on (i) Domestic Travel Expenses (₹ 0.04 crore) towards National Rehabilitation Policy; (ii) Foreign Travel Expenses (₹ 0.11 crore) towards International Cooperation; (iii) Grants-in-Aid General for District Rural Development Agencies / Other Agencies (₹ 69.34 crore); and (iv) Grants-in-Aid General as special central assistance to: (a) Development Action Plan for Scheduled Castes (₹ 18.20 crore) and Development Action Plan for Scheduled Tribes (₹ 10.96 crore).

As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure as grants-in-aid general (₹ 10.96 crore) for North Eastern Areas under the 'Digital India Land Records Modernization Programme'.

As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 89 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 108 देखिये) (See page 108 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026)

(₹ करोंड) (In ₹ crores)

			(\ 4)	RIŞ / (III X CI DI ES
		भारित	स्वीकृत	जॊइ
		Charged	Voted	Total
।. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	***	8413.05	8413.05
पूंजी	Capital		20095.85	20095.85
जोइ	Total	•••	28508.90	28508.90
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now requir	red:		
राजस्व	Revenue	***	676.29	676.29
पूंजी	Capital			
जोइ	Total	•••	676.29	676.29
जोइ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	29185.19	29185.19
राजस्व	Revenue		9089.34	9089.34
पूंजी	Capital		20095.85	20095.85
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष वे	न अंतर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for	under the following Majo	or Head:	
		भारित	स्वीकृत	जॏड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3425-Other Scientific Research	***	676.29	676.29

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

निम्नलिखित हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करना(i) सुपर कम्प्यूटिंग सुविधा और क्षमता निर्माण के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान(र 10.00 करोइ), पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (र 255.00 करोइ) ,(ii)राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान(र 90.80 करोइ), पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (र 84.35 करोइ) ,(iii) विज्ञान धारा के तहत सामान्य सहायता अनुदान(र 180.00 करोइ), पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (र 50.00 करोइ) (iv) विज्ञान धारा घटक अनुस्चित जनजातियों (डीएपीएसटी) के लिए विकास कार्य योजना के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (र 6.14 करोइ)।

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure towards (i) Grants-In-Aid General (₹ 10.00 Crore), Grants For Creation Of Capital Assets (₹ 255.00 Crore) under the Grants-In-Aid For Super Computing Facility And Capacity Building, (ii) Grants-In-Aid General (₹ 90.80 Crore), Grants For Creation Of Capital Assets (₹ 84.35 Crore) under the National Quantum Mission, (iii) Grants-In-Aid General (₹ 180.00 Crore), Grants For Creation Of Capital Assets (₹ 50.00 Crore) under the Vigyan Dhara, (iv) Grants For Creation Of Capital Assets (₹ 6.14 Crore) under Development Action Plan for Scheduled Tribes(DAPST) component of Vigyan Dhara

Taking into account the savings available in the Capital section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 94 दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग DEPARTMENT OF EMPOWERMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 113 देखिये)

(See page 113 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026)

(₹ करोड) (In ₹ crores)

			(t 97 t	is) (iii t crores
		भारित	स्वीकृत	ऒड़
		Charged	Voted	Total
।. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	***	1273.80	1273.80
पूंजी	Capital	***	1.20	1.20
जोइ	Total	•••	1275.00	1275.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now requ	ired:		
राजस्व	Revenue	***	16.60	16.60
पूंजी	Capital			
जोइ	Total	•••	16.60	16.60
जोइ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	•••	1291.60	1291.60
राजस्व	Revenue	•••	1290.40	1290.40
पूंजी	Capital	•••	1.20	1.20
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष	के अंतर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for	or under the following Majo	r Head:	
		भारित	स्वीकृत	जॏड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare		16.60	16.60

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

निम्नलिखित हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करनाः i) सामान्य घटक के लिए 'सहायता और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता' योजना के लिए अनुदान-(* 10.41 करोड़), अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएससी) घटक-(*2.30 करोड़) और अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) घटक-(*1.19 करोड़) ii) सामान्य घटक के लिए 'दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम 1955 की कार्यान्वयन योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान(*2.70 करोड़)।

उपरोक्त व्यय में ₹ 16.60 करोड़ का नकद व्यय शामिल होगा।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure under: i) Grants-in-aid-General for the scheme 'Assistance to Disabled Persons for Purchase/Fitting of Aids and Appliances' for General Component- (₹ 10.41 Crore), for Development Action Plan for Scheduled Castes (DAPSC) component- (₹ 2.30 Crore) and for Development Action Plan for Scheduled Tribes (DAPST) component- (₹ 1.19 Crore). ii) Grants-in-aid-General under 'Scheme for Implementation of Persons With Disabilities Act 1955' for General Component- (₹ 2.70 Crore).

The above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 16.60 crore.

मांग संख्या DEMAND NO 95 अंतरिक्ष विभाग DEPARTMENT OF SPACE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 114 देखिये) (See page 114 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026)

(₹ करोड़) (In ₹ crores) भारित स्वीकृत जॉड Charged Voted Total I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: राजस्व Revenue 0.60 7311.97 7312.57 पूंजी Capital 0.40 6103.23 6103.63 जोड 13415.20 13416.20 Total 1.00 इस समय आवश्यक रकम का पूरक Supplementary Estimate of the amount now अनुमान: required: राजस्व 0.01 0.01 Revenue पूंजी Capital 0.01 0.01 जोड़ 0.02 0.02 Total जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 1.00 13415.22 13416.22 राजस्व 0.60 7311.98 7312.58 Revenue पूंजी Capital 6103.24 6103.64 II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head(s) भारित स्वीकृत जॉड Charged Voted Total राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 3402-Space Research 3402-अंतरिक्ष अन्संधान 0.01 (**क**a) 0.01 पूंजी भाग **CAPITAL SECTION** मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 5402-अंतरिक्ष अनुसंधान पर पूंजीगत 5402-Capital Outlay on Space Research (खb) 0.01 परिव्यय जोड़ (पूरक) Total (Supplementary) 0.02 0.02

(b)

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) निम्नलिखित अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) जीएसएलवी निरंतरता परियोजना के अंतर्गत अन्य हेतु किराया (६ 0.62 करोड़),(ii) लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (एसएसएलवी) विकास के अंतर्गत व्यवसायिक सेवाएं (६ 0.04 करोड़),(iii) अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान (एनजीएलवी) के विकास के तहत अन्य हेतु किराया (६ 0.05 करोड़), डिजिटल उपकरण (६ 0.20 करोड़), व्यवसायिक सेवाएं (६ 0.77 करोड़),(iv) राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एनएनआरएमएस) के अंतर्गत अन्य हेतु किराया (६ 0.06 करोड़), छात्रवृति(६ 0.33 करोड़),(v) सेंसर पेलोड विकास / ग्रह संबंधी विज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (६ 1.76 करोड़)।

चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचत उपलब्ध है, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

(ख) लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (एसएसएलवी) विकास के अंतर्गत अन्य पूंजीगतव्यय (₹ 0.32 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचत उपलब्ध है, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। The supplementary Grants are required for:

meeting additional expenditure towards (i) Rent For Others (₹ 0.62 Crore) under the GSLV Continuation Project, (ii) Professional Services (₹ 0.04 Crore) under the Small Satellite Launch Vehicle (SSLV) Development, (iii) Rent For Others (₹ 0.05 Crore), Digital Equipment (₹ 0.20 Crore), Professional Services (₹ 0.77 Crore) under the Development of Next Generation Launch Vehicle (NGLV), (iv) Rent For Others (₹ 0.06 Crore), Scholarships (₹ 0.33 Crore) under the National Natural Resources Management System (NNRMS), (v) Grants For Creation Of Capital Assets (₹ 1.76 Crore) under the Sensor Payload Development/Planetary Science Programme.

As savings are available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Meeting additional expenditure towards Other Capital Expenditure (₹ 0.32 Crore) under the Small Satellite Launch Vehicle (SSLV) Development.

As savings are available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 96 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 115 देखिये) (See page 115 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026)

(₹ करोड़) (In ₹ crores) भारित स्वीकृत जॊड Charged Voted Total I. ORIGINAL GRANT: ।. मूल अनुदान: राजस्व Revenue 5426.19 5426.19 पूंजी Capital 44.87 44.87 जोड 5471.06 Total 5471.06 इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान: Supplementary Estimate of the amount now required: 65.62 65.62 राजस्व Revenue Capital पूंजी 14.61 14 61 जोड़ 80.23 80.23 Total जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 5551.29 5551.29 राजस्व Revenue 5491.81 5491.81 पूंजी 59.48 59.48 II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head(s) भारित स्वीकृत जॉड Charged Voted Total राजस्व भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र 2552-North Eastern Areas 0.13 (**क**a) 0.13 3454-जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी 3454-Census Surveys and Statistics (खb) 65.49 65.49 जोड़ (राजस्व भाग) Total (Revenue Section) 65.62 65.62 पूंजी भाग CAPITAL SECTION मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर 5475-Capital Outlay on Other General Economic 14.61 (गc) 14.61 पूंजीगत परिव्यय

यह पूरक अन्दाने निम्नलिखित हेत् अपेक्षित है:

जोइ (पूरक)

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में केंद्रीय एनएसएस सैम्पल कार्य के लिए राज्यों को सांख्यिकी-सहायता अनुदान के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹0.13 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

Total (Supplementary)

उपरोक्त व्यय पर ₹0.13 करोड़ का नकद व्यय होगा।

(ख) निम्नितिखित अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) स्थापना के अंतर्गत चिकित्सा उपचार (₹ 0.05 करोड़), घरेलू यात्रा व्यय (₹ 11.24 करोड़), कार्यालय व्यय (₹ 10.13 करोड़), मुद्रण और प्रकाशन (₹ 0.17 करोड़), अन्य हेतु किराया (₹ 1.87 करोड़), विज्ञापन एवं प्रचार (₹ 3.21 करोड़), लघु सिविल व इलेक्ट्रिकल कार्य (₹ 8.17 करोड़), व्यवसायिक सेवाएं (₹ 29.13 करोड़), मरम्मत एवं रखरखाव (₹ 0.0023 करोड़), सामान्य सहायता अनुदान(₹ 0.47 करोड़), अन्य राजस्व व्यय (₹ 0.33 करोड़) स्थापना के अंतर्गत,(ii) आर्थिक जनगणना के अंतर्गत प्रशिक्षण व्यय (₹ 0.001 करोड़), घरेलू यात्रा व्यय (₹ 0.01 करोड़), डिजिटल उपकरण (₹ 0.001 करोड़), व्यवसायिक सेवाएं (₹ 0.21 करोड़), सामान्य सहायता अनुदान(₹ 0.50 करोड़), अन्य राजस्व व्यय (₹ 0.003 करोड़)।

The supplementary Grants are required for:

(a) meeting additional expenditure towards Grants-In-Aid General (₹ 0.13 Crore) under the Statistics- Grants-In-Aid to the States for carrying out Central NSS Sample Work In North Eastern Region.

80.23

80.23

The above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 0.13 crore. meeting additional expenditure towards (i) Medical Treatment (₹ 0.05 Crore), Domestic Travel Expenses (₹ 11.24 Crore), Office Expenses (₹ 10.13 Crore), Printing and Publications (₹ 0.17 Crore), Rent For Others (₹ 1.87 Crore), Advertising And Publicity (₹ 3.21 Crore), Minor civil and electric works (₹ 8.17 Crore), Professional Services (₹ 29.13 Crore), Repair And Maintenance (₹ 0.0023 Crore), Grants-In-Aid General (₹ 0.47 Crore), Other Revenue Expenditure (₹ 0.33 Crore) under the Establishment, (ii) Training Expenses (₹ 0.001 Crore), Domestic Travel Expenses (₹ 0.01 Crore), Digital Equipment (₹ 0.001 Crore), Professional Services (₹ 0.21 Crore), Grants-In-Aid General (₹ 0.50 Crore), Other Revenue Expenditure (₹ 0.003Crore) under the Economic Census.

उपरोक्त व्यय में ₹ 65.4937 करोड़ का नकद व्यय शामिल होगा।

(ग) निम्नलिखित अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) सांस्थानिक विकास और क्षमता निर्माण के अंतर्गत सूचना, कंप्यूटर दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण (₹ 9.92 करोड़), भवन और संरचनाएं (₹ 3.18 करोड़), फर्निचर व फिक्सचर (₹ 1.50 करोड़), (ii) आर्थिक जनगणना के अंतर्गत फर्निचर व फिक्सचर (₹ 0.001 करोड़)

उपरोक्त व्यय में ₹ 14.61 करोड़ का नकद व्यय शामिल होगा।

The above expenditure will entail a cash outgo of \ref{thm} 65.4937 crore.

meeting additional expenditure towards (i) Information, Computer Telecommunications (ICT) Equipment (₹ 9.92 Crore), Buildings And Structures (₹ 3.18 Crore), Furniture & Fixtures (₹ 1.50 Crore) under the Institutional Development And Capacity Building, (ii) Furniture & Fixtures (₹ 0.001 Crore) under the Economic Census

The above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 14.61 crore.

मांग संख्या DEMAND NO 97 **इस्पात मंत्रालय MINISTRY OF STEEL**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 116 देखिये) (See page 116 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026)

(₹ करोंड) (In ₹ crores)

			(र कराड़		f) (In ₹ crore	
		भारित	स्वीकृत		ऒड़	
		Charged	Voted		Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
राजस्व	Revenue	•••	364.22		364.22	
पूंजी	Capital	•••	2997.78		2997.78	
जोइ	Total		3362.00		3362.00	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now					
	required:					
राजस्व	Revenue	•••	1585.00		1585.00	
पूंजी	Capital	•••	22.00		22.00	
जोइ	Total		1607.00		1607.00	
जोइ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		4969.00		4969.00	
राजस्व	Revenue		1949.22		1949.22	
पूंजी	Capital		3019.78		3019.78	
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
	II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head(s)					
		भारित	स्वीकृत		ऒड़	
		Charged	Voted		Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
2852-उद्योग	2852-Industries	***	1585.00	(कa)	1585.00	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
- 4852-लौह और इस्पात उद्योगों पर पूंजीगत	4852-Capital Outlay on Iron and Steel Industries	***	22.00	(खb)	22.00	
परिव्यय						
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	•••	1607.00		1607.00	

यह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

ह) (i) हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल) के घाटे (₹ 1585.00 करोड़) को बहे खाते में डालने, (ii) सूचना शिक्षा और संचार के अंतर्गत विज्ञापन एवं प्रचार (₹1.65 करोड़)अतिरिक्त व्यय को पूरा करना

> अनुदान की मिलान प्राप्तियों (₹ 1585.00 करोड़) को ध्यान में रखते हु एतथा अनुदान के इसी भाग में बचत का उपयोग करने के बाद, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

(ख) (i) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के तहत निवेश (₹ 22.00 करोड़) (ii) हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल) के ऋण पर ₹925.7 करोड़ के संचित ब्याज और ₹26.8 करोड़ के बकाया गारंटी शुल्क को इक्विटी में बदलने के लिए निवेश का पूर्व अविध लेखांकन समायोजन, राष्ट्रीय खिनज विकास निगम (एनएमडीसी) द्वारा जारी बोनस शेयरों (₹ 356.33 करोड़) के समायोजन के लिए, और एनएमडीसी लिमिटेड से अलग हुए एनएमडीसी स्टील लिमिटेड (एनएसएल) के इक्विटी शेयरों (₹ 1781.63 करोड़) के समायोजन के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत और अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध ₹22.00 करोड़ बचत को ध्यान में रखते हु ए उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा। The supplementary Grants are required for:

meeting additional expenditure of (i) Write off of Losses of Hindustan Steelworks Construction Limited (HSCL) (₹ 1585.00 Crore), (ii) Advertising And Publicity (₹ 1.65 Crore) under the Information, Education And Communication

Taking into account the matching receipts (₹ 1585.00 Crore) of the grant and after utilizing the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

meeting additional expenditure towards (i) Investments ($\stackrel{?}{}$ 22.00 Crore) under the Rashtriya Ispat Nigam Ltd. (ii) prior period accounting adjustment of Investments for Conversion of accumulated interest of $\stackrel{?}{}$ 925.7 crores on Ioan and outstanding guarantee fee of $\stackrel{?}{}$ 26.8 crores of Hindustan Steelworks Construction Limited (HSCL) into equity, towards adjustment of bonus shares ($\stackrel{?}{}$ 356.33 crore) issued by National Mineral Development Corporation (NMDC), and towards adjustment of equity shares of ($\stackrel{?}{}$ 1781.63 crore) NMDC Steel Limited (NSL) demerged from NMDC Ltd.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant and savings of ₹ 22.00 Crore available in Revenue section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO 98 वस्त्र मंत्रालय MINISTRY OF TEXTILES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 117 देखिये) (See page 117 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

				(, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		भारित	स्वीकृत	जॊड़
		Charged	Voted	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	***	5252.89	5252.89
र् र्जी	Capital		19.11	19.11
जोड़	Total	•••	5272.00	5272.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक	Supplementary Estimate of the amount now			
भनुमान:	required:			
राजस्व	Revenue	87.42	0.01	87.43
र् र्जी	Capital			
जोड़	Total	<i>87.42</i>	0.01	87.43
नोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	<i>87.42</i>	5272.01	5359.43
गजस्व	Revenue	87.42	5252.90	5340.32
ट् रंजी	Capital		19.11	19.11
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शी	र्षों के अंतर्गत दिखाया जाये	π:	
	II. This Supplementary Grants/Appropriations w	vill be accounted for und	er the following M	lajor Heads:
		भारित	स्वीकृत	जॏड़
		Charged	Voted	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2852-उद्योग	2852-Industries	87.42	(क a) 0.01	(खb) 87.43

(b)

यह पूरक अनुदाने/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) पीएसयू को सहायता के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹87.42 करोड़) के
 लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

अनुदान के राजस्व स्वीकृत भाग में बचत को ध्यान में रखते हु ए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

उपरोक्त अनुमानों में एक नई सेवा पर व्यय शामिल है। पीएसयू को सहायता के तहत सामान्य सहायता (₹87.42 करोड़) के लिए मुख्य शीर्ष 2852 में भारत की आकस्मिक निधि से ₹87.42 करोड़ की राशि अग्रिम ली गई है और इस निधि में पुनर्भुगतान करने के लिए समतुल्य राशि अपेक्षित है।

उपरोक्त के लिए, अनुदान (सांकेतिक पूरक) के तहत राजस्व स्वीकृत भाग में बचत से ₹ 87.42 करोड़ की राशि को पूरा किया जाएगा।

(ख) (i) सरदार वल्लभ भाई पटेल वस्त्र प्रबंधन संस्थान सहायता के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 2.00 करोड़) (ii) कपास पर तकनीकी मिशन के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹0.01 करोड़) (iii) वस्त्र केन्द्रित अनुसंधान, मूल्यांकन, निगरानी और संवर्धन योजना (टेक्स रैंप) के अंतर्गत व्यवसायिक सेवाएं (₹ 3.90 करोड़), सामान्य सहायता अनुदान (₹ 19.00 करोड़) का अतिरिक्त व्यय पूरा किया जाएगा।

चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचत उपलब्ध है, इसलिए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। The supplementary Grants/Appropriations are required for:

(a) meeting additional expenditure towards Grants-in-Aid General(₹ 87.42 Crore) under Support to PSUs.

Taking into account the savings in the Revenue Voted Section of grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

The above estimates include expenditure on a New Service. A sum of ₹ 87.42 crore has been advanced from Contingency Fund of India in Major Head 2852 for Grants-in-general (₹ 87.42 crore) under Support to PSUs and an equivalent amount is required to enable repayment to be made to that Fund.

For the above, amount of ₹ 87.42 crore can be met from savings in revenue voted section within the Grant (Technical Supplementary).

meeting additional expenditure towards (i) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 2.00 Crore) under the Assistance to Sardar Vallabhabhai Patel Institute of Textiles Management, (ii) Grants-In-Aid General (₹ 0.01 Crore) under the Technology Mission on Cotton, (iii) Professional Services (₹ 3.90 Crore), Grants-In-Aid General (₹ 19.00 Crore) under the Textiles Focused Research, Assessment, Monitoring and Promotion Scheme (Tex Ramps). As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 99 **पर्यटन मंत्रालय** MINISTRY OF TOURISM

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 118 देखिये) (See page 118 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

			(1 3/1	19 / (111 (610)
		भारित	स्वीकृत	ऒड़
		Charged	Voted	Total
।. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
ज स् व	Revenue	***	2534.94	2534.94
ਗ਼ੀ	Capital		6.13	6.13
ोड़	Total		2541.07	2541.07
स समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now requ	ired:		
ज स् व	Revenue		0.01	0.01
्जी	Capital			
गोड़	Total		0.01	0.01
गोइ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		2541.08	2541.08
।जस् व	Revenue		2534.95	2534.95
् जी	Capital		6.13	6.13
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष	के अंतर्गत दिखाया जायेगा:		
	II. This Supplementary Grant will be accounted for	or under the following Majo	r Head:	
		भारित	स्वीकृत	ऒड़
		Charged	Voted	Total
गजस्व भाग	REVENUE SECTION			
यु ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
452-पर्यटन	3452-Tourism		0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना के तहत अन्य राजस्व व्यय (₹287.55 करोड़),
 (ख) सेवा प्रदाता योजना के लिए क्षमता निर्माण के तहत सहायता अनुदान
 (₹84.00 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

चूंकि अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure towards (a) Other Revenue Expenditure (₹287.55 crore) under the Champion Services Sector Scheme, (b) Grant-in-Aid General (₹84.00 crore) under the Capacity Building for Service Provider Scheme

As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO 101 महिला और बाल विकास मंत्रालय MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 120 देखिये)

(See page 120 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2025-2026)

				(₹ करोड़	इ) (In ₹ cro
		भारित	स्वीकृत		जॊड़
		Charged	Voted		Total
. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
ाजस्व	Revenue		27384.99		27384.99
<u> </u> रंजी	Capital		4.70		4.70
नोइ	Total		27389.69		27389.69
स समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
ज स् व	Revenue		0.01		0.01
् जी	Capital		0.56		0.56
गोइ	Total		0.57		0.57
नोइ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		27390.26		27390.26
जस् व	Revenue	•••	27385.00		27385.00
जी	Capital	•••	5.26		5.26
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य १ II. This Supplementary Grants will be account	ed for under the following	ng Major Head	(s)	
		भारित	स्वीकृत		जॏड़
		Charged	Voted		Total
जस्व भाग	REVENUE SECTION				
ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण <i>एंजी भाग</i>	2235-Social Security and Welfare CAPITAL SECTION		0.01	(कa)	0.01
ख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत रिव्यय	4250-Capital Outlay on other Social Services		0.56	(खb)	0.56
गेड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		0.57		0.57
ह पूरक अनुदाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:	The suppler	mentary Grants are requ	uired for:		
r) अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के	लिए: सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला और (a)	meeting additional ex	penditure towa	ards: Gra	ants-in-aid Ge
बाल विकास संस्थान (एसपीएन3	भाईडब्ल्यूसीडी) में बच्चों की देखभाल और	(₹ 4.00 Crore) under	the Financial	Assistan	nce under Na
8 	नसीएफ) के तहत वितीय सहायता के तहत	Children Fund (NCF	for Coro on	d [d	tion of Childr

यह पूरक अनुद	ाने निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:	The
(क)	अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए: सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला और	(a)
	बाल विकास संस्थान (एसपीएनआईडब्ल्यूसीडी) में बच्चों की देखभाल और	
	शिक्षा के लिए राष्ट्रीय बाल कोष (एनसीएफ) के तहत वित्तीय सहायता के तहत	
	सहायता अनुदान-सामान्य (₹ 4.00 करोड़)।	
	चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचत उपलब्ध है, इसलिए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	
(ख)	सचिवालय के तहत सूचना कंप्यूटर दूरसंचार (आई.सी.टी.) उपकरण	(b)
	(₹ 0.56 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए	
	अनुदान के राजस्व अनुभाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हु ए, उपरोक्त व्यय में कोई नकद व्यय शामिल नहीं होगा।	

Savitribai Phule National Institute of Women and Child Development (SPNIWCD).

As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure towards Information, Computer Telecommunications (ICT) Equipment (₹ 0.56 Crore) under the

Taking into account the savings available in the Revenue section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले अनुदान के उसी खंड के अंतर्गत बचत से मंत्रालयों/विभागों द्वारा रिपोर्ट किए गए धन का पुनर्विनियोजन संलग्न है।

यह लोक लेखा समिति द्वारा अपनी एक सौ तीन रिपोर्ट (सत्रहवीं लोकसभा) के अनुमोदन के अनुसरण में वित्त मंत्रालय द्वारा 23 फरवरी, 2024 को जारी की गई 'नई सेवा' (एनएस)/'नई सेवा साधन' (एनआईएस) पर संशोधित वितीय सीमाओं के अनुसार है।

Re-appropriation of funds, as reported by Ministries/Departments, from the savings within same section of the Grant that require report to Parliament is annexed.

This is as per the revised financial limits on 'New Service' (NS)/ 'New Instrument of Service' (NIS) issued by Ministry of Finance on 23rd February, 2024, in pursuance to the approval by the Public Accounts Committee, vide its One hundred third Report (Seventeenth Lok Sabha).

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग Department of Agriculture and Farmers Welfare

माांग सांख्या - 1

Demand No. - 1

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

1	2	3	4	5	6
क्र. सां. S.No.	योजना/ कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/ Programme	लेखा शीर्षक - 15 अंक Head of Account (15 digit)	Budget Estimates	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
	राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन National Mission on Natural Farming	3602.06.101.79.00.31	0.58		जम्मू-कश्मीर, दिल्ली, पुडुचेरी के संघ शासित प्रदेशों के लिए धनराशि जारी करने हेतु। For release of funds towards the Ut's of J&K, Delhi, Puducherry.

कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग Department of Agricultural Research and Education

मांग सांख्या - 2 Demand No. - 2

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

	•	•	_	_	•
1	2	3	4	5	6
क्र.	योजना/ कार्यक्रम का	लेखा शीर्षक - 15 अंक	बजट अनुमान	पुनर्विनियोजन की	टिप्पणी
सां.	नाम	Head of Account	Budget	राशि	Remarks
S.No.	Name of the	(15 digit)	Estimates	Amount of	
	Scheme/ Programme		2025-2026	Reappropriation	
1	कृषि अनुसंधान एवं	2415.01.150.03.00.31	1946.00	120.00	आईसीएआर मुख्यालय के
	शिक्षा-आईसीएआर				अंतर्गत सामान्य अनुदान
	मुख्यालय प्रशासन				सहायता (120.00 करोड़ रुपये)
	जिसमें कृषि में सूचना				के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना
	एवं प्रकाशन निदेशालय,				जिसमें पेंशन, अनुसंधान और
	बौद्धिक संपदा अधिकार				अन्य प्रशासनिक व्यय शामिल
	प्रबंधन शामिल हैं				हैं।
	Agricultural Research				Meeting additional
	and Education-ICAR				expenditure towards Grants-
	Headquarters				In-Aid General (Rs. 120.00
	administration including directorate				Crore) under the ICAR
	of information and				Headquarters which includes
	publication in				Pension, research and other
	agriculture,				administrative expenses.
	intellectual property				
	rights management				

आयुष मंत्रालय Ministry of Ayush

मांग सांख्या - 4

Demand No. - 4

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

1	2	3	4	5	6
क्र. सां. S.No.	योजना/ कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/ Programme	लेखा शीर्षक - 15 अंक Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान Institute of Teaching and Research in Ayurveda	2210.05.101.13.00.35	80.15	15.00	गोरधनपर, जामनगर में डब्ल्यूएचओ-जीटीएमसी परियोजना के निर्माण के लिए For construction of WHO- GTMC project at Gordhanpar, Jamnagar.
2	सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण Information, Education and Communication (IEC)	2210.02.001.05.05.26	31.00	14.21	अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के दौरान खरीदे गए योग टी-शर्ट और योग मैट के भुगतान के लिए। For payment of yoga T- shirts and yoga mats procured during IDY 2025.
3	राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड National Medicinal Plants Board	2210.02.200.13.00.28	1.60	0.82	वैश्विक परिप्रेक्ष्य सहित राष्ट्रीय स्तर पर औषधीय पौधों और उनके कच्चे माल की मांग और आपूर्ति का पता लगाने के लिए विस्तृत अध्ययन एवं सर्वेक्षण For carrying out the detailed study com survey to access the demand and supply of medicinal plants and their raw material at National Level including global perspective.

106 अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

4	सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण Information, Education and Communication (IEC)	2210.02.001.05.05.28	1.00	सोशल मीडिया एजेंसी को धनराशि के भुगतान के लिए। For payment of funds to Social Media Agency
5	सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण Information, Education and Communication (IEC)	2210.02.001.05.05.31	11.00	अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के दौरान खरीदे गए योग टी-शर्ट और योग मैट के भुगतान के लिए। For payment of yoga T- shirts and yoga mats procured during IDY 2025.

उर्वरक विभाग Department of Fertilisers

मांग सांख्या - 6 Demand No. - 6

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

1	2	3	4	5	6
क्र. सां. S.No.	योजना/ कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/ Programme	Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	Urea Subsidy- Payment for Import of Urea- SC Component	2852.03.789.06.03.33	1743.00	348.60	वस्तु-शीर्ष "सब्सिडी" अंतर्गत अतिरिक्त व्यय आवश्यकता को पूरा करने के लिए। To meet additional fund requirement under object head "Subsidies".
2	Urea Subsidy- Payment for Import of Urea- Gen Component	2852.03.101.06.03.33	18354.00	3670.80	वस्तु-शीर्ष "सब्सिडी" अंतर्गत अतिरिक्त व्यय आवश्यकता को पूरा करने के लिए। To meet additional fund requirement under object head "Subsidies".
3	Urea Subsidy- Payment for Import of Urea- ST Component	2852.03.796.06.03.33	903.00	180.60	वस्तु-शीर्ष "सब्सिडी" अंतर्गत अतिरिक्त व्यय आवश्यकता को पूरा करने के लिए। To meet additional fund requirement under object head "Subsidies".

कोयला मंत्रालय Ministry of Coal

माांग सांख्या - 9

Demand No. - 9

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

1	2	3	4	5	6	
क्र. सां. S.No.	योजना/ कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/ Programme	लेखा शीर्षक - 15 अंक Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks	
1	कोयला खानों में संरक्षण और सुरक्षा Conservation and Safety in Coal Mines	2803.00.796.04.00.33	1.72	0.03	कोयला खदानों में संरक्षण एवं सुरक्षा की उप-योजना के टीएसपी घटक के अंतर्गत 0.03 करोड़ रुपये के शेष स्वीकृत दावों का वितरण करना, जिसे 89वीं सीसीडीएसी बैठक में अनुमोदित किया गया था। To disburse the balance approved claims of Rs. 0.03 crore under TSP component of sub-scheme Conservation and Safety in Coal Mines which was approved in 89th CCDAC meeting.	
2	कोयला क्षेत्रों में सड़कों का अवसंरचनात्मक विकास Development of Transportation Infrastructure in Coalfield Areas	2803.00.796.06.00.33	6.19	32.93	उप-योजना "डीटीआईसी" के टीएसपी घटक के अंतर्गत 32.93 करोड़ रुपये के शेष स्वीकृत दावों का वितरण करना, जिसे 89वीं सीसीडीएसी बैठक में अनुमोदित किया गया था। To disburse the balance approved claims of Rs.	

		32.93 crore	under	TSP
		component of	sub-sch	neme
		"Development		of
		Transportation Infrastructure		lfield
		Areas(DTIC)"	which	was
		approved in 8	89th C0	CDAC
		meeting.		

वाणिज्य विभाग Department of Commerce

मांग सांख्या - 10 Demand No. - 10

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

				_	
1	2	3	4	5	6
क्र. सां. S.No.	योजना/ कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/ Programme	लेखा शीर्षक - 15 अंक Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	सचिवालय आर्थिक सेवाएँ Secretariat Economic Services	3451.00.090.02.02.26	0.00	0.03	स्थापना के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। To meet additional expenditure under Establishment
2	व्यापार उपाय और व्यापार रक्षा Trade Remedies & Trade Defence	3453.00.108.01.01.19	0.00	0.06	डिजिटल उपकरणों के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। To meet additional expenditure under digital equipment.
3	व्यापार आयुक्त Trade Commissioners	3453.00.102.01.00.18	0.00	0.11	दूसरों के लिए किराए के तहत अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिए। To meet additional expenditure under rent for others
4	राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता National Export Insurance Account	3453.00.194.05.05.31	0.00	1800.00	राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता के लिए अतिरिक् त व्यय को पूरा करना। To meet additional expenditure for National Export Insurance Account.
5	प्रयोगशाला में विकसित हीरा प्रौद्योगिकी के लिए	3453.00.194.05.14.36	0.00	10.00	आईआईटी मद्रास, चेन्नई में इंडिया सेंटर फॉर लैब ग्रोन

111 अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

		(17 3171, 2020 20 00			_
	भारतीय राष्ट्रीय केंद्र (इनसेंट) की स्थापना Establishment of Indian National Centre (InCent) for Diamond Technology				डायमंड (इनसेंट-एलसीडी) की स्थापना के लिए जीआईए वेतन के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। To meet additional expenditure under GIA Salary for establishment of India Centre for Lab Grown Diamond (InCent-LCD) at IIT Madras, Chennai.
6	प्रयोगशाला में विकसित हीरा प्रौद्योगिकी के लिए भारतीय राष्ट्रीय केंद्र (इनसेंट) की स्थापना Establishment of Indian National Centre (InCent) for Lab Grown Diamond Technology	3453.00.194.05.14.31	0.00	10.00	आईआईटी मद्रास, चेन्नई में इंडिया सेंटर फॉर लैब ग्रोन डायमंड (इनसेंट-एलसीडी) की स्थापना के लिए जीआईए सामान्य के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। To meet additional expenditure under GIA General for establishment of India Centre for Lab Grown Diamond (InCent-LCD) at IIT Madras, Chennai.
7	व्यापार आयुक्त Trade Commissioners	5475.00.001.02.11.51	0.00	1.20	मोटर वाहनों के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। विदेश मंत्रालय के कार कोड प्रावधान के अनुसार। To meet additional expenditure under Motor Vehicles. As per MEA's car Code provision.
8	सचिवालय आर्थिक सेवाएँ Secretariat Economic Services	3451.00.090.02.02.49	0.30	2.00	न्यायालय की डिक्री/ मध्यस्थता पंचाट के लिए सचिवालय के तहत आवश्यक है। Required under secretariat for Court decree/ Arbitration award.
9	विदेश व्यापार महानिदेशक Director General of Foreign Trade	3453.00.101.01.01.49	0.10	0.83	न्यायालय की डिक्री/ मध्यस्थता निर्णय के लिए विदेश व्यापार

112 अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

					महानिदेशक के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। To meet additional expenditure under Director General of Foreign Trade for Court decree/ Arbitration award.
10	प्रयोगशाला में विकसित हीरा प्रौयोगिकी के लिए भारतीय राष्ट्रीय केंद्र (इनसेंट) की स्थापना Establishment of Indian National Centre (InCent) for Lab Grown Diamond Technology	3453.00.194.05.14.35	0.00	16.00	आईआईटी मद्रास, चेन्नई में भारत सेंटर फॉर लैब ग्रोन डायमंड (इनसेंट-एलसीडी) की स्थापना के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। To meet additional expenditure underGrants for Creation of Capital Assets for establishment of India Centre for Lab Grown Diamond (InCent-LCD) at IIT Madras, Chennai.

उपभोक्ता मामले विभाग Department of Consumer Affairs

मांग सांख्या - 14 Demand No. - 14

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

1	2	3	4	5	6
क्र. सां. S.No.	योजना/ कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/ Programme	लेखा शीर्षक - 15 अंक Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	समय का प्रसार Dissemination of Time	5475.00.102.17.00.52	2.00	9.00	समय प्रसार परियोजना के लिए धन की तत्काल आवश्यकता को पूरा करना। To fulfil the urgent requirement of funds for time dissemination project.
2	बाट और माप, बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण Strengthening of Weights and Measures, Infrastructure	5475.00.102.13.00.52	16.00	8.00	भारत सरकार टकसाल, मुंबई के माध्यम से राज्य को मानक उपकरणों की आपूर्ति के लिए धन की तत्काल आवश्यकता है। धन को गैर-कार्यात्मक शीर्ष से कार्यात्मक शीर्ष में पुनर्विनियोजित करने की आवश्यकता है। Urgent requirement of funds is for supply of standard equipment to State, through India Government Mint, Mumbai. Funds need to be re- appropriated from non- functional head to functional head.

संस्कृति मंत्रालय Ministry of Culture

मांग सांख्या - 18 Demand No. - 18

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

					(र कराड़ म र In Crore)
1	2	3	4	5	6
क्र. सां. S.No.	योजना/ कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/ Programme	लेखा शीर्षक - 15 अंक Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	अकादमी को समर्थन Support to Akademi	2205.00.102.15.02.31	291.00	15.00	सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए To meet additional Expenditure under Grants- In-Aid General
2	सचिवालय (संस्कृति मंत्रालय) Secretariat (Ministry of Culture)	4250.00.001.01.04.71	1.55	0.80	(आईसीटी) उपकरण के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए To meet additional Expenditure under (ICT) equipment
3	अनुदान प्राप्त निकाय Grantee Bodies	2205.00.107.42.02.31	1.00	1.00	सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए To meet additional Expenditure under Grants- In-Aid General
4	शताब्दियाँ और वर्षगाँठ Centenaries and Anniversaries	2205.00.102.12.01.35	5.00	3.80	पूंजीगत परिसंपतियों के सृजन हेतु अनुदान के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए To meet additional Expenditure under Grants for Creation of Capital Assets

115 अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

5	कला संस्कृति विकास	2205.00.796.32.01.31	4.48	0.42	सामान्य सहायता अनुदान के
	योजना				अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा
	Kala Sanskriti Vikas				करने के लिए
	Yojana				To meet additional
					Expenditure under Grants-
					In-Aid General
6	कला संस्कृति विकास	2205.00.102.11.01.31	87.72	2.88	सामान्य सहायता अनुदान के
	योजना				अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा
	Kala Sanskriti Vikas				करने के लिए
	Yojana				To meet additional
					Expenditure under Grants-
					In-Aid General

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय Ministry of Development of North Eastern Region

मांग सांख्या - 23 Demand No. - 23

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

1	2	3	4	5	6
क्र. सां. S.No.	योजना/ कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/ Programme	लेखा शीर्षक - 15 अंक Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	उत्तर पूर्वी विशेष ढ़ाचागत विकास योजना (रोड ढ़ाचागत के अतिरिक्त) NORTH EAST SPECIAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT SCHEME (OTHER THAN ROAD INFRASTRUCTURE)	4552.00.796.04.00.73	90.00	9.99	तुरंत के लक्ष्यों के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट पूरा करने की ज़रूरत के कारण। Due to the requirement of meeting an additional amount for immediate goals.
2	उत्तर पूर्वी विशेष ढ़ाचागत विकास योजना (रोड ढ़ाचागत के अतिरिक्त) NORTH EAST SPECIAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT SCHEME (OTHER THAN ROAD INFRASTRUCTURE)	4552.00.058.01.00.73	253.62	9.99	तुरंत के लक्ष्यों के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट पूरा करने की ज़रूरत के कारण। Due to the requirement of meeting an additional amount for immediate goals.
3	उत्तर पूर्वी विशेष ढ़ाचागत विकास योजना (रोड ढ़ाचागत के अतिरिक्त)	4552.00.058.01.00.73	253.62	25.00	तुरंत के लक्ष्यों के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट पूरा करने की ज़रूरत के कारण।

117 अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

	-				
	NORTH EAST SPECIAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT SCHEME (OTHER THAN ROAD INFRASTRUCTURE)				Due to the requirement of meeting an additional amount for immediate goals.
4	उत्तर पूर्वी विशेष ढ़ाचागत विकास योजना (रोड ढ़ाचागत के अतिरिक्त) NORTH EAST SPECIAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT SCHEME (OTHER THAN ROAD INFRASTRUCTURE)	4552.00.796.04.00.72	50.00	15.00	तुरंत के लक्ष्यों के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट पूरा करने की ज़रूरत के कारण। Due to the requirement of meeting an additional amount for immediate goals.
5	उत्तर पूर्वी विशेष ढ़ाचागत विकास योजना (रोड ढ़ाचागत के अतिरिक्त) NORTH EAST SPECIAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT SCHEME (OTHER THAN ROAD INFRASTRUCTURE)	4552.00.796.04.00.73	90.00	9.99	तुरंत के लक्ष्यों के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट पूरा करने की ज़रूरत के कारण। Due to the requirement of meeting an additional amount for immediate goals.
6	कार्बी आंगलोंग स्वायतशासी क्षेत्रीय परिषद (केएएटीसी) के लिए विशेष पैकेज SPECIAL PACKAGE FOR KARBI ANGLONG AUTONOMOUS TERRITORIAL COUNCIL (KAATC)	2552.00.346.01.02.35	15.00	30.00	केएएटीसी पैकेज के तहत नए अप्रूट्ड प्रोजेक्ट्स के खर्चों को पूरा करना। To meet the expenses of the new approved projects under KAATC package.
7	बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के लिए स्पेशल पैकेज - टीएसपी SPECIAL PACKAGE FOR THE	2552.00.796.39.14.35	30.00	15.00	बीटीसी पैकेज के तहत नए अप्रूट्ड प्रोजेक्ट्स के खर्चों को पूरा करना। To meet the expenses of the new approved projects under BTC package.

118 अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

		·			
	BODOLAND TERRITORIAL COUNCIL - TSP				
8	कार्बी आंगलोंग स्वायत्तशासी क्षेत्रीय परिषद (केएएटीसी) के लिए विशेष पैकेज - टीएसपी SPECIAL PACKAGE FOR KARBI ANGLONG AUTONOMOUS TERRITORIAL COUNCIL (KAATC) - TSP	2552.00.796.39.15.35	35.00	15.00	केएएटीसी पैकेज के तहत नए अप्रूट्ड प्रोजेक्ट्स के खर्चों को पूरा करना। To meet the expenses of the new approved projects under KAATC package.
9	बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (बीटीसी) के लिए स्पेशल पैकेज SPECIAL PACKAGE FOR THE BODOLAND TERRITORIAL COUNCIL (BTC)	2552.00.346.01.01.35	20.00	20.00	बीटीसी पैकेज के तहत नए अप्रूट्ड प्रोजेक्ट्स के खर्चों को पूरा करना। To meet the expenses of the new approved projects under BTC package.
10	डोनर मंत्रालय/ विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय M/ o DoNER/ Capital Outlay on Miscellaneous General Services	4075.00.001.01.07.71	0.25	0.15	मंत्रालय की मौजूदा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ICT इक्विपमेंट से जुड़े सामान खरीदने के लिए और पैसे की ज़रूरत है। Additional amount is required in order to procure items related to ICT equipment to fulfil the current needs of the Ministry.
11	उत्तर पूर्वी विशेष ढ़ाचागत विकास योजना (रोड ढ़ाचागत के अतिरिक्त) NORTH EAST SPECIAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT SCHEME (OTHER THAN ROAD INFRASTRUCTURE)	4552.00.058.01.00.72	99.03	30.00	तुरंत के लक्ष्यों के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट पूरा करने की ज़रूरत के कारण। Due to the requirement of meeting an additional amount for immediate goals.

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय Ministry of Earth Sciences

मांग सांख्या - 24

Demand No. - 24

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

1	2	3	4	5	6
क्र. सां. S.No.	योजना/ कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/ Programme	लेखा शीर्षक - 15 अंक Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग प्रणाली High Performance Computing System	5455.00.200.05.00.52	5.00	34.00	मशीनरी एवं उपकरण से एचपीसी प्रणाली के लिए रोकी गई राशि के भुगतान के कारण Payment of withheld amount for HPC system from Machinery & Equipment was due.
2	गहरे महासागर मिशन Deep Ocean Mission	3403.00.101.11.01.31	236.47	15.00	मिशन की सहयोगातमक परियोजना के लिए सामान्य अनुदान सहायता के अंतर्गत अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है, जहां देश के भीतर क्षमता का उपयोग कैबिनेट अनुमोदन के अनुसार किया जा रहा है। Additional funds required under Grants-in-Aid General for collaborative project of the mission, where capability within the country is being utilized as per cabinet approval.

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय Ministry of Environment, Forests and Climate Change

मांग सांख्या - 28 Demand No. - 28

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

1	2	3	4	5	6
क्र. सां. S.No.	योजना/ कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/ Programme	लेखा शीर्षक - 15 अंक Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	हिमालय अध्ययन पर राष्ट्रीय मिशन National Mission on Himalayan Studies	3451.00.090.29.07.31	1.00	14.98	एनएमएचएस के वैज्ञानिक और तकनीकी सलाहकार समूह (एसटीएजी) द्वारा सुझाए गए नए मांग-आधारित परियोजना प्रस्तावों के लिए और अधिक धन की आवश्यकता है, जिसे तुरंत जारी करने की आवश्यकता है। More funds are required for new demand -driven project proposals recommended by the Scientific & Technical Advisory Group (STAG) of NMHS, which needs to be released immediately.
2	भारतीय वन सर्वेक्षण Forest Survey of India	4406.01.070.10.04.71	0.30	0.45	आईसीटी उपकरणों (सर्वर, वर्कस्टेशन और डेस्कटॉप) की खरीद के लिए अधिक धन की आवश्यकता है। More funds are required for the procurement of ICT equipments (servers, workstations & desktops)

अप्रत्यक्ष कर Indirect Taxes

माांग सांख्या - 37

Demand No. - 37

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

1	2	3	4	5	6
क्र. सां. S.No.	योजना/ कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/ Programme	लेखा शीर्षक - 15 अंक Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
2	Capital Outlay on Other Fiscal Services Capital Outlay on Other Fiscal Services	4047.00.005.03.05.52 4047.00.005.03.01.52		0.75	Funds re-appropriated for purchase of Machinery & Equipment, the same was required to be reported to Parliament in the comming session Funds re-appropriated for purchase of Machinery & Equipment, the same was required to be reported to Parliament in the comming session
3	सार्वजनिक कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Public Works	4059.01.201.04.00.78	18.72	24.00	Funds re-appropriated for payment in respect of Lucknow Land, the same was required to be reported to Parliament in the comming session

राज्यों को अंतरण Transfers to States

मांग सांख्या - 42

Demand No. - 42

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

(₹ '000 में ₹ in '000)

1	2	3	4	5	6
क्र. सां. S.No.	योजना/ कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/ Programme	लेखा शीर्षक - 15 अंक Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	Building-Less Sub Centres, PHCs, CHCs (For Rural)	3601.07.106.04.00.31	15620000.00	49500000.00	भवन रहित उप केन्द्रों, पीएचसी, सीएचसी (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए) पर व्यय के लिए। For expenditure on Building-Less Sub Centres, PHCs, CHCs (For Rural).
2	Grants for Shared Municipal Services	3601.07.108.00.00.31	900000.00	1350000.00	शेयर्ड म्युनिसिपल सर्विसेज़ के लिए ग्रांट्स पर कमिटेड प्रपोज़ल जारी करने के लिए For release of committed proposal on Grants for Shared Municipal Services
3	Support For Diagnostic Infrastructure to the Primary Healthcare Facilites	3601.07.106.01.03.31	4570000.00	2500000.00	प्राइमरी हेल्थकेयर सुविधाओं के लिए डायग्नोस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के सपोर्ट पर अतिरिक्त खर्च के लिए। For additional expenditure on Support For Diagnostic Infrastructure to the Primary Healthcare Facilites.

पशुपालन और डेयरी विभाग Department of Animal Husbandry and Dairying

मांग सांख्या - 44 Demand No. - 44

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

					(र कराड़ में र III Crore)
1	2	3	4	5	6
क्र. सां. S.No.	योजना/ कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/ Programme	लेखा शीर्षक - 15 अंक Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	पशुपालन हेतु उत्कृष्टता केंद्र Centre Of Excellence For Animal Husbandry	4403.00.101.17.00.73	0.20	2.40	सीईएएच-आरएफएस और सीईएएच-सीसीबीएफ में 20 बोरवेल की ड्रिलिंग के लिए भुगतान। 20 बोरवेल्स की ड्रिलिंग के भुगतान हेतु CEAH-RFS और CEAH-CCBF में। To Payment for drilling of 20 borewells at CEAH-RFS and CEAH-CCBF.
2	भारतीय पशु चिकित्सा परिषद Veterinary Council Of India	2403.00.101.40.00.35	4.50	9.50	नज़फगढ़, दिल्ली में VCI भवन के निर्माण कार्य हेतु (CPWD द्वारा)। For constrcution work of VCI building at Nazafgarh, Delhi by CPWD

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग Department of Health and Family Welfare

मांग सांख्या - 46 Demand No. - 46

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

			-		(र कराइ में र in Crore)
1	2	3	4	5	6
क्र. सां. S.No.	योजना/ कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/ Programme	लेखा शीर्षक - 15 अंक Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना Central Government Health Scheme	4210.01.103.04.00.71	18.00	1.11	सीडैक मॉड्यूल के कार्यान्वयन के कारण, नए सीडैक संगत उपकरणों की आवश्यकता होती है। Due to implementation of CDAC module, new CDAC compatible equipment are required.
2	आघात और जलने की चोट की रोकथाम और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम National Programme for Prevention and Management of Trauma & Burn Injury	2210.06.101.78.00.31	1.00	19.00	प्रमुख के लिए बीई सभी सात संस्थानों को धन वितरित करने के लिए अपर्याप्त है क्योंकि पहली किस्त 7 एनपीपीएमटी एंड बीआई कार्यक्रम के तहत नए स्थापित उत्कृष्टता केंद्रों को अनुदान जारी करने के लिए फाइलें और नई 07 सीओई को पहली किस्त। वर्तमान शीर्ष के पास राशि स्वीकृत करने के लिए अपर्याप्त निधि है। The BE for the head is insufficient to disburse funds to all seven institutes as first instalment 7 files for

125 अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

					,
					releasing grants to Centres of Excellence newly established under the programme NPPMT&BI and first instalment to new 07 CoEs. The current head has insufficient funds to sanction the amount.
3	चिकित्सा विज्ञान संस्थान-बीएचयू, वाराणसी को अनुदान Grant to Institute of Medical Sciences- BHU, Varanasi	2210.05.105.81.00.35	50.00	48.00	75.01 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 25 चिकित्सा उपकरणों की खरीद। 16 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से आईएमएस बीएचयू में सीडैक के "ई-सुश्रुत" एचएमआई का कार्यान्वयन। 5.54 करोड़ रुपये की लागत से आईएमएस बीएचयू में रसोई सुविधा की स्थापना। Procurement of 25 medical equipments at an estimated cost of Rs. 75.01 Cr Implementation of CDAC's "e-Sushrut" HMIS at IMS BHU at an estimated cost of Rs. 16 Cr Setting up of kitchen facility at IMS BHU at an cost of Rs. 5.54 Cr.
4	केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना Central Government Health Scheme	4210.01.103.04.00.52	5.00	0.45	सीडेक मॉड्यूल के कार्यान्वयन के कारण, नए सीडेक संगत उपकरणों की आवश्यकता होती है। Due to implementation of CDAC module, new CDAC compatible equipment are required.
5	प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-अभिम) Prime Minister Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM-ABHIM)	4210.04.200.33.03.52	0.30	1.76	क्यूसी प्रस्तुत करने के प्रस्ताव जिसमें प्रस्तुत करने की दिशा में व्यय शामिल है, को बजट शीर्ष "फर्नीचर और फिक्स्चर" के माध्यम से पूरा किया जा सकता है और विद्युत उपकरणों के प्रावधान की दिशा में व्यय

		को बजट शीर्ष "मशीनरी और उपकरण" के माध्यम से पूरा
		किया जा सकता है।
		The proposal for furnishing the QCs that includes the expenditure towards furnishing may be met through the Budget
		Head "Furnitures and
		Fixtures" and the expenditure towars provisioning of electrical equipment may be met through Budget Head
		"Machinery and
		Equipment".

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग Department of Health Research

मांग सांख्या - 47

Demand No. - 47

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

1	2	3	4	5	6
क्र. सां. S.No.	योजना/ कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/ Programme	लेखा शीर्षक - 15 अंक Head of Account (15 digit)	Budget Estimates	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	पीएम-अभिम जैव सुरक्षा तैयारी और महामारी अनुसंधान को मजबूत करना और एक स्वास्थ्य के लिए बहु- क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थान और मंच PM-ABHIM Biosecurity Preparedness and Strengthening Pandemic Research and Multi Sector National Institutions and Platforms for One Health	2210.05.105.61.01.35	0.01	8.99	नव परिकल्पित वन हेल्थ गतिविधियों को समायोजित करने के लिए एनआईओएच सुविधा का विस्तार करना Enhancing NIOH Facility to accommodate the newly envisioned One Health Activities

भारी उद्योग मंत्रालय Ministry of Heavy Industries

माांग सांख्या - 48

Demand No. - 48

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

1	2	3	4	5	6
क्र. सां. S.No.	योजना/ कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/ Programme	Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को सहायता Support to Central Public Sector Enterprises	2852.80.800.39.00.31	0.01		माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आवश्यक व्यय को पूरा करने के लिए। To meet the required expenses in compliance of order of Hon'ble High

गृह मंत्रालय Ministry of Home Affairs

माांग सांख्या - 49 Demand No. - 49

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

1	2	3	4	5	6
क्र. सां. S.No.	योजना/ कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/ Programme	लेखा शीर्षक - 15 अंक Head of Account (15 digit)	Budget Estimates बजट अनुमान 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	निर्देशन और प्रशासन Direction And Administration	4070.00.001.35.01.52	0.01	0.04	वस्तु शीर्ष - 'सब्सिडी' के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए To meet additional expenditure under Object Head Machinery and Equipment.
2	निर्देशन और प्रशासन Direction And Administration	4070.00.001.06.00.71	18.00	15.00	वस्तु-शीर्ष ''सूचना कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण' के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। To meet additional expenditure under Object Head - Information, Computer, Telecommunication (ICT) equipment.
3	प्राकृतिक आपदाएँ Natural Calamities	4250.00.101.03.00.71	5.50	1.30	वस्तु-शीर्ष 'सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण' के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। To meet additional expenditure under Object Head - Information, Computer, Telecommunication (ICT) equipment.

मंत्रिमंडल Cabinet

माांग सांख्या - 50

Demand No. - 50

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

1	2	3	4	5	6
क्र. सां. S.No.	योजना/ कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/ Programme	लेखा शीर्षक - 15 अंक Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	Principal Scientific Advisor (Synergy Projects)	2013.00.106.03.02.35	4.00		वस्तु- शीर्ष "पूंजीगत परिसंपतियों के निर्माण के लिए अनुदान" के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। To meet additional expenditure towards Object Head - Grants for Creation of Capital Assets.

पुलिस Police

माांग सांख्या - 51

Demand No. - 51

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

					(र कराड़ म र In Crore)
1	2	3	4	5	6
क्र. सां. S.No.	योजना/ कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/ Programme	लेखा शीर्षक - 15 अंक Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	भारत-तिब्बत सीमा पुलिस स्वच्छता कार्य योजना ITBP SWACHHTA ACTION PLAN	4055.00.203.02.96.52	0.48	0.61	वस्तु-शीर्ष "उपस्कर और औजार" के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। To meet additional expenditure towards Object Head - Machinery and Equipment.
2	केंद्रीय न्याय वैद्यक विज्ञान प्रयोगशाला CENTRAL FORENSIC- SCIENCE LABORATORY	4055.00.216.04.03.71	0.07	0.66	वस्तु-शीर्ष "सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण" के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। To meet additional expenditure towards Object Head - Information, Computer, Telecommunication (ICT) equipment.
3	सशस्त्र सीमा बल आधुनिकीकरण SSB Modernisation	4055.00.213.05.00.52	10.00	45.00	वस्तु-शीर्ष "उपस्कर और औजार" के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। To meet additional expenditure towards Object Head - Machinery and Equipment.

132 अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

	1				
4	समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार) DIRECTORATE OF COORDINATION (POLICE WIRELESS)	4055.00.216.02.03.52	3.56	10.37	वस्तु-शीर्ष "उपस्कर और औजार" के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। To meet additional expenditure towards Object Head - Machinery and Equipment.
5	नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो NARCOTICS CONTROL BUREAU	4055.00.216.12.01.52	2.77	2.00	वस्तु-शीर्ष "उपस्कर और औजार" के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। To meet additional expenditure towards Object Head - Machinery and Equipment.
6	केन्द्रीय अधेसैनिक बालो लेखाकरण संगठन DEPARTMENTAL ACCOUNTING ORGANISATION OF CENTRAL ARMED POLICE FORCES	4055.00.800.22.03.52	0.00	0.42	वस्तु-शीर्ष "उपस्कर और औजार" के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। To meet additional expenditure towards Object Head - Machinery and Equipment.
7	दिल्ली पुलिस के यातायात एवं संचार नेटवर्क का आधुनिकीकरण MODERNISATION OF TRAFFIC & COMMUNICATION NETWORK OF DELHI POLICE	4055.00.212.09.01.72	5.00	3.00	वस्तु-शीर्ष "भवन और संरचनाएं" के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। To meet additional expenditure towards Object Head - Building and Structures.
8	सशस्त्र सीमा बल सामान्य SSB General	4055.00.213.04.00.71	37.00	20.00	वस्तु-शीर्ष "सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण" के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। To meet additional expenditure towards Object Head - Information, Computer, Telecommunication (ICT) equipment.

133 अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

	<u> </u>				
9	आसूचना ब्यूरो INTELLIGENCE BUREAU	4055.00.216.10.01.78	300.00	15.00	वस्तु-शीर्ष "भूमि" के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। To meet additional expenditure towards Object Head - Land.
10	सशस्त्र सीमा बल सामान्य SSB General	4055.00.213.04.00.52	23.70	20.00	वस्तु-शीर्ष "उपस्कर और औजार" के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। To meet additional expenditure towards Object Head - Machinery and Equipment.
11	राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NATIONAL INVESTIGATION AGENCY	4055.00.216.13.01.71	16.59	15.00	वस्तु-शीर्ष "सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण" के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। To meet additional expenditure towards Object Head - Information, Computer, Telecommunication (ICT) equipment.
12	केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय Central Detective Training School	4055.00.210.04.01.52	1.76	1.65	वस्तु-शीर्ष "उपस्कर और औजार" अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। To meet additional expenditure towards Object Head - Machinery and Equipment.
13	सीमा सुरक्षा बल सामान्य Border Security Force General	4055.00.203.01.06.52	165.00	3.33	वस्तु-शीर्ष "उपस्कर और औजार" अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। To meet additional expenditure towards Object Head - Machinery and Equipment.
14	असम राइफल्स सामान्य Assam Rifles General	4055.00.202.04.00.52	150.00	25.00	वस्तु-शीर्ष "उपस्कर और औजार" अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। To meet additional expenditure towards Object Head - Machinery and Equipment.

134 अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

15	असम राइफल्स कार्यालय भवन Assam Rifles Office Buildings	4055.00.202.01.00.72	60.00	15.00	वस्तु-शीर्ष "भवन और संरचनाएं" के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। To meet additional expenditure towards Object Head - Building and Structures.
16	असम राइफल्स सीमावर्ती चौकियाँ Assam Rifles Border Outposts	4055.00.202.03.00.73	100.00	15.00	वस्तु-शीर्ष "ढांचागत परिसंपति" के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। To meet additional expenditure towards Object Head - Infrastructural Assets.
17	सीमा सुरक्षा बल आधुनिकीकरण BSF Modernisation	4055.00.203.01.07.52	55.00	6.00	वस्तु-शीर्ष "उपस्कर और औजार" के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। To meet additional expenditure towards Object Head - Machinery and Equipment.
18	भारत-तिब्बत सीमा पुलिस सामान्य ITBP General	4055.00.203.02.04.78	40.00	15.00	वस्तु-शीर्ष "भूमि" के अंतर्गत के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। To meet additional expenditure towards Object Head - Land.
19	केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कार्यालय भवन CISF Office Buildings	4055.00.205.01.00.72	100.00	25.00	वस्तु-शीर्ष "भवन और संरचनाएं" के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। To meet additional expenditure towards Object Head - Building and Structures.
20	केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल आवासीय भवन CISF Residential Buildings	4055.00.205.02.00.72	50.00	10.00	वस्तु-शीर्ष "भवन और संरचनाएं" के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।

135 अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

					To most additional
					To meet additional expenditure towards Object
					Head - Building and
					Structures.
21	i da da	4055.00.201.03.00.71	59.25	10.92	عدر مالي سيت غريب
21	केंद्रीय रिजर्व पुलिस	4055.00.201.05.00.71	39.23	10.92	वस्तु-शीर्ष "सूचना, कंप्यूटर,
	ਕਨ Central Reserve				दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण''
	Police Force General				के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को
					पूरा करने के लिए।
					To meet additional expenditure towards Object
					Head - Information,
					Computer,
					Telecommunication (ICT)
					equipment.
22	* 1 	40FF 00 201 01 00 F2	0.01	5.00	
22	केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्वच्छता कार्य	4055.00.201.01.96.52	0.01	5.00	वस्तु-शीर्ष "उपस्कर और औजार" अंतर्गत अतिरिक्त
					व्यय को पूरा करने के लिए।
	योजना CRPF Swachhta				To meet additional
	Action Plan				expenditure towards Object
					Head - Machinery and
					Equipment.
23	केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण	4055.00.210.04.01.71	0.79	0.70	वस्तु-शीर्ष "सूचना कंप्यूटर,
	विद्यालय				दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण"
	Central Detective				के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को
	Training School				पूरा करने के लिए।
					To meet additional
					expenditure towards Object
					Head - Information,
					Computer, Telecommunication (ICT)
					equipment.
24	राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड	4055.00.216.01.01.74	0.01	0.20	वस्तु-शीर्ष "फर्नीचर और
- '	National Intelligence		0.01	3.20	फिक्सचर" के अंतर्गत
	Grid				अतिरिक्त व्यय को पूरा करने
					के लिए।
					To meet additional
					expenditure towards Object
					Head - Furniture and
					Fixtures.

चंडीगढ़ Chandigarh

माांग सांख्या - 53

Demand No. - 53

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

1	2	3	4	5	6
क्र. सां. S.No.	योजना/ कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/ Programme	लेखा शीर्षक - 15 अंक Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	शहरी विकास Urban development	2217.80.191.30.00.31	625.00	125.00	पेंशन निधि (जिसे वसूल करने की आवश्यकता है) से आहरण के कारण देनदारियों का भुगतान करने के लिए नगर निगम, चंडीगढ़ के लिए आवश्यक और वेतन, भत्ते और मजदूरी जैसी प्रतिबद्ध देनदारियों के लिए Required for Municipal Corporation, Chandigarh for paying liabilities on account of drawal from Pension Fund (which need to be recouped) and for committed liabilities such as Salaries, Allowances and Wages

दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu

मांग सांख्या - 54 Demand No. - 54

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

1	2	3	4	5	6
क्र. सां. S.No.	योजना/ कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/ Programme	लेखा शीर्षक - 15 अंक Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	फसल पालन Crop Husbandry	2401.00.800.03.00.28	0.01	0.01	फसल पालन कार्यक्रम के अंतर्गत व्यावसायिक सेवाओं के भुगतान के लिए For payment of professional services under Crop Husbandry Program.
2	सूचना एवं प्रचार Information and Publicity	2220.60.106.05.00.26	0.57	0.15	सूचना एवं प्रचार कार्यक्रम के अंतर्गत विज्ञापन एवं प्रचार के भुगतान हेतु For payment of advertising and publicity under Information and Publicity Program.
3	वानिकी और वन्य जीवन Forestry and Wildlife	4406.02.110.01.00.71	0.04	0.32	वानिकी एवं वन्य जीव कार्यक्रम के अंतर्गत वन विभाग के लिए प्रभावी इ- ऑफिस संचालन हेतु सॉफ्टवेयर्स के विकास एवं आई.टी. उपकरणों के उन्नयन हेतु भुगतान हेतु For payment of development of softwares and upgradation of IT equipment for effective e-office

138 अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

					operations for forest department under Forestry and Wildlife program.
4	वानिकी और वन्य जीवन Forestry and Wildlife	4406.01.070.06.00.71	0.25	0.45	वानिकी एवं वन्य जीव कार्यक्रम के अंतर्गत वन विभाग के लिए प्रभावी इ- ऑफिस संचालन हेतु सॉफ्टवेयर्स के विकास एवं आई.टी. उपकरणों के उन्नयन हेतु भुगतान हेतु For payment of development of softwares and upgradation of IT equipment for effective e- office operations for forest department under Forest and Wildlife program.
5	पर्यटन Tourism	3452.01.101.10.00.26	1.55	0.30	पर्यटन कार्यक्रम के अंतर्गत विज्ञापन एवं प्रचार के भुगतान हेतु For payment of advertising and publicity under Tourism Program.
6	प्रशाशन एवं न्याय Administration and Justice	2014.00.105.09.00.19	0.03	0.05	प्रशाशन एवं न्याय कार्यक्रम के अंतर्गत आई.सी.टी उपकरण के भुगतान के लिए For payment of ICT equipment under Administration and Justice Program.
7	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ Other Administrative Services	4070.00.800.05.00.71	0.01	0.10	अन्य प्रशासनिक सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत आई.की.टी. उपकरणों की खरीद के भुगतान के लिए For payment of procurement of ICT equipment under Other Administrative Service program.

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय Ministry of Housing and Urban Affairs

मांग सांख्या - 60 Demand No. - 60

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

				_	
1	2	3	4	5	6
क्र. सां. S.No.	योजना/ कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/ Programme	लेखा शीर्षक - 15 अंक Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) Pradhan Mantri Awas Yojna (Urban)	2216.02.001.01.01.18	0.03	0.09	वस्तु- शीर्ष "अन्यों के लिए किराया" के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। To meet additional expenditure towards Object Head - Rent for Others.
2	प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा PM-SVANidhi - Special Micro Credit Facility for Street Vendors	3475.00.108.10.08.31	6.00	15.00	वस्तु-शीर्ष "सहायता अनुदान सामान्य" के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। To meet additional expenditure towards Object Head - Grant-in-aid General.
3	हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड (एच पी आई एल) Hemisphere Properties India Limited (HPIL)	4217.60.190.15.01.54	10.00	75.00	वस्तु-शीर्ष "निवेश" के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। To meet additional expenditure towards Object Head - Investment.

140 अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

4	शहरी नवीकरण मिशन- 500 पर्यावास (अमृत) Urban Rejuvenation Mission 500 Habitations (Amrut)	2217.05.191.16.01.18	0.05	0.05	वस्तु- शीर्ष "अन्यों के लिए किराया" के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। To meet additional expenditure towards Object Head - Rent for Others.
5	प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा PM-SVANidhi - Special Micro Credit Facility for Street Vendors	3475.00.108.10.06.18	0.05	0.05	वस्तु- शीर्ष "अन्यों के लिए किराया" के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। To meet additional expenditure towards Object Head - Rent for Others.
6	सचिवालय सामान्य सेवाएं Secretariat General Services	4217.60.001.01.00.71	3.37	0.70	वस्तु-शीर्ष "सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण" के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। To meet additional expenditure towards Object Head - Information, Computer, Telecommunication (ICT) equipment.

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation

माांग सांख्या - 62 Demand No. - 62

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

1	2	3	4	5	6
क्र. सां. S.No.	योजना/ कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/ Programme	लेखा शीर्षक - 15 अंक Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	राष्ट्रीय जल मिशन का अनुसंधान और विकास एवं कार्यान्वयन Research and Development and Implementaion of National Water Mission	4701.80.004.05.01.71	3.00	1.50	सॉफ्टवेयर की खरीद के भुगतान के लिए निधि की आवश्यकता है। Fund is required for payment of purchase of software.
2	जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास Development of Water Resources Information System	4701.80.800.06.00.52	9.00	19.17	डीडब्ल्यूआरआईएस योजना के परिव्यय में वृद्धि के कारण निधि की आवश्यकता है। Fund is required due to enhancement of outlay of DWRIS scheme.
3	नदी घाटी प्रबंधन River Basin Management	2701.80.800.21.02.31	44.00	13.40	चिनाब-ब्यास लिंक परियोजना के विस्तृत परियोजना कार्य के लिए निधि की आवश्यकता है। Fund is required for detailed project work of chenab-Beas link project.
4	जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास Development of Water Resources Information System	4552.00.800.31.00.72	0.02	0.22	डीडब्ल्यूआरआईएस योजना के परिव्यय में वृद्धि के कारण निधि की आवश्यकता है। Fund is required due to enhancement of outlay of DWRIS scheme.

142 अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

5	राष्ट्रीय जल मिशन का	2701.80.004.11.04.31	1.50	50.00	राष्ट्रीय जल पुरस्कार के अवसर
	अनुसंधान और विकास				पर जन संचय जन भागीदारी
	एवं कार्यान्वयन				पहल के तहत पुरस्कार के
	Research and				भुगतान के लिए धनराशि की
	Development and Implementaion of				आवश्यकता है।
	National Water				Fund is require for
	Mission				payment of award under Jan Sanchay Jan Bhagidari
					initative on the occasion of
					Nation Water Awards.

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग Department of Drinking Water and Sanitation

मांग सांख्या - 63 Demand No. - 63

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

1	2	3	4	5	6
क्र. सां. S.No.	योजना/ कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/ Programme	लेखा शीर्षक - 15 अंक Head of Account (15 digit)	Budget Estimates	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ Secretariat - Economic Services	5475.00.001.01.13.71	0.50	0.12	स्चना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण में 0.1172 करोड़ रुपये की राशि की आवश्यकता है सेवा के नए साधन की पहचान की गई। इसे संसद को स्चित करने की आवश्यकता है। Amount of Rs. 0.1172 crore required for Information, Computer, Telecommunications (ICT) Equipment. New instrument of service identified. The same needs to be reported to the Parliament.

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय Ministry of Labour and Employment

मांग सांख्या - 64 Demand No. - 64

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

1	2	3	4	5	6
क्र. सां. S.No.	योजना/ कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/ Programme	लेखा शीर्षक - 15 अंक Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	अन्य समाज सेवाओं पर पूंजी परिव्यय Capital Outlay on Other Social Services	4250.00.201.29.01.71	2.00	0.10	अधिक कम्प्यूटर खरीदने के लिए धन की आवश्यकता है। Fund is required for purchase of more computers.

विधि और न्याय Law and Justice

माांग सांख्या - 65 Demand No. - 65

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

1	2	3	4	5	6
क्र. सां. S.No.	योजना/ कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/ Programme	लेखा शीर्षक - 15 अंक Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के लिए अनुदान (पुनर्विनियोग आदेश सं. 06) Grants for Infrastructure facilities for Judiciary (RE- APPROPRIATION ORDER No. 06)	2014.00.104.01.00.35	2.00	5.00	न्यायपालिका के लिए न्यायिक बुनियादी ढांचे के लिए सीएसएस के तहत विभिन्न स्थलों पर शुरू किए गए कार्यों के लिए लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र की बकाया देनदारियों को चुकाने के लिए आवश्यक अतिरिक्त धनराशि। Additional funds required to clear outstanding liabilities of the UT of Ladakh for works initiated in various sites under the CSS for Judicial Infrastructure for Judiciary.
2	सचिवालय (विधि साहित्य प्रकाशन) (पुनर्विनियोग आदेश सं. 11) Secretariat (Vidhi Sahitya Prakashan) (RE-APPROPRIATION ORDER No. 11)	4075.00.001.02.11.71	0.05	0.02	आवश्यक उपकरणों की खरीद के लिए आवश्यक अतिरिक्त निधियां जो बजट के समय प्रत्याशित थीं। Additional funds required to procure essential equipment which was also anticipated at the time of budgeting.

146 अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

3	सचिवालय (विधि	4075.00.001.02.11.52	0.01	0.10	चालू वित्त वर्ष 2025-26 के
	साहित्य प्रकाशन)				दौरान फोटोकॉपियर मशीनों की
	(पुनर्विनियोग आदेश सं.				खरीद के लिए आवश्यक
	12)				अतिरिक्त निधि।
	Secretariat (Vidhi				Additional funds required to
	Sahitya Prakashan)				procure photocopier machines during current
	(RE-APPROPRIATION				F.Y. 2025-26.
	ORDER No. 12)				

निर्वाचन आयोग Election Commission

माांग सांख्या - 66 Demand No. - 66

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

_			_	_	
1	2	3	4	5	6
क्र. सां. S.No.	योजना/ कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/ Programme	लेखा शीर्षक - 15 अंक Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	निर्वाचन आयोग Election Commission	4070.00.101.10.00.52	0.10	0.05	कार्यालय उपकरणों की खरीद हेतु लंबित भुगतान करने के लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है। Additional Funds are required for making pending payments towards procurement of office equipment after the Second SDG 2024-25.
2	निर्वाचन आयोग Election Commission	4059.01.051.10.01.72	0.01	9.71	आईआईआईडीईएम परिसर के निर्माण के लिए सीपीडब्ल्यूडी को भुगतान करने के लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता थी। Additional Funds were required for making payment to CPWD towards construction of IIIDEM campus at Dwarka, after the Second SDG of 2024-25.

सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises

मांग सांख्या - 68 Demand No. - 68

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

1	2	3	4	5	6
क्र. सां. S.No.	योजना/ कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/ Programme	लेखा शीर्षक - 15 अंक Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Village and Small Industries	4851.00.102.33.00.52	2.00	0.82	अधिक प्रस्तावों/ मांगों के कारण अतिरिक्त आंशिक निधियों की आवश्यकता को पूरा करना। To meet requirement of additional part funds on account of more proposal/ demands.
2	महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान (एमजीआईआरआई) Mahatma Gandhi Institute for Rural Industrialisation (MGIRI)	2851.00.200.18.01.35	8.00	29.52	महातमा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमजीआईआरआई), वर्धा को ग्रामीण औद्योगीकरण के लिए उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में पुनर्स्थापित करना। To Repositioning of Mahatma Gandhi Institute for Rural Industrialization (MGIRI), Wardha as a "Centre of Excellence for Rural Industrialization".

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय Ministry of Minority Affairs

माांग सांख्या - 70 Demand No. - 70

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

1	2	3	4	5	6
क्र. सां. S.No.	योजना/ कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/ Programme	Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakaram	2225.04.102.05.00.35	191.00		पीएमजेवीके योजना मांग आधारित योजना है। अतिरिक्त निधि की आवश्यकता केन्द्र सरकार के संगठनों (सीजीओ) के लिए है। PMJVK scheme is demand driven scheme.The additional fund is required for Central Government organisations (CGOs).

नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय Ministry of New and Renewable Energy

मांग सांख्या - 71 Demand No. - 71

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

1	2	3	4	5	6
क्र. सां. S.No.	योजना/ कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/ Programme	लेखा शीर्षक - 15 अंक Head of Account (15 digit)	Budget Estimates	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	जैव ऊर्जा कार्यक्रम - बायो गैस कार्यक्रम - जीआईए Bio Energy Programme - BIO GAS Programme GIA	2810.00.101.06.03.31	35.00	5.00	बायो गैस कार्यक्रम की लंबित देनदारियों को पूरा करने के लिए रुपये की अतिरिक्त मांग की गई। Additional funds required to meet the pending liabilities of Bio Gas Programme.

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions

माांग सांख्या - 74 Demand No. - 74

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

1	2	3	4	5	6
क्र. सां. S.No.	योजना/ कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/ Programme	लेखा शीर्षक - 15 अंक Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	कैट की विभिन्न पीठों के लिए भवन की भूमि और निर्माण की खरीद Purchase Of Land & Construction Of Building For Various Benches Of Cat	4059.01.051.13.00.71	1.50	0.50	वस्तु-शीर्ष "सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण" के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। To meet additional expenditure towards Object Head - Information, Computer, Telecommunication (ICT) equipment.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय Ministry of Petroleum and Natural Gas

माांग सांख्या - 76 Demand No. - 76

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

1	2	3	4	5	6
क्र. सां. S.No.	योजना/ कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/ Programme	लेखा शीर्षक - 15 अंक Head of Account (15 digit)	Budget Estimates	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण Information, Computer, telecommunications (ICT) Equipment	5475.00.001.01.15.71	0.20	0.15	लैपटॉप की खरीद के कारण अतिरिक्त व्यय Additionality on account of Purchase of Laptops

योजना मंत्रालय Ministry of Planning

माांग सांख्या - 77 Demand No. - 77

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

1	2	3	4	5	6
क्र. सां. S.No.	योजना/ कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/ Programme	लेखा शीर्षक - 15 अंक Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी) चरण III Aspirational Districts Programme (ADP) Phase III	3475.00.004.07.01.13	0.00	4.00	भारत की आकस्मिकता निधि से आहरित अग्रिम की वस्ली के लिए To recoup the CFI advance.
2	नीति आयोग - मुख्यालय NITI Aayog - Headquarters	3451.00.101.01.00.28	32.45	9.00	भारत की आकस्मिकता निधि से आहरित अग्रिम की वसूली के लिए To recoup the CFI advance.
3	चल रहे कार्यक्रम और योजनाएं Ongoing Programme and Schemes Including Liablilities From BE 2014-15 (SOPS, EPP(IC), R&S, PFAR, UNDP	3475.00.004.05.01.28	3.75	2.00	परामर्शदाताओं/ परामर्श एजेंसियों को व्यावसायिक शुल्क का भुगतान करना। To pay the professional charges to Consultants/ consulting agencies.
4	नीति आयोग - मुख्यालय NITI Aayog Headquarters	5475.00.001.01.10.71	6.00	9.00	भारत की आकस्मिकता निधि से आहरित अग्रिम की वसूली के लिए To recoup the CFI advance
5	विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय Development Monitoring and Evaluation Office	3451.00.101.12.01.28	10.42	35.00	भारत की आकस्मिकता निधि से आहरित अग्रिम की वस्ली के लिए To recoup the CFI advance.

154 अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

6	आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी) चरण III Aspirational Districts Programme (ADP) Phase III	3475.00.004.07.01.31	0.00	216.00	भारत अग्रिम की आकस्मिकता निधि को पुनः प्राप्त करना और व्यय को पूरा करना To recoup the CFI advance and to meet the expenditure
7	नीति आयोग - मुख्यालय NITI Aayog - Headquarters	3451.00.101.01.00.14	10.00	5.50	भारत की आकस्मिकता निधि से आहरित अग्रिम की वसूली के लिए To recoup the CFI advance
8	नीति आयोग - मुख्यालय NITI Aayog - Headquarters	3451.00.101.01.00.13	21.00	11.00	भारत की आकस्मिकता निधि से आहरित अग्रिम की वसूली के लिए To recoup the CFI advance.
9	नीति आयोग - मुख्यालय NITI Aayog- Headquarters	3451.00.101.01.00.27	8.00	7.50	भारत की आकस्मिकता निधि से आहरित अग्रिम की वस्ली के लिए To recoup the CFI advance.
10	नीति आयोग - मुख्यालय NITI Aayog Headquarters	5475.00.001.01.10.52	1.50	3.00	भारत की आकस्मिकता निधि से आहरित अग्रिम की वस्ती के लिए To recoup the CFI advance.
11	सतत विकास लक्ष्यों के लिए जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) से आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) Official Development Assistance(ODA) From Japan International Cooperation Agency (JICA) for Sustainalble Development Goals	3475.00.004.03.01.31	0.01	24.93	ब्लॉकों/ ग्राम पंचायतों को सहायता अनुदान जारी करना। To release the Grants- In- Aid to Blocks/ Gram Panchayats.

पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय Ministry of Ports, Shipping and Waterways

मांग सांख्या - 78 Demand No. - 78

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

1	2	3	4	5	6
क्र. सां. S.No.	योजना/ कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/ Programme	लेखा शीर्षक - 15 अंक Head of Account (15 digit)	Budget Estimates	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
	दीपस्तंभ का निर्माण और सुधार Construction and Improvement of Lighthouses	5051.03.101.01.00.72	47.85	10.00	चल रही लाइटहाउस विकास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए For the completion of on- going Lighthouse development Projects

विद्युत मंत्रालय Ministry of Power

माांग सांख्या - 79 Demand No. - 79

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

1	2	3	4	5	6
क्र. सां. S.No.	योजना/ कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/ Programme	लेखा शीर्षक - 15 अंक Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	Dharti Aaba Janjatiya Gram Utkash Abhiyan	2801.05.796.04.03.35	10.00		डिस्कॉम द्वारा प्रस्तुत दावों के लिए 120 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय, मुख्यतः धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्पादन अभियान (डीएजेजीयूए) के अंतर्गत। Additional ex[penditure for claims submitted by DISCOMs amounting to Rs. 120 crore, mainly under Dharti Aaba Janjatiya Gram Utkash Abhiyan (DAJGUA).

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय Ministry of Road Transport and Highways

मांग सांख्या - 86 Demand No. - 86

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

1	2	3	4	5	6
क्र. सां. S.No.	योजना/ कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/ Programme	लेखा शीर्षक - 15 अंक Head of Account (15 digit)	Budget Estimates	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण Information, Computer, Telecommunications (ICT) Equipment	5054.01.337.07.99.71	7.00	13.00	मेघराज02 क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर पर एप्लिकेशन होस्टिंग के लिए NICSI को भुगतान हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है। अभी तक यह निःशुल्क था। अब, यह भुगतान के आधार पर उपलब्ध है। additional fund is required for payment to NICSI for hosting application on MeghRaj02 Cloud infrastructures. So far this was free. Now, this is on payment basis.

भूमि संसाधन विभाग Department of Land Resources

मांग सांख्या - 88 Demand No. - 88

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

1	2	3	4	5	6
क्र. सां. S.No.	योजना/ कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/ Programme	Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम DIGITAL INDIA LAND RECORDS MODERNISATION PROGRAMME	2506.00.001.07.03.49	14.00	47.28	डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी)/ नक्शा परियोजना के कार्यान्वयन के अंतर्गत एसओआई और अन्य एजेंसियों को भुगतान के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता। Requirement of additional fund towards payment to SOI and other agencies under implementing India Land Records Modernisation Programme (DILRMP)/ NAKSHA Project.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग Department of Science and Technology

मांग सांख्या - 89 Demand No. - 89

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

1	2	3	4	5	6
क्र. सां. S.No.	योजना/ कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/ Programme	लेखा शीर्षक - 15 अंक Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
2	स्थापना Establishment विज्ञान धारा	5425.00.001.01.01.71 3425.60.200.76.01.31	569.20	1.81	विविध व्यय जैसे माननीय मंत्रियों के सम्मेलन कक्ष का उन्नयन, एसक्यूएल सर्वर की खरीद, लैपटॉप की खरीद आदि के लिए धन की आवश्यकता है। Funds required for miscellaneous expenditure viz. upgradation of Hon'ble ministers conference room, purchase of SQL server, procurement of laptops etc. चाल वित्त वर्ष 2025-26 की
2	Vigyan Dhara	3423.00.200.70.01.31	309.20	113.00	शेष अवधि के लिए योजना के अंतर्गत गतिविधियों/ कार्यक्रमों/ उपकरणों की खरीद आदि को जारी रखने के लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता थी। Additional fund required for continuing the activities/ programmes etc. under the scheme for remaining period of current FY. 2025-26.

160 अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

_		-			
3	विज्ञान धारा Vigyan Dhara	3425.60.796.19.01.31	47.00	20.00	चालू वित वर्ष 2025-26 की शेष अवधि के लिए योजना के अंतर्गत गतिविधियों/ कार्यक्रमों आदि को जारी रखने के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता थी। Additional fund required for continuing the activities/ programs ect. under the scheme for remaining period of current FY. 2025-26.
4	विज्ञान धारा Vigyan Dhara	3425.60.200.76.01.35	279.50	100.00	चालू वित्त वर्ष 2025-26 की शेष अविध के लिए योजना के अंतर्गत गतिविधियों/ कार्यक्रमों/ उपकरणों की खरीद आदि को जारी रखने के लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता थी। Additional funds required for continuing the activities/ programmes/ procurement of equipment etc. under the scheme for remaining period of current FY. 2025-26.

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय Ministry of Skill Development and Entrepreneurship

मांग सांख्या - 92 Demand No. - 92

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

1	2	3	4	5	6
क्र. सां. S.No.	योजना/ कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/ Programme	लेखा शीर्षक - 15 अंक Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	सचिवालय Secretariat	4250.00.001.01.13.71	0.63	0.40	अप्रत्याशित व्यय के लिए पुन: विनियोजित किया गया। Re-appropriated for unforseen expenditure.

अंतरिक्ष विभाग Department of Space

माांग सांख्या - 95 Demand No. - 95

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

1	2	3	4	5	6
क्र. सां. S.No.	योजना/ कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/ Programme	लेखा शीर्षक - 15 अंक Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	अंतरिक्ष अनुप्रयोग Space Applications	3402.00.102.05.00.31	1.00	0.95	परियोजना कार्य को पूरा करना हेतु संस्थान को वित्त पोषण देने के लिए पुनर्विनियोजन किया गया । Funding of the institute for carrying out the project works.
2	अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी Space Technology	5402.00.101.01.00.71	100.00	13.00	कंप्यूटर और वर्कस्टेशन के विगत वित्तीय वर्ष के शेष के भुगतान के लिए पुनर्विनियोजन किया गया । Payment for computer and workstations which had spilled over from the previous Financial Year.
3	अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी Space Technology	5402.00.101.02.00.71	1.81	2.50	सॉफ्टवेयर और वर्क स्टेशन की खरीद के लिए पुनर्विनियोजन किया गया । Procurement of software and work station.
4	अंतरिक्ष अनुप्रयोग Space Applications	5402.00.102.06.00.52	2.50	1.90	टीईआरएलएस में डीडब्ल्यूआर डेटा रिसेप्शन प्रोसेसिंग सिस्टम और डीडब्ल्यूई के कंपोनेंट्स की खरीद के लिए पुनर्विनियोजन किया गया।

163 अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

					Procurement of DWR data reception processing system and components of DWE at TERLS.
5	अंतरिक्ष विज्ञान Space Sciences	5402.00.103.11.00.73	0.00	0.03	पोलिक्स पेलोड बनाने के लिए रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट (आर आर आई) को अंतिम भुगतान के लिए पुनर्विनियोजन किया गया । For settlement of dues to Raman Research Institute (RRI) towards realisation of POLIX payload.
6	अंतरिक्ष अनुप्रयोग Space Applications	3402.00.102.10.00.35	0.90	1.23	एन.ईसैक में एन.ई.आर- डी.आर.आर. सर्वर रूम सेटअप के नवीकरण के लिए पुनर्विनियोजन किया गया । Renewal of the NER-DRR server room setup at NE- SAC

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय Ministry of Statistics and Programme Implementation

मांग सांख्या - 96 Demand No. - 96

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

1	2	3	4	5	6
क्र. सां. S.No.	योजना/ कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/ Programme	लेखा शीर्षक - 15 अंक Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	सांख्यिकीय सुद्ददीकरण के लिए समर्थन Support for Statistical Strengthening	3454.02.204.19.05.31	12.50	10.77	2025-26 के दौरान सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण उप-योजना के लिए सहायता के अंतर्गत राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की अतिरिक्त आवश्यकता/ मांगों के कारण जारी करने हेतु निधियों की आवश्यकता है। Additional requirement/ demands of States/ UTs under Support for Statistical Strengthening Sub-Scheme during 2025-26.

इस्पात मंत्रालय Ministry of Steel

माांग सांख्या - 97

Demand No. - 97

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

1	2	3	4	5	6
क्र. सां. S.No.	योजना/ कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/ Programme	लेखा शीर्षक - 15 अंक Head of Account (15 digit)	Budget Estimates	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	सचिवालय Secretariat	5475.00.001.01.12.73	0.61		अंतरिक्ष विभाग को भुगतान के लिए For payment to Department of Space

पर्यटन मंत्रालय Ministry of Tourism

मांग सांख्या - 99 Demand No. - 99

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

1	2	3	4	5	6
क्र. सां. S.No.	योजना/ कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/ Programme	लेखा शीर्षक - 15 अंक Head of Account (15 digit)	Budget Estimates	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	पर्यटन महानिदेशालय Directorate General of Tourism	3452.80.001.01.99.19	0.50	0.20	टोनर और कार्ट्रिज जैसी आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए आवश्यक Required for Procurement of Essential Item such as toners and Cartridges
2	विपणन विकास सहायता सहित विदेशी संवर्धन और प्रचार की पुनर्गठित योजना Restructured Scheme of Overseas Promotion & Publicity including Marketing Development Assistance	3452.80.104.01.10.26	0.01	40.00	ट्यय विभाग द्वारा अनुमोदित विदेशी विपणन अभियान चलाना। To conduct overseas marketing campaigns as approved by DoE.

महिला और बाल विकास मंत्रालय Ministry of Women and Child Development

माांग सांख्या - 101 Demand No. - 101

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

1	2	3	4	5	6
क्र. सां. S.No.	योजना/ कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/ Programme	लेखा शीर्षक - 15 अंक Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 Saksham Anganwadi & Poshan 2.0	3602.06.101.65.00.35	0.01	0.42	विधान मंडल के साथ यूटी को धन जारी करने के लिए For release of funds to UT with the legislature
2	सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान (एसपीएनआईडब्ल्यूसीडी) Savitribai Phule National Institute of Women And Child Development (SPNIWCD)	2235.02.102.43.01.35	1.00	1.84	रांची में नए क्षेत्रीय केंद्र के लिए फर्नीचर और उपकरणों की खरीद के लिए For purchase of furniture and equipment for new Regional Center at Ranchi

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय Ministry of Youth Affairs and Sports

माांग सांख्या - 102 Demand No. - 102

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2025-2026

	(र कराड़ म र in Cro					
1	2	3	4	5	6	
क्र. सां. S.No.	योजना/ कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/ Programme	लेखा शीर्षक - 15 अंक Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2025-2026	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks	
1	युवा मामले विभाग - सचिवालय स्थापना DoYA - Secretariat Establishment	4250.00.001.01.21.52	0.13	0.11	मशीनरी और उपकरण के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए To meet additional Expenditure under Machinery and Equipment	
2	राष्ट्रीय खेल विज्ञान और अनुसंधान केन्द्र National Centre of Sports Science And Research	2204.00.104.61.01.35	3.00	2.00	पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए To meet additional Expenditure under Grant for creation of Capital Assets	
3	राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम National Programme for Youth And Adolescent Development	2204.00.789.09.01.31	4.00	2.00	अनुदान के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए- सहायता में -सामान्य To meet additional Expenditure under Grants- in -Aid -General	
4	राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय National Sports University	2204.00.104.64.01.35	0.50	26.74	पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए To meet additional Expenditure under Grant for creation of Capital Assets	

169 अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

5	भारतीय खेल प्राधिकरण Sports Authority of India	2204.00.104.11.02.35	22.00	8.50	पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए To meet additional Expenditure under Grant for creation of Capital Assets
6	राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम National Programme for Youth And Adolescent Development	2204.00.796.09.01.31	2.00	0.50	सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए To meet additional Expenditure under Grants- in -Aid -General
7	राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम National Programme for Youth And Adolescent Development	2204.00.103.33.01.31	11.80	13.20	सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए To meet additional Expenditure under Grants- in -Aid -General
8	राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय National Sports University	2552.00.274.23.01.31	4.30	1.12	सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए To meet additional Expenditure under Grants- in -Aid -General
9	युवा मामले विभाग - सचिवालय स्थापना DoYA - Secretariat Establishment	4250.00.001.01.21.71	0.77	0.15	(आईसीटी) उपकरण के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए To meet additional Expenditure under ICT Equipment
10	राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय National Sports University	2204.00.104.64.01.35	0.50	2.00	पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए To meet additional Expenditure under Grant for creation of Capital Assets

170 अनुदानों की पूरक मांगे, 2025-26 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

11	राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय National Sports University	2204.00.104.64.01.35	0.50	54.24	पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए To meet additional Expenditure under Grant for creation of Capital Assets
12	भारतीय खेल प्राधिकरण Sports Authority of India	2204.00.104.11.02.36	510.00	10.00	अनुदान-सहायता-वेतन के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए To meet additional Expenditure under Grants- in -Aid -Salaries
13	युवा मामले विभाग - सचिवालय स्थापना DoYA - Secretariat Establishment	4250.00.001.01.21.71	0.77	0.12	(आईसीटी) उपकरण के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए To meet additional Expenditure under ICT Equipment

परमाणु ऊर्जा Atomic Energy

मांग सांख्या - 3 Demand No. - 3

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2024-2025

					(₹ कराड़ म ₹ in Crore)
1	2	3	4	5	6
क्र. सां. S.No.	योजना/ कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/ Programme	लेखा शीर्षक - 15 अंक Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2024-2025	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय- ईंधन रीसायकल परियोजनाएँ Capital Outlay on Atomic Energy Industries Fuel Recycle Projects	4861.03.212.09.00.52	93.15	31.52	आईएनआरपी परियोजना के अंतर्गत, वर्ष 2024-25 में कई मशीनरी और उपकरण वितरित किए जाने का प्रस्ताव है, जिससे व्यय में वृद्धि होगी Under INRP Project, a number of machinery and equipments are proposed to be delivered in the year 2024-25 leading to Increase in expenditure
2	परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय आईआरईएल परियोजनाएं Capital Outlay on Atomic Energy Industries IREL projects	4861.03.212.03.00.52	6.87	20.74	रेडियो गतिविधि की निगरानी के लिए उपकरणों की खरीद। Procurement of equipment for monitoring radioactivity.
3	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय- निर्माण सेवा एवं संपदा प्रबंधन निदेशालय की आवास योजना Capital Outlay on	5401.00.283.19.01.71	0.01	0.99	योजना का कार्य जोरों पर चल रहा है। Colony renovation.

	Atomic Energy Research Housing Scheme of Directorate of Construction Services and Estate Management				
4	परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय- ईंधन रीसायकल परियोजनाएँ Capital Outlay on Atomic Energy Industries Fuel Recycle Projects	4861.03.212.09.00.71	1.92	0.52	परियोजनाओं से संबंधित खरीद में वृद्धि के कारण Due to increase in procurements related to projects
5	परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय- परमाणु ईंधन निर्माण परियोजनाएँ Capital Outlay on Atomic Energy Industries Nuclear Fuel Fabrication Projects	4861.03.212.05.00.72	160.02	24.98	एनएफसी, कोटा में निर्माण गतिविधियों में अपेक्षा से अधिक प्रगति के कारण More progress than anticipated in the construction activities at NFC, Kota
6	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय- राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र की अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं (आरआरसीएटी) Capital Outlay on Atomic Energy Research R & D Projects of Raja Ramanna Centre for Advanced Technology (RRCAT)	5401.00.401.03.00.72	14.54	0.46	नई परियोजनाओं की मंजूरी के कारण Due to sanction of new projects
7	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय- परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र की अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं (वीईसीसी) Capital Outlay on	5401.00.401.05.00.72	4.40	2.50	संशोधित वर्गीकरण के अनुसार नए खाता शीर्ष के स्थानांतरण के कारण Due to shifting of new head of account as per the revised classification

173 अनुदानों की पूरक मांगे, 2024-25 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

	Atomic Energy Research R & D Projects of Variable Energy Cyclotron				
8	Centre (VECC) परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय- भारी जल परियोजनाओं में सुधार/ संशोधन Capital Outlay on Atomic Energy Industries Improvement/ Modifications of Heavy Water Projects	4861.03.212.01.00.72	2.50	1.18	वित्त वर्ष 2023-24 से व्यय का विस्तार भारी जल सुविधा के लिए नींव कार्य के सिविल कार्य के लिए केस फाइल की पुनः निविदा के कारण Spill over expenditure from FY 2023-24 due to the retendering of case file for the civil work of foundation work for heavy water facility
9	परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय- स्वायत निकायों की आवास योजनाएँ Capital Outlay on Atomic Energy Industries Housing Schemes of Autonomous Bodies	5401.00.283.19.04.72	4.00	3.02	टीआईएफआर, हैदराबाद में नव विकसित परिसर में निर्माण गतिविधियां और उच्च मूल्य की खरीद। Construction activities at newly developed campus at TIFR, Hyderabad and high value procurement.
10	परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय- भारी जल परियोजनाओं में सुधार/ संशोधन Capital Outlay on Atomic Energy Industries Improvement/ Modifications of Heavy Water Projects	4861.03.212.01.00.71	0.60	0.61	इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर के साथ-साथ ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर की खरीद के कारण Procurement of engineering software as well as drafting software
11	परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय- आईआरईएल परियोजनाएं Capital Outlay on Atomic Energy Industries IREL projects	4861.03.212.03.00.72	11.18	0.56	छत कवरिंग स्लैब के निर्माण के लिए। Construction of roof covering slab.

174 अनुदानों की पूरक मांगे, 2024-25 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

12	परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-	4861.03.212.05.00.71	20.52	12.48	आईसीटी उपकरणों की प्राप्ति, स्थापना और कमीशनिंग में
	परमाणु ईंधन निर्माण				प्रगति।
	परियोजनाएँ				Advancement in receipt,
	Capital Outlay on				erection and
	Atomic Energy Industries Nuclear				commissioning of ICT
	Fuel Fabrication				equipment.
	Projects				
13	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	5401.00.401.07.00.72	15.00	1.25	LIGO परियोजनाओं की
	पर पूंजी परिव्यय- मेगा				आवश्यकता में वृद्धि।
	विज्ञान परियोजनाएँ				Increase requirement of
	Capital Outlay on				LIGO projects.
	Atomic Energy Research Mega				
	Science Projects				
14	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	5401.00.283.19.02.73	1.00	2.62	विद्युत और यांत्रिक बुनियादी
	पर पूंजी परिव्यय-				ढांचे का विस्तार के कारण।
	सामान्य सेवा संगठन				Augmentation of electrical
	की आवास योजना				and mechanical infrastructure
	Capital Outlay on				iiii asti utture
	Atomic Energy				
	Research Housing Scheme of General				
	Service Organisation				
15		5401.00.401.02.00.73	1.00	1.30	चल रही परियोजनाओं की
	पर पूंजी परिव्यय-				तीव्र प्रगति और कार्य आदेशों
	इंदिरा गांधी परमाणु				को अंतिम रूप दिए जाने के
	अनुसंधान केंद्र की				कारण।
	अनुसंधान एवं विकास				Due to fast progress of ongoing projects and
	परियोजनाएं				finalization of work
	Capital Outlay on				orders.
	Atomic Energy Research R&D				
	Projects of Indira				
	Gandhi Centre for				
	Atomic Research				
16	•	5401.00.401.01.00.52	185.00	52.00	क्रायोजेनिक संयंत्र, गैस
	पर पूंजी परिव्यय भाभा				शोधन संयंत्र, प्रत्येक
	परमाणु अनुसंधान केंद्र				आरएसडब्ल्यू के लिए तीन
	की अनुसंधान एवं				पीस मैनिपुलेटर जैसी वस्तुओं
	विकास परियोजनाएं				की खरीद के लिए वृद्धि का
	(बीएआरसी)				प्रस्ताव किया गया है।
	Capital Outlay on Atomic Energy				Increase proposed for procurement of items like
1					The second second second second

175 अनुदानों की पूरक मांगे, 2024-25 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

	Research R & D projects of Bhabha Atomic Research Centre (BARC)				Cryogenic plant, gas purification plant, three piece manipulator for each RSW
17	परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय- परमाणु ईंधन निर्माण परियोजनाएँ Capital Outlay on Atomic Energy Industries Nuclear Fuel Fabrication Projects	4861.03.212.05.00.73	0.01	3.37	साल 2023-24 को छत के सौर ऊर्जा कार्यों के लिए अंतिम बिल भुगतान को सांकेतिक प्रावधान के विरुद्ध आगे बढ़ाया जाएगा Spill over of final bill payment towards roof for solar power works from 2023-24 against token provision
18	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय- परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र की अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं (वीईसीसी) Capital Outlay on Atomic Energy Research R & D Projects of Variable Energy Cyclotron Centre (VECC)	5401.00.401.05.00.73	4.50	3.50	संशोधित वर्गीकरण के अनुसार नए खाता शीर्ष के स्थानांतरण के कारण Due to shifting of new head of account as per the revised classification
19	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान - सहायताप्राप्त संस्थान Atomic Energy Research - Aided Institution	3401.00.004.27.01.35	346.00	9.23	सहायता प्राप्त संस्थानों की पूंजीगत परियोजनाओं के लिए भुगतान करने के लिए For making payment towards Capital Projects of Aided Institutions
20	परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय- विकिरण और आइसोटोप उत्पादन Capital Outlay on Atomic Energy Industries- Radiation and Isotope production	4861.03.212.08.00.71	0.80	0.89	डेस्कटॉप वर्कस्टेशन और अन्य सॉफ्टवेयर की खरीद Procurement of desktop workstation and other software
21	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान सहायताप्राप्त संस्थान	3401.00.004.27.01.31	237.10	32.06	सहायता प्राप्त संस्थानों की प्रंजीगत परियोजनाओं के

176 अनुदानों की पूरक मांगे, 2024-25 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

	Atomic Energy Research Aided Institutions				लिए भुगतान करने के लिए For making payment towards Capital Projects
22	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय- राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र की अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं (आरआरसीएटी) Capital Outlay on Atomic Energy Research R & D Projects of Raja	5401.00.401.03.00.52	82.10	11.15	of Aided Institutes नई परियोजनाओं की मंजूरी के कारण Due to sanction of New Projects
	Ramanna Centre for Advanced Technology (RRCAT)				
23	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र Atomic Energy Research Raja Ramanna Centre for Advanced Technology	3401.00.004.24.01.31	0.75	0.25	परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय की बुनियादी ढांचे की आवश्यकता के कारण Due to infrastructure requirement of Atomic Energy Central School
24		3401.00.004.24.01.36	4.00	0.20	यह वृद्धि मकान किराया भते में वृद्धि के कारण है। Increase is due to enhancement in House Rent Allowance and Other Allowances as DA reached 50%
25	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय- पब्लिक आउटरीच एवं प्रबंधन कार्यक्रम (आरआरसीएटी) Capital Outlay on Atomic Energy Research- Public Outreach and Management Programmes	5401.00.401.08.00.72	20.00	20.00	जीसीएनईपी से संबंधित निर्माण गतिविधियों की ओर Towards construction activities related to GCNEP

177 अनुदानों की पूरक मांगे, 2024-25 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

26	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	3401.00.004.27.05.35	450.00	20.00	हाफिकन, मुंबई, गुवाहाटी
	- कैंसर देखभाल शिक्षा				और खालापुर में अस्पताल
	एवं अनुसंधान				भवन के निर्माण कार्य के
	Atomic Energy				कारण
	Research Cancer				Due to construction work
	Care Education &				of Hospital Building at
	Research				Haffkin, Mumbai,
					Guwahati and Khalapur

आयुष मंत्रालय Ministry of Ayush

माांग सांख्या - 4 Demand No. - 4

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2024-2025

1	2	3	4	5	6
क्र. सां. S.No.	योजना/ कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/ Programme	लेखा शीर्षक - 15 अंक Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2024-2025	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान All India Institute of Ayurveda	2210.02.101.08.00.36	27.00	9.00	रिक्त पदों को भरने तथा नये भर्ती किये गये कर्मचारियों को वेतन एवं भत्ते का भुगतान करने के लिए For filling up of vacant post and payment of salary and allowances to new recruits
2	केन्द्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद Central Council for Research in Siddha	2210.05.104.02.00.31	19.73	4.08	विभिन्न सत्रों और कार्यक्रमों के आयोजन हेतु। For organizing various sessions and events
3	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान National Institute of Ayurveda	2210.05.101.02.01.35	35.00	27.00	एनआईए, जयपुर और पंचकूला के लिए डब्ल्यूएपीसीओएस, एनपीसीसी, सीपीडब्ल्यूडी को भुगतान के लिए For payment of WAPCOS, NPCC, CPWD for NIA, Jaipur and Panchkula
4	केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद Central Council for Research in Ayurvedic Sciences	2210.05.101.04.01.31	132.00	14.09	मुख्यालय एवं परिधीय संस्थानों के 677 कार्मिकों की भर्ती के लिए एजेंसी को शुल्क का भुगतान। For payment of fees to

179 अनुदानों की पूरक मांगे, 2024-25 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

					agency for recruitment of 677 personnel of Headquarters and Peripheral Institutes
5	केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद Central Council for Research in Ayurvedic Sciences	2210.05.101.04.01.36	192.00	18.33	सेवानिवृति लाभ, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और सीजीएचएस सदस्यता के भुगतान के लिए। For payment of retirement benefits, medical reimbursements and CGHS subscription.
6	राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान National Institute of Homoeopathy	2210.05.102.01.00.35	6.04	12.00	नये बालक छात्रावास के निर्माण हेतु एनपीसीसीएल को भुगतान हेतु। For payment to NPCCL for construction of new boys hostel.
7	राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान National Institute of Unani Medicine	2210.05.103.01.00.35	19.00	8.00	नगर निगम गाजियाबाद को लंबित सेवा शुल्क के भुगतान हेतु। For payment of pending service charges to Nagar Nigam Ghaziabad.
8	पूर्वोत्तर आयुर्वेद और होम्योपैथी संस्थान North Eastern Institute of Ayurveda & Homoeopathy	2552.00.447.02.00.36	11.00	0.19	रिक्त पद भरने के लिए। For filling up of vacant post.
9	राष्ट्रीय आयुष मिशन National Ayush Mission	2552.00.446.07.02.35	50.00	30.52	राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी मांग के अनुसार धनराशि जारी करना। For releasing of funds to States/ UTs as per their demand.
10	केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद Central Council for Research in Homoeopathy	2210.05.102.02.01.31	58.00	10.00	नई इकाई/ कार्यक्रमों को शामिल करने के लिए। For incorporation of new unit/ programmes.
11	केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद Central Council for Research in Homoeopathy	2210.05.102.02.01.36	65.00	5.00	नये भर्ती किये गये कर्मचारियों को वेतन एवं भते का भुगतान। For payment of Salary and allowances to new recruits.

180 अनुदानों की पूरक मांगे, 2024-25 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

12	राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान National Institute of Siddha	2210.05.104.01.00.31	44.57	5.18	विद्वानों को वजीफा, दवा व्यय, आउटसोर्स कर्मचारियों के भुगतान के लिए। For payment of stipend to scholars, medicine expenditure, outsourced staff.
13	राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान National Institute of Siddha	2210.05.104.01.00.35	35.00	6.00	छात्रों के लिए वर्चुअल एनाटॉमी विच्छेदन टेबल की खरीद हेतु। For procurement of virtual anatomy dissection table for students.
14	केन्द्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद Central Council for Research in Siddha	2210.05.104.02.00.36	30.20	1.28	वेतन, भत्ते और पदोन्नति बकाया के वितरण के लिए। For disbursement of salary, allowances and promotion arrears
15	मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान Morarji Desai National Institute of Yoga	2210.05.200.05.00.31	18.20	7.23	अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) से संबंधित प्रचार कार्यक्रमों के आयोजन हेतु। For organizing promotion events pertains to International Day of Yoga (IDY).
16	केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद Central Council for Research in Homoeopathy	2552.00.478.01.00.31	3.00	3.00	नई इकाई/ कार्यक्रमों को शामिल करने के लिए। For incorporation of new unit/ programmes.
17	राष्ट्रीय आयुष मिशन National Ayush Mission	3601.06.101.05.02.31	402.50	64.50	इन शीर्षों के अंतर्गत राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की अधिक मांगों को पूरा करना। To meet the more demands of States/ UTs under these heads.
18	राष्ट्रीय आयुष मिशन National Ayush Mission	3601.06.789.03.02.31	64.50	45.80	इन शीर्षों के अंतर्गत राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की अधिक मांगों को पूरा करना। To meet the more demands of States/ UTs under these heads.

181 अनुदानों की पूरक मांगे, 2024-25 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

19	राष्ट्रीय आयुष मिशन National Ayush Mission	3601.06.796.03.02.31	30.00	15.00	इन शीर्षों के अंतर्गत राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की अधिक मांगों को पूरा करना। To meet the more demands of States/ UTs under these heads.
20	अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान All India Institute of Ayurveda	2210.02.101.08.00.31	110.00	27.00	सैटेलाइट सेंटर, एआईआईए, गोवा के संचालन और रखरखाव व्यय के लिए For operationalization and maintenance expenses of Satellite Centre, AIIA, Goa
21	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान National Institute of Ayurveda	2210.05.101.02.01.31	72.00	14.67	एनआईए, जयपुर और पंचकूला की आवश्यकताओं और प्रतिबद्धता को पूरा करना, विद्वानों को वजीफा का भुगतान, हाउसकीपिंग और सुरक्षा व्यय। To meet the requirements and commitment of NIA, Jaipur and Panchkula, payment of stipend to scholars, housekeeping and security expenses.
22	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान National Institute of Ayurveda	2210.05.101.02.01.36	61.50	4.34	रिक्त पदों को भरने तथा वेतन, भत्ते और सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के लिए । For filling up of vacant post and payment of salary, allowances and retirement benefits.
23	आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान Institute of Teaching and Research in Ayurveda	2210.05.101.13.00.31	40.00	16.00	विद्वानों को वजीफा, कच्ची ड्रग, अस्पताल आकस्मिक व्यय आदि के भुगतान के लिए। For payment of stipend to scholars, raw drug, hospital contingencies etc.
24	आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान Institute of Teaching	2210.05.101.13.00.36	39.00	2.50	वेतन, पेंशन लाभ के भुगतान के लिए।

182 अनुदानों की पूरक मांगे, 2024-25 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

	I	I I			1
	and Research in				For payment of Salaries,
	Ayurveda				pensionary benefit.
25	केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद Central Council for Research in Unani Medicine	2210.05.103.03.01.31	63.00	2.00	दवा की खरीद के लिए आईएमपीसीएल को भुगतान हेतु। For payment to IMPCL for purchasing of medicine.
26	राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान National Institute of Siddha	2210.05.104.01.00.36	21.00	3.57	बढ़े हुए वेतन एवं भत्ते के वितरण हेतु। For disbursement of increased salary and allowances
27	पूर्वोत्तर आयुर्वेद और होम्योपैथी संस्थान North Eastern Institute of Ayurveda & Homoeopathy	2552.00.447.02.00.31	12.04	0.63	दिन-प्रतिदिन के नियमित व्यय के भुगतान के लिए। For payment of day to day routine expenditure.
28	राष्ट्रीय आयुष मिशन National Ayush Mission	3601.06.789.03.02.35	48.00	15.00	इन शीर्षों के अंतर्गत राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की अधिक मांगों को पूरा करना। To meet the more demands of States/ UTs under these heads.
29	केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद Central Council for Research in Ayurvedic Sciences	2210.05.101.04.01.35	56.00	26.90	उपकरण और यंत्र की खरीद के लिए। For purchasing of equipment and instrument.
30	राष्ट्रीय आयुष मिशन National Ayush Mission	3601.06.796.03.02.35	30.00	12.59	इन शीर्षों के अंतर्गत राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की अधिक मांगों को पूरा करना। To meet the more demands of States/ UTs under these heads.
31	केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद Central Council for Research in Unani Medicine	2210.05.103.03.01.36	103.00	7.00	रिक्त पदों पर नवनियुक्त अनुसंधान अधिकारी एवं अन्य पदाधिकारियों को वेतन एवं भत्ते का भुगतान। For payment of salary and allowances to newly appointed research officer and other officials on vacant posts.

रसायन और पेट्रोरसायन विभाग Department of Chemicals and Petrochemicals

माांग सांख्या - 5

Demand No. - 5

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2024-2025

1	2	3	4	5	6
क्र. सां. S.No.	योजना/ कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/ Programme	लेखा शीर्षक - 15 अंक Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2024-2025	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	पेट्रोकेमिकल्स की नई योजनाएँ New Schemes of Petrochemicals	2852.04.101.01.00.35	17.50	0.80	वस्तु- शीर्ष "पूंजीगत परिसंपतियों के निर्माण के लिए अनुदान" के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय (बजट अनुमान का 20% से अधिक) को पूरा करने के लिए। To meet additional fund (more than 20% of BE) requirement under object head "Grants for creation of capital assets".

वाणिज्य विभाग Department of Commerce

मांग सांख्या - 10 Demand No. - 10

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2024-2025

1	2	3	4	5	6
क्र. सां. S.No.	योजना/ कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/ Programme	लेखा शीर्षक - 15 अंक Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2024-2025	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	Grant-in-Aid to Export Promotion and Market Development Orgns.	3453.00.194.03.00.33	180.00	2.01	नियमित मामलों के निपटारे के लिए TED की नियमित मामलों के निपटारे के लिए TED की वापसी। Additional requirement for refund of TED to settle regular cases.
2	बाजार पहुंच पहल निर्यात अध्ययन Market Access Initiative Export Studies	3453.00.194.05.04.31	200.00	15.00	लंबित बिलों के लिए कार्यकलाप शुरू करने के लिए हितधारकों को सब्सिडी का वितरण करना, जिसके लिए टीएफआर पहले ही जारी किया जा चुका है। To disburse the subsidies for which TFR has already been issued to stakeholders for taking up the activity for pending bills.
3	व्यापार आयुक्त Trade Commissioners	5475.00.001.02.11.52	0.00	0.03	मिशनों की मांगों को पूरा करने के लिए निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता। Additional requirement of funds to meet the demands of Missions.
4	ट्यापार आयुक्त Trade Commissioners	5475.00.001.02.11.71	0.00	0.13	मिशनों की मांगों को पूरा करने के लिए निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता। Additional requirement of funds to meet the demands of Missions.

185 अनुदानों की पूरक मांगे, 2024-25 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

5	कॉफ़ी बोर्ड Coffee Baord	2407.02.789.02.01.33	3.30	1.03	लंबित बिलों के लिए कार्यकलाप शुरू करने के लिए हितधारकों को सब्सिडी का वितरण करना, जिसके लिए टीएफआर पहले ही जारी किया जा चुका है। To disburse the subsidies for which TFR has already been issued to stakeholders for taking up the activity for pending bills.
6	कॉफ़ी बोर्ड Coffee Board	2407.02.796.02.01.33	12.10	3.34	कॉफी बोर्ड के अंतर्गत कार्यकलाप शुरू करने के लिए स्टेकहोल्डरों को जिन सब्सिडियों के लिए टीएफआर पहले ही जारी किया जा चुका है, उन सब्सिडियों का वितरण करना। To disburse the subsidies for which TFR has already been issued to stakeholders for taking up the activity under Coffee Board.

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग Department for Promotion of Industry and Internal Trade

माांग सांख्या - 11 Demand No. - 11

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2024-2025

	(₹ कराड़ म ₹ in Crore						
1	2	3	4	5	6		
क्र. सां. S.No.	योजना/ कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/ Programme	लेखा शीर्षक - 15 अंक Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2024-2025	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks		
1	जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र का औद्योगिक विकास Industrial Development of UT of Jammu & Kashmir	2885.02.101.19.03.33	25.00	3.75	यह वृद्धि एसएलसी द्वारा अनुमोदित/ स्वीकृत प्रस्तावों की अधिक संख्या के कारण है। Additional requirement is due to more number of proposals approved/ accepted by the SLC.		
2	जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र का औद्योगिक विकास Industrial Development of UT of Jammu & Kashmir	2885.02.101.19.04.33	54.96	3.34	पूंजी निवेश प्रोत्साहन दावों और पूंजीगत ब्याज सबवेंशन (सीआईएस) और जीएसटी लिंक्ड प्रोत्साहन (जीएसटीएलआई) के लिए अतिरिक्त आवश्यकता। Additional requirement for capital investment incentive claims and Capital interest subvention (CIS) and GST Linked Incentive (GSTLI).		
3	स्वायत संस्थाओ के लिए परियोजना आधारित सहायता Project Based Support to Autonomous Bodies	2852.80.188.01.01.35	22.00	3.00	एनआईडी आंध्र प्रदेश की निर्माण लागत में वृद्धि और एनआईडी हरियाणा के आवश्यक कार्य के कारण अतिरिक्त आवश्यकता। Additional requirement due		

187 अनुदानों की पूरक मांगे, 2024-25 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

	जनुदाना का भूरक नाग, 2024-23 SUFFEEMENTAILT DEMANDS FOIL GIVAINTS						
					to cost escalation in construction cost of NID Andhra Pradesh and essential work of NID Haryana.		
4	जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र का औद्योगिक विकास Industrial Development of UT of Jammu & Kashmir	2885.02.101.19.01.33	200.00	20.00	पूंजी निवेश प्रोत्साहन दावों और पूंजीगत ब्याज सबवेंशन (सीआईएस) और जीएसटी लिंक्ड प्रोत्साहन (जीएसटीएलआई) के लिए अतिरिक्त आवश्यकता। Additional requirement for capital investment incentive claims and Capital interest subvention (CIS) and GST Linked Incentive (GSTLI).		
5	जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लिए औद्योगिक विकास स्कीम 2017 Industrial Development scheme 2017 for UT of Jammu and Kashmir and UT of Ladakh	2885.02.101.17.01.33	81.59	5.50	योजना के तहत सीसीआईआईएसी घटक के अधिक दावे। इसलिए योजना के तहत मांग बढ़ा दी गई है। More claims of CCIIAC component under the scheme. Therefore demand under the scheme has been increased.		
6	जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र का औद्योगिक विकास Industrial Development of UT of Jammu & Kashmir	2885.02.101.19.02.33	10.00	6.00	एसएलसी द्वारा अनुमोदित/ स्वीकृत प्रस्तावों की अधिक संख्या के कारण अतिरिक्त निधियां। Additional funds due to more number of proposals approved/ accepted by the SLC.		
7	राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) National Industrial Corridors Development and Implementation Trust (NICDIT)	2885.03.102.01.00.35	498.99	43.84	12 नई परियोजनाओं के लिए धन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता। Additional requirement for meeting need for fund towards 12 new projects.		

188 अनुदानों की पूरक मांगे, 2024-25 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

8	विशेष श्रेणी के राज्यों	2885.02.101.15.05.33	0.01	0.96	माननीय न्यायालय के निर्देशों
	जम्मू और कश्मीर,				का अनुपालन करने के लिए
	हिमाचल प्रदेश और				विशेष पैकेज के तहत 3%
	उत्तराखंड के लिए के				केंद्रीय बीमा सब्सिडी दावों और
	लिए पैकेज				100% बीमा सब्सिडी दावों को
	Package for Special Category States for				जारी करने के लिए अतिरिक्त
	J&K, Himachal				आवश्यकता।
	Pradesh &				Additional requirement for
	Uttarakhand				release of 3% Central
	Uttaraknanu				insurance subsidy claims
					and 100% Insurance
					subsidy claims under
					Special Package in order to comply directions of
					Hon'ble Court.

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग Department of Food and Public Distribution

मांग सांख्या - 15 Demand No. - 15

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2024-2025

1	2	3	4	5	6
क्र. सां. S.No.	योजना/ कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/ Programme	लेखा शीर्षक - 15 अंक Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2024-2025	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	खायान्नों की अंतर- राज्यीय आवाजाही के लिए राज्य एजेंसियों को सहायता और एनएफएस के तहत एफपीएस डीलरों का मार्जिन Assistance To State Agencies For Intra- State Movement Of Foodgrains And Fps Dealers Margin Under Nfs	3602.06.101.84.00.31	160.00	99.00	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के लिए अतिरिक्त धनराशि जारी करने की आवश्यकता है। Additional fund is required to be released for Govt. of NCT of Delhi
2	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग Department Of Food And Public Distribution	4408.01.001.01.00.71	3.75	0.96	कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर की खरीद और स्कैन पोर्टल के विकास के लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता Additional fund required for procurement of computers, laptops, printers, scanners and development of SCAN portal

190 अनुदानों की पूरक मांगे, 2024-25 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

3	राष्ट्रीय शर्करा संस्थान	4408.01.800.09.00.71	0.11	1.25	यह वृद्धि 1.10 करोड़ रुपये
	National Sugar				के बकाया भुगतान के कारण
	Institute				हुई है - जो 1.99 करोड़
					रुपये में से एनआईसी को ई-
					ऑफिस लाइट (स्पैरो) के
					कार्यान्वयन के लिए दिया
					जाना था।
					The Increase is owing to the clearance of outstanding payment of
					Rs. 1.10Cr- out of Rs.
					1.99 Cr. ought to be made to NIC towards implementation of E-
					Office Lite (Sparrow).

संस्कृति मंत्रालय Ministry of Culture

मांग सांख्या - 18 Demand No. - 18

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2024-2025

1	2	3	4	5	6
क्र. सां. S.No.	योजना/ कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/ Programme	लेखा शीर्षक - 15 अंक Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2024-2025	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	कला संस्कृति विकास योजना Kala Sanskriti Vikas Yojana	2205.00.102.11.01.31	92.80	14.88	सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए To meet additional Expenditure under Grants- In-Aid General
2	कला संस्कृति विकास योजना Kala Sanskriti Vikas Yojana	2205.00.796.32.01.31	4.48	0.14	सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए To meet additional Expenditure under Grants- In-Aid General
3	राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी National Gallery of Modern Art	4202.04.106.09.01.52	0.15	0.11	मशीनरी और उपकरण के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए To meet additional Expenditure under Machinery and Equipment
4	कला संस्कृति विकास योजना Kala Sanskriti Vikas Yojana	2205.00.102.11.03.28	92.80	0.04	व्यावसायिक सेवाओं के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए To meet additional Expenditure under Professional Services

192 अनुदानों की पूरक मांगे, 2024-25 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

.					T
5	अनुदान प्राप्त निकाय Grantee Bodies	2205.00.105.19.02.31	1.46	0.07	सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए To meet additional Expenditure under Grants- In-Aid General
6	बीटीआई और स्मारक BTI & Memorials	2205.00.102.15.01.35	24.00	3.98	पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए To meet additional Expenditure under Grants for Creation of Capital Assets
7	बीटीआई और स्मारक BTI & Memorials	2205.00.102.15.01.35	24.00	11.00	पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए To meet additional Expenditure under Grants for Creation of Capital Assets
8	कला संस्कृति विकास योजना Kala Sanskriti Vikas Yojana	2205.00.789.02.01.31	22.15	0.36	सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए To meet additional Expenditure under Grants- In-Aid General
9	भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार National Archives of India	4202.04.105.04.01.72	9.27	1.85	भवन एवं संरचनाओं के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए To meet additional Expenditure under Building and Structures
10	भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण Anthropological Survey of India	4202.04.108.03.01.71	0.40	0.08	(आईसीटी) उपकरण के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए To meet additional Expenditure under (ICT) equipment

193 अनुदानों की पूरक मांगे, 2024-25 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

11	बीटीआई और स्मारक BTI & Memorials	2205.00.102.15.01.35	24.00	2.69	पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए To meet additional Expenditure under Grants for Creation of Capital Assets
12	बीटीआई और स्मारक BTI & Memorials	2205.00.102.15.01.35	24.00	4.18	पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए To meet additional Expenditure under Grants for Creation of Capital Assets
13	संग्रहालय का विकास Development of Museum	2205.00.107.41.01.35	132.19	0.47	पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए To meet additional Expenditure under Grants for Creation of Capital Assets
14	बीटीआई और स्मारक BTI & Memorials	2205.00.102.15.01.31	28.00	0.57	सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए To meet additional Expenditure under Grants- In-Aid General
15	राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी National Gallery of Modern Art	4202.04.106.09.01.52	0.15	0.01	मशीनरी और उपकरण के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 21,000/ - रुपये की राशि Amt Rs. 21,000/ - to meet additional Expenditure under Machinery and Equipment

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय Ministry of Earth Sciences

मांग सांख्या - 24 Demand No. - 24

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2024-2025

1	2	3	4	5	6
क्र. सां. S.No.	योजना/ कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/ Programme	लेखा शीर्षक - 15 अंक Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2024-2025	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र (एनसीईएसएस) National Centre for Earth Science Studies (NCESS)	3455.00.004.02.02.35	1.00	0.50	सामान्य सहायता अनुदान में धन की अतिरिक्त आवश्यकता के कारण Due to additional requirement of funds in Grants in Aid General
2	भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) Indian Institute of Tropical Meteorology (IITM)	3455.00.004.02.01.36	47.00	5.00	वेतन सहायता अनुदान में धन की अतिरिक्त आवश्यकता के कारण Due to additional requirement of funds in Grants in Aid Salaries

उच्चतर शिक्षा विभाग Department of Higher Education

मांग सांख्या - 26 Demand No. - 26

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2024-2025

1	2	3	4	5	6
क्र. सां. S.No.	योजना/ कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/ Programme	लेखा शीर्षक - 15 अंक Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2024-2025	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	भारत में अध्ययन Study in India	2202.80.798.22.00.28	10.00	0.50	व्यावसायिक सेवाओं के भुगतान हेतु अतिरिक्त आवश्यकता के कारण Due to additional requirement for payment of professional services
2	नेशनल बुक ट्रस्ट को अनुदान Grants to National Book Trust	2202.03.102.24.03.31	27.54	8.00	विश्व पुस्तक मेला 2025 का व्यय पूरा करना To meet expenditure of World Book Fair 2025
3	भारतीय प्रबंधन संस्थानों को सहायता (आईआईएमएस) Support to Indian Institutes of Management (IIMs)	2203.00.789.09.04.31	3.68	0.73	हेफ़ा ऋण के ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए For re-payment of interest of HEFA loan
4	भारतीय प्रबंधन संस्थानों को सहायता (आईआईएमएस) Support to Indian Institutes of Management (IIMs)	2203.00.796.09.04.31	1.70	0.30	हेफ़ा ऋण के ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए For re-payment of interest of HEFA loan
5	आसियान फेलोशिप ASEAN Fellowship	2203.00.107.03.01.31	2.66	0.21	छात्रों को फेलोशिप के भुगतान हेतु अतिरिक्त आवश्यकता के कारण Due to additional requirement for payment of fellowships to students

196 अनुदानों की पूरक मांगे, 2024-25 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

6	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) University Grants Commission (UGC)	2202.03.796.28.01.31	159.75	27.12	पंजाब विश्वविद्यालय को 7वंं वेतन आयोग के बकाया वेतन के भुगतान तथा पीजी छात्रों को फेलोशिप जेआरएफ/ एसआरएफ छात्रवृत्ति के लिए For payment of salary arrears of 7th CPC to Punjab University and fellowship JRF/ SRF Scholarship to PG students
7	केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान Grants to Central Universities	2202.03.789.32.01.36	581.50	0.20	वेतन के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता के कारण Due to requirement of additional funds towards salaries
8	केन्द्र सरकार द्वारा प्रोत्साहित विश्वविद्यालय Deemed Universities Promoted by Central Govt.	2202.03.102.23.02.31	140.04	2.40	पेंशन, डीए, बकाया और प्रतिबद्ध देनदारियों से संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए To meet expenses related to pension, DA, arrears & committed liabilities
9	इग्नू और राज्य ओपन विश्वविद्यालयों को सहायता Assistance to IGNOU & State open universities	2202.03.102.16.01.31	90.63	3.50	पेंशन, डीए, बकाया और प्रतिबद्ध देनदारियों से संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए To meet expenses related to pension, DA, arrear & committed liabilities
10	विश्वविद्यालयों को सहायता Assistance to IGNOU & State open universities	2202.03.796.14.01.31	3.72	0.50	पेंशन, डीए, बकाया और प्रतिबद्ध देनदारियों से संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए To meet expenses related to pension, DA, arrears & committed liabilities
11	प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, बम्बई, कलकता, कानपुर और चेन्नई Board of Apprenticeship Training, Bombay, Calcutta, Kanpur and Chennai	2203.00.789.02.00.31	0.71	1.00	पेंशन, डीए, बकाया और प्रतिबद्ध देनदारियों से संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए To meet expenses related to pension, DA, arrear & committed liabilities
12	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटीएस) और आईआईईएसटी को सहायता Support to National Institute of Technology (NITs) & IIEST	2203.00.112.88.06.31	1500.00	8.00	पेंशन, डीए, बकाया और प्रतिबद्ध देनदारियों से संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए To meet expenses related to pension, DA, arrear & committed liabilities

197 अनुदानों की पूरक मांगे, 2024-25 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

		.,			
13	भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) Support to Indian Institute (s) of Science Education & Research (IISER)	2203.00.789.78.01.36	25.51	1.00	वेतन हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता के कारण Due to requirement of additional funds towards salaries
14	भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) Support to Indian Institute (s) of Science Education & Research (IISER)	2203.00.796.78.01.36	10.84	0.50	वेतन हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता के कारण Due to requirement of additional funds towards salaries
15	भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) Support to Indian Institute of Science (IISc)	2203.00.112.86.03.31	294.96	42.33	पेंशन, डीए, बकाया और प्रतिबद्ध देनदारियों से संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए To meet expenses related to pension, DA, arrear & committed liabilities
16	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (इलाहाबाद ग्वालियर जबलपुर और कांचीपुरम) को सहायता Support to Indian Institute(s) of Information Technology (Allahabad Gwalior Jabalpur and Kanchipuram)	2203.00.112.81.01.31	114.77	1.60	पेंशन, डीए, बकाया और प्रतिबद्ध देनदारियों से संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए To meet expenses related to pension, DA, arrear & committed liabilities
17	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (इलाहाबाद ग्वालियर जबलपुर और कांचीपुरम) को सहायता Support to Indian Institute(s) of Information Technology (Allahabad Gwalior Jabalpur and Kanchipuram)	2203.00.112.81.01.36	118.09	2.19	वेतन हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता के कारण Due to requirement of additional funds towards salaries

198 अनुदानों की पूरक मांगे, 2024-25 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

				ī	
18	भारतीय सूचना प्रौयोगिकी संस्थान (इलाहाबाद ग्वालियर जबलपुर और कांचीपुरम) को सहायता Support to Indian Institute(s) of Information Technology (Allahabad Gwalior Jabalpur and Kanchipuram)	2203.00.789.14.01.35	4.05	1.00	पूंजीगत व्यय के लिए धन की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना To meet additional requirement of funds for capital expenses
19	भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) Support to Indian Institute (s) of Science Education & Research (IISER)	2203.00.112.85.01.36	327.85	13.08	वेतन हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता के कारण Due to requirement of additional funds towards salaries
20	भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) Support to Indian Institute (s) of Science Education & Research (IISER)	2203.00.789.78.01.31	29.29	1.70	पेंशन, डीए, बकाया और प्रतिबद्ध देनदारियों से संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए To meet expenses related to pension, DA, arrear & committed liabilities
21	भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) Support to Indian Institute (s) of Science Education & Research (IISER)	2203.00.796.78.01.31	12.43	0.85	पेंशन, डीए, बकाया और प्रतिबद्ध देनदारियों से संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए To meet expenses related to pension, DA, arrear & committed liabilities
22	भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) Support to Indian Institute of Science (IISc)	2203.00.789.79.01.31	23.09	1.40	पेंशन, डीए, बकाया और प्रतिबद्ध देनदारियों से संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए To meet expenses related to pension, DA, arrear & committed liabilities
23	भारतीय विज्ञान संस्थान	2203.00.796.79.01.31	13.22	0.01	पेंशन, डीए, बकाया और प्रतिबद्ध देनदारियों से संबंधित

199 अनुदानों की पूरक मांगे, 2024-25 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

	(आईआईएससी) Support to Indian Institute of Science (IISc)				खर्चों को पूरा करने के लिए To meet expenses related to pension, DA, arrear & committed liabilities
24	भारतीय सूचना प्रौयोगिकी संस्थान (इलाहाबाद ग्वालियर जबलपुर और कांचीपुरम) को सहायता Support to Indian Institute(s) of Information Technology (Allahabad Gwalior Jabalpur and Kanchipuram)	2203.00.796.72.01.35	1.94	0.50	पूंजीगत व्यय के लिए धन की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना To meet additional requirement of funds for capital expenses
25	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (इलाहाबाद ग्वालियर जबलपुर और कांचीपुरम) को सहायता Support to Indian Institute(s) of Information Technology (Allahabad Gwalior Jabalpur and Kanchipuram)	2203.00.796.72.01.36	5.08	0.27	वेतन हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता के कारण Due to requirement of additional funds towards salaries
26	एमयूएसके में स्थानांतरण - राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटीएस) और आईआईईएसटी को समर्थन Transfer to MUSK Support to National Institutes of Technology (NITs) and IIEST	2203.00.797.03.03.63	4500.00	800.00	एमयूएसके के अंतर्गत धनराशि में वृद्धि के कारण। Due to augmentation of funds under MUSK.
27	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (इलाहाबाद ग्वालियर	2203.00.112.81.01.35	45.17	5.00	पूंजीगत व्यय के लिए धन की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना

200 अनुदानों की पूरक मांगे, 2024-25 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

	•				
	जबलपुर और कांचीपुरम) को सहायता Support to Indian Institute(s) of Information Technology (Allahabad Gwalior Jabalpur and Kanchipuram)				To meet additional requirement of funds for capital expenses
28	एसएलआईईटी एनईआरआईएसटी एनआईएफएफटी रांची सीआईटी कोकराझार सहित अन्य संस्थानों के लिए सहायता Assistance to other institutes including SLIET, NERIST, NIFFT Ranchi, CIT Kokrajhar	2203.00.112.82.03.31	38.60	1.20	पेंशन, डीए, बकाया और प्रतिबद्ध देनदारियों से संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए To meet expenses related to pension, DA, arrear & committed liabilities
29	एमयूएसके में स्थानांतरण - भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए सहायता (आईआईटीएस) Transfer to MUSK Support to Indian Institutes of Technology (IITs)	2203.00.797.03.02.63	2642.49	258.00	एमयूएसके के अंतर्गत धनराशि में वृद्धि के कारण। Due to augmentation of funds under MUSK.
30	भारतीय सूचना प्रौयोगिकी संस्थान (इलाहाबाद ग्वालियर जबलपुर और कांचीपुरम) को सहायता Support to Indian Institute(s) of Information Technology (Allahabad Gwalior Jabalpur and Kanchipuram)	2203.00.789.14.01.31	10.29	0.49	पेंशन, डीए, बकाया और प्रतिबद्ध देनदारियों से संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए To meet expenses related to pension, DA, arrear & committed liabilities
31	भारतीय सूचना प्रौयोगिकी संस्थान (इलाहाबाद ग्वालियर	2203.00.796.72.01.31	4.94	0.20	पेंशन, डीए, बकाया और प्रतिबद्ध देनदारियों से संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए

	जबलपुर और कांचीपुरम) को सहायता Support to Indian Institute(s) of Information Technology (Allahabad Gwalior Jabalpur and Kanchipuram)				To meet expenses related to pension, DA, arrear & committed liabilities
32	भारतीय सूचना प्रौयोगिकी संस्थान (इलाहाबाद ग्वालियर जबलपुर और कांचीपुरम) को सहायता Support to Indian Institute(s) of Information Technology (Allahabad Gwalior Jabalpur and Kanchipuram)	2203.00.789.14.01.36	10.58	0.54	वेतन हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता के कारण Due to requirement of additional funds towards salaries
33	एसएलआईईटी एनईआरआईएसटी एनआईएफएफटी रांची सीआईटी कोकराझार सिहत अन्य संस्थानों के लिए सहायता Assistance to other institutes including SLIET, NERIST, NIFFT Ranchi, CIT Kokrajhar	2203.00.789.72.03.31	3.07	0.20	पेंशन, डीए, बकाया और प्रतिबद्ध देनदारियों से संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए To meet expenses related to pension, DA, arrear & committed liabilities
34	केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान Grants to Central Universities	2202.03.102.26.01.35	637.85	16.71	पूंजीगत व्यय के लिए धन की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना To meet additional requirement of funds for capital expenses
35	केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान Grants to Central Universities	2202.03.102.26.01.36	7503.15	4.74	वेतन हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता के कारण Due to requirement of additional funds towards salaries
36	केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान Grants to Central	2202.03.796.34.01.35	23.97	0.54	पूंजीगत व्यय के लिए धन की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा

202 अनुदानों की पूरक मांगे, 2024-25 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

	Universities				
	Universities				करना To meet additional requirement of funds for capital expenses
37	केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान Grants to Central Universities	2202.03.789.32.01.35	49.43	0.75	पूंजीगत व्यय के लिए धन की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना To meet additional requirement of funds for capital expenses
38	केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान Grants to Central Universities	2202.03.796.34.01.36	282.35	0.04	वेतन हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता के कारण Due to requirement of additional funds towards salaries
39	केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान Grants to Central Universities	2202.03.102.26.07.31	295.91	12.82	उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी ऋण के पुनर्भुगतान के लिए For re-payment of Higher Education Financing Agency Loan
40	केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान Grants to Central Universities	2202.03.789.32.07.31	22.94	3.98	उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी ऋण के पुनर्भुगतान के लिए For re-payment of Higher Education Financing Agency Loan
41	केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान Grants to Central Universities	2202.03.796.34.07.31	11. 15	1.49	उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी ऋण के पुनर्भुगतान के लिए For re-payment of Higher Education Financing Agency Loan
42	भारत में अध्ययन Study in India	2202.80.798.22.00.31	10.00	0.50	पेंशन, डीए, बकाया और प्रतिबद्ध देनदारियों से संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए To meet expenses related to pension, DA, arrears & committed liabilities
43	भारतीय प्रबंधन संस्थानों को सहायता (आईआईएमएस) Support to Indian Institutes of Management (IIMs)	2203.00.112.79.04.31	54.62	6.50	हेफ़ा ऋण के ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए For re-payment of interest of HEFA loan
44	केन्द्र सरकार द्वारा प्रोत्साहित विश्वविद्यालय	2202.03.789.28.02.31	9.31	0.90	पेंशन, डीए, बकाया और प्रतिबद्घ देनदारियों से संबंधित

203 अनुदानों की पूरक मांगे, 2024-25 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

	Deemed Universities Promoted by Central Govt.				खर्चों को पूरा करने के लिए To meet expenses related to pension, DA, arrears & committed liabilities
45	केन्द्र सरकार द्वारा प्रोत्साहित विश्वविद्यालय Deemed Universities Promoted by Central Govt.	2202.03.796.29.02.31	4.65	0.70	पेंशन, डीए, बकाया और प्रतिबद्ध देनदारियों से संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए To meet expenses related to pension, DA, arrears & committed liabilities
46	इग्नू और राज्य ओपन विश्वविद्यालयों को सहायता Assistance to IGNOU & State open universities	2202.03.789.13.01.31	9.65	1.00	पेंशन, डीए, बकाया और प्रतिबद्ध देनदारियों से संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए To meet expenses related to pension, DA, arrear & committed liabilities
47	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों आयोग National Commission for Minority Educational Institutions	2202.03.102.24.07.31	4.00	1.00	पेंशन, डीए, बकाया और प्रतिबद्ध देनदारियों से संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए To meet expenses related to pension, DA, arrears & committed liabilities
48	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण तथा शोध संस्थान National Institutes of Technical Teachers Training and Research	2203.00.003.02.00.31	13.50	7.00	पेंशन, डीए, बकाया और प्रतिबद्ध देनदारियों से संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए To meet expenses related to pension. DA, arrear & committed liabilities
49	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण तथा शोध संस्थान National Institutes of Technical Teachers Training and Research	2203.00.003.02.00.36	73.35	6.29	वेतन हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता के कारण Due to requirement of additional funds towards salaries
50	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण तथा शोध संस्थान National Institutes of Technical Teachers Training and Research	2203.00.789.01.00.36	5.93	11.81	वेतन हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता के कारण Due to requirement of additional funds towards salaries

204 अनुदानों की पूरक मांगे, 2024-25 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

51	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण तथा शोध संस्थान National Institutes of Technical Teachers Training and Research	2203.00.796.01.00.36	2.22	6.85	वेतन हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता के कारण Due to requirement of additional funds towards salaries
52	प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, बम्बई, कलकता, कानपुर और चेन्नई Board of Apprenticeship Training, Bombay, Calcutta, Kanpur and Chennai	2203.00.003.05.00.31	12.73	6.00	पेंशन, डीए, बकाया और प्रतिबद्ध देनदारियों से संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए To meet expenses related to pension, DA, arrear & committed liabilities
53	राष्ट्रीय प्रौचोगिकी संस्थान (एनआईटीएस) और आईआईईएसटी को सहायता Support to National Institute of Technology (NITs) & IIEST	2203.00.112.88.06.36	1627.29	28.00	वेतन हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता के कारण Due to requirement of additional funds towards salaries
54	भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) Support to Indian Institute (s) of Science Education & Research (IISER)	2203.00.112.85.01.31	374.08	8.45	पेंशन, डीए, बकाया और प्रतिबद्ध देनदारियों से संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए To meet expenses related to pension, DA, arrear & committed liabilities

आर्थिक कार्य विभाग Department of Economic Affairs

मांग सांख्या - 30 Demand No. - 30

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2024-2025

1	2	3	4	5	6
क्र. सां. S.No.	योजना/ कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/ Programme	लेखा शीर्षक - 15 अंक Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2024-2025	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	अन्य राजकोषीय सेवाएं पर पूंजिगत परिव्यय Capital Outlay on Other Administrative Services	4070.00.001.31.04.71	1.00	0.35	मित्तल कोर्ट स्थित नए कार्यालय परिसर में हाइब्रिड बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए 35 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है, जिसके लिए वित्त मंत्रालय की मंजूरी ले ली गई है। Additional amount of Rs. 35 lakh is required for setting up a hybrid infrastructure at new office premises at Mittal court for which approval of MoF has been taken.
2	अन्य राजकोषीय सेवाएं पर पूंजिगत परिव्यय Capital Outlay on Other Administrative Services	4070.00.001.31.45.71	1.12	0.19	वर्ष 2024-25 में अनुमान से अधिक धनराशि की आवश्यकता होने के कारण Due to more requirement of funds than anticipated the year 2024-25.

वित्तीय सेवाएं विभाग Department of Financial Services

माांग सांख्या - 32

Demand No. - 32

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2024-2025

1	2	3	4	5	6
क्र. सां. S.No.	योजना/ कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/ Programme	लेखा शीर्षक - 15 अंक Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2024-2025	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	Capital Outlay On Other Administrative Services	4070.00.001.31.14.52	0.25	0.03	New Instrument of Service identified. The Same needs to be reported to the Parliament in the subsequent batch of Supplementary Demand for Grants.

पशुपालन और डेयरी विभाग Department of Animal Husbandry and Dairying

माांग सांख्या - 44 Demand No. - 44

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2024-2025

	(₹ कराड़ म ₹ in Crore					
1	2	3	4	5	6	
क्र. सां. S.No.	योजना/ कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/ Programme	लेखा शीर्षक - 15 अंक Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2024-2025	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks	
1	भारतीय पशु चिकित्सा परिषद Veterinary Council of India	2403.00.101.40.00.36	2.20	0.23	कर्मचारियों को भुगतान की गई अवकाश नकदीकरण राशि के भुगतान हेतु To pay the leave encashment paid to council's employees	
2	राष्ट्रीय पशुधन मिशन National Livestock Mission	2403.00.103.26.01.33	58.00	31.55	राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत उद्यमिता विकास के भुगतान हेतु अतिरिक्त मांग। Additional Demands for paymnent of Entreprenuership Development under National Livestock Mission	
3	सचिवालय आर्थिक सेवाएं Secretaria Economic Services	5475.00.001.01.11.52	0.43	0.04	कार्यालय उपकरण की खरीद के लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता को पूरा करने हेतु। To meet additional requirement of funds for procurement of Office Equipment	

208 अनुदानों की पूरक मांगे, 2024-25 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

4	राष्ट्रीय गोकुल मिशन Rashtriya Gokul Mission	2403.00.789.17.01.31	120.00	76.95	विकास कार्यक्रम योजना के अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्र घटक के रूप में संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम) के लिए अतिरिक्त आवश्यकता, वर्ष 2024-25 के लिए 568 करोड़ रूपये की निधि आवंटित। Additional requirement for the Revised Rashtriya Gokul Mission (RGM) as a Central Sector component under the Development Programmes scheme, allocating a fund of Rs. 568 crore for the year 2024-25.
5	राष्ट्रीय गोकुल मिशन Rashtriya Gokul Mission	2403.00.796.04.01.31	41.00	91.99	विकास कार्यक्रम योजना के अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्र घटक के रूप में संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम) के लिए वर्ष 2024-25 के लिए 568 करोड़ रुपये की निधि आवंदित की गई है। For the Revised Rashtriya Gokul Mission (RGM) as a Central Sector component under the Development Programmes scheme, allocating a fund of Rs. 568 crore for the year 2024-25."
6	राष्ट्रीय पशुधन मिशन National Livestock Mission	2403.00.103.26.01.31	129.50	15.00	राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत उद्यमिता विकास के भुगतान हेतु अतिरिक्त मांग। Additional Demands for paymnent of Entreprenuership Development under National Livestock Mission

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय Ministry of Food Processing Industries

मांग सांख्या - 45 Demand No. - 45

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2024-2025

1	2	3	4	5	6
क्र. सां. S.No.	योजना/ कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/ Programme	लेखा शीर्षक - 15 अंक Head of Account (15 digit)	Budget Estimates	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	खाद्य संरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना स्कीम Scheme for Food Safety and Quality Assurance Infrastructure	2408.01.103.19.06.33	20.40	3.96	अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता थी क्योंकि निधियां जारी करने के लिए इन स्कीमों के अंतर्गत पर्याप्त संख्या में परियोजनाएं/ प्रस्ताव उपलब्ध थै। Additional funds were required as sufficient number of projects/ proposals were available under these schemes for releasing the funds.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग Department of Health and Family Welfare

माांग सांख्या - 46 Demand No. - 46

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2024-2025

1	2	3	4	5	6
क्र.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	लेखा शीर्षक - 15 अंक	बजट	पुनर्विनियोजन की	टिप्पणी
सां. S.No.	Name of the Scheme/ Programme	Head of Account (15 digit)	अनुमान Budget Estimates 2024-2025	राशि Amount of Reappropriation	Remarks
1	राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी को अनुदान GRANTS TO NATIONAL ACADEMY OF MEDICAL SCIENCES	2210.05.105.72.00.36	1.55	0.05	नए भर्ती किए गए कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के लिए आवश्यक निधि। Fund required for payment of Salary of newly recruited staff.
2	आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए मानव संसाधन विकास HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT FOR EMERGENCY MEDICAL SERVICES	2210.06.101.73.00.31	2.00	0.42	आरई 2024-25 में वृद्धि के कारण। अतिरिक्त एजेंसी को अधिक निधि की आवश्यकता Due to increase in RE 2024-25. More fund requirement to additional agency
3	स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ को अनुदान Grants to Post- Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh	2210.05.105.31.00.31	340.00	45.00	सीए-सीएलबी बोर्ड, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार आउटसोर्स कर्मचारियों के बढ़े हुए वेतन के बकाया के भुगतान के कारण। Due to payment of arrears of increased Salary of outsourced employees as per order issued by CA-CLB Board,

211 अनुदानों की पूरक मांगे, 2024-25 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

					Ministry of Labour, Gol.
4	ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, नई दिल्ली All India Institute of Medical Sciences, New Delhi	2210.05.105.28.01.31	1523.00	166.32	नए भर्ती किए गए कर्मचारियों के लिए अनुदान सहायता वेतन में धन की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने और मौजूदा पात्र कर्मचारियों को एमएसीपी प्रदान करने के लिए। To meet the additional requirement of funds in Grant-in-aid Salary for newly recruited staff and award of MACP to existing eligible staff.
5	नए एम्स का स्थापना व्यय Establishment Expenditure of New AIIMS	2210.05.105.66.00.31	1880.00	228.00	संशोधित अनुमान 2024-25 में वृद्धि के कारण। Due to increase in RE 2024-25.
6	नए एम्स का स्थापना व्यय Establishment Expenditure of New AIIMS	2210.05.105.66.00.35	835.00	52.00	संशोधित अनुमान 2024-25 में वृद्धि के कारण।नए उपकरण की खरीद और नए ब्लॉक के निर्माण के लिए। Due to increase in RE 2024-25. For purchase of new instrument and construction of new block.
7	आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY)	2210.80.101.03.01.31	4449.10	148.99	संशोधित अनुमान 2024-25 में वृद्धि के कारण। राज्य सरकार से अधिक प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण अतिरिक्त मांग उत्पन्न होती है। Due to increase in RE 2024-25. Additional demand arises due to receiving of more proposal from State Govt.
8	आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य	2210.80.789.01.03.31	1085.65	35.82	संशोधित अनुमान 2024-25 में वृद्धि के कारण। राज्य

	योजना (पीएमजेएवाई)- एनएचए Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY)-NHA				सरकार से अधिक प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण अतिरिक्त मांग उत्पन्न होती है। Due to increase in RE 2024-25. Additional demand arises due to receiving of more proposal from State Govt.
9	अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुंबई International Institute for Population Sciences, Mumbai	2211.00.003.02.00.35	14.73	6.75	नए प्रशासन में फर्नीचर प्रदान करने पर प्रतिबद्ध व्यय को प्रा करने के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है। भवन और नया प्रवेश द्वार और परिसर की दीवार, नई बुनियादी ढांचा विकास परियोजना (एनआईडीपी) नेटवर्किंग और स्मार्ट रैक उपकरण, सॉफ्टवेयर पैकेज, सेवानिवृत्ति लाभ, सुरक्षा गार्ड वेतन, विद्युत रखरखाव कार्य, ऑनलाइन डेटा की खरीद, अनुसंधान परियोजना वेतन भुगतान और आउटसोर्स सेवा भुगतान और आउटसोर्स सेवा भुगतान आदि। Additional funds are required to meet the committed expenditure on providing furniture in new admn. building and new entrance gate & compound wall, New Infrastructure Development Project (NIDP) networking and smart rack equipment, software packages, retirement benefits, security guard salary, electrical maintenance work, purchase of online data, research proiect salary Payment and outsource Services payment etc.

213 अनुदानों की पूरक मांगे, 2024-25 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

10	आरसीएच और स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और शहरी स्वास्थ्य मिशन के लिए लचीला पूल Flexible Pool for RCH	3601.06.102.36.00.31	141.45	0.34	संशोधित अनुमान 2024-25 में वृद्धि के कारण। Due to increase in RE 2024-25.
	& Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission				
11	बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम National Programme for Health Care for the Elderly	3602.06.101.16.09.31	1.08	1.55	आरई 2024-25 में वृद्धि के कारण। कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा आवश्यक अधिक निधि। Due to increase in RE 2024-25. More fund required by Implementing Agencies
12	प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM-ABHIM)	3602.06.789.73.01.35	23.74	4.01	पीएम-अभिम के तहत दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को पहली किस्त जारी करने के लिए धन की आवश्यकता है। Funds are required for release of 1st installment to the UT of Delhi under PM -ABHIM.
13	राष्ट्रीय औषधि नशामुक्ति कार्यक्रम National Drugs De- addiction Programme	2210.06.101.32.05.36	22.00	1.50	संशोधित अनुमान 2024-25 में वृद्धि के कारण। नए भर्ती किए गए कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के लिए आवश्यक निधि। Due to increase in RE 2024-25. Fund required for payment of Salary of newly recruited staff.
14	राष्ट्रीय क्षय रोग और श्वसन रोग संस्थान नई दिल्ली NATIONAL INSTITUTE OF TUBERCULOSIS AND RESPIRATORY DISEASE NEW DELHI	2210.05.105.64.00.36	91.38	13.62	संशोधित अनुमान 2024-25 में वृद्धि के कारण। Due to increase in RE 2024-25

214 अनुदानों की पूरक मांगे, 2024-25 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

		1			
15	डब्ल्यूएचओ-एसईएआरओ भवन, नई दिल्ली का पुनर्निर्माण RECONSTRUCTION OF WHO-SEARO BUILDING NEW DELHI	4210.04.200.31.00.72	77.23	0.90	संशोधित अनुमान 2024-25 में वृद्धि के कारण। Due to increase in RE 2024-25.
16	अवसंरचना अनुरक्षण INFRASTRUCTURE MAINTENANCE	3602.06.101.82.02.31	140.80	0.54	संशोधित अनुमान 2024-25 में वृद्धि के कारण। Due to increase in RE 2024-25.
17	ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, नई दिल्ली All India Institute of Medical Sciences, New Delhi	2210.05.105.28.01.35	400.00	90.00	संशोधित अनुमान 2024-25 में वृद्धि के कारण। Due to increase in RE 2024-25.
18	क्षेत्रीय स्नातकोत्तर केंद्र, जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (जेआईपीएमईआर), पुडुचेरी Regional Post Graduate Centre, Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Reaearch (JIPMER), Puducherry	2210.05.105.33.01.36	835.00	55.00	संशोधित अनुमान 2024-25 में वृद्धि के कारण। Due to increase in RE 2024-25.
19	प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM-ABHIM)	3602.06.789.73.01.31	0.37	0.26	संशोधित अनुमान 2024-25 में वृद्धि के कारण। Funds are required for release of 1st instalment to the UT of Delhi.
20	नए एम्स का स्थापना व्यय Establishment	2210.05.105.66.00.36	3960.00	740.00	नए एएलएमएस के कारण आवश्यक अतिरिक्त निधि जिसका हाल ही में उद्घाटन

215 अनुदानों की पूरक मांगे, 2024-25 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

_	T	1			
	Expenditure of New AIIMS				किया गया है और सुविधाओं का विस्तार, रोगियों की देखभाल सेवाएं और संकाय और गैर-संकाय पदों को भरना। Additional fund required due to New AllMS which has recently been inaugurated and expanding facilities, patients care services and filling of faculty and non-faculty posts.
21	राष्ट्रीय औषधि नशामुक्ति कार्यक्रम National Drugs De- addiction Programme	2210.06.101.32.05.31	13.00	2.17	संशोधित अनुमान 2024-25 में वृद्धि के कारण। Due to increase in RE 2024-25.
22	राष्ट्रीय औषधि नशामुक्ति कार्यक्रम National Drugs De- addiction Programme	2210.06.101.32.06.36	6.50	0.50	आरई 2024-25 में वृद्धि के कारण। मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए आवश्यक निधि। Due to increase in RE 2024-25. Fund required for purchase of Machinery and Equipment.
23	बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम National Programme for Health Care for the Elderly	2210.06.101.43.00.31	3.17	8.23	संशोधित अनुमान 2024-25 में वृद्धि के कारण। Due to increase in RE 2024-25.
24	आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई)- एनएचए Ayushman Bharat- Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY)-NHA	2210.80.796.02.03.31	613.25	26.70	संशोधित अनुमान 2024-25 में वृद्धि के कारण। Due to increase in RE 2024-25.

216 अनुदानों की पूरक मांगे, 2024-25 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

		1			
25	डब्ल्यूएचओ ने राष्ट्रीय पोलियो निगरानी परियोजना (एनपीएस) का समर्थन किया WHO supported National Polio Surveillance Project (NPS)	2211.00.109.14.00.31	160.99	67.83	2024-25 जो प्रारंभिक चरण में ईएफसी प्रस्ताव को अंतिम रूप न देने के कारण कम कर दिया गया था। अब इसे अंतिम रूप दे दिया गया है। This fund is required for making the reimbursement to WHO against the difference between BE 2024-25 and RE 2024-25 which was reduced due to nonfinalisation of EFC proposal at early stage. This has now been finalised.
26	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम National Mental Health Programme	3601.06.101.21.01.31	3.28	0.10	संशोधित अनुमान 2024-25 में वृद्धि के कारण। Due to increase in RE 2024-25.
27	राज्य औषधि विनियामक प्रणाली का सुद्ददीकरण Strengthening of State Drug Regulatory System	3602.06.101.12.00.31	2.08	0.67	संशोधित अनुमान 2024-25 में वृद्धि के कारण। Due to increase in RE 2024-25.
28	गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) National Programme for Prevention and Control of Non Communicable Diseases (NP-NCD)	3602.06.101.16.11.35	8.16	23.71	स्किम्स, श्रीनगर का प्रस्ताव दिसंबर, 2024 के महीने में प्राप्त हुआ था। हालांकि, बीई चरण में, 3602 (प्रमुख शीर्ष) के तहत बीई-2024-25 में केवल 10.90 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। जैसा कि राज्य ने धन जारी करने के लिए सभी शर्तों को पूरा किया है, व्यय विभाग ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वित वर्ष 2024-25 के दौरान एक किस्त में

					33,75,00,000/ - Proposal of SKIMS, Srinagar had been received in the month of December,2024. However, at BE stage, only Rs. 10.90 crore were allocated in BE-2024-25 under 3602 (Major Head). As the state has fulfilled all the conditionalities for release of funds, Department of Expenditure has approved proposal of Ministry of Health & Family Welfare for release of funds of Rs. 33,75,00,000/ - in one installment during FY 2024-25.
29	प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM-ABHIM)	3602.06.101.76.01.31	9.63	6.04	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को पहली किस्त जारी करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। Funds are required for release of 1st installment to the UT of Delhi.
30	सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली Safdarjung Hospital, New Delhi	4210.01.110.06.00.52	69.00	48.00	एक्स-रे सिम्युलेटर की 1 संख्या की खरीद के लिए एचआईटीई को अग्रिम भुगतान 48 करोड़ रुपये अतिरिक्त निधि की आवश्यकता है। Advance payments to HITES for procurement of 1 No of X-Ray Simulator Rs 48 Crore additional fund required.

218 अनुदानों की पूरक मांगे, 2024-25 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

31	National Programme for Prevention and Management of Trauma & Burn Injuy (NPPMT&BI)	2210.06.101.78.00.31	1.00	7.39	The BE forthe above head is insufficient to disburse to all the seven institutes as first instalment 7 files concurred
					by IFD for releasing grants to Centres of Excellence newly established under the programme NPPMT&BI . The current head has insufficient funds to sanction the amount and hence appropriation to raid head is required.
32	प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM-ABHIM)	3602.06.101.76.01.35	92.37	54.81	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को पहली किस्त जारी करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। Funds are required for release of 1st installment to the UT of Delhi.
33	ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, नई दिल्ली All India Institute of Medical Sciences, New Delhi	2210.05.105.28.01.36	2590.00	130.14	संशोधित अनुमान 2024-25 में वृद्धि के कारण। Due to increase in RE 2024-25.
34	आरसीएच और स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और शहरी स्वास्थ्य मिशन के लिए लचीला पूल Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission		11763.24	138.41	संशोधित अनुमान 2024-25 में वृद्धि के कारण। Due to increase in RE 2024-25.

219 अनुदानों की पूरक मांगे, 2024-25 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

	ī			I	
35	प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM-ABHIM)	3601.06.101.94.01.31	23.49	13.42	आरई 2024-25 में वृद्धि के कारण। राज्य से प्राप्त अधिक बीमा दावे Due to increase in RE 2024-25. More insurance claims received from State
36	National Programme for Prevention and Control of Non Communicable Diseases (NP-NCD) National Programme for Prevention and Control of Non Communicable Diseases (NP-NCD)	3602.06.789.11.07.35	1.80	0.69	स्किम्स, श्रीनगर का प्रस्ताव दिसंबर, 2024 के महीने में प्राप्त हुआ था। हालांकि, आरई बीई चरण में, 3602 (प्रमुख शीर्ष) के तहत बीई 2024-25 में केवल 10.90 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। जैसा कि राज्य ने धन जारी करने के लिए सभी शर्तों को पूरा किया है, व्यय विभाग ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान एक किस्त में 337500। Proposal of SKIMS, Srinagar had been received in the month of December, 2024. However, at RE BE stage, only Rs.10.90 crore were allocated in BE 2024-25 under 3602 (Major Head). As the state has fulfilled all the conditionalities for release of funds, Department of Expenditure has approved proposal of Ministry of Health & Family Welfare for release of funds of Rs. 337500 in one installment during FY 2024- 25.

220 अनुदानों की पूरक मांगे, 2024-25 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

37	अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुंबई International Institute for Population Sciences, Mumbai	2211.00.003.02.00.31	26.00	2.40	नए प्रशासन में फर्नीचर प्रदान करने पर प्रतिबद्ध व्यय को पूरा करने के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है। भवन और नया प्रवेश द्वार और परिसर की दीवार, नई अवसंरचना विकास परियोजना (एनआईडीपी) नेटवर्किंग और स्मार्ट रैक उपकरण, सॉफ्टवेयर पैकेज, सेवानिवृत्ति लाभ, सुरक्षा गार्ड वेतन, वियुत रखरखाव कार्य, ऑनलाइन डेटा की खरीद, अनुसंधान परियोजना, वेतन भुगतान और आउटसोर्स सेवा भुगतान और आउटसोर्स सेवा भुगतान आदि। Additional funds are required to meet the committed expenditure on providing furniture in new admn. building and new entrance gate & compound wall, New infrastructure Development Project (NIDP) networking and smart rack equipment, software packages, retirement benefits, security guard salary, electrical maintenance work, purchase of online data, research project, salary Payment and outsource
					Payment and outsource
					Services payment etc.
38	गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी)	3602.06.796.50.02.35	0.94	5.86	स्किम्स, श्रीनगर का प्रस्ताव दिसंबर, 2024 के महीने में प्राप्त हुआ था। हालांकि, बीई चरण में, 3602 (प्रमुख शीर्ष)
	National Programme				के तहत बीई-2024-25 में

221 अनुदानों की पूरक मांगे, 2024-25 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

	for Prevention and Control of Non Communicable Diseases (NP-NCD)				केवल 10.90 करोड़ रुपये आवंदित किए गए थे। जैसा कि राज्य ने धन जारी करने के लिए सभी शर्तों को पूरा किया है, व्यय विभाग ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान एक किस्त में 33,75,00,000/ - Proposal of SKIMS, Srinagar had been received in the month of December, 2024. However, at BE stage, only Rs.10.90 crore were allocated in BE-2024-25 under 3602 (Major Head). As the State has fulfilled all the conditionality for release of funds, Department of Expenditure has approved proposal of Ministry of Health & Family Welfare for release of funds of Rs. 33,75,00,000/ - in one installment during FY
					installment during FY 2024-25.
39	नर्सिंग सेवाओं का विकास DEVELOPMENT OF NURSING SERVICES	2210.06.003.11.02.31	19.76	0.55	संशोधित अनुमान 2024-25 में वृद्धि के कारण। Due to increase in RE 2024-25.
40	भारतीय खाय सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण Food Safety and Standards Authority of India Food Safety and Standards Authority of	2210.06.102.09.00.36	100.00	6.80	संशोधित अनुमान 2024-25 में वृद्धि के कारण। Due to increase in RE 2024-25

222 अनुदानों की पूरक मांगे, 2024-25 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

	1			T	
	India Food Safety and Standards Authority of India Food Safety and Standards Authority of India				
41	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES	4210.01.001.02.01.71	0.70	0.15	फोटोकॉपियर, लैपटॉप, कंप्यूटर और अन्य उपकरणों की खरीद के लिए आवश्यक निधि। Fund required for procurement of photocopier, laptops, computers & other equipment.
42	केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CENTRAL DRUGS STANDARD CONTROL ORGANISATION(4210.04.200.21.00.71	0.68	0.50	फोटोकॉपियर, लैपटॉप, कंप्यूटर और अन्य उपकरणों की खरीद के लिए आवश्यक निधि। Fund required for procurement of photocopier, laptops, computers & other equipment.
43	राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी को अनुदान GRANTS TO NATIONAL ACADEMY OF MEDICAL SCIENCES	2210.05.105.72.00.35	0.15	0.15	संशोधित अनुमान 2024-25 में वृद्धि के कारण। Due to increase in RE 2024-25.
44	भारतीय फार्मेसी परिषद को अनुदान GRANTS TO PHARMACY COUNCIL OF INDIA	2211.00.001.07.00.31	147.40	10.60	संशोधित अनुमान 2024-25 में वृद्धि के कारण। Due to increase in RE 2024-25.
45	गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) NATIONAL PROGRAMME FOR	3602.06.789.11.07.35	1.80	2.42	संशोधित अनुमान 2024-25 में वृद्धि के कारण। मशीनों की खरीद के लिए आवश्यक निधि और हिट्स एजेंसी को भुगतान की जाने वाली राशि। Due to increase in RE

223 अनुदानों की पूरक मांगे, 2024-25 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

	PREVENTION AND				2024-25. Fund required
	CONTROL OF NON				for procurement of
	COMMUNICABLE				machined and amount to
	DISEASES (NP-NCD)				be paid to HITES agency.
46	केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना Central Govt. Health Scheme	4210.01.103.04.00.72	6.45	1.50	संशोधित अनुमान 2024-25 में वृद्धि के कारण। Due to increase in RE 2024-25.
47	अवसंरचना अनुरक्षण INFRASTRUCTURE MAINTENANCE	3602.06.789.72.02.31	20.68	0.13	संशोधित अनुमान 2024-25 में वृद्धि के कारण। Due to increase in RE 2024-25.
48	राजकुमारी अमृत कौर नर्सिंग कॉलेज नई दिल्ली RAJKUMARI AMRIT KAUR COLLEGE OF NURSING NEW DELHI	4210.03.105.14.00.72	2.05	3.66	संशोधित अनुमान 2024-25 में वृद्धि के कारण। Due to increase in RE 2024-25.
49	राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति (एनपीआरडी) National Policy for Rare Diseases (NPRD)	2210.06.101.65.00.31	82.41	0.57	संशोधित अनुमान 2024-25 में वृद्धि के कारण। Due to increase in RE 2024-25.
50	सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली SAFDARJUNG HOSPITAL, NEW DELHI	4210.01.110.06.00.52	69.00	56.00	संशोधित अनुमान 2024-25 में वृद्धि के कारण। Due to increase in RE 2024-25.
51	अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता AIIH & PH, KOLKATA	4210.04.112.01.00.71	0.70	0.10	फोटोकॉपियर, लैपटॉप, कंप्यूटर और अन्य उपकरणों की खरीद के लिए आवश्यक निधि। Fund required for procurement of photocopier, laptops, computers & other equipment.
52	आरसीएच और स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और शहरी स्वास्थ्य मिशन के	4210.04.200.36.00.71	0.49	0.11	आरई 2024-25 में वृद्धि के कारण। फोटोकॉपियर, लैपटॉप, कंप्यूटर और अन्य उपकरणों की खरीद के लिए आवश्यक

224 अनुदानों की पूरक मांगे, 2024-25 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

	लिए लचीला पूल				निधि।
	FLEXIBLE POOL FOR RCH & HEALTH SYSTEM				Due to increase in RE 2024-25. fund required for procurement of
	STRENGTHENING, NATIONAL HEALTH PROGRAMME AND URBAN HEALTH MISSION				photocopier, laptops, computers & other equipment.
53	निदेश और प्रशासन- सचिवालय DIRECTION & ADMINISTRATION- SECRETARIAT	4250.00.001.01.19.71	0.20	0.05	फोटोकॉपियर, लैपटॉप, कंप्यूटर और अन्य उपकरणों की खरीद के लिए आवश्यक निधि। Fund required for procurement of photocopier, laptops, computers & other equipment.
54	स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तैयारी और ईएमआर सहित प्रबंधन (एवियन फ्लू सहित), और आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं Health Sector Disaster Preparedness & Management including EMR (including Avian Flu), & Emergency Medical Services	2210.06.101.72.00.31	5.00	0.91	संशोधित अनुमान 2024-25 में वृद्धि के कारण। Due to increase in RE 2024-25.
55	अवसंरचना अनुरक्षण INFRASTRUCTURE MAINTENANCE	3601.06.796.05.02.31	611.63	3.70	संशोधित अनुमान 2024-25 में वृद्धि के कारण। Due to increase in RE 2024-25.
56	केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना Central Govt. Health Scheme	4210.01.103.04.00.71	14.92	2.29	फोटोकॉपियर, लैपटॉप, कंप्यूटर और अन्य उपकरणों की खरीद के लिए आवश्यक निधि। Fund required for procurement of photocopier, laptops, computers & other equipment.

225 अनुदानों की पूरक मांगे, 2024-25 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

57	कोविड-19 प्रतिक्रिया तंत्र 2021 के तहत वैश्विक निधि अनुदान GLOBAL FUND GRANT UNDER COVID 19 RESPONSE MECHANISM 2021	4210.04.200.35.00.52	108.20	8.79	संशोधित अनुमान 2024-25 में वृद्धि के कारण। Due to more demand by PD.
58	निदेश और प्रशासन- सचिवालय DIRECTION & ADMINISTRATION- SECRETARIAT	4250.00.001.01.17.71	5.00	2.00	फोटोकॉपियर, लैपटॉप, कंप्यूटर और अन्य उपकरणों की खरीद के लिए आवश्यक निधि। Fund required for procurement of photocopier, laptops, computers & other equipment.

मंत्रिमंडल Cabinet

माांग सांख्या - 50

Demand No. - 50

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2024-2025

1	2	3	4	5	6
क्र. सां. S.No.	योजना/ कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/ Programme	लेखा शीर्षक - 15 अंक Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2024-2025	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	कैबिनेट सचिवालय (मुख्य+पीएओ) Cabinet Secretariat (Main & PAO)	4075.00.001.01.05.71	2.00	0.04	वस्तु-शीर्ष "सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण" के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। To meet additional fund requirement under object head "Information, Computer, Telecommunication (ICT) equipment".

पुलिस Police

मांग सांख्या - 51 Demand No. - 51

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2024-2025

1	2	3	4	5	6
क्र. सां. S.No.	योजना/ कार्यक्रम का नाम Name of the Scheme/ Programme	लेखा शीर्षक - 15 अंक Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget Estimates 2024-2025	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of Reappropriation	टिप्पणी Remarks
1	असम राइफल्स कार्यालय भवन ASSAM RIFLES OFFICE BUILDINGS	4055.00.202.01.00.72	10.00	5.17	वस्तु-शीर्ष "भवन और संरचनाएं" के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। To meet additional fund requirement under Object Head - "Building and Structures".
2	दिल्ली पुलिस के यातायात एवं संचार नेटवर्क का आधुनिकीकरण MODERNISATION OF TRAFFIC & COMMUNICATION NETWORK OF DELHI POLICE	4055.00.212.09.04.78	0.48	80.00	वस्तु-शीर्ष "भूमि" के अंतर्गत के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। To meet additional expenditure towards Object Head - Land.
3	निदेशालय सीमा सुरक्षा बल DIRECTORATE GENERAL OF BORDER SECURITY FORCE	4055.00.203.01.07.52	10.00	5.00	वस्तु-शीर्ष "उपस्कर और औजार" अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। To meet additional expenditure towards Object Head - Machinery and Equipment.

228 अनुदानों की पूरक मांगे, 2024-25 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

		1			T
4	भारत-तिब्बत सीमा पुलिस स्वच्छता कार्य योजना INDO-TIBETAN BORDER POLICE SWACHHTA ACTION PLAN	4055.00.203.02.96.72	5.00	5.00	वस्तु-शीर्ष "भवन और संरचनाएं" के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।। To meet additional expenditure towards Object Head - Building and Structures.
5	केन्द्रीय पुलिस संगठनों को कल्याण अनुदान WELFARE GRANTS TO CENTRAL POLICE ORGANISATIONS	2055.00.113.05.00.31	50.00	0.15	वस्तु-शीर्ष "सहायता अनुदान सामान्य" अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। To meet additional expenditure towards Object Head - Grant-in- aid General.
6	पुलिस बलों का आधुनिकीकरण MODERNISATION OF POLICE FORCES	3602.06.101.49.02.31	700.00	100.00	वस्तु-शीर्ष "सहायता अनुदान सामान्य" अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। To meet additional expenditure towards Object Head - Grant-in- aid General.
7	इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम INTELLIGENT TRAFFIC MANAGEMENT SYSTEM	4055.00.212.13.00.52	3.83	0.17	वस्तु-शीर्ष "उपस्कर और औजार" अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। To meet additional expenditure towards Object Head - Machinery and Equipment.
8	निर्भया कोष से वित्तपोषित योजना SCHEMES FINANCED FROM NIRBHAYA FUND	3601.08.111.06.06.31	5.01	14.57	वस्तु-शीर्ष "सहायता अनुदान सामान्य" अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। To meet additional expenditure towards Object Head - Grant-in- aid General.
9	राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड National Intelligence Grid	4055.00.216.01.01.71	159.55	50.00	वस्तु-शोर्ष "सूचना कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण" के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। To meet additional expenditure towards Object Head - Information, Computer, Telecommunication (ICT) equipment.

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह Andaman and Nicobar Islands

माांग सांख्या - 52 Demand No. - 52

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2024-2025

1	2	3	4	5	6
क्र. सां. S.No.	योजना/कार्यक्रम का नाम Name of the	लेखा शीर्षक - 15 अंक Head of Account (15 digit)	बजट अनुमान Budget	पुनर्विनियोजन की राशि Amount of	टिप्पणी Remarks
	Scheme/Programme	(13 23)	_	Reappropriation	
1	बंदरगाहों और प्रकाश गृहों पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Ports and Light Houses	5051.02.200.02.01.52	10.00	0.01	लंबित बिलों के निपटान के लिए For settlement of pending bills
2	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Other Administrative Services	4070.00.800.28.00.52	0.70		प्रतिबद्ध देनदारियों के निपटान के लिए For settlement of committed liabilities
3	बंदरगाहों और प्रकाश गृहों पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Ports and Light Houses	5051.02.200.02.01.52	10.00		प्रतिबद्ध देनदारियों के निपटान के लिए For settlement of committed liabilities
4	मत्स्य पालन Fisheries	2405.00.198.01.00.35	0.10	0.17	मछली से संबंधित बाजार का निर्माण करना। For construction of market related to fish.

230 अनुदानों की पूरक मांगे, 2024-25 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

5	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	4202.03.102.03.00.72	2.00	0.72	प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए To meet committed liabilities
6	पुलिस पर पूंजी परिव्यय Capital Outlay on Police	4055.00.208.05.00.72	0.99	0.19	प्रतिबद्ध देनदारियों के निपटान के लिए For settlement of committed liabilities
7	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Other Administrative Services	4070.00.001.33.10.72	1.30	0.11	प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए To meet committed liabilities
8	आवास पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Housing	4216.01.106.05.00.72	1.50	0.05	प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए To meet committed liabilities
9	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम Other Rural Development Programmes	2515.00.197.01.00.36	21.00	0.04	पंचायत सिमितियों का वेतन जारी करने हेतु For release of salary of Panchayat Samities
10	बंदरगाहों और प्रकाश गृहों पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Ports and Light Houses	5051.02.200.02.01.52	10.00	0.00	लंबित बिलों के निपटान के लिए For settlement of pending bills
11	पुलिस पर पूंजी परिव्यय Capital Outlay on Police	4055.00.211.01.00.72	2.00	0.17	चल रहे कार्यों के प्रति प्रतिबद्ध देनदारियों के निपटान के लिए For settlement of committed liabilities towards ongoing works
12	मत्स्य पालन Fisheries	2405.00.197.01.00.35	0.10	0.06	नेट मेंडिंग मशीन के निर्माण के लिए For construction of net mending machine

231 अनुदानों की पूरक मांगे, 2024-25 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

13	पुलिस पर पूंजी परिव्यय Capital Outlay on Police	4055.00.211.01.00.72	2.00	0.40	प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए To meet committed liabilities
14	वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Forestry and Wild Life	4406.01.070.01.00.72	5.00	0.07	चल रहे कार्यों को पूरा करने के लिए For completion of ongoing works
15	पुलिस पर पूंजी परिव्यय Capital Outlay on Police	4055.00.207.05.00.72	5.00	1.26	प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए To meet committed liabilities
16	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Tourism	5452.01.102.07.00.72	5.00	0.62	प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए To meet committed liabilities
17	जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Water Supply and Sanitation	4215.01.102.03.00.73	50.00	3.00	चल रहे कार्यों के प्रति प्रतिबद्ध देनदारियों के निपटान के लिए For settlement of committed liabilities towards ongoing works
18	वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Forestry and Wild Life	4406.01.070.01.00.72	5.00	0.40	चल रहे कार्यों को पूरा करने के लिए For completion of ongoing works
19	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम Other Rural Development Programmes	2515.00.196.01.00.36	9.00	0.00	वेतन जारी करने हेतु For release of salaries
20	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Urban Development	4217.60.051.01.00.73	1.20	0.49	चल रहे कार्यों के प्रति प्रतिबद्ध देनदारियों के निपटान के लिए For settlement of committed liabilities towards ongoing works

232 अनुदानों की पूरक मांगे, 2024-25 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

21	मत्स्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Fisheries	4405.00.101.11.00.72	1.00	0.03	चल रहे कार्यों के प्रति प्रतिबद्ध देनदारियों के निपटान के लिए For settlement of committed liabilities towards ongoing works
22	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Other Administrative Services	4070.00.001.14.00.52	0.15	0.02	विभिन्न मशीनरी की खरीद के लिए For procurement of various machineries
23	सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Roads and Bridges	5054.03.337.02.00.73	25.00	2.00	चल रहे कार्यों के प्रति प्रतिबद्ध देनदारियों के निपटान के लिए For settlement of committed liabilities towards ongoing works
24	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Other Administrative Services	4070.00.001.14.00.72	0.80	0.53	चल रहे कार्यों के प्रति प्रतिबद्ध देनदारियों के निपटान के लिए For settlement of committed liabilities towards ongoing works
25	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Other Administrative Services	4070.00.001.33.07.72	1.20	0.42	चल रहे कार्यों के प्रति प्रतिबद्ध देनदारियों के निपटान के लिए For settlement of committed liabilities towards ongoing works
26	वियुत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Power Projects	4801.05.001.06.00.72	1.00	0.36	चल रहे कार्यों के प्रति प्रतिबद्ध देनदारियों के निपटान के लिए For settlement of committed liabilities towards ongoing works

233 अनुदानों की पूरक मांगे, 2024-25 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

				1	
27	सामान्य शिक्षा General Education	2202.02.196.01.00.31	5.00	2.00	जिला परिषद, उत्तर एवं मध्य अंडमान को अनुदान जारी करने के लिए For release of grants to Zilla Parishad, North & Middle Andaman
28	जल आपूर्ति एवं स्वच्छता Water Supply and Sanitation	2215.02.198.01.96.31	7.00	6.86	सफाई कर्मचारियों को वेतन जारी करने के लिए For release of wages to sanitation workers
29	नागरिक विमानन पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Civil Aviation	5053.02.102.07.00.73	2.00	2.30	जल हवाई अड्डों के विकास के लिए For development of water aerodromes
30	वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Forestry and Wild Life	4406.01.101.02.00.72	5.80	0.39	चल रहे कार्यों को पूरा करने के लिए For completion of ongoing works
31	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Other Administrative Services	4070.00.001.33.11.72	0.27	0.51	चल रहे कार्यों के प्रति प्रतिबद्ध देनदारियों के निपटान के लिए For settlement of committed liabilities towards ongoing works
32	ग्रामीण एवं लघु उद्योग Village and Small Industries	2851.00.105.04.00.36	1.43	0.12	वेतन घटक में वृद्धि के कारण Due to increase in salary component
33	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम Other Rural Development Programmes	2515.00.196.01.00.36	9.00	2.17	वेतन घटक में वृद्धि के कारण Due to increase in salary component
34	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम Other Rural Development Programmes	2515.00.198.01.00.31	39.00	8.31	ग्राम पंचायत को मिलान अनुदान के अंतर्गत अनुदान जारी करने के लिए For release of grants under matching grants to Gram Panchayat

234 अनुदानों की पूरक मांगे, 2024-25 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

35	चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य Medical and Public Health	2210.05.105.52.00.31	10.00	0.50	आउटसोर्स स्टाफ/हाउस कीपिंग/सफाई कर्मचारी आदि के भुगतान के लिए, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह चिकित्सा संस्थान के लिए कंप्यूटरों की खरीद For payment of outsourced staff/house keeping/safai karamchari etc., procurement of computers for Andaman & Nicobar Islands Institute of Medical Science
36	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	4202.01.203.02.05.72	1.50	0.05	चल रहे कार्यों के प्रति प्रतिबद्ध देनदारियों के निपटान के लिए For settlement of committed liabilities towards ongoing works
37	पुलिस पर पूंजी परिव्यय Capital Outlay on Police	4055.00.207.04.01.72	0.30	0.06	प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए To meet committed liabilities
38	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	4202.01.203.02.01.72	0.34	0.34	चल रहे कार्यों के प्रति प्रतिबद्ध देनदारियों के निपटान के लिए For settlement of committed liabilities towards ongoing works
39	मत्स्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Fisheries	4405.00.101.11.00.72	1.00	0.05	चल रहे कार्यों के प्रति प्रतिबद्ध देनदारियों के निपटान के लिए For settlement of committed liabilities towards ongoing works
40	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम Other Rural Development Programmes	2515.00.197.01.00.36	21.00	5.19	वेतन घटक में वृद्धि के कारण Due to increase in salary component

235 अनुदानों की पूरक मांगे, 2024-25 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

41	जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Water Supply and Sanitation	4215.01.102.03.00.73	50.00	0.07	ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति के लिए For water supply in rural areas
42	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	4202.01.201.01.00.72	6.00	0.24	स्कूल भवनों के निर्माण/मरम्मत के लिए For construction/repair of school buildings
43	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण Social Security and Welfare	2235.02.106.08.00.36	0.07	0.00	UTCPCR को अनुदान जारी करने के लिए For release of grants to UTCPCR
44	फसल पालन पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Crop Husbandry	4401.00.113.17.00.52	0.15	0.21	कोपरा ड्रायर और वैक्यूम पैकेजिंग मशीन की खरीद के लिए For purchase of Copra Dryer & Vacuum packaging machine
45	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Other Administrative Services	4070.00.001.33.08.72	0.20	0.12	चल रहे कार्यों के प्रति प्रतिबद्ध देनदारियों के निपटान के लिए For settlement of committed liabilities towards ongoing works
46	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Social Security and Welfare	4235.02.103.04.00.72	0.50	0.03	चल रहे कार्यों के प्रति प्रतिबद्ध देनदारियों के निपटान के लिए For settlement of committed liabilities towards ongoing works
47	फसल पालन Crop Husbandry	2401.00.105.16.00.33	0.50	0.36	जैविक खाद, वर्मी कॉपमोस्ट, रॉक फॉस्फेट, नीम की खाद की खरीद के लिए। For procurement of organic manure, vermi copmost, rock phosphate, neem manure.

236 अनुदानों की पूरक मांगे, 2024-25 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

48	लघु सिंचाई Minor Irrigation	2702.80.001.03.01.33	0.35	0.20	जैविक खाद, वर्मी खाद, कीटनाशक सामग्री, वर्मी कम्पोस्ट, रॉक फास्फेट, नीम खाद की खरीद हेतु For procurement of organic manure, vermined, panting materials, vermi copmost, rock phosphate, neem manure
49	अन्य कृषि कार्यक्रम Other Agricultural Programmes	2435.01.101.14.01.33	1.00	0.15	जैविक खाद, वर्मी खाद, कीटनाशक सामग्री, वर्मी कम्पोस्ट, रॉक फास्फेट, नीम खाद की खरीद हेतु For procurement of organic manure, vermined, panting materials, vermi copmost, rock phosphate, neem manure
50	अनुस्चित जातियों, अनुस्चित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes Other Backward Classes and Minorities	2225.02.796.06.00.31	2.20	1.00	अंडमान आदिम जन जाति विकास समिति (एएजेवीएस) के नवनियुक्त कर्मचारियों (आदिवासी अधिकारी और जन जाति सेवक) को वेतन जारी करने के लिए For release of salary to the newly recruited staffs (Tribal Officer and Jan jati Sevak) of Andaman Aadim Jan Jati Vikas Samiti (AAJVS)
51	अनुस्चित जातियों, अनुस्चित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes Other Backward Classes and Minorities	2225.02.796.05.00.31	8.00	5.40	अंडमान आदिम जन जाति विकास समिति (एएजेवीएस) के नविनयुक्त कर्मचारियों (आदिवासी अधिकारी और जन जाति सेवक) को वेतन जारी करने के लिए For release of salary to the newly recruited staffs (Tribal Officer and Jan jati Sevak) of Andaman Aadim Jan Jati Vikas Samiti (AAJVS)

237 अनुदानों की पूरक मांगे, 2024-25 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

	<u>5 ·</u>	71 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
52	वानिकी और वन्य जीवन पर प्ंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Forestry and Wild Life	4406.01.101.02.00.72	5.80	0.60	कार्य की प्रगति के अनुसार As per progress of works
53	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	4202.01.202.05.00.72	9.00	0.08	चल रहे कार्यों के प्रति प्रतिबद्ध देनदारियों के निपटान के लिए For settlement of committed liabilities towards ongoing works
54	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Social Security and Welfare	4235.02.102.03.00.72	5.00	0.07	चल रहे कार्यों के प्रति प्रतिबद्ध देनदारियों के निपटान के लिए For settlement of committed liabilities towards ongoing works
55	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	4202.01.201.01.00.72	6.00	0.03	चल रहे कार्यों के प्रति प्रतिबद्ध देनदारियों के निपटान के लिए For settlement of committed liabilities towards ongoing works
56	चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य Medical and Public Health	2210.05.105.52.00.36	38.00	3.50	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह आयुर्विज्ञान संस्थान के वेतन जारी करने के लिए For release of salaries of Andaman & Nicobar Islands Institute of Medical Science
57	ग्रामीण एवं लघु उद्योग Village and Small Industries	2851.00.105.04.00.31	0.09	0.17	अंडमान एवं निकोबार खादी एवं ग्रामोयोग बोर्ड को अनुदान जारी करने हेतु For release of grants to Andaman & Nicobar Khadi & Village Industries Board

चंडीगढ़ Chandigarh

मांग सांख्या - 53 Demand No. - 53

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2024-2025

1	2	3	4	5	6
क्र. सां.	योजना/कार्यक्रम का नाम	लेखा शीर्षक - 15 अंक Head of Account	बजट अनुमान	पुनर्विनियोजन की राशि	टिप्पणी Remarks
S.No.	Name of the Scheme/Programme	(15 digit)	Budget Estimates 2024-2025	Amount of Reappropriation	
1	चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय Capital Outlay on Medical and Public Health	4210.03.105.03.00.72	58.97	28.00	सरकार में ब्लॉक-के, न्यू इमरजेंसी ब्लॉक और ट्रॉमा ब्लॉक में मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर के निर्माण के लिए। मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, सेक्टर 32, चंडीगढ़ For construction of Mother and Child Care Centre at Block-K, New Emergency Block and Trauma Block in Govt. Medical College and Hospital, Sector 32, Chandigarh
2	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजी परिव्यय Capital Outlay on Social Security and Welfare	4235.02.103.01.00.72	0.54	0.39	समाज कल्याण विभाग के तहत नारी निकेतन में नवीनीकरण कार्यों के लिए आवश्यक। Required for renovation works at Nari Niketan under Social Welfare Deptt.

239 अनुदानों की पूरक मांगे, 2024-25 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

3	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	4202.03.102.14.01.71	0.05	0.01	खेल विभाग में आईटी उपकरणों की खरीद के लिए For purchase of IT equipment in Sports Department
4	सड़क परिवहन पर पूंजी परिव्यय Capital Outlay on Road Transport	5055.00.201.02.00.72	20.50	5.00	चंडीगढ़ परिवहन उपक्रम रायपुर कलां, चंडीगढ़ में बस डिपो सह कार्यशाला के काम के लिए आवश्यक Required for work of Chandigarh Transport Undertaking Bus Depot cum Workshop at Raipur Kalan, Chandigarh
5	चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय Capital Outlay on Medical and Public Health	4210.03.105.04.00.72	12.78	1.33	सेक्टर 48, चंडीगढ़ में डॉक्टर के छात्रावास के निर्माण के लिए और विभिन्न सरकार में 3.5 मेगावाट और 4.5 मेगावाट के एसपीवी बिजली संयंत्रों की स्थापना के लिए। विभिन्न सरकार के लिए आवासीय घर और 1 मेगावाट। सरकार के लिए गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार साइट। दिसंबर, 2024 तक रूफटॉप संतृिस। For construction of Doctor's Hostel in Sector 48, Chandigarh and for installation of SPV Power Plants of 3.5 MWp and 4.5 MWp in various Govt. residential Houses and 1 MWp for various Govt. sites as per the target set by Ministry of Home Affairs for Govt. Rooftop Saturation by Dec, 2024.

240 अनुदानों की पूरक मांगे, 2024-25 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

	T				
6	सार्वजिनक कार्यों पर पूंजी परिव्यय Capital Outlay on Public Works	4059.60.051.20.00.71	6.61	9.87	पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में डेटा प्रबंधन प्रणाली के उन्नयन के लिए स्मार्ट रैक, सैन स्टोरेज, ओरेकल, वेकॉम मशीन और सर्वर की खरीद के लिए। For purchase of Smart Rack, SAN Storage, Oracle, Waicom Machine and Servers for upgradation of Data Management System in Punjab and Haryana High Court.
7	पुलिस पर पूंजी परिव्यय Capital Outlay on Police	4055.00.207.02.01.73	0.75	0.35	पुलिस लाइन सेक्टर-26 में सड़कों को पुनर्गठित करने के लिए For recarpeting of roads in Police Line Sector-26
8	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	4202.01.202.05.01.72	33.36	3.00	नई सरकार के निर्माण के लिए आवश्यक। सारंगपुर में हाई स्कूल और जीएमएसएस- 39 सी, काझेरी और रायपुर कलां Required for construction of new Govt. High School at Sarangpur and GMSSS- 39 C, Kajheri and Raipur Kalan
9	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय Capital Outlay on other Administrative Services	4070.00.800.43.01.71	0.00	0.13	संघ राज्य क्षेत्र सचिवालय में कंप्यूटर हार्डवेयर और दूरसंचार उपकरणों की खरीद के लिए For procurement of Computer Hardware and Telecommunication Devices in UT Secretariat

241 अनुदानों की पूरक मांगे, 2024-25 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

10	पशुपालन पर पूंजी परिव्यय Capital Outlay on Animal Husbandry	4403.00.101.09.00.72	0.27	0.04	पशुपालन विभाग में विभिन्न नवीनीकरण और उन्नयन कार्य के लिए For renovation and upgradation work in Animal Husbandry Department
11	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	4202.03.102.05.00.72	3.72	1.50	बहु उद्देशीय हॉल के काम और बिलियर्ड्स और स्नूकर्स हॉल में कुर्सियों की स्थापना और क्रिकेट स्टेडियम में मीडिया सेंटर ब्लॉक में एसी सिस्टम के प्रावधान के लिए for the work of multipurpose hall and installation of chairs in billiards and snookers hall and provision of AC System at media center block in Cricket Stadium

लद्दाख Ladakh

माांग सांख्या - 55 Demand No. - 55

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2024-2025

					(र कराइ में रे In Crore)
1	2	3	4	5	6
क्र. सां.	योजना/कार्यक्रम का नाम	लेखा शीर्षक - 15 अंक Head of Account	बजट अनुमान Budget	पुनर्विनियोजन की राशि	टिप्पणी Remarks
S.No.	Name of the	(15 digit)	Estimates	Amount of	
	Scheme/Programme	, ,	2024-2025	Reappropriation	
1	विद्युत परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय Capital Outlay On Power Projects	4801.04.001.01.00.73	0.01	0.10	लंबित देनदारियों को पूरा करने के लिए विभाग द्वारा निधियों की आवश्यकता के लिए। For requirement of funds by the department to clear pending liabilities.
2	सड़कों और पुलों पर पूंजी परिव्यय Capital Outlay On Roads And Bridges	5054.04.337.05.01.73	30.00	13.11	लंबित देनदारियों को पूरा करने के लिए विभाग द्वारा निधियों की आवश्यकता के लिए। For requirement of funds by the department to clear pending liabilities.
3	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजी परिव्यय। Capital Outlay On Other Special Areas Programmes.	4575.04.001.01.01.72	110.00	1.82	विभाग द्वारा निधियों की आवश्यकता के लिए। For requirement of more funds by the department.
4	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजी परिव्यय। Capital Outlay On Other Special Areas Programmes.	4575.04.001.02.01.78	155.00	7.36	भूमि मुआवजे के लिए विभाग द्वारा धन की आवश्यकता के लिए। For requirement of funds by the department towards land compensation.

अनुदानों की पूरक मांगे, 2024-25 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

5	विद्युत परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय Capital Outlay On Power Projects	4801.01.001.04.00.73	0.85	5.15	लंबित देनदारियों को पूरा करने के लिए विभाग द्वारा अधिक धनराशि की आवश्यकता के लिए। For requirement of more funds by the department to clear pending liabilities.
6	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजी परिव्यय Capital Outlay On Other Special Areas Programmes	4575.04.001.01.01.78	6.50	1.00	भूमि मुआवजे के लिए विभाग द्वारा अधिक धनराशि की आवश्यकता के लिए। For requirement of more funds by department towards land compensation.
7	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय। Capital Outlay On Education, Sports, Art And Culture.	4202.01.203.05.01.72	6.00	3.00	विभाग द्वारा अधिक धनराशि की आवश्यकता के लिए। For requirement of more funds by the department.

लक्षद्वीप Lakshadweep

मांग सांख्या - 56 Demand No. - 56

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2024-2025

1	2	3	4	5	6
क्र.	योजना/कार्यक्रम	लेखा शीर्षक - 15 अंक	बजट अनुमान	पुनर्विनियोजन	टिप्पणी
सां.	का नाम	Head of Account	Budget	की राशि	Remarks
S.No.	Name of the	(15 digit)	Estimates	Amount of	
	Scheme/Programme		2024-2025	Reappropriation	
1	अन्य प्रशासनिक	4070.00.800.35.04.52	0.30	7.42	केएससीएल के माध्यम से 9
	सेवाओं पर पूंजीगत				द्वीपों में एकीकृत कमान नियंत्रण
	परिव्यय				केंद्र के कार्यान्वयन के लिए।
	Capital Outlay on				For implementation of
	Other				Integrated Command
	Administrative				Control Center in 9
	Services				Islands through KSCL
2	जल आपूर्ति और	4215.01.102.07.00.73	5.00	3.97	विलवणीकरण संयंत्र, जल
	स्वच्छता पर पूंजीगत				वितरण, नेटवर्क आदि के
	परिव्यय				निर्माण की लागत को पूरा करने
	Capital Outlay on				के लिए है।
	Water Supply and				For meeting the cost of
	Sanitation				construction of desalination
					plant, Water distribution,
					Network etc.
3	दूरसंचार सेवाओं पर	5225.06.190.08.00.71	65.00	4.21	आवश्यकता बैंडविड्थ शुल्क के
	पूंजीगत परिव्यय				भुगतान के लिए है।
	Capital Outlay on				Requirement is for
	Telecommunication				payment of Bandwidth
	Services				charge.

245 अनुदानों की पूरक मांगे, 2024-25 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

4	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Other Administrative Services	4070.00.800.35.02.71	0.01	0.01	कार्यालय के उपयोग के लिए आवश्यकता कंप्यूटर, प्रिंटर आदि के लिए है। Requirement is for Computer, Printer etc. for office use.
5	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Other Administrative Services	4070.00.800.35.03.71	0.02	0.10	ई-कोर्ट स्थापित करने के लिए खरीदे गए कंप्यूटर और अन्य वीडियो कॉन्फ्रेंस उपकरणों की लागत को पूरा करने के लिए। For meeting the cost of computer and other video conference equipment purchased for setting up of E-Courts.
6	शिक्षा, खेल और कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Education, Sports and Arts & Culture	4202.03.102.11.02.73	1.00	0.50	खेल स्टेडियमों के निर्माण की लागत को पूरा करने के लिए है For meeting the cost of constructing of Sports Stadia.
7	सार्वजनिक कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Public Works	4059.01.051.30.00.72	15.00	0.36	विभिन्न द्वीपों में सिविल स्टेशन भवन के लिए ठेकेदारों को निर्माण शुल्क के भुगतान के लिए। For payment of construction charges to contractors for civil station building in various islands.
8	शहरी विकास Urban Development	2217.05.001.04.00.35	1.50	0.61	स्मार्ट सिटी को यूटी शेयर जारी करने के लिए केएससीएल से मांग। Demand from KSCL for release of UT share to Smartcity.

246 अनुदानों की पूरक मांगे, 2024-25 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

	1			Ī	1
9	बंदरगाह और प्रकाश गृहों पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Port and Light Houses	5051.02.200.07.00.73	5.00	2.00	जेटी और बर्थ के निर्माण की लागत को पूरा करने के लिए है For meeting the cost of construction of jetties and berths.
10	मत्स्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Fisheries	4405.00.103.14.00.72	0.05	0.33	मत्स्यपालन भवनों के लिए ठेकेदारों को निर्माण शुल्क के भुगतान के लिए For payment of construction charges to contractors for Fisheries buildings.
11	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Other Administrative Services	4070.00.800.35.05.71	0.10	0.04	परिधीय द्वीपों में पीएफएमएस की शुरूआत के कारण स्कैनर्स की खरीद के लिए। For purchase of scanners due to introduction of PFMS in peripheral Islands.
12	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Tourism	5452.01.101.18.00.71	0.02	0.05	कार्यालय उपयोग के लिए कंप्यूटर, प्रिंटर आदि की आवश्यकता के लिए। For requirement of Computers, Printers etc. for office use.
13	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Tourism	5452.01.101.18.00.78	0.01	1.66	सिटी सेंटर विकास के लिए आवश्यक भूमि के मुआवजे को पूरा करने के लिए हैं। For meeting the compensation for the land required for City Center Development.
14	खाद्य भंडारण और गोदाम पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Food Storage and Warehousing	4408.01.101.14.00.78	0.10	3.63	एलपीजी गोदामों के लिए आवश्यक भूमि के मुआवजे को पूरा करने के लिए है For meeting the compensation for land required for LPG Godowns.

247 अनुदानों की पूरक मांगे, 2024-25 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

	T	T '			
15	आवास पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Housing	4216.01.700.65.02.78	0.10	3.86	कवारती में राज निवास के लिए आवश्यक भूमि के मुआवजे के लिए । For meeting the compensation for land required for Raj Niwas at Kavaratti.
16	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Social Security and Welfare	4235.02.102.07.00.72	1.50	0.50	नंदघर आंगनवाड़ी भवनों के ठेकेदार को निर्माण शुल्क का भुगतान करने के लिए है। For payment of construction charges to contractors for Nadghar Aganwadi buildings.
17	चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Medical and Public Health	4210.02.110.05.02.72	0.02	0.18	आयुष अस्पतालों के लिए ठेकेदारों को निर्माण शुल्क के भुगतान के लिए। For payment of construction charges to contractors for Ayush Hospitals.
18	अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Other Scientific and Environmental Research	5425.00.208.18.00.72	0.05	0.10	पर्यावरण भवन के लिए ठेकेदारों को निर्माण शुल्क के भुगतान के लिए। For payment of construction charges to contractors for Environment building.
19	चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Medical and Public Health	4210.02.110.05.01.71	0.20	0.05	कार्यालय उपयोग के लिए कंप्यूटर, प्रिंटर आदि की आवश्यकता के लिए। For requirement of Computers, Printers etc. for office use
20	नागरिक उड्डयन पर पूंजीगत परिव्यय Capital Outlay on Civil Aviation	5053.02.102.05.02.71	0.02	0.01	कार्यालय उपयोग के लिए कंप्यूटर, प्रिंटर आदि की आवश्यकता के लिए। For requirement of Computers, Printers etc. for office use

जम्मू और कश्मीर को अंतरण Transfers to Jammu and Kashmir

मांग सांख्या - 58 Demand No. - 58

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2024-2025

1	2	3	4	5	6
豖.	योजना/कार्यक्रम	लेखा शीर्षक - 15 अंक	बजट अनुमान	पुनर्विनियोजन	टिप्पणी
सां.	का नाम	Head of Account	Budget	की राशि	Remarks
S.No.	Name of the	(15 digit)	Estimates	Amount of	
	Scheme/Programme		2024-2025	Reappropriation	
1	केंद्र शासित प्रदेशों को	3602.08.104.04.07.31	40619.30	936.44	केन्द्रीय सहायता के लिए
	केंद्रीय सहायता				936.44 रुपये की राशि (किरू
	Central Assistance				एचईपी से 130 करोड़ रुपये,
	to Union Territories				रतले एचईपी से 476.44 करोड़
					रुपये तथा जेटीएफआरपी-ईएपी
					से 330 करोड़ रुपये)
					पुनर्विनियोजित की गई है।
					An amount of Rs. 936.44
					(Rs. 130 Cr. from Kiru
					HEP, Rs. 476.44 Cr. from
					Ratle HEP and Rs. 330
					Cr. from JTFRP-EAP)
					has been re-appropriated
					towards Central
					Assistance .

सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises

माांग सांख्या - 68 Demand No. - 68

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2024-2025

1	2	3	4	5	6
豖.	योजना/कार्यक्रम	लेखा शीर्षक - 15 अंक	बजट अनुमान	पुनर्विनियोजन	टिप्पणी
सां.	का नाम	Head of Account	Budget	की राशि	Remarks
S.No.	Name of the	(15 digit)	Estimates	Amount of	
	Scheme/Programme		2024-2025	Reappropriation	
1	टूल रूम और तकनीकी	2851.00.102.99.06.35	74.00	1.00	संयंत्र और मशीनरी की खरीद
	संस्थान				के लिए सीटीटीसी भुवनेश्वर से
	Tool Rooms &				प्राप्त अधिक मांग के कारण
	Technical				अतिरिक्त आवश्यकता है।
	Institutions (TR/TIs)				Additional requirement is
					due to more demand
					received from CTTC
					Bhubaneshwar for
					procurement of plant &
					Machinery.
2	टूल रूम और तकनीकी	2851.00.102.99.06.35	74.00	1.76	प्लांट और मशीनरी की खरीद
	संस्थान				के लिए सीटीआर लुधियाना से
	Tool Rooms &				प्राप्त अधिक मांग के कारण
	Technical				अतिरिक्त आवश्यकता है।
	Institutions (TR/TIs)				Additional requirement is
					due to more demand
					received from CTR
					Ludhiana for procurement
					of plant & machinery.

250 अनुदानों की पूरक मांगे, 2024-25 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

3	खादी ग्रामोद्योग विकास योजना - खादी विकास योजना Khadi Gramodyog Vikas Yojana Khadi Vikas Yojana	2851.00.105.15.08.33	173.72	27.28	सब्सिडी जारी करने के लिए और अधिक प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण अतिरिक्त आवश्यकता है। Additional requirement is due to more proposals received for release of subsidy.
4	अध्ययन, प्रचार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (एसपीआईसी) Studies, Publicity and International Cooperation (SPIC)	2851.00.102.68.02.31	14.68	4.69	सहायता अनुदान जारी करने के लिए प्राप्त प्रस्तावों के कारण अतिरिक्त आवश्यकता है। Additional requirement is due to proposals received for release of Grant in Aid.
5	खरीद और विपणन सहायता योजना Procurement and Marketing Support Scheme	2851.00.102.97.02.33	50.90	2.80	सब्सिडी जारी करने के लिए और अधिक प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण अतिरिक्त आवश्यकता है। Additional requirement is due to more proposals received for release of subsidy.
6	पीएम विश्वकर्मा योजना PM Vishwakarma Scheme	2851.00.789.72.02.31	202.86	29.00	लाभार्थियों के अनुमानित नामांकन/पंजीकरण और प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता और योजना में कौशल उन्नयन के तहत प्रतिबद्ध संवितरण देयता के वर्तमान अनुमान को पूरा करने के लिए। Additional requirement to meet raised estimated enrolment / registration and training of the beneficiaries and current projection of committed disbursement liability under skill up gradation in the scheme.

251 अनुदानों की पूरक मांगे, 2024-25 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

	अनुदाना का पूरक मान, 2024-25 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS					
7	T T	2851.00.796.72.02.31	105.08	6.00	लाभार्थियों के अनुमानित नामांकन/पंजीकरण और प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता और योजना में कौशल उन्नयन के तहत प्रतिबद्ध संवितरण देयता के वर्तमान अनुमान को पूरा करने के लिए। Additional requirement to meet raised estimated enrolment / registration and training of the beneficiaries and current projection of committed disbursement liability under skill up gradation in the scheme.	
8	टूल रूम और तकनीकी संस्थान Tool Rooms & Technical Institutions (TR/TIs)	2851.00.102.99.06.35	74.00	0.16	वाणिज्यिक CAD/CAM सॉफ्टवेयर की खरीद के लिए IDEMI मुंबई से प्राप्त अधिक मांग के कारण अतिरिक्त आवश्यकता है। Additional requirement is due to more demand received from IDEMI Mumbai for purchase of commercial CAD / CAM software.	
9	टूल रूम और तकनीकी संस्थान Tool Rooms & Technical Institutions (TR/TIs)	2851.00.102.99.06.35	74.00	1.18	संयंत्र और मशीनरी की खरीद के लिए आईजीटीआर औरंगाबाद से प्राप्त अधिक मांग के कारण अतिरिक्त आवश्यकता है। Additional requirement is due to more demand received from IGTR Aurangabad for procurement of plant & Machinery.	

अनुदानों की पूरक मांगे, 2024-25 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

10	टूल रूम और तकनीकी संस्थान Tool Rooms & Technical Institutions (TR/TIs)	2851.00.102.99.06.35	74.00	3.25	प्लांट और मशीनरी की खरीद के लिए आईजीटीआर (इंदौर, औरंगाबाद और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हैंड दूल्स (सीआईएचटी), जालंधर से प्राप्त अधिक मांग के कारण अतिरिक्त आवश्यकता है। Additional requirement is due to more demand received from IGTR (Indore, Aurangabad and Central Institute of Hand Tools (CIHT), Jalandhar for procurement of Plant & Machinery.
11	खादी ग्रामोयोग विकास योजना - खादी विकास योजना Khadi Gramodyog Vikas Yojana Khadi Vikas Yojana	2851.00.105.15.08.31	64.60	6.52	सहायता अनुदान जारी करने के लिए प्राप्त प्रस्तावों के कारण अतिरिक्त आवश्यकता है। Additional requirement is due to proposals received for release of Grant in Aid.
12	प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP)	2851.00.200.17.01.31	450.00	14.62	सहायता अनुदान जारी करने के लिए प्राप्त प्रस्तावों के कारण अतिरिक्त आवश्यकता है। Additional requirement is due to proposals received for release of Grant in Aid.
13	एमएसएमई के प्रदर्शन को बढ़ाने और तेज करने के लिए (रैंप) Raising and Accelerating MSMEs Performance (RAMP)	2851.00.102.99.10.31	108.71	43.00	सहायता अनुदान जारी करने के लिए प्राप्त प्रस्तावों के कारण अतिरिक्त आवश्यकता है। Additional requirement is due to proposals received for release of Grant in Aid.

खान मंत्रालय Ministry of Mines

माांग सांख्या - 69 Demand No. - 69

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2024-2025

1	2	3	4	5	6
क्र.	योजना/कार्यक्रम	लेखा शीर्षक - 15 अंक	बजट अनुमान	पुनर्विनियोजन	टिप्पणी
सां.	का नाम	Head of Account	Budget	की राशि	Remarks
S.No.	Name of the	(15 digit)	Estimates	Amount of	
	Scheme/Programme		2024-2025	Reappropriation	
1	राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण	2853.02.102.05.00.31	196.40	29.28	एनएमईटी की नई
	ट्रस्ट निधि गतिविधियाँ				परियोजनाओं पर अतिरिक्त
	National Mineral				व्यय को पूरा करना।
	Exploration Trust				To meeting additional
	Fund Activities				expenditure on new
					projects of NMET.

नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय Ministry of New and Renewable Energy

माांग सांख्या - 71 Demand No. - 71

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2024-2025

1	2	3	4	5	6
क्र.	योजना/कार्यक्रम	लेखा शीर्षक - 15 अंक	बजट अनुमान	पुनर्विनियोजन	टिप्पणी
सां.	का नाम	Head of Account	Budget	की राशि	Remarks
S.No.	Name of the	(15 digit)	Estimates	Amount of	
	Scheme/Programme		2024-2025	Reappropriation	
1	जैव ऊर्जा कार्यक्रम-	2810.00.101.06.03.31	350000.00	50000.00	बायो गैस प्रोग्राम की पेंडिंग
	विस्तृत शीर्षक जैव गैस				देनदारियों को पूरा करने के
	कार्यक्रम				लिए 65 करोड़ रुपये और दिए
	Bio Energy				जाएंगे।
	Programme-				Rs. 65 crore additional to
	detailed head Bio				meet the pending
	gas Prgoramme				liabilities of Bio Gas
					Programme.

पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय Ministry of Ports, Shipping and Waterways

माांग सांख्या - 78 Demand No. - 78

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2024-2025

1	2	3	4	5	6
क्र.	योजना/कार्यक्रम	लेखा शीर्षक - 15 अंक	बजट अनुमान	पुनर्विनियोजन	टिप्पणी
सां.	का नाम	Head of Account	Budget	की राशि	Remarks
S.No.	Name of the	(15 digit)	Estimates	Amount of	
	Scheme/Programme		2024-2025	Reappropriation	
1	दीपस्तंभ का निर्माण	5051.03.101.01.99.71	13.20	0.19	डीजीएलएल में ऑनलाइन
	और सुधार				एपीएआर (स्पैरो) के
	Construction and				कार्यान्वयन के लिए तत्काल
	Improvement of				भुगतान के कारण।
	Lighthouses				Due to urgent payment
					for implementation of
					online APAR (SPARROW)
					in DGLL.
2	भारतीय अंतर्देशीय	5056.00.190.02.00.54	690.00	13.62	आईडब्ल्यूएआई परियोजनाओं
	जलमार्ग प्राधिकरण				के प्रति आईडब्ल्यूएआई की
	Inland Waterways				लंबित देनदारियों को पूरा करने
	Authority of India				के लिए अतिरिक्त निधि का
					अनुरोध किया गया है।
					The additional funds have
					been requested to fulfill
					pending liabilities of IWAI
					towards IWAI Projects

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग Department of Science and Technology

माांग सांख्या - 89 Demand No. - 89

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2024-2025

1	2	3	4	5	6
क्र.	योजना/कार्यक्रम	लेखा शीर्षक - 15 अंक	बजट अनुमान	पुनर्विनियोजन	टिप्पणी
सां.	का नाम	Head of Account	Budget	की राशि	Remarks
S.No.	Name of the	(15 digit)	Estimates	Amount of	
	Scheme/Programme		2024-2025	Reappropriation	
1	सर्वे ऑफ इंडिया Survey of India	3425.01.001.01.01.36	8.18	0.82	Due to revision of allowances after DA being 50 %. Due to revision of allowances after DA being 50 %.
2	सर्वे ऑफ इंडिया Survey of India	5425.00.201.06.00.71	11.50	8.50	सॉफ्टवेयर की खरीद और सीओआरएस (तीसरे चरण) के शेष भुगतान के लिए। For purchase of software and balance payment of CORS (3rd Stage).
3	अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता Assistance to other Scientific Bodies	3425.60.200.02.04.31	120.00	10.00	पेंशन का भुगतान, हाउसकीपिंग का वेतन और अन्य स्थापना व्यय आदि। Payment of Pension, wages of Housekeeping and other establishment expenses, etc.
4	सचिवालय Secretariat	5425.00.001.01.01.71	1.20	0.20	लैपटॉप, प्रिंटर आदि जैसी आईसीटी वस्तुओं की खरीद के लिए। For purchase of ICT items such as laptop, printers,etc.

257 अनुदानों की पूरक मांगे, 2024-25 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

5	प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड Technology Development Board	3425.60.600.11.01.36	5.00	1.00	महंगाई भत्ते के प्रतिशत में वृद्धि और अतिरिक्त जनशक्ति की नियुक्ति। Increase in DA % and engagement of additional manpower.
6	स्वायत संस्थाएं और व्यावसायिक निकाय Autonomous Institutions and Professional Bodies	3425.60.200.02.38.35	210.00	20.00	डीएसटी के स्वायत संस्थानों में सौर ऊर्जा से संचालित छत योजना के पूंजीगत व्यय को पूरा करना। To meet the capital expenditure of solar implemented roof scheme at Autonomous Institutions of DST.

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग Department of Social Justice and Empowerment

माांग सांख्या - 93 Demand No. - 93

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2024-2025

1	2	3	4	5	6
क्र.	योजना/कार्यक्रम	लेखा शीर्षक - 15 अंक	बजट अनुमान	पुनर्विनियोजन	टिप्पणी
सां.	का नाम	Head of Account	Budget	की राशि	Remarks
S.No.	Name of the	(15 digit)	Estimates	Amount of	
	Scheme/Programme		2024-2025	Reappropriation	
1	ओबीसी के लिए राष्ट्रीय	2225.03.277.15.01.31	54.50	15.00	यूजीसी द्वारा फेलोशिप दरों में
	फैलोशिप				संशोधन के कारण आवश्यक
	National Fellowship				अतिरिक्त निधि।
	for OBCs				Additional fund required
					due to revision of
					Fellowship rates by UGC.
2	वंचित इकाई समूह और	2225.01.789.27.00.33	6.01	5.48	अनुसूचित जाति के स्वयं
	वर्ग की आर्थिक				सहायता समूह को ब्याज
	सहायता (विश्वास)				अनुदान प्रदान करने के लिए
	योजना				अतिरिक्त निधि की आवश्यकता
	Vanchit Ikai				Additional fund
	Samooh Aur				requirement for providing
	Vargon ki Arthik				interest subvention to Self
	Sahayata (VISVAS)				Help Group of SC
	Yojana				
3	सामाजिक न्याय और	4250.00.001.01.08.71	3.30	0.35	एलईडी, लैपटॉप आदि की
	अधिकारिता विभाग-				खरीद के लिए आवश्यक
	स्थापना				अतिरिक्त निधि।
	Department of				Additional fund required
	Social Justice and				for procurement of LED,
	Empowerment-				Laptops etc.
	Establishment				

259 अनुदानों की पूरक मांगे, 2024-25 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

4	वंचित इकाई समूह और वर्ग की आर्थिक सहायता (विश्वास) योजना Vanchit Ikai Samooh Aur Vargon ki Arthik Sahayata (VISVAS) Yojana	2225.03.102.02.00.33	4.01	7.94	ओबीसी के स्वयं सहायता समूह को ब्याज अनुदान प्रदान करने के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता Additional fund requirement for providing interest subvention to Self Help Group of OBC
5	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग National Commission for Scheduled Castes	4250.00.001.02.05.71	1.50	0.70	सभी 12 राज्य कार्यालयों में पुराने कंप्यूटर और प्रिंटर के प्रतिस्थापन और एनआईसीएसआई नेट की स्थापना के लिए आवश्यक अतिरिक्त निधि। Additional fund required for replacement of outdated computers and printers and the installation of NICSI net in all the 12 State offices.
6	ओबीसी के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप National Fellowship for OBCs	2225.03.277.15.01.31	54.50	78.69	यूजीसी द्वारा फेलोशिप दरों में संशोधन के कारण आवश्यक अतिरिक्त निधि। Additional fund required due to revision of Fellowship rates by UGC.
7	अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृति National Fellowship for SCs	2225.01.789.28.01.31	185.50	24.00	यूजीसी द्वारा फेलोशिप दरों में संशोधन के कारण आवश्यक अतिरिक्त निधि। Additional fund required due to revision of Fellowship rates by UGC.

260 अनुदानों की पूरक मांगे, 2024-25 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

8	पीसीआर अधिनियम	3601.06.789.34.07.31	514.00	2.38	कानूनी दायित्वों के लिए राज्य
	1955 और अत्याचार				सरकारों को भुगतान के लिए।
	निवारण अधिनियम				For payment to State
	1989 के प्रवर्तन के				Governments for legal
	लिए मशीनरी का				obligations.
	सुदृढीकरण				
	Strengthening of				
	Machinery for				
	Enforcement of Pcr				
	Act 1955 and				
	Prevention of				
	Atrocities Act 1989				

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग Department of Empowerment of Persons with Disabilities

माांग सांख्या - 94 Demand No. - 94

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2024-2025

1	2	3	4	5	6
क्र.	योजना/कार्यक्रम	लेखा शीर्षक - 15 अंक	बजट अनुमान	पुनर्विनियोजन	टिप्पणी
सां.	का नाम	Head of Account	Budget	की राशि	Remarks
S.No.	Name of the	(15 digit)	Estimates	Amount of	
	Scheme/Programme		2024-2025	Reappropriation	
1		2235.02.101.01.09.31	85.00	13.92	
	Scheme for funding				For GIA Supporting
	to National				ongoing activities of NIs
	Institutes				and CRCs
2		2235.02.101.01.09.35	118.25	7.87	
	Scheme for funding				For Construction of
	to National				buildings of Nis and
	Institutes				CRCs
3		2235.02.101.01.09.35	118.25	7.13	
	Scheme for funding				For Construction of
	to National				buildings of Nis and
	Institutes				CRCs

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय Ministry of Statistics and Programme Implementation

माांग सांख्या - 96 Demand No. - 96

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2024-2025

1	2	3	4	5	6
क्र.	योजना/कार्यक्रम	लेखा शीर्षक - 15 अंक	बजट अनुमान	पुनर्विनियोजन	टिप्पणी
सां.	का नाम	Head of Account	Budget	की राशि	Remarks
S.No.	Name of the	(15 digit)	Estimates	Amount of	
	Scheme/Programme		2024-2025	Reappropriation	
1	भारतीय सांख्यिकी संस्थान Indian Statistical Institute	3454.02.202.01.00.31	67.19	17.13	पुस्तकालय के बिल, बिजली के बिल, टेलीफोन के बिल, किराया, दर और कर आदि का भुगतान तथा 2025 कैलेंडर वर्ष के लिए पीएम - वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (ONOS) के तहत गांधी नगर, गुजरात स्थित INFLIBNET को पहली किश्त की सदस्यता हेतु धन की आवश्यकता है। Funds are required for payment of Library bills, Electricity bills, Telephone bills, Rent Rates and Taxes etc. and 1st tranche subscription to INFLIBNET, Gandhi Nagar, Gujarat for PM-One Nation One Subscription (ONOS) for
2	राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय National Statistics Office	5475.00.112.40.02.71	0.13	0.01	the calendar year 2025. आई.टी. वस्तुओं की खरीद के लिए धन की आवश्यकता है। Funds are required to procure IT items.

इस्पात मंत्रालय Ministry of Steel

माांग सांख्या - 97 Demand No. - 97

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2024-2025

1	2	3	4	5	6
豖.	योजना/कार्यक्रम	लेखा शीर्षक - 15 अंक	बजट अनुमान	पुनर्विनियोजन	टिप्पणी
सां.	का नाम	Head of Account	Budget	की राशि	Remarks
S.No.	Name of the	(15 digit)	Estimates	Amount of	
	Scheme/Programme		2024-2025	Reappropriation	
1	लोहा और इस्पात क्षेत्र	2852.80.004.01.00.31	2.10	1.08	अनुसंधान एवं विकास
	में अनुसंधान एवं				परियोजनाओं में धन की
	विकास को बढावा देने				आवश्यकता के अनुसार
	के लिए योजना				As per the requirement
	Scheme for				of funds in the R&D
	Promotion of				projects
	Research and				
	Development in				
	Iron and Steel				
	Sector				

जनजातीय कार्य मंत्रालय Ministry of Tribal Affairs

माांग सांख्या - 100 Demand No. - 100

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2024-2025

1	2	3	4	5	6
क्र.	योजना/कार्यक्रम	लेखा शीर्षक - 15 अंक	बजट अनुमान	पुनर्विनियोजन	टिप्पणी
सां.	का नाम	Head of Account	Budget	की राशि	Remarks
S.No.	Name of the	(15 digit)	Estimates	Amount of	
	Scheme/Programme		2024-2025	Reappropriation	
1	जनजातीय अनुसंधान,	2225.02.796.24.03.26	12.00	0.66	मीडिया कैंपेन पर होने वाले
	सूचना, शिक्षा, संचार				खर्च को पूरा करने के लिए।
	और कार्यक्रम				For meeting expenditure
	Tribal Research				on media campaign.
	Information,				
	Education,				
	Communication and				
	Events				
2	एकलव्य आदर्श	2225.02.796.25.01.26	604.22	10.86	ईएमआरएस में नए भर्ती किए
	आवासीय विद्यालय				गए टीचिंग और नॉन-टीचिंग
	(ईएमआरएस)				स्टाफ को सैलरी देने के लिए।
	Eklavya Model				For payment of Salary
	Residential School				towards newly recruited
	(EMRS)				teaching and non-
					teaching staff in EMRSs.
3	राष्ट्रीय अनुसूचित	2225.02.001.06.00.19	0.20	0.05	डिजिटल उपकरणों की खरीद
	जनजाति आयोग				के लिए।
	National				For procurement of
	Commission for				digital equipments.
	Scheduled Tribes				

265 अनुदानों की पूरक मांगे, 2024-25 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

4	प्रधान मंत्री जन जातीय विकास मिशन Pradhan Mantri Jan Jatiya Vikas Mission	2225.02.796.24.02.31	99.32	5.00	उपभोग्य वस्तुएं और स्थापना से संबंधित से जुड़े खर्चों को पूरा करने के लिए। For meeting expenditure on consumables and establishment related expenditure.
5	जनजातीय अनुसंधान संस्थान को सहायता Support to Tribal Research Institute	3601.06.796.85.03.31	55.00	5.99	राज्य जनजातीय अनुसंधान संस्थान को वितीय सहायता के लिए। For the financial supports to State TRIs.

महिला और बाल विकास मंत्रालय Ministry of Women and Child Development

माांग सांख्या - 101 Demand No. - 101

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2024-2025

1	2	3	4	5	6
क्र.	योजना/कार्यक्रम	लेखा शीर्षक - 15 अंक	बजट अनुमान	पुनर्विनियोजन	टिप्पणी
सां.	का नाम	Head of Account	Budget	की राशि	Remarks
S.No.	Name of the	(15 digit)	Estimates	Amount of	
	Scheme/Programme		2024-2025	Reappropriation	
1	केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण Central Adoption Resource Agency (CARA)	2235.02.102.43.02.31	4.50	1.23	गोद लेने से संबंधित गतिविधियों पर हितधारकों के प्रशिक्षण के लिए For training of Stakeholders on adoption relating activities
2	राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) National Commission for Women (NCW)	2235.02.103.35.00.36	5.50	0.53	नियमित कर्मचारियों को वेतन भुगतान हेतु For payment of salary to regular staffs
3	मिशन वात्सल्य Mission Vatsalya	3601.06.101.81.02.31	270.00	55.00	राज्यों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए To meet the requirement of States
4	मिशन वात्सल्य Mission Vatsalya	3602.06.101.66.02.31	5.00	20.73	यूटी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए To meet the requirements of UT
5	मिशन शक्ति - समर्थय - शक्ति सदन Mission Shakti - Samarthaya - Shakti Sadan	3601.06.101.82.07.31	39.44	15.00	राज्यों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए To meet the requirement of States

267 अनुदानों की पूरक मांगे, 2024-25 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

	अनुवाना का कूर्य भाग, 2024-20 SOFF ELIMENTARY DEMANDS FOR GRANTS					
6	राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) National Commission for Women (NCW)	2235.02.103.71.01.31	16.50	1.25	अनुसंधान अध्ययन, कानूनी जागरूकता कार्यक्रम से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए For meeting the expenditure relating to research study, legal awareness program	
7	मिशन वात्सल्य Mission Vatsalya	3601.06.101.81.00.31	553.66	54.18	राज्यों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए To meet the requirement of States	
8	मिशन वात्सल्य Mission Vatsalya	3602.06.101.66.03.31	10.39	2.55	यूटी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए To meet the requirements of UT	
9	सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान (एसपीएनआईडब्ल्यूसीडी) पूर्ववर्ती एनआईपीसीसीडी Savitribai Phule National Institute of Women And Child Development (SPNIWCD) erstwhile NIPCCD		14.00	4.00	मुख्यालय में भवन के संरचनात्मक मरम्मत कार्यों और अन्य रखरखाव संबंधी व्यय के लिए For structural repair works of Building at HQ and other maintenance related expenditure	
10	मिशन शक्ति - समर्थया - विधवाओं के लिए घर Mission Shakti - Samarthaya - Home for Widows	3601.06.101.82.15.31	1.90	2.00	राज्यों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए To meet the requirement of States	
11	निर्भया निधि से वित्तपोषित अन्य योजनाएँ Other Scheme Funded from Nirbhaya Fund	3601.06.101.82.05.35	0.01	14.94	राज्यों को धनराशि जारी करने के लिए For release of funds to States	

268 अनुदानों की पूरक मांगे, 2024-25 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

12	मिशन वात्सल्य Mission Vatsalya	2235.02.102.50.01.31	2.00	6.00	विधायिका के बिना यूटी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए To meet the requirement of UT without legislature
13	मिशन शक्ति - संबल - महिला हेल्पलाइन Mission Shakti - Sambal - Women Helpline	2235.02.103.81.12.31	1.00	1.00	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की आवश्यकता को पूरा करने के लिए To meet the requirement of Andaman and Nicobar Islands
14	मिशन शक्ति - समर्थय - प्रधानमंत्री मन्त्रु वन्दना योजना Mission Shakti - Samarthaya - Pradhan Mantri Mantru Vandna Yojana	2235.02.796.25.01.31	0.55	0.66	विधायिका के बिना यूटी को फंड जारी करने के लिए For release of Fund to UT without legislature
15	निर्भया निधि से वित्तपोषित अन्य योजनाएँ Other Schemes funded from Nirbhya Fund	3601.06.101.82.05.35	0.01	15.01	WWH के निर्माण के लिए राज्यों की आवश्यकता को पूरा करना To meet the requirement of States for construction of WWH
16	सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 Saksham Anganwadi & Poshan 2.0	3601.06.101.84.06.31	687.00	115.00	राज्यों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए To meet out the requirement of States
17	सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 Saksham Anganwadi & Poshan 2.0	3602.06.101.65.02.31	400.00	87.32	यूटी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए To meet the requirement of UT

269 अनुदानों की पूरक मांगे, 2024-25 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

		1 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6			
18	मिशन शक्ति - सामर्थ्य - प्रधानमंत्री मन्त्रु वन्दना योजना Mission Shakti - Samarthya - Pradhan Mantri Mantru Vandna Yojana	3601.06.796.94.01.31	127.34	4.14	राज्यों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए To meet the requirement of States
19	मिशन शक्ति-सामर्थ्य- शक्ति सदन Mission Shakti - Samarthya - Shakti Sadan	3602.06.101.67.07.31	2.50	0.50	यूटी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए To meet the requirements of UT
20	सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 Saksham Anganwadi and Poshan 2.0	3601.06.789.70.02.31	2504.83	200.00	राज्यों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए To meet out requirement of States
21	राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) National Commission for Protection of Child Rights(NCPCR)	2235.02.102.43.03.31	18.00	5.00	प्रतिबद्ध देनदारियों, बकाया कार्यालय किराए के भुगतान के लिए For payment of committed liabilities, outstanding office rent
22	मिशन वात्सल्य Mission Vatsalya	2235.02.102.50.01.31	2.00	4.33	विधायिका के बिना यूटी को निधि जारी करने के लिए For release of fund to UT without legislature
23	मिशन वात्सल्य Mission Vatsalya	3601.06.101.81.00.31	553.66	91.51	राज्यों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए To meet the requirement of States
24	मिशन शक्ति - सामर्थ्य - प्रधानमंत्री मन्त्रु वन्दना योजना Mission Shakti - Samarthya - Pradhan Mantri Mantru Vandna Yojana	3602.06.101.67.10.31	44.98	10.04	केंद्रशासित प्रदेशों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए To meet the requirement of UTs

270 अनुदानों की पूरक मांगे, 2024-25 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

25	सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 Saksham Anganwadi & Poshan 2.0	3601.06.101.84.00.35	299.99	15.00	राज्यों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए To meet the requirement of States
26	मिशन वात्सल्य Mission Vatsalya	3601.06.101.81.00.31	553.66	32.15	राज्यों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए To meet the requirement of the States
27	सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 Saksham Anganwadi & Poshan 2.0	3602.06.101.65.03.31	14.00	15.67	यूटी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए To meet the requirement of UT
28	सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 Saksham Anganwadi & Poshan 2.0	3601.06.101.84.02.31	5583.24	267.14	राज्यों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए To meet the requirement of States

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय Ministry of Youth Affairs and Sports

माांग सांख्या - 102 Demand No. - 102

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान संसद को रिपोर्ट करने की आवश्यकता वाले मदों को दर्शाने वाला विवरण Statement showing items requiring Report to Parliament during F. Y. 2024-2025

1	2	3	4	5	6
क्र.	योजना/कार्यक्रम	लेखा शीर्षक - 15 अंक	बजट	पुनर्विनियोजन	टिप्पणी
सां.	का नाम	Head of Account	अनुमान	की राशि	Remarks
S.No.	Name of the	(15 digit)	Budget	Amount of	
	Scheme/Programme		Estimates	Reappropriation	
			2024-2025		
1	राष्ट्रीय युवा और किशोर	2204.00.103.33.01.31	11.80	13.20	योजना/साहसिक गतिविधियों के
	विकास कार्यक्रम				लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा
	NPYAD				करना।
					To meet additional
					expenditure for scheme/
					adventure activities.
2	राष्ट्रीय खेल विज्ञान और	2204.00.104.61.01.35	3.00	2.00	योजना गतिविधियों की
	अनुसंधान केन्द्र				देनदारियों के लिए अतिरिक्त
	National Centre of				व्यय को पूरा करने के लिए
	Sports Science				To meet additional
	And Research				expenditure for the
					liabilities of scheme
					activities
3	युवा मामले विभाग -	4250.00.001.01.21.71	0.77	0.15	सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार
	सचिवालय स्थापना				(आईसीटी) उपकरण के तहत
	DoYA - Secretariat				अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के
	Establishment				लिए
					To meet additional
					expenditure under
					Information, Computer,
					Telecommunications (ICT)
					equipment

272 अनुदानों की पूरक मांगे, 2024-25 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

4	राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम NPYAD	2204.00.789.09.01.31	4.00	2.00	योजना/साहसिक गतिविधियों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। To meet additional expenditure for scheme/ adventure activities.
5	भारतीय खेल प्राधिकरण Sports Authority of India	2204.00.104.11.02.35	22.00	8.50	अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए भुगतान के संबंध में भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ लंबित देयता को पूरा करने के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। To meet additional expenditure to meet pending liability with SAI in respect of payment for infrastructural projects.
6	राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय NSU	2204.00.104.64.01.35	0.50	2.00	मासिक व्यय योजना के अनुसार राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय परिसर के निर्माण के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। To meet additional expenditure for construction of the NSU campus as per monthly expenditure plan .
7	राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय NSU	2204.00.104.64.01.35	0.50	54.24	मासिक व्यय योजना के अनुसार राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय परिसर के निर्माण के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। To meet additional expenditure for construction of the NSU campus as per monthly expenditure plan .

273 अनुदानों की पूरक मांगे, 2024-25 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

	I	1			1
8	राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय National Sports University	2552.00.274.23.01.31	4.30	1.12	मासिक व्यय योजना के अनुसार राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय परिसर के निर्माण के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। To meet additional expenditure for construction of the NSU campus as per monthly expenditure plan .
9	भारतीय खेल प्राधिकरण Sports Authority of India	2204.00.104.11.02.36	510.00	10.00	नियमित कर्मचारियों की स्थापना देनदारियों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। To meet additional expenditure to meet the establishment liabilities of regular staff.
10	युवा मामले विभाग - सचिवालय स्थापना DoYA - Secretariat Establishment	4250.00.001.01.21.52	0.13	0.11	मशीनरी और उपकरण के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए To meet additional expenditure under Machinery and Equipment
11	युवा मामले विभाग - सचिवालय स्थापना DoYA - Secretariat Establishment	4250.00.001.01.21.71	0.77	0.12	स्चना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए To meet additional expenditure under Information, Computer, Telecommunications (ICT) equipment

274 अनुदानों की पूरक मांगे, 2024-25 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

12	राष्ट्रीय खेल	2204.00.104.64.01.35	0.50	26.74	मासिक व्यय योजना के
12	_ ^	2204.00.104.04.01.33	0.50	20.74	
	विश्वविद्यालय				अनुसार एनएसयू परिसर के
	National Sports				निर्माण के लिए अतिरिक्त व्यय
	University				को पूरा करना।
					To meet additional
					expenditure for
					construction of the NSU
					campus as per monthly
					expenditure plan .
13	राष्ट्रीय युवा और किशोर	2204.00.796.09.01.31	2.00	0.50	योजना/साहसिक गतिविधियों के
	विकास कार्यक्रम				लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा
	NPYAD				करना।
					To meet additional
					expenditure for scheme/
					adventure activities.